महानगर नई दिल्ली बुधवार 11 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

राज्यसभा में आज पेश होगा नागरिकता संशोधन विधेयक

पूर्वोत्तर राज्यों में आक्रोश

जनसत्ता ब्यूरो/भाषा
गुवाहाटी/ईटानगर/इम्फाल/अगरतला/शिलांग, 10 दिसंबर।

पूर्वोत्तर भारत में राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों और नागरिक संस्थाओं ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ मंगलवार को व्यापक प्रदर्शन किया। छात्र संगठनों की तरफ से संयुक्त रूप से 11 घंटे का बंद बुलाया गया।

इस विधेयक के खिलाफ क्षेत्र के विभिन्न संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस, एआइयूडीएफ, ऑल बाकी पेज 8 पर

असम में सुरक्षा बलों से भिड़े प्रदर्शनकारी

विरोध के दौरान पथराव, आगजनी

त्रिपुरा बाजार में भी लगाई आग

गुवाहाटी में मंगलवार को टायरों में आग लगाते प्रदर्शनकारी

'कैब' से अमेरिका को तकलीफ, पाक को मिर्ची

नई दिल्ली/वाशिंगटन/इस्लामाबाद, 10 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ अन्य प्रमुख भारतीय नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की अमेरिका के एक संघीय आयोग की मांग पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका के संघीय आयोग (यूएससीआइआरएफ) ने कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 'गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम' है और यदि यह भारत की संसद में पारित होता है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ अन्य भारतीय नेताओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उधर पाकिस्तान ने भी नागरिकता विधेयक को 'प्रतिगामी व पक्षपातपूर्ण' बताया और इसे नई दिल्ली का पड़ोसी देशों के मामलों में 'दखल' का 'दुर्भावनापूर्ण इरादा' बताया। जबकि भारत ने पाकिस्तान के इन बाकी पेज 8 पर

भारत ने विरोध जताते हुए कहा

अमेरिकी संघीय आयोग का बयान न तो सही, न ही वांछित

कुलदीप सेंगर के खिलाफ मामले में 16 को फैसला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

अपहरण और बलात्कार के मामले में आरोपित भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ दिल्ली में चल रहे मामले की सुनवाई मंगलवार को पूरी कर ली गई।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के तीस हजारी में चल रहा मामला

2017 में उन्नाव में एक महिला का अपहरण और बलात्कार करने का यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के बाकी पेज 8 पर

निर्भया मामले में आखिरी दोषी की सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका

जनसत्ता ब्यूरो/एजंसी
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

राजधानी में दिसंबर 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले चार दोषियों में से अंतिम दोषी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है।

सुप्रीम कोर्ट ने नौ जुलाई 2018 को इस सनसनीखेज अपराध में संलिप्त चार में से तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अभी तक पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करने वाले दोषी 31 वर्षीय अक्षय के वकील एपी सिंह ने बताया कि उसने मंगलवार को इस संबंध में याचिका दायर की है। इस बीच दिल्ली की मंडोली जेल में रखे गए इस मामले के एक अन्य दोषी को तिहाड़ जेल में स्थानांतरित किया गया।

मामले के एक अन्य दोषी को मंडोली जेल से तिहाड़ लाया गया

शीर्ष अदालत ने इससे पहले मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की पुनर्विचार याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थीं कि फैसले पर विचार करने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने 2017 में निर्भया कांड के दोषियों को मौत की सजा देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने इन बाकी पेज 8 पर

'जवाब मिलने तक राज्यसभा में समर्थन नहीं'

कहा, धारणा बदलें कि विधेयक के समर्थक देशभक्त और विरोधी राष्ट्रद्रोही

मुंबई, 10 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि शिवसेना राज्यसभा में तब तक नागरिकता (संशोधन) विधेयक का समर्थन नहीं करेगी, जब तक कि पार्टी द्वारा लोकसभा में उठाए गए सवालों का जवाब नहीं मिल जाता।

नागरिकता विधेयक

दूसरी ओर राकांपा ने महाराष्ट्र में अपने गठबंधन साझेदार शिवसेना के लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) का समर्थन करने पर मंगलवार को कहा कि दोनों पार्टिया अलग हैं और उनके लिए हमेशा सभी मुद्दों पर समान विचार रखना संभव नहीं है।

ठाकरे ने कहा विधेयक पर विस्तृत चर्चा जरूरी है। मोदी सरकार को इस विधेयक को लागू करने से अधिक अर्थव्यवस्था, नौकरी संकट और बढ़ती महंगाई पर चिंतित होना चाहिए।

लोकसभा ने सोमवार को इस विधेयक को पारित कर दिया है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 बाकी पेज 8 पर

जद (एकी) में दरार

पटना, 10 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल नीतीश कुमार नीत जद (एकी) द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) का समर्थन किए जाने के बाद पार्टी के ही दो पदाधिकारियों ने अपने अलग विचार व्यक्त किए हैं। जद (एकी) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और बाकी पेज 8 पर

'सिफारिश के छह महीने में हो न्यायाधीशों की नियुक्ति'

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 1,079 स्वीकृत पदों के मुकाबले 410 पद रिक्त होने को गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया है कि ये नियुक्तियां किसी व्यक्ति के नाम को कॉलेजियम और सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के छह महीने के भीतर की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ के पीठ ने छह दिसंबर के अपने आदेश में कहा, 'ऐसे मामलों में जिनमें उच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों को उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम और सरकार की मंजूरी से मिलती है, कम से कम उनमें नियुक्तियां छह महीने के भीतर होनी चाहिए।' बाकी पेज 8 पर

नानावती आयोग की अंतिम रिपोर्ट आज विधानसभा में

अमदाबाद, 10 दिसंबर (भाषा)।

वर्ष 2002 के गुजरात दंगों और उन पर की गई कार्रवाई पर न्यायमूर्ति नानावती-मेहता आयोग की अंतिम रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा में पेश की जाएगी।

आयोग की रिपोर्ट का पहला हिस्सा 25 सितंबर, 2009 को विधानसभा में पेश किया गया था। यह आयोग गोधरा ट्रेन अग्निकांड और बाद में फैले सांप्रदायिक दंगों के कारणों की जांच के बनाया गया था। आयोग ने 18 नवंबर, 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन तब से यह रिपोर्ट राज्य सरकार के पास ही है।

गुजरात दंगे

राज्य सरकार ने इस साल सितंबर में गुजरात हाई कोर्ट से कहा था कि वह अगले विधानसभा सत्र बाकी पेज 8 पर

बीएचयू के प्रोफेसर खान ने धर्म संकाय से दिया इस्तीफा

वाराणसी 10 दिसंबर (भाषा)।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर डॉ फिरोज खान ने इस्तीफा दे दिया है। प्रोफेसर खान ने कला संकाय के संस्कृत विभाग में अपने नियुक्ति को कारण बताते हुए इस्तीफा दिया है।

संकाय प्रमुख द्वारा इस बात की आधिकारिक घोषणा होते ही छात्रों ने धरना समाप्त कर दिया। खान ने संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान बाकी पेज 8 पर

सुरक्षा मामलों में सहमति के बिना जानकारी पाने की होगी छूट

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा)।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के लिए बनाए जाने वाले कानून के लिए तैयार विधेयक के मसौदा में सरकारी एजंसियों को क्रेडिट स्कोर, कर्ज वसूली और सुरक्षा से जुड़े मामलों में बिना डेटा मालिक के सहमति के आंकड़ों का प्रसंस्करण करने की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 का मसौदा कंपनियों को बिना सहमति के व्यक्तिगत आंकड़ों का प्रसंस्करण और उनके संग्रहण से रोकता है। विधेयक को अगले कुछ दिनों में लोकसभा में पेश किया जा सकता है। हालांकि यह प्रस्तावित कानून कुछ उचित उद्देश्यों के लिए आंकड़ों के प्रसंस्करण की छूट देता है। इनमें धोखाधड़ी समेत अन्य गैरकानूनी गतिविधियों का पता लगाना और बाकी पेज 8 पर

डेटा संरक्षण विधेयक

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 का मसौदा कंपनियों को बिना सहमति के व्यक्तिगत आंकड़ों का प्रसंस्करण और उनके संग्रहण से रोकता है।

नीलामी नरेंद्र मोदी के साथ महात्मा गांधी वाले चित्र की सबसे ऊंची लगी बोली

प्रधानमंत्री के उपहारों से 15.13 करोड़ की आय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों व स्मृति चिह्नों की नीलामी से 15.13 करोड़ रुपए की आय हुई है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने इस संबंध में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय से जवाब मांगा था।

मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये उपहार और स्मृति चिह्न 2015 से 24 अक्तूबर 2019 तक प्राप्त हुए थे। इसके लिए मंत्रालय की तरफ से 18 फरवरी से 20 फरवरी 2015, 27 जनवरी से एक अप्रैल 2019 तथा 24 सितंबर से 24 अक्तूबर 2019 के बीच नीलामी आयोजित की गई। इस सवाल में ही राकेश सिन्हा ने बाकी पेज 8 पर

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी।
राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने इस संबंध में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय से जवाब मांगा था।

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,**Shambhu** Dayal Yadav,S/O-Late Mohan Lal,R/o-16-A Sarojini Park,Main-Road,Shastri-Nagar,Delhi-31,have changed the name of my minor son Harsh Goel to Harsh Kumar Yadav for,all purpose.(D.O.B-18.07.2004) 0040523648-7

I,**Ravinder** kumar/ Ravinder kumar tondon S/o-Late.Krishan Lal Tandon R/o-E-1/3,Budh Vihar,Ph-1, Rohini,Delhi-110086,have changed my name to Ravinder Kumar Tandon. 0040523648-3

I,**Iqbal** Singh Janjuha S/o-Ajit Singh R/o: WZ-72, Plot No-119, Sant-Garh, Tilak-Nagar, New Delhi-18. Have Changed My Name to Iqbal Singh. 0040523625-6

I,**Deepak** Kumar S/o Dayakishan Sharma R/o-H.No.27-C,Sector-17, BHEL-Township,Noida,G.B.Nagar,U.P.-201301,have changed,my minor daughter's,name from Sharvi Sharma to Sharvi. 0040523648-8

I, Vinod Kumar S/o Shiv Chand, R/o H.No.646, Pocket-1, Sector-14, Dwarka, NSIT, Delhi-110078 have changed my minor son's name from Rudransh Nimbhal to Rudransh for all purposes. 0040523574-1

I, Vikas S/o Sh. Charan Singh R/o 230/9, Street No.3, Railway Colony, Mandawali, Shakarpur, Delhi-110092, have changed my name to Vikas Bansal for all future purposes. 0040523620-1

I, Sushma W/O Gulshan Aghi R/O-24, Shyam Enclave Near Happy English School Karkardooma Delhi-110092. Changed My Name To Sushma Aghi. 0040523658-8

I, Surjit Kor W/o Mohan Singh R/o-F-22/118, First-Floor, Sector-3, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Surjit Kaur,for all future purposes. 0040523625-8

I, Suriya Bano/Nilza Angmo Kalon W/o Tsering Stobdan Kalon R/o Tulip garden, G-31, 2nd floor, sector 57, Gurgaon, Haryana, have changed my name to Suriya Kalon for all purposes. 0050159622-1

I, Sunil Singhal S/o Munna Lal Singhal R/o-WA-109, Flat.No.A-1, Upper Ground Floor, Gali No.16, Shakarpur, Delhi-110092 have changed my name to Sunil Kumar Singhal. 0040523615-1

I, Sunil Kumar S/o Shri.Rati Ram R/o-X-8/22, Krishna, Gali.No.5.1/2, Near-Khaddey Wali Masjid, Brahampuri, Delhi-110053,have changed my name to Sunil Gupta for all,future purpose. 0040523647-2

I, Sukhwinder Kaur W/o Harpreet Singh R/o-C-18/19, Ranjeet-Vihar, Nilothi-Extension, Nangloi, Delhi-110041 have changed my name to Sukhvinder Kaur. 0040523658-1

I, Subodh Kumar S/O Uday Raj H-No-D-418b Pul-Perhladpur South/Delhi New Delhi-110044. Changed My Name To Subodh Kumar Yadav. 0040523641-2

I,**Gaurav** S/o Daljeet Kumar R/o WA-30 2 nd floor Shakarpur Delhi. have changed my name Gaurav Mishra for all purposes. 0040523648-2

I, Sonu Kumar S/o Basant Kumar R/o-B-1/239, Sultanpuri, Delhi-110086, have changed my name to Sonu for all purposes. 0040523625-2

I, Som Lal Paul S/o Chaman Lal Paul R/o J-1104, Oxyhomez Near Koyal Enclave, New Dilshad Extension Tilla Mod Road Ghaziabad Uttar Pradesh-201005 have changed my name from Som Lal to Som Lal Paul for all purposes. 0040523585-1

I, Shreekant Tripathi S/O-Someshwar Tripathi R/O-55-D, Ac-Block, Shalimar-Bagh, Delhi-110088. Have Changed My Name To Shrikant Tripathi. 0040523615-5

I, Shaloo Verma W/o Vinod Kumar R/o-10/3404 Gali No1, Shanti Mohalla, Raghubar pura No.2, Gandhi Nagar Delhi-110031, have changed my name to Shaloo for all purposes. 0040523636-3

I, Shabeena Irshad Khan W/O Mohammad Irshad Khan, H-No.310/12, Gaffar-Manzil Jamiaagar-Okhla Delhi-110025. Changed My Name To Shabeena Alvi. 0040523658-7

I, Santoshi Devi,W/o-Late Neeraj Sharma R/o-E-1/16, Shiv-Ram-Park, Najafgarh-Road, Nangloi, Delhi-110041, changed my name from Santosh Sharma to Santoshi Devi, for all purposes. 0040523641-5

I Deepak Raghuwansi S/O Tivra Bhan R/O H.No-3/1 Village Seekri Ballabgarh Faridabad-121004 Have Change My Name To Deepak Raghuvanshi. 0040523658-2

I Deepak Raghuvanshi R/O-H.No-3/1 Village Seekri Ballabgarh Faridabad-121004 Have Change My Minor Son Name Shaurya Raghuwansi To Shaurya Raghuvanshi. 0040523658-4

व्यक्तिगत

I, Sadia D/o Suhail Ahmed R/o D-65, Street No.2, D-Block, Noor Elahi, North Ghonda, Delhi-110053 have changed my name to Sadia Naz for all purposes. 0040523571-1

I, Sachin Kumar S/o Pramod Kumar R/o 1/6127, Gali No.2, East Rohtash Nagar, Shahdara, Delhi-110032 have changed my name to Sachin. 0040523612-1

I, S.K. Uppal S/o Sh. Hans Raj R/o E-20/3, Sector-3,Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Subhash Kumar Uppal for all purposes. 0040523630-1

I, Rakesh Kumar Malhotra S/o Pran Nath Malhotra R/o A-42, Duplex Flats, Gurmandi, Delhi-110007 changed my name to Rakesh Malhotra. 0040523579-1

I, Rajni Kant Sinha S/o Belsu Ram Sinha R/o-D-4/244-A Sangam-Vihar New Delhi-110080.have changed my name Rajni Kant Sinha to Rajani Kant Sinha,for all purposes. 0040523674-3

I, Prem Singh S/O Ratan Singh Negi, H-No 67/844, D-Block, Type-I, Mandir-Marg Gole-Market Delhi-110001.Changed My Name To Prem Singh Negi. 0040523632-9

I, Prem Singh Das S/o Sarwan Singh R/o-B-64 East-Nathu Colony Shahdara, Delhi-110093, have Changed my Name to Prem Singh for All future Purposes. 0040523576-1

I, Preeti Chandwani W/o Rakesh Chandwani R/o K-308, Vivek Vihar, Sector-82, Noida, G.B.Nagar have changed my name to Preeti Lalwani. 0040523632-1

I, Pradeep Kumar Prajapati S/o Ram Prasad Prajapati R/o Flat No 193, Pocket-K, Sarita Vihar, Delhi-110076, have changed my minor son's name from Ananya/Akshat Pradeep Kumar Prajapati to Akshat Prajapati. 0050159621-1

I, Pooja Rambabu Saxena W/O Manish Kumar H-no-Flat.no.411, Paradise-Appt Plot.no-1, Dwarka Sec-9, New Delhi-110077. Changed My Name To Pooja Agarwal. 0040523641-3

I, Pawan Kumr Sharma S/o-Ravinder Kumar Sharma R/o-House.No-966, New Patel-Nagar, Hapur, U.P-245101,have changed my son's name,from Rudar Kumar Sharma to Rudra Kumar Sharma,for future purposes. 0040523647-3

I, Subhash Khari S/o Ramphal Khari R/o-273/C, Kumharwali-Gali, Rampura, Onkarnagar, Delhi-35, that Subhash and Subhash Khari are the names of one and same person. 0040523641-8

I, Pardeep S/o Rajbir Singh R/o-794 K-2-Block Tara Chand Colony Mahipalpur Delhi-110037. changed my name to Pradeep Singh. 0040523658-9

I, Pappu Kumar S/o Shri Bachchan Singh, R/o A-66/1, Gali no. 7, Vikas Vihar, Uttam Nagar, ND-59, have changed my name to Ranjan Rajput vide affidavit dated 6th Dec.2019 sworn before notary J.P. Joshi Delhi. 0040523578-1

I, Pankaj Kumar Gupta S/o Kewal Krishan Gupta R/o Flat No. 38, Plot No. 44, Vasundhra Aptts., Sector-9, Rohini, Delhi-110085, have changed my name from Pankaj Kumar to Pankaj Kumar Gupta for all future purposes. 0040523590-1

I, Mrityunjai S/O Kulbhushan Bawa, H-No-2190/3 Raj-Gururoad Chuna Mandi Paharganj New Delhi-110055. Changed My Name To Mrityunjay Bawa. 0040523641-1

I, Mohan Singh Issar Singh S/o-Issar Singh R/o-F-22/118, First-Floor, Sector-3, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Mohan Singh, for all future purposes. 0040523625-9

I, Meenati Sinha W/o Rajani Kant Sinha R/o-D-4/244-A Sangam-Vihar New Delhi-110080.have changed my name Meenati Sinha to Meenoti Sinha,for all purposes. 0040523674-2

I, Medha D/o Akhilesh Trivedi R/o-799 Sector-21A Faridabad, Haryana-121001, have changed my name to Medha Trivedi. 0040523636-5

I, Manish Kumar S/o-Sh.Ram Kishan Sharma R/o-RZ-496,A/1, Gali.No.02, Raj Nagar, Part-I, Palam-Colony, New Delhi-110045,have changed my name to Manish Kumar Attri,for all future purposes. 0040523647-1

I, Mahinder Kumar alias Mohinder Bhagat alias Mohinder Kumar S/o Late Sh.Ishwar Dass Bhagat R/o B-231, Derawal Nagar, Model Town-1, Delhi-110009 have changed my name to Mahinder Kumar for all purposes. 0040523571-3

I Paramjeet Singh S/O Harvinder Singh Soin, H.N0-39, Viakspuri-Extn.,Chander Vihar, Nilothi-Extn., Nilothi, Delhi-110041 Have Changed my Name to Paramjeet Singh Soin. 0040523641-7

I Pallavi W/o Gunjan Kumar R/o Flat no.A2/623, Tower 15, Purvanchal Royal Park, Plot no. GH04, Sector 137, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh - 201304. DOB: 01 Feb.1990 have changed my name from Pallavi to Pallavi Srivastava for all purposes. 0070687472-1

I, Loveneet Wadhwa S/O Harish Wadhwa R/O-H.No-26/A Street No-8 Ajay-Park Nayabazar-Najafgarh Delhi-110043. Inform That Loveneet And Loveneet Wadhwa Both Names Are One And Same Person. 0040523658-5

I, Lakshmi W/O-15697424f L/Nk Ramu Manthina Unit-14 Cosr C/O-56 Apo, R/O-Village&Post-Gadimudidam, Rajam, Srikakulam, Andhra-Pradesh-532127 Have,\ Changed My Name,From Lakshmi To Manthina Lakshmi For,All Future Purpose. 0040523647-4

I, Lakshmi Narain S/O Chet Ram R/O-316, Sainik-Vihar, Pitampura, Delhi. Changed Name To Lakshmi Naraian Sharma. 0040523615-10

I, Kusum Chauhan alias Kusuma Vati D/o Kripal Singh W/o Yoginder Singh Chauhan R/o-H.No.381, Gali-No.16, East-Azadnagar, Krishna-Nagar, Delhi-110051, have changed my name to Kusuma Vati. 0040523649-1

I, Kulbhushan S/O Raghunandan Lal Bawa, H-No-2190/3, Rajguru-Road Chuna Mandi Paharganj New Delhi-110055. Changed My Name To Kulbhushan Bawa. 0040523632-10

I, Km.Pooja Rani Jain W/O Manoj Kumar Jain R/O 1/2-A Puri Street No-1 Maujpur Delhi 110053. Changed My Name To Pooja Jain. 0040523641-4

I, Kashish Narang S/o Manish Narang R/o 670, Pocket-1, Paschimpuri, New Delhi. have changed my name to Prashant Narang, permanently. 0040523641-9

I, Kamaljit Kaur Saini w/o Kirpal Singh Saini r/o B-7, Tagore Garden Extn., Delhi-110027 have changed my name to KAMALJIT KAUR as given name and SAINI as surname permanently. 0040523624-1

I, Kailash Nath Tripathi S/o Jagdish Prasad Tripathi R/o-RZ-70 Dwarka Vihar, Dharampura Extn., Najafgarh Delhi-43, have changed my name to Kailash Tripathi. 0040523636-4

I, Jalaluddin S/o Sh.Riyasuddin R/o A-114, Chuggi No.2, Lal Kuan, Pul Pehlad Pul Pahladpur, Delhi-110044 have changed my name to Jalaluddin Siddiqui for all purposes. 0040523571-2

I, J P Sharma S/O Ram Sawroop, R/O-1/2272f, Street.No.8, Ramnagar-Shahdara, Delhi-110032, Changed My Name To Jai Prakash Sharma. 0040523615-4

I, Hariom Gupta S/o Shambhu Dayal R/o-C-115, Street.No.9, Chattarpur-Enclave Phase-II, New Delhi-110074. have changed my minor son name from Shivam Agrawal aged 12-years to Shivam Gupta for all future purposes. 0040523649-2

I, Gurjeet Kaur Alagh W/o Kirpal Singh Alagh R/o-C-213, Vikaspuri New Delhi-18, have Changed my name to Surjit Kaur Alagh 0040523577-1

I, Gurbakshish Singh S/o Arvinder Singh Bawa R/o H-112, G.S. Apartment, Plot No.38, Sector-13, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Gurbakshish Singh Bawa for all purposes. 0040523634-1

I, Gulshan Kumar S/O Om Parkash R/O-24, Shyam-Enclave Near-Happy English School Karkardooma Delhi-110092. Changed My Name To Gulshan Aghi. 0040523658-6

I, Ganeshan Deepak Kumar S/o V.S. Ganeshan R/o-H.No.91 Block-22, Trilok Puri, Mayur Vihar Ph-1 Delhi-91, have changed my name to G Deepak Kumar for all purposes. 0040523636-2

I, Gagan Deep s/o Manohar Lal Dua, R/o 67-C, LIG Flats, Madhuban-Enclave, Rohtak-Road, Madipur, New Delhi-110063. have changed my name to Gagan Deep Dua 0040523632-3

I, Ehtesham S/o Niyaz Meer R/o-742, Phatak Dhobiyan, Farash Khana, Delhi-110006, have changed my name to Ehtesham Meer. 0040523625-4

I, Dheeraj Gupta S/o Anurodh Kumar Gupta R/o A-251 Shyam Colony,Phase-II, Budh Vihar, Delhi-110086, informs that Dheeraj Gupta and Dheeraj Kumar Gupta are names of one and same person and I will be known as Dheeraj Gupta for all future purposes. 0040523586-1

I, Deepakshi D/o Manoj Kandhari R/o-23/48-B, First-Floor, Tilak-Nagar, New Delhi-110018 have changed my name to Deepakshi Kandhari, for future. 0040523625-10

I, Deepak Rai R/o-98A, Old Anarkali, Krishna Nagar, Delhi-110051,have changed my minor son's name from Naman Rai to Harpit Singh Rai. 0040523606-1

I Domya Shammi S/o Promod Singh R/o H.No-G-160, Sector Beta-2, Greater Noida, U.P.-201306 have changed my name to Domya Kaur. 0040523632-4

I Dharmender S/o Late.Brahim Singh R/o-H.no.130, Village-Neelwal, P.O.Tikri-Kalan Delhi-41.state that I am also known as Dharmender Dutt.Both Dharmender and Dharmender Dutt are names of one and same person i.e.me. 0040523625-7

व्यक्तिगत

I, DAL SINGH S/o SANTU R/o No. C-43/256, T Huts, Ram Nagar, Pahar Ganj, New Delhi-110055, have changed my name to DALSINGHAR YADAV. 0040523568-1

I, Charu D/o Naresh Kumar Anand R/o-27 Silver Park, Shivpuri Krishna Nagar Delhi-110051, have changed my name to Charu Anand for all purposes 0040523636-1

I, Chander Mohan S/o Ishwar Dass Magu R/o-UU-36, Pitampura Delhi-110034. Changed My Name To Chander Mohan Magu. 0040523615-6

I, Bindu W/o Sh.Vikas Kumar R/o-H.No.535-324, Ward.No.13, Pratapnagar, Gurugram-122001, Haryana, have changed my name to Ashu Bajaj,for all future purpose. 0040523674-1

I, Lakshmi W/O Chet Ram R/O 316, Sainik Vihar, Pitampura, Delhi changed my name to Champa Devi. 0040523625-1

I, Bikash Kumar S/o Vishw Nath Saha, R/o B-108, Veena Enclave, Nangloi, Delhi-110041, have changed my name to Vikas Kumar permanently. 0040523570-1

I, Bhanu Partap R/o H.No-24-25, Shiv Ram Park Extn., Nangloi, Delhi-110041, have changed my minor daughter's name from Laxmi to Niharika Kushwaha for all purposes. 0040523587-1

I, Bhan Singh Raghuvanshi S/o Yashvant Singh R/o-195-D, BG-6, Paschim-Vihar, N.Delhi-110063, have changed my name to Bhan Singh Raghuwanshi permanently. 0040523641-10

I, Ashee D/o Rehmatullah W/o Shafiq Ahmed R/o 52, Narmada Apartment, Schedule-B, R.P.Bhawan, President Estate, Delhi-110004, changed my name from Ashee to Asiya Ahmed for all future purposes. 0040523588-1

I, Arti Chauhan D/o Mr. Niranjan Singh R/o Vill-Karola,Dist-Gurugram, HR-122504 have changed my name to Arti Kumari for all purposes. 0040523526-1

I, Arjun Singh S/O Prem Singh Negi H-No-67/844, D-Block, Type-I, Mandir-Marg Gole-Market Delhi-110001. Changed My Name To Arjun Singh Negi. 0040523632-8

I, Amit Kumar S/o Prem Singh ADD:1/11601, Gali no-5, Subhash-Park Extn, Shahdara, Delhi-110032. CHANGED MY NAME TO Amit Randhawa. 0040523615-7

I, Alok Aggarwal S/o Sh.Daya Krishan Agrawal R/o-C-47, 1st-Floor, GaliNo.6, Majlis-Park Delhi-110033, have changed my Minor Son name,from Keshav Aggarwal to Keshav Agrawal,for all future purpose. 0040523615-3

I, Ajit Kaur Tajeja W/O Daljeet Singh Taneja R/O-C-97 Fateh-Nagar, Rajouri-Garden, Delhi-110018. HAVE CHANGED MY NAME TO Ajit Kaur. 0040523615-8

I hitherto known as Ali Shah S/o-Joginder Singh residing at-X-63, Gali.No-3, Brahmpuri, Delhi-110053 have changed my name and shall hereafter be known as Amrik Singh Pali. 0040523625-5

I Yukta Shammi S/o Promod Singh R/o H.No-G-160, Sector Beta-2, Greater-Noida, U.P.201306. have changed my name to Yukta Kaur. 0040523632-6

I Tanvi D/O Nipun Kumar Gupta Hno-1239, Paposian Street, Narela Delhi-110040. Have Changed My Name To Tanvi Gupta. 0040523632-7

I Sunita Lohia W/o Anup K Lohia R/o T1/1501 Sunworld Vanalika Sector-107 Noida Gautam Buddha Nagar UP-201301, have changed my name and shall hereafter be known as Sunitha Lohia. 0040523674-4

I Sujan Singh Duhan S/o Randhir Singh R/o-E-204 Lajpat-Nagar-1, Delhi-24. Have changed my name to Sujan Singh. 0040523615-9

I Sharvan Kumar S/O Late Shri Kashmiri Lal R/O-M-478, Raghubir-Nagar, New Delhi-110027. have changed the name of my minor daughter Lamha Munjal aged 11-years and she shall hereafter be known as Lamha. 0040523649-3

I Sharvan Kumar S/O Late Shri Kashmiri Lal R/O-M-478, Raghubir-Nagar, New Delhi-110027. have changed the name of my minor daughter Arpita Munjal aged 8 years and she shall hereafter be known as Arpita. 0040523649-4

I Promod Kumar Shammi S/o Late Krishan Lal Shammi R/o H.No-G-160, Sector Beta-2, Greater Noida, U.P.201306 have changed my name to Promod Singh. 0040523632-5

I Pradeep Kumar S/o Ramkhelawan Thakur R/o-B-74, Vikas-Vihar, Vikas-Nagar, GaliNo.6/3, Pradhan-Chowk, Uttam-Nagar, New-Delhi-110059. have change my name to Pradeep Kumar Thakur. 0040523632-2

I Paramjeet Singh Soin, H.N0-39, Viakspuri-Extn.,Chander-Vihar, Nilothi-Extn., Nilothi, Delhi-110041 Have Changed my Minor's Son Name Gaganpreet Singh to Gaganpreet Singh Soin. 0040523641-6

मैं, आशुतोष गौतम 102, भूतल, नीति खंड- प्रथम, इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201014 में रह रहा हूं। मैंने अपने बेटे का नाम बदलकर सिवांश गौतम /अर्नव गौतम से समर्थ गौतम को शपथ पत्र डीटी के माध्यम से बदल दिया हैः 23.11.2019 नोटरी ओम प्रकाश सिंह गाजियाबाद से पहले शपथ ली।

मैं आशुतोष गौतम 102, भूतल, नीति खंड-प्रथम, इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201014 में रह रहा हूं। मैंने अपनी बेटी का नाम बदलकर सिवांगी गौतम से समृद्धि गौतम को शपथ पत्र डीटी के माध्यम से दिया हैः 23.11.2019 नोटरी ओम प्रकाश सिंह गाजियाबाद से पहले शपथ ली।

मै, नीलम सोनी पत्नी श्री विजय प्रकाश वर्मा निवासी 1/108 विशालखण्ड गोमतीनगर लखनऊ–226010 ने अपनी बेटी का नाम बेबी सोनी से बदलकर अदित्रि सोनी रख दिया है और भविष्य में उसे इसी नाम से जाना जायें।

मैं, मधु w/o मुकेश r/o 16/483–ई पदम सिंह रोड बापा नगर करोल बाग नई दिल्ली–5 ने भविष्य में सभी उद्देश्यों के लिए मेरा नाम बदलकर टीना कर दिया है। 50159571

I Pooja Raghuwansi W/O Deepak Raghuvanshi R/O H.No-3/1 Village-Seekri Ballabgarh Faridabad-121004. Have Change My Name To Pooja Raghuvanshi. 0040523658-3

I Parmeshwari W/o Janardan Prasad Paliwal R/o Flat No.136-E,A-3, Mayur Vihar, Delhi-110096, changed my name to Parmeshwari Paliwal. 0040523625-3

खोया+पाया

मेरा वेटनरी प्रथम वर्ष 2012–13 अनुक्रमांक V-5704/11 खो गये हैं। हिमांशु भारती पुत्र बाबू राम ग्राम–पैकापुर पोस्ट ऐरा स्टेट लखीमपुर–खीरी

I, **Shyam Narula S/o Shri Satish Chander Narula** R/o F-118, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi- 110052, lost documents related to property No. **F-118, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi- 110052** original convenience deed No. 730, issued on dated 11/01/1996 from DDA in favour of Satish Chander Narula, Harish Kumar Narula, Virender Narula S/o Shri Hans Raj Narula LR No. 1341036/2019 on dated 01/08/2019

I, ANKIT Sharma S/o Naresh Sharma R/o-13/14 Sarojini-Park Shastri-Nagar Delhi-31 have lost my original certificate class-12th year-2004 Rollno-6247443 CBSE, Delhi. 0040523649-11

I, Khushant son of Shri Kavish Kumar Residence of 3/82, Third Floor, Subhash Nagar, New Delhi-110027, have lost my Original Certificate of Class XIIth, Year-2015, Roll No. 9155944 Issued by CBSE Delhi. 0040523646-1

I, Rajnikant S/o Anil Mathur R/o-E-399, Jahangirpuri Delhi-110033. has lost my 10th-&-12th Original CBSE Certificates & Marksheet. 10th-Class RollNo.8657406 year-2016 & 12th Class RollNo.9649145 year-2018. 0040523649-10

I,**Mohd** Idrees S/o-Late. Jamaluddin R/o-G-167G/1, Dilshad Colony,Delhi-95,have Lost my original,Property Paper(Registry),for Plot. No. 163-164, Vikram Enclave Extn, Shalimar Garden,Sahibabad, Ghaziabad,(U.P).,Founder Contact:-9968727261. 0040523648-1

It is notified for the information that my original qualification examination Marksheet of Secondary School Examination of Year-2018, Roll No.8715190, issued by CBSE have been actually lost. Gaytri D/o Mohan Singh, R/o B-245, Subhash Camp, Dakshinpuri Ext. New Delhi-110019, Mobile 8745879812. 0040523610-1

संपत्ति

Sale of 500 Sq. Ft. (Approx.) Basement of K-25, Kailash Colony, New Delhi-110048 at circle rate of Rs. Seventy Five Lakhs. Interested parties contact by E-mail: rohini.sachdeva65@gmail.com 0040523571-5

Sale of 500 Sq. Ft. (Approx.) Basement of K-25, Kailash Colony, New Delhi-110048 at circle rate of Rs. Seventy Five Lakhs. Interested parties contact by E-mail: nks397@gmail.com 0040523571-4

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

PUBLIC NOTICE

I, DIVYA PRAKASH KOTHARI d/o PRAKASH SUKHLAL KOTHARI / w/o KARAN JAIN r/o Flat No. 204, Jalandhar Heights-1, 66 Feet Road, Near Urban Estate Phase-1, Jalandhar, Punjab-144022 have changed my name and shall hereafter be known as DIVYA JAIN.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Gazender s/o Ram Prasad R/o WZ-144/15, Sudershan Park, New Delhi-110015 have disowned/ debarred his son Pintu residing at above address, from his all moveable & immovable assets/properties located at anywhere & also severed all relations with him. Any person/s dealing with him shall be at his/ her/their own risk. Parvesh Kr. Tyagi (Advocate) WZ-87A, Village Budhela Vikaspuri, New Delhi-110018.

Public Notice

That my client Sh. Varun Aggarwal S/o Sh. K.C. Aggarwal has resigned from the Directorship of M/s Hire CA Pvt. Ltd. on 17.09.2018 and also transferred Share Certificate in the favour of the M/s Hire CA Pvt. Ltd. due to some unfair practice and mischief activities of Mr. Abhishek Mishra Director of M/s Hire CA Pvt. Ltd. by using website HireCA.Com and M/s Hire CA Pvt. Ltd. and Hire CA.com are not sister concern. Mr. Abhishek Mishra is Owner of HireCA.com and My client Mr. Varun Aggarwal is not liable for any activity of Mr. Abhishek Mishra and HireCA.Com and M/s Hire CA Pvt. Ltd.

Raj Kumar Jain (Advocate)
Seat No.E-49, 1st Floor, Karkardooma, Delhi-110032

PUBLIC NOTICE

The General Public is hereby informed that my client Smt. Sarla Baweja D/o Late Dhanpat Rai R/o 195, Pkt 8 Sector 12 Dwarka-110078 is the sole and registered owner of DDA Flat 195, Pkt 8 Sector 12 Dwarka-110078, My client has lost the Original DDA Allotment-cum-Demand Letter 47611 Dated 18/02/2005 issued by DDA in respect of the above said Flat for which she has logged FIR on 05/12/2019 LR No. 1965219/2019. Use of the above said documents for any purpose shall be illegal and at the risk and cost of the said person. The public at large is hereby informed accordingly and so forwarned.

Sd/-
RITU VERMA
(Advocate)
Enrl. No: D/1126/92

PUBLIC NOTICE

Be it known to all Public in General that my client Bhupinder Singh S/o S. Harbans Singh R/o 1C-99, Namdhari Colony, Ramesh Nagar, New Delhi-15 have severed their relations with his Son Gurmeet Singh & his Wife Harmeet Kaur and debar them from all his moveable and immoveable properties. Anybody dealing with them in any manner shall do so at his/their own risk & responsibility/consequences. My client shall not be responsible for their any acts and deeds.

Mohinder Dhawan (Advocate)
D-643/97 (R) Tis Hazari Courts

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I SATYA PRAKASH S/O. SH. NATHU SINGH residing at Flats No. 146-B, Pocket - F, G.T.B. Enclave, Opp. GTB Hospital, Delhi-110093 inform that name of mine has been wrongly written as SATYA PARKASH S/O. SH. NATHU SINGH in my 10th class school certificate and passport No. N 7434459. The actual name of mine SATYA PRAKASH S/O. SH. NATHU SINGH Respectively which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

This is to inform the general public that my client Smt. Indu Chauhan W/o. Vikas Chauhan is the absolute owner of property bearing no. DDA Flat No. 27-C, in Block DB, G-8 Area, Rajouri Garden, Hari Nagar, New Delhi-110064. My client who is residing at the abovesaid address has lost/misplaced the following documents pertaining to DDA Flat No. 27-C, in Block DB, G-8 Area, Rajouri Garden, Hari Nagar, New Delhi-110064 –

a. Original Demand cum Allotment Letter issued by DDA in favour of Sh. Basant Ram Advani.
b. Original Possession Letter issued by DDA in favour of Sh. Basant Ram Advani.
c. Original Will executed by Basant Ram Advani in favour of Harnam Singh.
d. Original Notarized Agreement to Sell dated 08.06.1983 executed by Sh. Basant Ram Advani in favor of Sh. Harnam Singh.

My Client has filed a complaint w.r.t the aforesaid documents with Delhi Police vide LR No. 1942941/2019 on 30.11.2019 and further, has applied for duplicate copies of the Documents mentioned at Serial a & b. from the DDA. Claims and objections, if any, from General Public, pertaining to my client's ownership qua the said property are invited within a period of 14 (fourteen) days from the publication of this notice, along with copies of such documents and other proofs in support of his/her/their respective claims/objections. The claims/objections, if any, received by my client shall be dealt in accordance with law.

Harshbir Singh Kohli (Advocate)
J-3/189, Rajouri Garden, New Delhi - 27

PUBLICATION

IN THE COURT OF SH. NARINDER KUMAR, ADDITIONAL DISRTICT JUDGE-04, WEST, ROOM NO. 115, TIS HAZARI COURTS, DELHI

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
Order 5, rule 20 of the Code of Civil Procedure

CIV DJ/1233/2017

SYNDICATE BANK... PLAINTIFFS/ APPELLANT

Vs

SH. OM PRAKASH JAIN & ANR.... DEFENDANTS/RESPONDENTS

N.D.O.H. 16-12-2019

To

(1) SH. OM PRAKASH JAIN (BORROWER) S/O SH. R.K. JAIN, R/O H.NO. 37, 1st FLOOR, SECTOR-12, DWARKA, NEW DELHI-110075.
(2) SH. PANKAJ SINGH CHAUHAN (GUARANTOR) S/O SH. SARMAN SINGH R/O B-42, VIKAS NAGAR, HASTSAL, UTTAM NAGAR, DELHI-110059.

NOTE:- AMOUNT DEPOSITED VIDE RECEIPT NO. 688 DT. 07-12-2019, 7350/-

Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **16th day of DECEMBER, 2019** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the court, this 07-12-2019

seal Sd/- Judge

PUBLIC NOTICE

My Client Sh. Ram Pher Chaurasia S/o Late Ram Nath Chaurasia & his Wife Nirmala Chaurasia W/o Sh. Ram Pher Chaurasia both R/o F-126, BLK-F, Vijay Vihar Ph-1, Delhi-85, have debarred, disowned their son Sh. Raj kumar S/o Sh. Ram Pher Chaurasia @ Rampher and daughter in law Neetu W/o Raj kumar, from all moveable, immovable properties of my clients & severed their all relations with them. My clients shall not be responsible for their acts, conduct & deeds in future whatsoever. Anybody dealing with above said persons are doing so at their own risk.

Naveen Sharma (Advocate)
H.No. 656, Khera Khurd Delhi-110082

PUBLIC NOTICE

This is to inform the general public at large that my clientess Smt. Radha Kapoor W/o Late Sh. Subhash Chand Kapoor R/o H. No. 251A/1A, Shri Ram Nagar, Shahdara, Delhi-110032, have disowned & severe all relations with her son Shobit Kapoor & his wife Bhumika from her all moveable and immovable assets as they are not under her control and any person dealing with them, shall be doing so at his/her own risks and consequences and my clientess will not be held liable for any of their acts & deeds.

Sd/-
SANJAY SOTI (Advocate)
D-1655/2001

PUBLIC NOTICE

To be known to all that my client BALRAM DAGAR S/O LATE DHARAMBIR SINGH R/O 29/1. PANNA MOHALLA, MANGOLPUR KALAN, DELHI lost following original documents of his PLOT NO. 38, POCKET A-3, AREA MEASURING 332.50 SQ. MTRS.. SECTOR-34, ROHINI, DELHI. (a) Letter from File No. F.11 (10)55/80-L%B/Alt.3918 dated 04-02-1986 from Delhi Administration Delhi, Land & Building Dept., Vikas Sadan, Delhi to Dharambir Singh (b) Letter from File No. F.11(98)86 LSB dated 01-09-1986 Sales Branch DDA (c) Letter of File No. F11 (98)86 dated 20-04-1990 from D.D. (R) DDA (d) Letter dt. 18-01-1993 from Dy. Director (e) Letter dt. 27-04-2007 from Sanjeev Kumar (f) Letter dt. 11-06-2018 in name of Mukhtyari Devi (g) DDA Challan receipt of Rs.5000/- dt. 02-09-1986 (h) Challan receipt No. 453251 dated 15-06-1992 of Rs.47200/- (i) Challan Receipt dated 19-02-1993 of Rs.31383.50/- An FIR LR No. 1972016/2019 dated 07-12-2019 to this effect has been lodged in Police Station Crime Branch, Delhi. Any person (s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original document, may write/contact to my client at above address/phone No. 9891710700 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objections with respect to this property can personally inform or write to Dy. Director (LSB Rohini), Vikas Sadan, INA, New Delhi.

KAMAL SINGH (Advocate)
Enrl. No. D-748/14

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी असली सेल पंजीकृत एग्रीमेन्ट जिसका खसरा सं. 151 परगना खैराबाद बड़ागांव तहसील सीतापुर के किताब 1 खण्ड 4426 पृष्ठ 179 से 206 क्रमांक 6778 है जोकि दिनांक 08.11.2012 को सीतापुर सब–रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्टर हुआ था, उक्त एग्रीमेन्ट कहीं खो गया है जिस किसी व्यक्ति को मिले वह मेरे वकील श्री अमित चौधरी को मोबाइल न. 9839265630 पर 15 दिनों के अन्दर सम्पर्क करें।

श्री अरूण कनोडिया पुत्र सत्या नारायण कनोडिया 139/7, विजय लक्ष्मी नगर, अग्ररोन विहार, सीतापुर, यू.पी.।

एलएलपी अधिनियम, 2008,
एलएलपी अधिनियम 2008 की
धारा 13 और एलएलपी नियमावली, 2009,
के नियम 17 के विषय में
तथा
स्पोर्टेनमेंट इंजीनियरिंग ऐंड डिजाइन एलएलपी
(इसके आगे एलएलपी कही गई है)
के विषय में

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) तथा अन्य लागू प्रावधानों यदि कोई और सीमित दायित्व भागीदारी नियमावली 2009 के नियम 17 के अनुसरण में तथा कम्पनी / सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रार की पुष्टि की शर्त पर एलएलपी जिसका एलएलपीआइएन एएओ–6049 है, जो 22–03–2019 को निगमित की गई है अपना पंजीकृत कार्यालय **मकान नंबर 1221, प्रथम तल सेक्टर–21, पंचकुला, हरियाणा–134112** से **जी–15/बी–3, दिलशाद कालोनी, दिल्ली–110095** स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां कम्पनी / एलएलपी रजिस्ट्रार, रा.रा.क्षे. दिल्ली एवं हरियाणा, चौथा तल, आईएफसीआई टावर 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति एलएलपी को उसके नीचे पते पर स्थित इसके वर्तमान पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए।

कृते एवं हिते
स्पोर्टेनमेंट इंजीनियरिंग एंड डिजाइन एलएलपी
तिथि 09–12–2019 हस्ता.
स्थान हरियाणा [illegible]
[illegible]

सार्वजनिक सूचना

कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली के समक्ष

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, धारा 13(3) के मामले में

तथा

लाइफ स्ट्रैटेजीज लर्निंग सॉल्यूशन्स एलएलपी के मामले में –आवेदक

(सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत निगमित एलएलपी जिसका पंजीकृत कार्यालय 26ए, चेल्म्सफोर्ड कन्ट्री क्लब, क्लब ड्राइव, घिटोरनी, मेहरौली गुड़गाँव रोड, नई दिल्ली–110030 में है)

एतद्द्वारा सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि 'रा.रा. क्षेत्र दिल्ली' से 'हरियाणा राज्य' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिये एलएलपी को सक्षम बनाने के लिये 7 दिसम्बर, 2019 को आयोजित पदनामित भागीदारों की सभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण की संपुष्टि प्राप्त करने के लिये एलएलपी नियमावली, 2009 के नियम 17 के साथ पठित सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत लाइफ स्ट्रैटेजीज लर्निंग सॉल्यूशन्स एलएलपी (यहां के बाद ''एलएलपी'' वर्णित) कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उपरोक्त पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर कम्पनी रजिस्ट्रार, 4था तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 के पास अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति जमा करें या जमा करायें या पंजीकृत डाक से भेजें।

कृत्ते एवं के लिये
लाइफ स्ट्रैटेजीज लर्निंग सॉल्यूशन्स एलएलपी
तिथिः 11.12.2019 आनंद प्रकाश मित्तल
स्थानः दिल्ली पदनामित पार्टनर

प्ररुप संख्या आईएनसी–25 क

पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41
के मामले में
और

तिजारा एस्टेट लिमिटेड
(U45200DL2007PLC158584)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **एसेट 5 बी, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली एयरो सिटी आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली -110037** में स्थित है,
के मामले में,
.......आवेदक

आम जनता को सूचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए दिनांक **07 नवंबर 2019** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अधीन आवेदन किया है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति के कारण, यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए आपत्ति तत्पश्चात ने उल्लेख करते हुए, जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, इस सूचना के छपने के चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कंपनी को उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय **एसेट 5 बी, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली एयरो सिटी आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037** में भी भेज दें।

कृते तिजारा एस्टेट लिमिटेड
हस्ता/-
तिथि : 11.12.2019 शिव बख्शी (निदेशक)
स्थान : नई दिल्ली DIN:05163014

जवानों के बीच गोलीबारी में दो की मौत

रांची, 10 दिसंबर (भाषा)।

झारखंड में सीआरपीएफ के जवानों के बीच गोलीबारी में दो अधिकारियों की मौत हो गई और दो घायल हो गए। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घटना बोकारो में सुरक्षा बल की 226वीं बटालियन की चार्ली कंपनी में सोमवार रात साढ़े नौ बजे की है। इसमें सहायक कमांडेंट रैंक के एक अधिकारी और एक सहायक उपनिरीक्षक की मौत हो गई और दो जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से एक जवान ने ही इस घटना को अंजाम दिया। सीआरपीएफ की यह इकाई राज्य में चुनावी ड्यूटी पर तैनात थी। यहां दो चरण के चुनाव हो चुके हैं और तीन चरण के चुनाव अभी होने हैं।

घायल जवानों को राज्य की राजधानी लाया गया है। सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना के पीछे क्या वजह रही, यह अभी पता नहीं चल पाया है।

नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में दो भाई गिरफ्तार

नागपुर, 10 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के नागपुर जिले में बीते एक महीने में 14 साल की एक लड़की से कई मौकों पर बलात्कार करने के आरोप में दो भाइयों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि आकाश संजय कारेमोर (27) पिछले महीने लड़की को शादी का झांसा देकर गंगापुर टकलघाट गांव ले गया था जहां उसने लड़की से बलात्कार किया। एमआइडीसी बूटीबोरी पुलिस थाने के अधिकारियों ने बताया कि बाद में आरोपी का भाई शुभम संजय कारेमोर (21) भी गांव पहुंच गया जहां उसने भी नाबालिग से बलात्कार किया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों ने लड़की को गांव में अपने मामा के घर यह कहकर रखा कि लड़की अनाथ है। लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। लड़की उन्हें गंगापुर टकलघाट गांव में मिली। पुलिस के मुताबिक लड़की के माता–पिता में तलाक हो चुका है। उसकी मां अलग रहकर मजदूरी करती है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

बुजुर्ग महिला की हत्या

नागपुर, 10 दिसंबर (भाषा) ।

महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक युवक ने अपमान का बदला लेने के लिए वृद्ध महिला की कथित तौर पर हत्या कर दी।

वेल्तुर पुलिस थाना के सहायक निरीक्षक आनंद कविराज ने बताया कि 22 वर्षीय आरोपी राजेश सोनटाक्के महिला के बेटे द्वारा किए गए अपमान का बदला लेना चाहता था।

यह घटना तीन दिसंबर को उस समय हुई जब लीलाबाई सूर्यभान वासनिक (65) अपने खेत में पराली जमा करने डोंगरमौडा गांव गई थीं।

दरअसल दो दिसंबर को सोनटाक्के का मवेशी वासनिक के खेत में घुस आया था जिसके बाद वासनिक के बेटे और आरोपी के बीच बहस हुई और इस दौरान आरोपी को वासनिक के बेटे ने थप्पर मार दिया। इसका बदला लेने के लिए ही सोनटाक्के ने महिला की हत्या कर दी। भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा के तहत आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

PUBLIC NOTICE

This is to inform the general public at large that my clientess Smt. Radha Kapoor W/o Late Sh. Subhash Chand Kapoor R/o H. No. 251A/1A, Shri Ram Nagar, Shahdara, Delhi-110032, have disowned & severe all relations with her son Shobit Kapoor & his wife Bhumika from her all moveable and immovable assets as they are not under her control and any person dealing with them, shall be doing so at his/her own risks and consequences and my clientess will not be held liable for any of their acts & deeds.

Sd/-
SANJAY SOTI (Advocate)
D-1655/2001

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नई दिल्ली		
अधिकतम–22.3 डि.से.		सूर्योदय–	7:03
न्यूनतम– 8.6 डि.से.		सूर्यास्त–	17:25

अवैध कारखाने होने लगे खाली

अनाज मंडी अग्निकांड

- अस्पताल में अभी भी कुछ रोगी गंभीर, जांच टीम को प्रत्यक्षदर्शी का इंतजार
- स्थानीय लोगों में अभी भी कारखाने के मालिक के खिलाफ गुस्सा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

रानी झांसी रोड अनाज मंडी अग्निकांड की मजिस्ट्रेट और अपराध शाखा की जांच ने रिहायशी इलाके में अवैध औद्योगिक इकाइयां चलाने वालों के बीच हलचल मचा दी है। व्यापारियों में सीलिंग का भी डर है। ऐसे अवैध कारखानों के मालिक रातों रात ऑटो, टेम्पो और छोटे ट्रक पर सामान लादकर अपना सामान निकाल रहे हैं और प्रशासन की कार्रवाई से बचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं, मंगलवार को हादसे में घायल और अस्पताल में भर्ती गंभीर लोगों के परिजन मदद के लिए प्रशासनिक अधिकारी के यहां भटकते नजर आए। उधर, जांच टीमों ने घटनास्थल की थ्री डी मैपिंग शुरू कर दी है। जांच टीम घटना के प्रत्यक्षदर्शी ढूंढ़ने के प्रयास में मंगलवार को भी लगे रहे।

प्रशासनिक की सख्ती के मद्देनजर घरों में अवैध कारखाने चलाने वालों ने सोमवार देर रात से ही सीलिंग के डर से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। आधी रात में ही कारखाने में कार्यरत कर्मचारी मालिक के निर्देश पर टेम्पो, ट्रक, डंपर और रिक्शा में अपना सामान समेटकर ले जाते देखे गए। रविवार सुबह के बाद जिस तरह यहां चारों ओर से सख्ती और जांच शुरू हुई, उससे घरेलू कारखाने, प्लास्टिक और केमिकल के अवैध कारखाने चलाने वालों को यह डर सताने लगा है कि उनके मकान की कभी भी सीलिंग हो सकती है। लिहाजा वे समय को देखते हुए आधी रात में चुपचाप से सामान निकाल रहे हैं। यही स्थिति कमोबेश पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर औद्योगिक क्षेत्र में भी है।

मंगलवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में घायलों में कुछ की हालत गंभीर बनी रही। अस्पताल के आइसीयू में भर्ती 20 साल के एक युवक के अलावा मेडिसिन विभाग के आपात वार्ड में भर्ती एक रोगी के परिजन ने बताया कि 50 फीसद झुलसे उनके मरीज की हालत में सुधार हो रहा है। कुछ मरीजों का मंगलवार को छुट्टी दे दी गई और उन्हें घर पहुंचाने के लिए संबंधित विभाग और राज्य सरकार से संपर्क करने कहा गया। बिहार के ज्यादा रोगी हैं, लिहाजा बिहार के स्थानीय आयुक्त की टीम मंगलवार को भी अस्पताल में मुस्तैद रहे और रोगियों के परिजनों से उनके ठिकाने के बारे में जानकारी लेते रहे।

अस्पताल के निदेशक डॉक्टर किशोर सिंह के मुताबिक लोकनायक अस्पताल में कुल 16 मरीजों को भर्ती कराया गया था, जिनमें तीन की हालत गंभीर बनी हुई है। इसमें 11 साल का एक बच्ची भी है। इनका बर्न, मेडिसिन और पिडियाट्रिक्स विभाग में इलाज चल रहा है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी कुछ रोगी गंभीर हालत में भर्ती हैं। इन दोनों अस्पताल में इस समय जो भी रोगी भर्ती हैं, उनमें ज्यादातर धुएं से पीड़ित हुए हैं। दम घुटने और खुद को आग से घिरा देखकर भी अधिकतर लोग इमारत से इसलिए नहीं भाग पाए क्योंकि आने-जाने के लिए एक ही पतला सा रास्ता था।

सूत्रों की माने तो अभी तक की जांच में पुलिस व निगम की बड़ी खामियां नजर आई हैं। जांच केवल कारखानों के मालिकों तक सीमित नहीं होगी। इस बात की भी जांच होगी कि जब कारखाना अवैध था तो वह किसकी शह पर चल रहा था। मंगलवार को पूर्वी जिले के जिलाधिकारी प्रत्यक्षदर्शी के बयान दर्ज कराने के लिए लोगों से सहयोग मांगा है। उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति घटना के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, उन्हें सामने आना चाहिए। दो दिनों में गीता कॉलोनी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में सुबह दस से शाम पांच बजे के बीच बयान दर्ज करवा सकता है।

विपक्ष ने मेयर से इस्तीफे और आयुक्त को हटाने की मांग की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

रानी झांसी रोड़ अनाज मंडी अग्निकांड के बाद मंगलवार को उत्तरी निगम में आम आदमी पार्टी (आप) ने निगम मुख्यालय सिविक सेंटर पर धरना-प्रदर्शन कर मेयर से इस्तीफे की मांग करते हुए आयुक्त को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की। 'आप' ने कहा कि मृतक के आश्रितों को तुरंत पांच-पांच लाख रुपए मुआवजे और घायलों को दो-दो लाख रुपए की सहायता राशि देनी चाहिए।

विपक्ष के नेता सुरजीत सिंह पवार के नेतृत्व में आयोजित इस धरना प्रदर्शन के कारण निगम की बैठक को भी स्थगित कर दिया गया। धरना में विपक्ष के नेता रहे पार्षद राकेश कुमार, राम नारायण, अजय कुमार, मौहम्मद सादिक, शाहीन सलाउद्दीन, अर्चना, बबीना शौकीन धर्मेंद्र कुमार, कुलदीप मित्तल और सतपाल कैम सहित कई पार्षद शामिल हुए। हादसे के लिए भवन में नियमों के विरुद्ध निर्माण के लिए भवन विभाग के अधिकारियों और कारखाने-लाइसेंसिंग विभाग के नियमों के उल्लंघन में संबंधित उच्चाधिकारियों व जोनल उपायुक्त की संलिप्तता को बताते हुए उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। पवार ने निगम क्षेत्र में इससे पहले भी होटल अर्पित पैलेस, बवाना फैक्टरी, नरेला जूता फैक्टरी तथा सात दिन पूर्व फिल्मीस्तान क्षेत्र में एक फैक्टरी में आग लगने की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर घटना के बाद निगम में सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं को व निगमायुक्त को सदन की बैठकों में सावधान किए जाने के बावजूद दिल्ली में आग की घटनाओं की पुर्नावृत्ति हो रही हैं जिसमें बेकसूर लोग मारे जाते है। पवार ने कहा कि इस कारखाने में एक नहीं अनेकों अनियमितताएं बरती जा रही थीं।

डीटीसी के बेड़े में सौ और नई बसें

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

यात्रियों को बसों की कमी से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने 100 नई बसों को मंगलवार को बस बेड़े में शामिल किया है। इन बसों को कलस्टर बस सेवा के तहत चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर राजघाट डिपो से रवाना किया। दिल्ली सरकार ने पिछले चार महीने में 429 नई बसों को बेड़े में शामिल किया है। दिल्ली वाले लंबे समय से इन बसों का इंतजार कर रहे हैं।

लोकार्पण आज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

वाणी प्रकाशन से प्रकाशित वरिष्ठ नाटककार दया प्रकाश सिन्हा के नाटकों का संग्रह ह्यनाट्य-समग्रह्व (तीन खंडों में) का लोकार्पण बुधवार को साहित्य अकादेमी सभागार में होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोवा की राज्यपाल व साहित्यकार मृदुला सिन्हा करेंगी। कार्यक्रम में वक्तव्य चंदन कुमार व देवेंद्र राज अंकुर देंगे।

प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक

(प्रवर्तक: पंजाब नैशनल बैंक)
प्रधान कार्यालय: रामगंगा विहार, मुरादाबाद
E-Mail : rmgzb@prathamaupbank.com

क्षेत्रीय कार्यालय
18 संजय नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, गाजियाबाद (उ0प्र0)
फोन–0120–2783277, 0120–2783066 फैक्स नं0– 0120–2783333

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसीटस एण्ड इन्फोरसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोरसमेंट रूल्स 2002 के साथ पढ़ते हुए, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक (पूर्ववर्ती सर्व यू0पी0 ग्रामीण बैंक, भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना दि0 22.02.19 के अन्तर्गत दि0 01.04.2019 से प्रथमा बैंक के साथ समामेलन किया गया है।) के प्राधिकृत अधिकारी ने संबंधित ऋणियों के नाम के सामने दर्शाए गए खातों के मदक नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था।

ऋणियों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणियों और जन–सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी जिनका पदनाम नीचे दिया गया है ने खातों के सामने दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति / सम्पत्तियों का Symbolic कब्जा ले लिया है।

ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य को सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन देन ना करें। इन सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन देन प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम	ऋणी / गारन्टर का नाम	बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	पजेशन चिपकाये गये नोटिस की तारीख	बकाया राशि
1.	राजनगर (गाजियाबाद)	ऋणी: श्री मनोज कुमार पुत्र श्री शाम सिंह व श्रीमती रचना पत्नी श्री मनोज कुमार मो0 नं0: 9599343294 गारन्टर: श्री शरद कुमार पुत्र श्री श्याम कुमार (9128ND00041340)	म0 नं0 C-855, ब्लाक-C, नन्द निकुन्ज, नन्द ग्राम, गाजियाबाद। जिसका क्षेत्रफल 28.65 वर्ग मीटर है। उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक तृतीय गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 3917 पृष्ठ सं0 30–40 क0 सं0 11333 दिनांक 16.10.2006 पर दर्ज है।	01.08.19	07.12.19	Rs. 692554/- + ब्याज + अन्य खर्चे – वसूली यदि हो तो
2	राजनगर (गाजियाबाद)	ऋणी: श्री शैलेन्द्र मिश्रा पुत्र श्री सर्वेश नारायन मिश्रा व श्रीमती विन्ध्यवाशिनी मिश्रा पत्नी श्री शैलेन्द्र मिश्रा मो0 नं0: 8882501050 गारन्टर: श्री बुद्ध सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह (9128NC00034475)	म0 नं0 99 A – 100 A, न्याय खण्ड II, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद। जिसका क्षेत्रफल 39.645 वर्ग मीटर है। उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक चतुर्थ गाजियाबाद के बही सं0 1, जिल्द सं0 33576 पृष्ठ सं0 295–346 क0 सं0 9498 दिनांक 19.06.2017 पर दर्ज है।	01.08.19/ 21.08.19	07.12.19	Rs. 2309773/- + ब्याज + अन्य खर्चे – वसूली यदि हो तो

दिनांक : 10.12.2019 प्राधिकृत अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2018 की अवधि तक NPA खाते) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 16.12.2019

Allahabad-Civil Lines: MGL-1717, 1718, MSL-13370, 13396, MUL-600, 1094, 1112, 1135, 1158, 1167, 1196, 1205, 1246, 1249, 1293, 1311, 1346, 1348, 1349, 1421, 1471, 1472, 1522, 1542, 1559, 1578, 1603, 1681, 1686, 1699, 1722, MWS-28, 37, 66, 84, 98, 111, 124, 137, 182, 184, 190, 224, 231, 232, 240, 241, 300, 313, 326, 349, 353, 367, 401, 413, 416, 423, 424, 441, 474, 497, 499, 550, 565, 607, 699, 716, 745, 746, 747, 790, 842, 848, 863, 873, 916, 978, **Allahabad-Shivcharan Road:** MSL-8863, 9033, MTL-1620, MUL-568, 688, 703, 707, 714, 754, 782, 814, 831, 832, 850, 876, 903, 945, 965, 989, 1036, 1037, 1039, 1041, 1066, 1069, 1079, 1108, 1110, 1119, 1122, 1129, 1136, 1139, 1193, 1197, 1281, 1285, 1304, 1349, 1394, 1407, 1409, 1437, 1457, 1462, 1463, 1475, 1488, 1495, **Allahabad-Old Katra:** MUL-449, 1000, 1008, 1063, 1078, 1107, 1113, 1335, 1350, 1463, 1486, 1497, 1572, 1573, 1590, 1593, 1628, 1673, 1692, 1694, 1751, 1806, 1862, 1872, 1880, 1911, 1933, 1993, 2019, 2079, 2091, 2108, 2121, 2137, 2141, 2176, 2224, 2236, 2238, 2260, 2271, 2289, 2291, 2312, 2333, 2335, 2343, 2451, 2503, **Allahabad-Naini:** MSL-5489, MUL-416, 568, 665, 765, 804, 936, 937, 938, 940, 962, 978, 979, 1047, 1112, 1135, 1142, 1143, 1146, 1169, 1172, 1234, 1254, 1267, 1269, 1276, 1314, 1347, 1349, 1353, 1366, 1375, 1392, 1393, 1451, 1475, 1557, 1569, 1612, 1614, **Allahabad-Samellan Marg:** MUL-591, 616, 713, 716, 777, 813, 877, 881, 885, 978, 993, 1027, **Muthiganj-Allahabad:** MGL-21

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी, यहाँ दिनांक **17.12.2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Ground Floor, Property No. 9/9 Manmohan Park, Katra, Allahabad, Uttar Pradesh - 211002** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

नीलामी की तिथि: 18.12.2019

Pratapgarh-(UP): MSL-2320, 2419, 2487, 2547, MUL-73, 83, 126, 176, 190, 240, 256, 278, 323, 326, 350, 355, 390, 536, 537, 575, 596, 609, 616, 622, 632, 672, 689, 693, 694, 704, 706, 733, 770, 797, 799, 827, 876, 885

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएगी।

कोहली एण्ड सोबती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली – 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों को गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

इण्डियन ओवरसीज बैंक

असेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा,
रचना बिल्डिंग, चतुर्थ तल, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली–110008
फोन नंबर : 011–25758124, ई–मेल आईडी : iob1997@iob.in

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8(6) के परंतुक के तहत]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के परन्तुक 8 (6) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी सूचना।
एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदारों और गारंटरों को सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज बैंक के पास बंधक रखी गई निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका कब्जा इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, नीचे उल्लिखित विवरण को "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है", "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।

क्र. स.	कर्जदारों का नाम / गारंटरों का नाम	इण्डियन ओवरसीज बैंक को देय राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण / ज्ञात ऋणभार यदि कोई हो	कब्जा का प्रकार	सुरक्षित मूल्य / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि / ईएमडी जमा करने हेतु अंतिम तिथि	संपर्क व्यक्ति और मोबाइल नं.
1.	मेसर्स राजेश जेम्स एंड ज्वेल्स प्रा. लि. 2520/7, बीडनपुरा, करोल बाग, दिल्ली–05 1. श्री राजेश लूथरा जी–168, पुष्कर एन्क्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–63 2. श्रीमती प्रवीण लूथरा जी–168, पुष्कर एन्क्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–63	12–02–2016 तक बकाया रु. 86,10,14,786 उस पर आगे ब्याज और लागतों सहित	लॉट 1 : सम्पत्ति सं. 2521, गली नं. 7, वार्ड नं. XVI, बिडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में छत के अधिकार के बिना लीज होल्ड सम्पूर्ण प्रथम तल, 53 वर्ग फीट सुपर एरिया, प्लॉट एरिया 59 वर्ग गज लॉट 2 : सम्पत्ति सं. 2521, गली नं. 7, वार्ड न. XVI, बिडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में (छत के अधिकार के बिना) लीज होल्ड सम्पूर्ण भूतल, कवर्ड एरिया 422 वर्ग फीट, प्लॉट एरिया 59 वर्ग गज लॉट 3 : फ्रीहोल्ड सम्पूर्ण भूतल (बिना छत के अधिकार के) सम्पत्ति सं. 2519–20, (सम्पत्ति सं. 2521 के समीप), गली नं. 7, वार्ड नं. XVI, बिडनपुरा, करोल बाग, कवर्ड एरिया 95.75 वर्ग फीट, प्लॉट एरिया 83 वर्ग गज लॉट 4 : सम्पत्ति सं. 2521, गली नं. 7, वार्ड नं. XVI, बिडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में छत के अधिकार के बिना लीज होल्ड सम्पूर्ण दूसरा तल, 53 वर्ग फीट, सुपर एरिया, प्लॉट एरिया 59 वर्ग गज लॉट 5 : लीज होल्ड फ्रन्ट साइड पोर्शन, दूसरा तल, सम्पत्ति सं. XVI/2533-40 का यूनिट ए, गली नं. 6 एवं 7, अजमल खान रोड, बिडनपुरा, करोल बाग, 1125 वर्ग फीट सुपर एरिया (प्लॉट की सीमा के भीतर), कवर्ड एरिया 1341 वर्ग फीट, प्लॉट एरिया 439 वर्ग गज लॉट 6 : लीज होल्ड फ्रन्ट साइड पोर्शन, सम्पत्ति सं. XVI/2533–40 का यूनिट बी, गली नं. 6 एवं 7 अजमल खान रोड, बिडनपुरा, करोल बाग, 825 वर्ग फीट सुपर एरिया (प्लॉट की सीमा के भीतर), कवर्ड एरिया 1036 वर्ग फीट, प्लॉट एरिया 439 वर्ग गज लॉट 7 : लीज होल्ड दूसरे तल का बैक साइड पोर्शन, सम्पत्ति सं. XVI/ 2533–40, का यूनिट सी, गली नं. 6 एवं 7 अजमल खान रोड, बिडनपुरा, करोल बाग, 2001 वर्ग फीट सुपर एरिया (प्लॉट की सीमा के भीतर), कवर्ड एरिया 2172 वर्ग फीट, प्लॉट एरिया 439 वर्ग गज लॉट 8 : लीज होल्ड निर्मित दुकान (दूसरे तल पर, गली नं. 9 की ओर, सम्पत्ति सं. 2486 से जुड़ा), सम्पत्ति सं. 2485, वार्ड XVI, गली नं. 8, बिडनपुरा, करोल बाग, 267 वर्ग फीट कवर्ड एरिया। लॉट नं. 9 : प्रथम तल के पीछे के भाग में लीज होल्ड आधा भाग, सम्पत्ति सं. 2533–40 (नया), वार्ड न. XVI, गली नं. 6 एवं 7, अजमल खान रोड, बिडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली, सुपर एरिया 1877 वर्ग फीट, प्लॉट एरिया 439 वर्ग गज सभी सम्पत्तियां बैंक के भौतिक कब्जे में है। लॉट नं. 2 एवं 3 की सम्पत्ति की बिक्री एक साथ की जायेगी। ज्ञात नहीं	भौतिक	लॉट 1 : रु 137.58 लाख लॉट 2 : रु 173.28 लाख लॉट 3 : रु 80.37 लाख लॉट 4 : रु 83.95 लाख लॉट 5 : रु 177.86 लाख लॉट 6 : रु 130.42 लाख लॉट 7 : रु 316.34 लाख लॉट 8 : रु 47.03 लाख लॉट 9 : रु 448.41 लाख (लॉट 1 से 7 एवं 9 के लिए सुरक्षित मूल्य में आयकर अधिनियम की धारा 194 IA के अनुसार 1 प्रतिशत टीडीएस राशि सम्मिलित है) लॉट 1 : रु 13.76 लाख लॉट 2 : रु 17.33 लाख लॉट 3 : रु 8.04 लाख लॉट 4 : रु 8.40 लाख लॉट 5 : रु 17.79 लाख लॉट 6 : रु 13.05 लाख लॉट 7 : रु 31.64 लाख लॉट 8 : रु 4.71 लाख लॉट 9 : रु 44.85 लाख	30.12.2019 27.12.2019	श्री अमनदीप सिंह मो. 9643330180
2.	मैसर्स जय गोपाल जी ट्रेड लिंक्स बी –124, मेन मार्किट, शकरपुर, दिल्ली –92 1. श्री अक्रेश गर्ग बी–124, मेन मार्किट, शकरपुर, दिल्ली –92 2. श्री अनुराग गर्ग बी–124, मेन मार्किट, शकरपुर, दिल्ली –92 3. मेसर्स जे बी वाटरमैन एक्वासोल प्रा.लि बी –124, मेन मार्किट, शकरपुर, दिल्ली –92	13.12.2017 को रु. 4,88,81,373.37 आगे की ब्याज और लागत के साथ	खसरा 472, ग्राम सिजावली फाजलपुर, शैता ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली में आर–6 के हिस्से में अचल संपत्ति की समतुल्य बंधक, जो मैसर्स जे बी वाटरमैन एक्वासॉल प्रा. लि. के स्वामित्व में। चौहद्दी : पूर्व में : मुख्य बाजार उत्तर में : प्लॉट नंबर 5, पश्चिम में : शेष भाग (संपत्ति बैंक के भौतिक कब्जे में) ज्ञात नहीं	भौतिक	रु 2,40,91,000/– रु 25,00,000/–	30.12.2019 27.12.2019	श्री मृत्युन्जय शुक्ला मो नं. 7827373601
3.	ग्लोबल ब्राड्स एंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्रा लि 1. श्री रवि कुमार ढींगरा गारंटर : खाता ग्लोबल ब्राड्स एंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्रा लि पुत्र श्री एस.एल. ढींगरा, ए –3 / 34, जनकपुरी, नई दिल्ली –110058, अन्य पता : प्लॉट नंबर 298–300, उद्योग विहार, फेज–VI, सेक्टर –37, गुड़गांव –122012 2. श्री प्रणय धामाई, गारंटर, खाता ग्लोबल ब्राड्स एंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्रा लि, पुत्र श्री कृष्ण गोपाल धामाई हाउस नंबर 668, सेक्टर 15, फरीदाबाद –121007, हरियाणा अन्य पता : डी–5/1202ए, प्राणायाम, सेक्टर –81, फरीदाबाद, हरियाणा 3. मैसर्स फैशन क्लोथिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, (गारंटर) मैसर्स ग्लोबल ब्राड्स एंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में 1–ई / 15, झंडेवालान एक्स, नई दिल्ली –110055 अन्य पता : 749, उद्योग विहार, फेज–VI, सेक्टर –37, गुड़गांव –122012	18.03.2014 को रु 5,05,15,350/– आगे की ब्याज और लागत के साथ	फ्रीहोल्ड इंडस्ट्रियल भूमि और भवन जो 749, उद्योग विहार, फेज–VI, सेक्टर –37, पेस सिटी, गुड़गांव में स्थित माप 2511.60 वर्ग गज जो मैसर्स फैशन क्लोथिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में ज्ञात नहीं	सांकेतिक	रु 7,45,53,000/– रु 75,00,000/–	30.12.2019 27.12.2019	श्री मृत्युन्जय शुक्ला मो नं. 7827373601
4.	1. मैसर्स एस.डी इंटरनेशनल एल –3 / 27, डीएलएफ–फेज II, गुड़गांव –122002 2. मैसर्स एम जे इंटरनेशनल, 115 ए, उद्योग विहार, फेज– VI सेक्टर –37, खांडसा रोड गुड़गांव –122001 1. श्री विनोद छाबड़ा, एल –3 / 27, डीएलएफ – फेज– II, गुड़गांव –122002 2. श्री विजय कुमार छाबड़ा, 20/35, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली –110008 3. श्री दीपक महाजन, हाउस नंबर 69, सेक्टर –22ए, गुड़गांव –122017 4. मैसर्स एस.डी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. 459पी, सेक्टर –37, पेस सिटी– II, खांडसा रोड, गुड़गांव –122001 5. श्री मनुज छाबड़ा, एल –3/27, डीएलएफ – फेज– II, गुड़गांव –122002 6. सुश्री ज्योतिका छाबड़ा, एल –3 / 27, डीएलएफ – फेज– II, गुड़गांव –122002	18.03.2014 को 1. मैसर्स एस डी इंटरनेशनल रु 4,00,18,248/– 2. मैसर्स एम जे इंटरनेशनल रु 2,59,12,589/– आगे की ब्याज और लागत के साथ	लॉट 1 – लीजहोल्ड, छत / छत के साथ पहली मंजिल पर निर्मित सम्पूर्ण फ्लेट बियरिंग नंबर 20/35 को आनुपातिक, अविभाजित, अविभाज्य और अविभाज्य स्वामित्व अधिकारों के साथ उक्त फ्लैट की जमीन के नीचे, अधिरचना के साथ, अधिरचना के तहत भूमि लगभग माप 503 वर्ग फीट 2/3 से भूतल दुकान और 1/3 से पहली मंजिल के फ्लैट, सुपरस्ट्रक्चर के तहत भूमि लगभग 360 वर्ग फीट, सीढ़ी के नीचे की जमीन माप 24 वर्ग फीट जो ब्लॉक नंबर 20, पुराने बाजार के आबादी, पश्चिम पटेल नगर –110008 में स्थित जो श्री विजय कुमार छाबड़ा के स्वामित्व में लॉट 2 – विनोद कुमार छाबड़ा पुत्र श्री देश राज छाबड़ा के नाम फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति प्लॉट न 27, रोड न (एल –3/27) डीएलएफ सिटी फेस– II, गुड़गांव में प्लॉट एरिया = 300 वर्ग गज, 3705 वर्ग फुट के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ भूतल + प्रथम + द्वितीय तल का निर्माण ज्ञात नहीं	सांकेतिक	लॉट 1 : रु 63,08,000/– लॉट 2 : रु 4,49,05,000/– लॉट 1 : रु 6,40,000/– लॉट 2 : रु 45,00,000/–	30.12.2019 27.12.2019	श्री मृत्युन्जय शुक्ला मो नं. 7827373601

• जहां कहीं लागू है, सुरक्षित मूल्य में आईटी ऐक्ट की धारा 194(आईए) के तहत 1 प्रतिशत कर शामिल है।
• बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट नामतः www.iob.in में उपलब्ध कराया गया लिंक नामतः www.iob.in [https://www.iob.in/TenderDetails.aspx?Tendertype=E_Auction], https://auctions.magicbricks.com देखें।
• यह सूचना उक्त ऋण के कर्जदार/रों तथा गारंटर/रों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6)/नियम 9(1) के तहत उपरिवर्णित तिथि को ई–नीलामी के आयोजन के बारे में एक 15/30 दिनों नोटिस भी माना जाए।

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 11.12.2019 प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	22.8 डि.से.	22.8 डि.से.	21.9 डि.से.	22.8 डि.से.
न्यूनतम	7.4 डि.से.	7.4 डि.से.	7.5 डि.से.	7.5 डि.से.

शिक्षा के मुद्दों को लेकर एनएसयूआइ सड़क पर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

कांग्रेस की छात्र इकाई (एनएसयूआइ) ने मंगलवार को केंद्र सरकार की शिक्षा नीति और छात्र विरोधी कदमों के विरोध में रैली निकाली। मंडी हाउस से छात्र अधिकार रैली की शुरुआत हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे। वे हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर शुल्क वृद्धि और परिसरों के भगवाकरण, शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। एनएसयूआइ ने इस रैली के जरिए शिक्षा का निजीकरण, बेरोजगारी की समस्या, विश्वविद्यालयों मे लगातार फीस वृद्धि समेत तमाम छात्र व युवाओं के मुद्दे को उठाया।

छात्र अधिकार रैली में देशभर के तमाम कोने से हजारों की संख्या में आए छात्र और छात्राओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। एनएसयूआइ की छात्र अधिकार रैली मंडी हाउस से शुरू होकर संसद मार्ग पर खत्म हुई। मंडी हाउस पर छात्रों ने चाय बेचकर, पकौड़े तलकर, पापड़ बेचकर भी अपना विरोध दर्ज कराया। संसद मार्ग पर इस रैली को एनएसयूआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन समेत कई प्रदेश के अध्यक्षों ने संबोधित किया। आइसीसी के सचिव व गुजरात के प्रभारी राजीव सातव ने अपने संबोधन में गुजरात में सरकारी भर्ती में अनियमिताओं व पेपर लीक के मुद्दे को उठाते हुए रुपाणी सरकार को छात्र व युवा विरोधी बताया।

छात्र अधिकार रैली में पहुंचे एनएसयूआइ के सैकड़ों कार्यकर्ता। फोटो : अरुष चोपड़ा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शिक्षा के निजीकरण व नई शिक्षा नीति को निंदनीय करार दिया। संसद मार्ग से जब यह रैली आगे बढ़ी तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। छात्रों को संसद मार्ग थाना, मंदिर मार्ग समेत अलग-अलग थानों में कुछ समय के लिए रोके रखा गया।

2020 में आठ मेट्रो स्टेशन और 62 जगहों से मिलेंगी ई साइकिल

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 10 दिसंबर।

- ऐप आधारित ई साइकिल का एक रुपए प्रति मिनट हो सकता है शुल्क
- स्टैंड संचालित करने की इच्छुक कंपनियों से मांगे आवेदन, 24 दिसंबर को होगी प्री-बिड बैठक

वायु प्रदूषण की रोकथाम और बढ़ते यातायात से निपटने के लिए 70 स्थानों से ई साइकिल दौड़ाने की तैयारी है। इनमें से 62 जगहों पर नोएडा प्राधिकरण और आठ स्थानों पर नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन स्टैंड बनाएगी। ई साइकिल स्टैंड संचालन के लिए कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने वाली कंपनियों के साथ 24 दिसंबर को प्री बिड बैठक होगी। उसके बाद वित्तीय निविदा खोली जाएगी। सबसे कम दर पर संचालित करने वाली कंपनियों को चुना जाएगा। हालांकि ऐप संचालित ई साइकिल का किराया अभी तय होना बाकी है। माना जा रहा है कि शुरुआत पांच रुपए की दर से होगी। इसके बाद एक रुपए प्रति मिनट ई साइकिल का किराया तय होगा।

नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (एनएमआरसी) ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा, दोनों जगहों के चार- चार स्टेशन ई साइकिल के लिए चुने हैं। नोएडा में एक्वा लाइन के मेट्रो स्टेशन सेक्टर- 50, 51, 78 व 178 में और ग्रेटर नोएडा में अल्फा, डेल्टा, परी चौक एवं नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन का चयन किया है। नोएडा सीईओ और एनएमआरसी की प्रबंध निदेशक, रितु माहेश्वरी ने मेट्रो के अलावा ई साइकिल संचालन को शहर में उपलब्ध कराने की पहल की है। इसके बाद इस योजना का दायरा बढ़ाकर शहर के भीड़-भाड़ वाले स्थानों को ई साइकिल स्टैंड के लिए चुना गया है। इसमें सेक्टर-18, 37 सहित अधिकांश ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। ई साइकिल और स्टैंड के संचालन की पूरी जिम्मेदारी प्राधिकरण व एनएमआरसी की संयुक्त कमेटी की होगी।

एनएमआरसी ने इसके लिए यूटीवी मोबिलिटी चार्टड मोटर साइकिल कंपनी से समझौता किया है। जबकि प्राधिकरण ने कंपनी चयन के लिए निविदा आमंत्रित की है। बताया गया है कि ई साइकिल ऐप आधारित होंगी।

इसके लिए केवाइसी कराना होगा। इसके बाद ही स्टैंड पर ऐप की मदद से साइकिल ऑन होगी। साइकिल वापस स्टैंड पर लाने के बाद वह अपने आप बंद हो जाएगी। साइकिल में जीपीएस भी होगा, जो लोकेशन बताता रहेगा। ई साइकिल लेने के लिए जमानत राशि नहीं जमा करनी होगी। प्राधिकरण के महाप्रबंधक राजीव त्यागी ने बताया कि ई साइकिल स्टैंड संचालन के लिए इच्छुक कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदनों के आने के बाद एक कंपनी का चुनाव किया जाएगा।

35 फीसद स्कूल चल रहे बिना दमकल की मंजूरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

दिल्ली के 35 फीसद स्कूलों के पास दमकल की अनापत्ति नहीं है। सूचना के अधिकार के माध्यम से भाजपा ने यह रिपोर्ट दी है। भाजपा नेता रमेश विधूड़ी व प्रवक्ता हरीश खुराना ने यह रिपोर्ट जारी की। उन्होंने दिल्ली के स्कूलों की खराब हालत पर चिंता जाहिर की है और दिल्ली सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द स्कूलों की दमकल सुरक्षा जांच कराई जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके।

उन्होंने कहा कि रानी झांसी रोड स्थित अनाज मंडी में हुए हादसे से दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश स्तब्ध है। भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह से इस तरह की घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं और हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार से दिल्ली सरकार की लापरवाही साफ उजागर हो रही है। इसलिए ऐसे हादसों से सरकार को तत्काल सबक लेना चाहिए। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में 1087 सरकारी स्कूलों में से 565 ऐसे हैं जिनके पास दमकल की अनापत्ति नहीं है। यह प्रमाण पत्र दमकल स्कूलों की जांच के बाद जारी करता है। प्रवक्ता हरीश खुराना ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के 35 फीसद स्कूलों की अनापत्ति खत्म हो चुकी है या फिर बिना मंजूरी के स्कूल चल रहे हैं।

नई बसों की शुरुआत, आम जनता के साथ धोखा

सौ नई बसों की शुरुआत को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा बताया है। प्रदेश महामंत्री रवींद्र गुप्ता ने कहा कि आबादी के हिसाब से दिल्ली को 11000 बसों की जरूरत है और वर्तमान में दिल्ली में लगभग 3800 बसें हैं। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली चुनाव से कुछ दिन पहले 100-100 करके बसों को लाकर दिल्ली सरकार अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। मीडिया प्रभारी प्रत्यूष कंठ ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सबसे अधिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और परिवहन व्यवस्था को लचर व पंगु बना दिया है। पर्याप्त बसें नहीं होने की वजह से जनता को निजी वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो प्रदूषण बढ़ने का एक बड़ा कारण भी है।

सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ आठ जनवरी को देशव्यापी हड़ताल करेंगे विद्यार्थी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

शिक्षा को बचाने के उद्देश्य से विभिन्न छात्र संगठनों ने अखिल भारतीय मोर्चा बनाया है। मोर्चे की ओर से केंद्र सरकार की विद्यार्थी विरोधी नीतियों के खिलाफ आठ जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के नेतृत्व में गठित इस अखिल भारतीय मोर्चे में एसएफआइ, एआइएसएफ, आइसा, एनएसयूआइ, सीवाइएसएस, समाजवादी छात्र सभा, छात्र राष्ट्रीय जनता दल, बापसा, डीएसएफ, बासो आदि शामिल हैं। सभी छात्र संगठनों के नेताओं ने मंगलवार को प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर आगे की रणनीति का खुलासा किया। एसएफआइ के मसूख बिस्वास ने कहा कि केंद्र सरकार दलितों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा से दूर कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के पास विदेशों में दौरे करने के लिए और मूर्तियां बनाने के लिए पैसा है लेकिन शिक्षा के लिए नहीं है।

जेएनयूएसयू की एचआरडी मंत्रालय अधिकारियों से बातचीत

जेएनयू छात्र संघ ने मंगलवार को मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की और छात्रावास शुल्क में वृद्धि पूरी तरह वापस लेने तथा परीक्षाएं स्थगित करने की अपनी मांग दोहराई। सेमेस्टर परीक्षाएं 12 दिसंबर से होने वाली हैं। छात्र संघ ने कहा है कि जब तक उसकी मांग नहीं मान ली जाती है, तब तक वह परीक्षा का बहिष्कार करेगा। सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि वे परीक्षाएं स्थगित कराने का प्रयास करेंगे और छात्र संघ को अधिसूचित करने के बारे में भी विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करेंगे।

आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एन साईं बालाजी ने कहा कि सोमवार को जेएनयू विद्यार्थियों के मार्च पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया जिसमें 30 से 35 विद्यार्थी घायल हुए। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं इस दौरान हमारे मीडिया के मित्र और कुछ आम लोग भी घायल हुए। उन्होंने कहा कि हम पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हैं। बालाजी ने कहा कि एनआरसी को लागू करने के लिए सरकार के पास पैसा है लेकिन शिक्षा के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि ये नफरत फैलाने वाले कदमों पर तो लगातार धन लुटा रहे हैं लेकिन शिक्षा, जो नफरत को दूरी करती है, पर लगातार फंड कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) आने वाली है और इसमें विदेशी व निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे चाहे हमें इसके लिए कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। हम देश पर कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार हैं। मोर्चे ने संयुक्त रूप से तय किया है कि केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ देशभर में आठ जनवरी को हड़ताल की जाएगी।

बलात्कार का वीडियो बनाया, धमकी देकर मांगे छह लाख रुपए

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 10 दिसंबर।

थाना नॉलेज पार्क इलाके में रहने वाली एक घरेलू सहायिका के साथ होटल के कमरे में बलात्कार के आरोप में दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर पीड़िता को एक महीने तक ब्लैकमेल किया। आरोपी ने पीड़िता से छह लाख रुपए मांगे। रुपए नहीं देने पर आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी व एसी की मरम्मत करने वाले, ऑटो चालक और उसकी पत्नी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है।

थाना नॉलेज पार्क इलाके में रहने वाली घरेलू सहायिका का काम करने वाली एक नाबालिग युवती की पहचान ऑटो चालक अजरुन व उसकी पत्नी से थी। अजरुन ने युवती की मुलाकात फरमान नामक युवक से कराई थी। आरोप है कि फरमान ने उसका बलात्कार किया।

रकम दोगुनी करने वाले दो आरोपी नकली नोटों के साथ गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 10 दिसंबर।

थाना सेक्टर-24 पुलिस ने एनजीओ के नाम पर साढ़े तीन करोड़ रुपए को दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ठग अब तक सैकड़ों लोगों को एनजीओ के नाम पर दोगुनी रकम करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके थे। पुलिस ने आरोपियों को सोमवार शाम नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर-4 के पास से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास दो बैग में 2.20 करोड़ के फर्जी कागजी नोट बरामद हुए हैं।

थाना सेक्टर-24 के एसओ रामफल सिंह ने बताया कि खोड़ा कॉलोनी निवासी गुड्डू खान ने आठ दिसंबर को शिकायत दी कि राहुल नाम का युवक रकम दोगुनी करने का लालच देकर लोगों से ठगी कर रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने गुड्डू के जरिए आरोपी राहुल और उसके साथी को नोएडा बुलाया। गुड्डू ने आरोपियों ने कहा कि उसे 3.5 करोड़ रुपए दोगुना कराने हैं। इस पर आरोपियों ने बताया कि वे रकम लेकर आ रहे हैं। कुछ रुपए नकद देंगे, बाकी खाते में जमा कर दिए जाएंगे। दोनों आरोपी स्कूटी से सोमवार शाम नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर चार के सामने पहुंचे। इसी बीच गुड्डू ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

चुनाव तैयारी के साथ चंदा भी जुटाएगी आम आदमी पार्टी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ आम आदमी पार्टी चंदा भी जुटाएगी। आम जनता से जुटाए गए पैसे की मदद से ही दिल्ली का चुनाव लड़ा जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में सांसद, मंत्री, विधायक, पार्षद समेत सभी जिलों के प्रभारी भी बैठक में मौजूद थे। पार्टी के नेताओं ने बूथ संवाद कैंपेन की रिपोर्ट भी इस बैठक में दी।

'आप' बूथ संवाद को 24 दिसंबर तक आयोजित करेगी और इसके माध्यम से सभी 14 हजार बूथों पर विधायकों के नेतृत्व में जनसंवाद करेगी। दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने बताया कि पार्टी चंदे की मदद से आने वाले चुनाव को मजबूती से लड़ सकेगी। बैठक में विधायकों ने एक-एक बूथ पर लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनता 'आप' की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है।

डीटीयू का छठा दीक्षांत शुक्रवार को

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

दिल्ली प्राद्यौगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) के छठे दीक्षांत समारोह का आयोजन 13 दिसंबर को होगा। समारोह में कुल 2,145 विद्यार्थियों को उपाधियों से अलंकृत किया जाएगा। इसमें स्नातक स्तर के 1636, स्नातकोत्तर के 447 व पीएचडी के 62 विद्यार्थी शामिल हैं। 71 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जाएंगे।

इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल व डीटीयू के कुलाधिपति अनिल बैजल करेंगे। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि समारोह में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया विशिष्ट अतिथि होंगे जबकि अल्फासीएस कॉरपोरेशन, यूएसए के सह-संस्थापक और डीसीई/ डीटीयू के पूर्व विद्यार्थी विनोद धाम मुख्यातिथि होंगे।

समायोजन को लेकर डीयू शिक्षकों का पैदल मार्च

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) ने मंगलवार को समायोजन और अन्य मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। इस पैदल मार्च में सैकड़ों शिक्षकों ने हिस्सा लिया और जमकर नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। पुलिस ने पानी की बौछारों से शिक्षकों को तितर-बितर करने की भी कोशिश की। शिक्षकों की मांग है कि जो शिक्षक जहां तदर्थ के रूप में पढ़ा रहे हैं, वहीं उसे समायोजित किया जाए, साथ ही उसको पदोन्नति भी दी जाए।

शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर आलोक रंजन पांडेय ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने जिस हौसले को दिखाया है, उसे क्रांतिकारी सलाम। हमलोग धरना स्थल (कुलपति दफ्तर) से पैदल मार्च करते हुए जैसे ही गेट नंबर तीन पर पहुंचे वहां हमें आगे जाने से पुलिसकर्मियों द्वारा रोका गया, लेकिन हजारों शिक्षक गेट तोड़कर आगे बढ़ गए। फिर हम जैसे ही माल रोड की ओर आगे बढ़े वहां बैरिकेडिंग कर आगे जाने से रोका गया। फिर हमलोग एसओएल (स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग) की ओर गए जहां पुलिस द्वारा रोककर बल प्रयोग किया गया जिसमें कई शिक्षकों के घायल होने की भी सूचना है। घायलों में रूपेश शुक्ला और टीएन ओझा शामिल हैं।

फिर आंदोलन में शामिल शिक्षक वहां से समाज कार्य विभाग की ओर बढ़े तो वहां पानी की बौछारों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की गई। शिक्षक यहां से माल रोड पहुंचे और वहां रूककर जमकर नारेबाजी की। सारा वातावरण समायोजन के नारे से गूंज गया। इस प्रदर्शन का अहम मुद्दा तदर्थ शिक्षकों का समायोजन है।

डीयू में पढ़ा रहे करीब 5000 से अधिक शिक्षक अपनी स्थायी नियुक्ति को लेकर परेशान हैं जिसका हल 'एक बार समायोजन' द्वारा ही संभव है। यह समायोजन केवल नौकरी न होकर उनके जीवन-यापन का सवाल बन गया है। इस आंदोलन में जिस तरह से इन साथियों ने जज्बा दिखाया है, उससे यह लगता है कि इस बार समायोजन के मुद्दे पर कुछ निर्णायक हल निकलेगा।

जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

युनाइटेड लॉयर्स एसोसिएशन (यूएलए) ने लगातार बढ़ रही ग्लोबल वार्मिग पर गहरी चिंता जताई है। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग को काबू में रखने के लिए ग्रीन गाउस गैस उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए निरंतर हो रहे प्रयासों पर भी एसोसिएशन ने सरोकार जताया है।

एसोसिएश्न अगले साल आठ जनवरी को पर्यावरणविद सुनीता नारायण का व्याख्यान भी आयोजित कर रही है। यह व्याख्यान मैड्रिड में दुनिया के 200 देशों के जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रायोजित और 13 दिसंबर को खत्म हो रहे सम्मेलन के निष्कर्ष और उसमें भारत की भूमिका पर केंद्रित होगा। यूएलए देश के नामचीन वकीलों का पुराना संगठन है। संगठन के अध्यक्ष सोली सोराबजी और महासचिव बीके पाल हैं।

खबरों में शहर

बस में लगी आग, पर्यटक बाल बाल बचे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

द्वारका इलाके में मंगलवार को एक पर्यटकों की बस में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दस मिनट में पूरी बस को चपेट में ले लिया। लेकिन चालक की सूझबूझ से यात्रियों को समय से बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में कोई हताहत नही हुआ। यात्रियों के उतरने के बाद बस का अधिकांश हिस्सा पूरी तरह से जल गया। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

गणित के महारथी छोटे बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 10 दिसंबर।

सेक्टर-62 स्थित नोएडा एक्सपो सेंटर में सिप अकादमी क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, कौशांबी और दिल्ली समेत आसपास के इलाकों के बच्चों ने भाग लिया। छह से 12 वर्ष की आयु वाले बच्चों ने गणित के बड़े से बड़े अंकों का गुणा-भाग चुटकी बजाते ही कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में अतुल्य राज को पुरस्कार दिया गया। अतुल्य राज इंदिरापुरम शाखा में पढ़ते हैं। अकादमी के देश भर में 800 केंद्र हैं, जहां बच्चों की बुद्धि का विकास किया जाता है। जिससे वे सामान्य बच्चों से इतर तेज गति से गुणा-भाग कर पाते हैं। अकादमी के अधिकारी रजत चड्ढा ने कहा कि इससे बच्चों में तीव्रता के अलावा ध्यान लगाने व याददाश्त बढ़ाने में मदद मिलती है।

निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 दिसंबर

आम जनता को बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए मंगलवार को भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। प्रकोष्ठ के सह प्रभारी अनिल गोयल ने कहा कि जिस तरह से पर्यावरण और वातावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। आम जनता में बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इनसे बचने के लिए सभी लोगों को हर छह महीने में अपने शरीर की सभी जांच करानी चाहिए। शिविर में चर्म रोग परामर्श, नेत्र रोग परामर्श, ब्लड प्रेशर चेकअप, ब्लड शुगर चेकअप आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। 300 से अधिक लोगों ने शिविर में पहुंच कर इन सुविधाओं का लाभ लिया।

दुकान का गल्ला लूटने के आरोप में दो गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

पश्चिम जिले के राजोरी गार्डन थाने इलाके में एक दुकान से बदमाशों ने रुपए से भरा गल्ला लूट लिया। पुलिस ने दो बदमाशों को खदेड़कर दबोच लिया गया जबकि अभी भी तीसरे की तलाश जारी है। जिला पुलिस उपायुक्त दीपक पुरोहित के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपियों का नाम लवप्रीत और साहिल है। दोनों चंद्र विहार के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक पीसीआर को सूचना मिली थी कि एक युवक बंदूक के बल पर एक दुकान से नकदी लेकर भाग रहा है। स्थानीय लोगों ने बदमाशों का पीछा किया और पुलिस को भी सूचना कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को गिरफ्तार कर गल्ला बरामद कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी साहिल पहले उसी दुकान पर काम करता था। लेकिन एक महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था।

आज के कार्यक्रम

सभा-संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : हिंदुत्व पर लिखी पुस्तक पर चर्चा, सभागार 2 और 3 , इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, कमलादेवी ब्लॉक, मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे से।

फिल्म

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : फिल्म, सीडी देशमुख सभागार, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर , मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे से।

प्रदर्शनी

जापानी फाउंडेशन : कार्यशाला 'हार्मोनी' का आयोजन, 5ए, रिंग रोड लाजपत नगर 4, सुबह दस बजे से, 21 दिसंबर तक।

www.readwhere.com

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN TERMS OF REGULATIONS 13(4) AND 15(2) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

SDC TECHMEDIA LIMITED

[Formerly known as Onesource Techmedia Limited]

Registered Office: 33/1, Wallajah Road, Chepauk, Chennai- 600002, Tamil Nadu, India. **Tel:** +91 44 66882222; **Email:** info@ostindia.org; **Website:** www.ostml.com.; **Corporate Identification Number:** L72900TN2008PLC067982

OPEN OFFER ("OFFER") FOR ACQUISITION OF UP TO 16,90,000 (SIXTEEN LACS NINETY THOUSAND ONLY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING UPTO 26.03% OF THE TOTAL VOTING SHARE CAPITAL OF SDC TECHMEDIA LIMITED *[FORMERLY KNOWN AS ONESOURCE TECHMEDIA LIMITED]* ("TARGET COMPANY") ON A FULLY DILUTED BASIS, AS OF THE TENTH WORKING DAY FROM THE CLOSURE OF THE TENDERING PERIOD OF THE OFFER ("TOTAL VOTING SHARE CAPITAL") (DEFINED BELOW), FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS (DEFINED BELOW) OF THE TARGET COMPANY FOR CASH AT OFFER PRICE OF RS. 14/- PER EQUITY SHARE BY MR. JOSE CHARLES MARTIN ("ACQUIRER").

THIS DETAILED PUBLIC STATEMENT ("DPS") IS BEING ISSUED BY SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED, THE MANAGER TO THE OFFER ("MANAGER"), FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER IN COMPLIANCE WITH REGULATION 13(4) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THERETO, ("TAKEOVER REGULATIONS"), PURSUANT TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT ("PA") FILED WITH BSE LIMITED ("BSE") ("STOCK EXCHANGE") ON DECEMBER 06, 2019, IN TERMS OF REGULATION 3(2) OF THE TAKEOVER REGULATIONS. THE PA WAS FILED WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI") AND SENT TO THE TARGET COMPANY ON DECEMBER 09, 2019 BY WAY OF LETTERS DATED DECEMBER 06, 2019, IN TERMS OF REGULATION 14(2) OF THE TAKEOVER REGULATIONS.

For the purposes of this DPS, the following terms have the meanings assigned to them below:

a) ***"Equity Shares"*** shall mean the fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10 each of the Target Company.
b) ***"Total Voting Share Capital"*** means the total voting equity share capital of the Target Company on a fully diluted basis expected as of the 10th (Tenth) Working Day from the closure of the Tendering Period for this Offer.
c) **"Identified Date"** means the date falling on the 10th (Tenth) Working Day prior to the commencement of the Tendering Period, for the purpose of determining the Public Shareholders to whom the letter of offer in relation to this Offer ("Letter of Offer") shall be sent.
d) ***"Public Shareholders"*** shall mean all the public shareholders of the Target Company, other than (i) the Acquirer, (ii) the parties to the SPA (defined below for the sale of equity shares of the Target Company and (iii) persons deemed to be acting in concert with parties at (i) and (ii) above, in compliance with the provisions of regulation 7(6) of the Takeover Regulations.
e) ***"Seller"*** shall mean Mr. Usman Faheed, who is also one of the Promoters of the Target Company.
f) ***"Tendering Period"*** has the meaning ascribed to it under the Takeover Regulations.
g) ***"Working Day"*** means any working day of the SEBI.

I. ACQUIRER, SELLER, TARGET COMPANY AND OFFER

1. INFORMATION ABOUT THE ACQUIRER

A. Mr. Jose Charles Martin ("Acquirer")

(a) Jose Charles Martin, aged 32 years, S/o Mr. Santiago Martin, is residing at 135/1, Thiruvalluvar Street, Vellakinar Pirivu, G. N. Mills Post, Coimbatore - 641029, Tamil Nadu; India; Email: md@mandc.in. He Has completed his Bachelor of Business Administration from Middlesex University (Dubai) and also completed his Masters of Business Administration from Universita Popolare Degli Studi Di Milano (Milan, Italy).
(b) Acquirer belongs to the Promoter and Promoter Group of the Target Company and has experience in the field of property development, construction and hotel management.
(c) Acquirer is holding a Permanent Account Number- AGUPC1416C
(d) The details of the ventures promoted/controlled/managed by the Acquirer is given hereunder:

Sr. No.	Name of the Entities	Nature of Interest	Percentage stake/holding
1.	Future Gaming and Hotel Services Private Limited	Director & Shareholder	4.52
2.	M and C Property Development Private Limited	Managing Director & Shareholder	90.00
3.	L and C Media Private Limited	Managing Director & Shareholder	50.00
4.	Martin Agro Farm Private Limited	Director	-
5.	Coimbatore Silk & Cotton Sarees Private Limited	Director & Shareholder	50.00
6.	Charles Luxury Villas Private Limited	Director	-
7.	Martin Skyscrapers Private Limited	Director	-
8.	Martin Plaza Private Limited	Director	-
9.	Martin Shelters Private Limited	Director	-
10.	Charles Housing Private Limited	Director & Shareholder	50.00
11.	Hall Marc Techno Park Private Limited	Director & Shareholder	50.00
12.	Daison Constructions (India) Private Limited	Director & Shareholder	30.00
13.	Leemartin Beach Resorts Private Limited	Director & Shareholder	30.00
14.	Charles Real Estates Private Limited	Director	-
15.	Fascinating Houses Private Limited	Director	-
16.	Fascinating Dwellers Private Limited	Director	-
17.	Fascinating Towers Private Limited	Director	-
18.	Fascinating Skyscrapers Private Limited	Director	-
19.	Fascinating Promoters Private Limited	Director	-
20.	Dominant Promoters Private Limited	Director	-
21.	Martin Spinning Mills and Agencies Private Limited	Shareholder	0.20
22.	Charles Modular Homes Private Limited	Shareholder	50.00
23.	Martin Housing Private Limited	Shareholder	1.00
24.	Martin Landscape Private Limited	Shareholder	1.00
25.	Modern & Creative Multi Constructor Private Limited	Shareholder	75.00
26.	Martin Homes Private Limited	Shareholder	1.00
27.	Martin Farms Private Limited	Shareholder	1.00
28.	Martin Real Estate Private Limited	Shareholder	1.00
29.	Martin Realcon Private Limited	Shareholder	30.00
30.	Martin Windfarms Private Limited	Shareholder	20.00
31.	Daisy Merchandisers Private Limited	Shareholder	1.00
32.	Teasel Marketing Private Limited	Shareholder	98.78
33.	L and C Entertainment LLP	Designated Partner	94.97
34.	Magnetic Realcon LLP	Designated Partner	49.99

(Source: www.mca.gov.in).

(e) None of the entities mentioned under point (d) above are participating or interested or acting in concert with the Acquirer in this Open Offer.
(f) Except as mentioned under point (d) above, Acquirer confirms that he does not hold directorships in any company, including a listed company.
(g) The Networth of Acquirer as on October 31, 2019 is Rs. 149.29 Crores (Rupees One Hundred Forty Nine Crore and Twenty Nine Lacs only) and the same is certified by Mr. C. L Raveendhar, Proprietor of C. L Raveendhar & Co., Chartered Accountant (Membership No. 026229 ; FRN No. 011093S) having his office at CLR Greenfield Centre, No. 70/4, RR Layout, RS Puram, Coimbatore- 641002; Email id: clraudit@gmail.com vide certificate dated November 15, 2019.
(h) Acquirer confirms that he has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of the provisions of Section 11B of the SEBI Act, 1992, as amended (the "SEBI Act") or under any other Regulation made under the SEBI Act.
(i) Acquirer undertakes not to sell the Equity Shares of the Target Company held by him during the "Offer Period" in terms of Regulation 25(4) of the Takeover Regulations.
(j) There is no Person Acting in Concert (**"PAC"**) along with Acquirer.
(k) Acquirer has confirmed that there are no pending litigations pertaining to securities market where he is made party to as on the date of this DPS.
(l) Acquirer has confirmed that he is not categorized as a "willful defaulter" in terms of regulation 2(1) (ze) of the Takeover Regulations.
(m) Acquirer holds **25,90,000** Equity Shares representing **39.89%** of the Total Voting Share Capital of the Target Company as on the date of this DPS.
(n) He has signed a Share Purchase Agreement dated **December 06, 2019** with the Seller to acquire **3,30,000** Equity Shares constituting **5.08%** of the Total Voting Share Capital of the Target Company.
(o) Acquirer has confirmed that he has not been declared a fugitive economic offender under Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018, as on the date of this DPS.

2. INFORMATION ABOUT THE SELLER:

2.1 Seller is one of the Promoters of the Target Company and currently holds 19,71,200 Equity Shares representing 30.36% of the Total Voting Share Capital of the Target Company. On December 6, 2019 he entered into Share Purchase Agreement with the Acquirer for selling **3,30,000** Equity Shares constituting **5.08%** of the Total Voting Share Capital of the Target Company.

Sr. No.	Name, PAN and Address of the Seller	Whether part of Promoter and Promoter Group	Details of shares/voting rights held by the Seller			
			Pre -Transaction		Post Transaction	
			Number	%	Number	%
1	Mr. Usman Faheed PAN: AAIPU9054G Address: No.71, First Avenue, First Cross Street, Vettuvankeni, ECR Road, Chennai – 600041, Tamilnadu, India	Yes	19,71,200	30.36	16,41,200	25.28
	Total		**19,71,200**	**30.36**	**16,41,200**	**25.28**

2.2 Accordingly, upon the completion of the sale and purchase of the Sale Shares (as defined below) under the SPA (as defined below), Seller will hold 16,41,200 Equity Shares in the Target Company and will continue as Promoter of the Target Company.
2.3 Seller confirms that he has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of directions issued under Section 11B of the SEBI Act, 1992, as amended or under any other regulation made under the SEBI Act, 1992.

3. INFORMATION ABOUT THE TARGET COMPANY

SDC TECHMEDIA LIMITED *[Formerly known as Onesource Techmedia Limited]* ("Target Company")

3.1 The Target Company was incorporated on May 30, 2008 under the Companies Act 1956 as "Onesource Techmedia Limited". Thereafter the name of the Target Company was further changed to SDC Techmedia Limited and a fresh Certificate of Incorporation pursuant to such change in name was issued on October 23, 2019 by Registrar of Companies, Chennai. The registered office of the Target Company is situated at 33/1, Wallajah Road, Chepauk, Chennai- 600002, Tamil Nadu, India; **Tel:** +91 44 66882222; **Email:** info@ostindia.org; **Website:** www.ostml.com.
3.1 Corporate Identification Number of the Target Company is L72900TN2008PLC067982. *(Source: www.mca.gov.in)*
3.2 Target Company is engaged in the business of distribution and trading of media contents mostly audio & animated films. The Target Company has tied-up with Sony Corporation, Hong Kong ("Sony Corporation") for distributing and promoting of Sony 4K projection systems in the South India. Target Company purchases the 4K Projectors from Sony Corporation and then leases the same to the cinema theaters for a caution deposit and monthly rentals. *(Source: www.otml.com)*
3.3 The Authorized Share Capital of the Target Company is ₹ 750.00 Lacs comprising of 75 Lacs Equity Shares of face value ₹ 10 each. The Issued, Subscribed and Paid up Share Capital of the Target Company is ₹ 649.25 Lacs comprising of 64.92 Lacs Equity Shares of face value ₹ 10 each. *(Source: www.mca.gov.in).*
3.4 There are no outstanding partly paid up shares or any other convertible instruments to be converted into Equity Shares of the Target Company at a future date. *(Source: www.bseindia.com)*
3.5 The Equity Shares of the Target Company are currently listed on SME platform of BSE Limited (**"BSE"**) (Scrip Code: 535647) *(Source: www.bseindia.com)*
3.6 The Equity Shares of the Target Company are infrequently traded on BSE within the meaning of explanation provided in Regulation 2(j) of the Takeover Regulations. *(Source: www.bseindia.com)*
3.7 Target Company confirms that the trading in the Equity Shares of the Target Company was never suspended on BSE.
3.8 In the year 2019, the name of the Target Company was changed from Onesource Techmedia Limited to SDC Techmedia Limited and a fresh Certificate of Incorporation pursuant to such change in name was issued on October 23, 2019 by Registrar of Companies, Chennai and except as aforesaid, there were no changes in the name of the Target Company in last three years.
3.9 Target Company made its maiden public issue of 20,00,000 equity shares at a price of ₹ 14/- per equity share aggregating to Rs. 280 Lacs and was listed on the SME Platform of BSE in the year 2013. *(Source: Prospectus dated May 04, 2013).*
3.10 The brief standalone audited financial information of the Target Company for the financial years ended March 31, 2017, March 31, 2018, March 31, 2019 and unaudited financials subject to limited review for the period ended September 30, 2019 are as under:-

(Rs. in Lakhs)

Particulars	For the period ended September 30, 2019	For the year ended March 31,		
		2019	2018	2017
Total Revenue (Revenue from Operations + Other Income)	553.26	946.94	669.35	350.80
Net profit/(Loss) (After tax)	198.26	137.94	(173.62)	12.52
EPS	3.05	2.12	(2.67)	0.19
Net Worth	1045.14	846.87	708.93	882.54

(Source: www.bseindia.com)

3.11 The board of directors of the Target Company consists of Mr. Baskaran Sathya Prakash, (DIN: 01788634), Mr. Vasudevan Sridharan, (DIN: 07487245), Mr. Usman Faheed (DIN: 00252610) and Samia Faheed (DIN: 02967081) *(Source: www.mca.gov.in).*

4. DETAILS OF THE OFFER

4.1 Acquirer is making this Offer to all the Public Shareholders of the Target Company to acquire up to **16,90,000** Equity Shares of face value ₹ 10/- (Rupees Ten only) each, representing 26.03% of the Total Voting Share Capital of the Target Company.
4.2 This Offer is being made at a price of ₹ **14/-** (Rupees Fourteen only) (the **"Offer Price"**) per fully paid up Equity Share of face value ₹ 10/- (Rupees ten only) each of the Target Company, payable in cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the Takeover Regulations.
4.3 This Offer is not conditional on any minimum level of acceptance and is not a competing offer in terms of Regulations 19 and 20 respectively of the Takeover Regulations.
4.4 The Equity Shares of the Target Company will be acquired by the Acquirer as fully paid up, free from all liens, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof.
4.5 The consummation of the sale and purchase of the Sale Shares (as defined below) by the Acquirer, as envisaged under the Share Purchase Agreement (as defined below), is subject to the terms and conditions mentioned therein.
4.6 To the best of the knowledge and belief of the Acquirer, as on the date of this DPS, there are no statutory or other approvals required to implement the Offer other than as indicated in section VI of this DPS. If any other statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals. The Acquirer will not proceed with the Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of regulation 23 of the Takeover Regulations. In the event of withdrawal, a public announcement will be made within two working days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has been published and such public announcement will also be sent to SEBI, BSE and to the Target Company at its registered office.
4.7 The Manager to the Offer does not hold any Equity Shares in the Target Company as on the date of DPS. The Manger to the Offer further declares and undertakes that it shall not deal in the Equity Shares of the Target Company during the period commencing from the date of its appointment as Manager to the Offer till the expiry of 15 days from the date of closure of this Open Offer.
4.8 The Acquirer does not have any plans to alienate any significant assets of the Target Company whether by way of sale, lease, encumbrance or otherwise for a period of two years except in the ordinary course of business. The Target Company's future policy for disposal of its assets, if any, within two years from the completion of Offer will be decided by its Board of Directors, subject to the applicable provisions of the law and subject to the approval of the shareholders through Special Resolution passed by way of postal ballot in terms of Regulation 25(2) of SEBI (SAST) Regulations.
4.9 The acquisition of 26.03% of the Total Voting Share Capital under this Offer will result in the public shareholding in the Target Company falling below the level required for continuous listing. To the extent the post-Offer holding of the Acquirer in the Target Company exceeds the maximum permissible non-public shareholding under Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, and subsequent amendments thereto (the "SCRR"), the Acquirer undertakes to reduce his shareholding to the level stipulated in the SCRR within the time and in the manner specified in the SCRR and the SEBI (LODR) Regulations.
4.10 If the Acquirer acquires Equity Shares of the Target Company during the period of twenty-six weeks after the tendering period at a price higher than the Offer Price, then the Acquirer shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all shareholders whose shares have been accepted in the Offer within sixty days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under another open offer under the Takeover Regulations, or pursuant to SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchanges, not being negotiated acquisition of shares of the Target Company in any form.

II. BACKGROUND TO THE OFFER

1. On December 06, 2019, the Acquirer entered into Share Purchase Agreement (**"SPA"**) with the Seller for acquisition of up to **3,30,000** Equity Shares (**"Sale Shares"**) representing **5.08%** of the Total Voting Share Capital at a price of ₹ **14/-** (Rupees Fourteen Only) per Sale Share payable in cash aggregating upto ₹ **46,20,000** (Rupees Forty Six Lacs Twenty Thousand only) (**"Transaction"**). Since the proposed Transaction exceeds the limits stipulated in regulation 3(2) of the Takeover Regulations and doesn't fulfill the eligibility criteria for claiming exemption under regulation 10 (1) (a) (ii) of the Takeover Regulations, the Acquirer is required to make this Offer.
2. **The important clauses including some of the conditions precedent to consummating the underlying Transaction, as mentioned in the SPA are as follows:**
   a) *The Seller confirm that the Sale Shares are fully paid up and the said shares are free from all liens, charges, encumbrances and the Seller shall hand over the said confirmation letter to the Acquirer along with the letter received from the Target Company;*
   b) *From the date of entering into the SPA till the date of the Closure, the Seller shall not, except with the prior consent of the Acquirer, sell, transfer, gift, exchange or dispose of or any way deal in the equity shares of the Target Company or create any right, interest or encumbrance over the Sale Shares;*
   c) *The Acquirer shall be at liberty to reconstitute the Board of the Target Company after successful completion of Takeover.*
   d) *The Acquirer have represented and the Seller believe that the Acquirer have adequate financial resources to acquire shares from the Seller.*
   e) *On Closing (as defined in SPA), the Parties shall take all steps necessary for fulfilling their respective obligations under the SPA and for Closing of the transaction envisaged in the SPA.*
3. There are no partly paid up equity shares in the Target Company.
4. The objective of the proposed acquisition is to increase and consolidate the Acquirer's holding in the Target Company which will result in the acquirer acquiring effective management control over the Target Company.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

The current and proposed Equity Shareholding of the Acquirer in the Target Company and the details of the acquisition are as follows.

Details	Acquirer	
	Number of Shares	%
Shareholding as on the PA date	25,90,000	39.89
Equity Shares acquired through Share Purchase Agreement requiring an open offer to be made in accordance with SEBI (SAST) Regulations	3,30,000	5.08
Equity Shares acquired between the Public Announcement date and the DPS date		NIL
Equity Shares proposed to be acquired in the Offer (assuming full acceptance)	16,90,000	26.03
Post Offer Shareholding on diluted basis on 10th working day after closing of Tendering period	46,10,000	71.01

IV. OFFER PRICE

1. The Equity Shares of the Target Company are listed on SME platform of BSE only.
2. The annualized trading turnover in the equity shares of the Target Company on BSE based on trading volume during the twelve calendar months prior to the month of PA (December 01, 2018 to November 30, 2019) is as given below:

Stock Exchange	Total no. of equity shares traded during the twelve calendar months prior to the month of PA	Total no. of listed equity shares	Annualized trading turnover (as % of shares listed)
BSE	20,000	64,92,500	0.31

3. Based on the information provided in point above, the equity shares of the Target Company are **infrequently traded** on the BSE within the meaning of explanation provided in regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
4. The Offer Price of Rs. 14/- (Rupees Fourteen only) is justified in terms of regulation 8 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, **being the highest of the following**:

a)	Highest negotiated price per share for acquisition under the agreement attracting the obligations to make a public announcement for the offer;	Rs. 14/-
b)	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition(s), whether by the Acquirer or by any person(s) acting in concert, during the fifty two weeks immediately preceding the date of public announcement;	Not Applicable
c)	The highest price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquirer or by any person(s) acting in concert, during the twenty six weeks immediately preceding the date of the Public Announcement	Not Applicable
d)	The volume-weighted average market price of shares for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the public announcement as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the target company are recorded during such period.	Not Applicable
e)	Where the shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirer and the Manager to the Open Offer taking into account valuation parameters per Share including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares	#Rs. 13.04/-
	Other Financial Parameters as at March 31, 2019	
	Return on Networth (%)	16.29
	Book Value per share (₹)	13.04
	Earnings per share (Diluted) (₹)	2.12

Mr. Chintan Shah, Partner of Chhogmal & Co., Chartered Accountant (Membership No. 107490; FRN No. 101826W) having office at 106, Omkar Summit Business Bay, Near Gurunanak Petrol pump, Opp. Cinemax Theater, Sir Mathuradas Vasanji Road, Andheri East, Mumbai, Maharashtra 400093; Email id: chintan@chhogmal.co.in, vide certificate dated December 03, 2019 bearing Unique Document Identification Number (UDIN) 19107490AAAEWU1072, has certified that he has in terms of Supreme Court decision in the case of Hindustan Lever Employee Union V/s. Hindustan Lever Limited (1995) (83 Companies Cases 30 considered the Net Assets Value ("NAV") for the purpose of arriving at the fair value for the Equity Shares of the Target Company. As per the certification given, the Fair Value has been arrived at ₹13.04/- per Equity Share.

5. In view of the above parameters considered and in the opinion of the Acquirer and Manager to the Offer, the Offer Price of ₹ **14/-** per Equity Share is justified in terms of regulation 8 of the Takeover Regulations.
6. There have been no corporate actions undertaken by the Target Company warranting adjustment of any of the relevant price parameters.
7. There has been no revision in the Offer Price or to the size of this Offer as on the date of this Draft Letter of Offer.
8. An upward revision in the Offer Price or to the size of this Offer, if any, on account of competing offers or otherwise, will be done at any time prior to the commencement of the last one working day before the commencement of the tendering period of this Offer in accordance with Regulation 18(4) of the Takeover Regulations. In the event of such revision, the Acquirer shall (i) make corresponding increases to the escrow amounts, as more particularly set out in paragraph V(4) of this DPS; (ii) make a public announcement in the same newspapers in which this DPS has been published; and iii) simultaneously with the issue of such announcement, inform SEBI, BSE and the Target Company at its registered office of such revision.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. Assuming full acceptances in the Offer, the total funds required to meet this Offer is ₹ **2,36,60,000** (Rupees Two Crores Thirty Six Lacs Sixty Thousand Only).
2. The Networth of Acquirer as on October 31, 2019 is ₹ 149.29 Crores (Rupees One Hundred Forty Nine Crore and Twenty Nine Lacs only) and the same is certified by Mr. C. L Raveendhar, Proprietor of C. L Raveendhar & Co., Chartered Accountant (Membership No. 026229 ; FRN No.011093S) having office at CLR Greenfield Centre, No. 70/4, RR Layout, RS Puram, Coimbatore- 641002; Email id: clraudit@gmail.com, vide certificate dated November 15, 2019.
3. Acquirer has adequate resources to meet his financial obligations for the Offer. No funds are borrowed from banks or financial institution for the purpose of this Offer by the Acquirer.
4. In accordance with Regulation 17(1) of the Takeover Regulations, the Acquirer has opened an escrow cash account bearing account No. 50200029168377 (**"Escrow Cash Account"**) with HDFC Bank Ltd, a banking company incorporated under the Companies Act and acting through its branch office at No 5030 Ground Floor, Sreevasta Centre, GN Mills Post, Mettupalayam Road, Coimbatore – 641029 (**"Escrow Bank"**) with, and has made a cash deposit of ₹ 2,36,60,000/- (Rupees Two Crores Thirty Six Lacs Sixty Thousand Only) (**"Escrow Account"**) in the same. The cash deposited in Escrow Cash Account represents **100%** of the total consideration payable to the Equity Shareholders under this Offer. Escrow Bank vide email dated December 09, 2019 has confirmed the credit balance of ₹ 2,36,60,000/- (Rupees Two Crores Thirty Six Lacs Sixty Thousand Only). The Acquirer has empowered the Manager to the Offer to operate and to realize the value of the Escrow Account in terms of the Regulations.
5. In case of any upward revision in the Offer Price or the size of this Offer, the value in cash of the Escrow Amount shall be computed on the revised consideration calculated at such revised offer price or offer size and any additional amounts required will be funded by the Acquirer, prior to effecting such revision, in terms of Regulation 17(2) of the Takeover Regulations.
6. The funds required in relation to the Offer have been met from funds from the own funds of the Acquirer.
7. Based on the above, Saffron Capital Advisors Private Limited, Manager to the Offer satisfied that firm arrangements have been put in place by the Acquirer to implement the offer in full accordance with the SEBI (SAST) Regulations.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

1. As of the date of this DPS, to the best of the knowledge of the Acquirer, there are no statutory approvals required by the Acquirer to complete this Offer. However, in case of any such statutory approvals are required by the Acquirer at a later date before the expiry of the tendering period, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirer shall make the necessary applications for such statutory approvals.
2. If any of the public shareholders of the Target Company that are not resident in India (such NRIs, OCBs and FIIs) require any approvals interalia from the Reserve Bank of India, the Foreign Investment Promotion Board or any regulatory body for the transfer of any Equity Shares to the Acquirer, they shall be required to submit such approval along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. If such approval is not submitted, the Acquirer reserve the right to reject the Equity Shares tendered by such shareholders that are not resident in India.
3. The Acquirer shall complete all procedures relating to payment of consideration under this Offer within 10 working days from the date of expiry of the tendering period to those Equity Shareholders whose share certificates and/or other documents are found valid and in order and are accepted for acquisition by the Acquirer.
4. In case of delay in receipt of any statutory approval, the SEBI may, if satisfied that delayed receipt of the requisite approvals was not due to any willful default or neglect of the Acquirer or the failure of the Acquirer to diligently pursue the application for the approval, grant extension of time for the purpose, subject to the Acquirer agreeing to pay interest to the shareholders as directed by the SEBI, in terms of regulation 18(11) of the Takeover Regulations. Further, if delay occurs on account of willful default by the Acquirer in obtaining the requisite approvals, regulation 17(9) of the Takeover Regulations will also become applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liabe for forfeiture.
5. In terms of Regulation 23(1) of the Takeover Regulations, if the approvals mentioned in paragraph VI (1) are not satisfactorily complied with or any of the statutory approvals are refused, the Acquirer have a right to withdraw the Offer. In the event of withdrawal, a public announcement will be made within two (2) working days of such withdrawal, in the same newspapers in which the DPS has been published and such public announcement will also be filed with SEBI, the Stock Exchanges and the registered office of the Target Company.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

Activity	Day and Date
Public Announcement (PA)	Friday, December 06, 2019
Publication of DPS in the newspapers	Friday, December 13, 2019
Filing of the draft letter of offer with SEBI	Friday, December 20, 2019
Last date for a competitive bid	Monday, January 06, 2020
Last date for SEBI observations on draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer)	Monday, January 13, 2020
Identified Date*	Wednesday, January 15, 2020
Letter of Offer to be dispatched to shareholders	Wednesday, January 22, 2020
Last date for revising the Offer price/ number of shares	Tuesday, January 28, 2020
Last Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation	Monday, January 27, 2020
Date of publication of Offer Opening Public Announcement	Tuesday, January 28, 2020
Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Wednesday, January 29, 2020
Date of Expiry of Tendering Period (Offer Closing Date)	Tuesday, February 11, 2020
Last Date for completion of all requirements including payment of consideration	Wednesday, February 26, 2020

** The Identified Date is only for the purpose of determining the Equity Shareholders as on such date to whom the letter of offer ("Letter of Offer") would be mailed. It is clarified that all the equity shareholders of the Target Company (registered or unregistered) of the equity shares of the Target Company (except the Acquirer and promoter group shareholders of the Target Company) are eligible to participate in this Offer at any time prior to the closure of this Offer.*

VIII. ELIGIBILITY TO PARTICIPATE IN THE OFFER AND PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON RECEIPT OF LETTER OF OFFER

1. All Public Shareholders holding the shares in dematerialized form are eligible to participate in this Open Offer at any time during the period from Offer Opening Date till the Offer Closing Date (**"Tendering Period"**) for this Open Offer. Please refer to section titled "Procedure to be followed by shareholders who are holding equity shares in physical form" below of this part, for details in relation to tendering of Offer Shares held in physical form.
2. Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.
3. The Open Offer shall be implemented by the Target Company through Stock Exchange Mechanism made available by BSE in the form of separate window (**"Acquisition Window"**) as provided under the Takeover Regulations and SEBI Circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 issued by SEBI.
4. BSE shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering shares in the Open Offer.
5. For implementation of the Open Offer, the Acquirer have appointed Choice Equity Broking Private Limited as the Buying Broker (the "**Buying Broker**") through whom the purchases and settlements on account of the Open Offer would be made by the Acquirer. The contact details of the Buying Broker are as follows:
   Name: Choice Equity Broking Private Limited
   Address: Shree Shakambhari Corporate Park, Plot No. 156-158, J B Nagar, Andheri (East), Mumbai-400099
   Contact Person: Mr. Sheetal Murarka
   Tel.: 022 - 67079857; **E-mail ID:** sheetal.murarka@choiceindia.com; compliance@choiceindia.com
6. The Acquisition Window provided by BSE shall facilitate placing of sell orders. The Selling Brokers can enter orders only for demat equity shares.
7. The cumulative quantity tendered shall be displayed on the BSE website throughout the trading session at specific intervals by BSE during Tendering Period.
8. All the Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Open Offer would have to intimate their respective stock broker (**"Selling Broker"**) during the normal trading hours of the secondary market during tendering period.
9. Public Shareholders can tender their Equity Shares only through a broker with whom they are registered as client (KYC Compliant).
10. In the event Seller Broker of any Public Shareholder is not registered with BSE then that Public Shareholder can approach the Buying Broker as defined in the Point # 5 above and tender the Equity Shares through the Buying Broker after submitting the details as may be required by the Buying Broker to be in compliance with the SEBI regulations.
11. **Procedure to be followed by the Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form:**
   a) As per the proviso to Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations (as amended by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018), effective from April 01, 2019, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository.
   b) Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and are desirous of tendering their Equity Shares in the Open Offer can do so only after the Equity Shares are dematerialized. Such Public Shareholders are advised to approach any depository participant to have their Equity Shares dematerialized.

IX. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THIS OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER.

X. OTHER INFORMATION

1. Acquirer accepts the full and final responsibility for the information contained in the Public Announcement and the DPS and for the obligations of the Acquirer laid down in the Takeover Regulations.
2. The Public Announcement, the DPS and the Letter of Offer would also be available on the SEBI website: www.sebi.gov.in.
3. Details of Manager to the Offer and Registrar to the Offer

MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER
SAFFRON energising ideas **SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED** 605, Sixth Floor, Centre Point, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 059; **Tel. No.:** +91 22 4082 0917; **Fax No.:** +91 22 4082 0999; **Email id:** openoffers@saffronadvisor.com; **Website:** www.saffronadvisor.com; **Investor grievance:** investorgrievance@saffronadvisor.com; **SEBI Registration Number:** INM 000011211 **Validity:** Permanent; **Contact Person:** Amit Wagle/ Gaurav Khandelwal	**PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED** Unit no. 9, Shiv Shakti Ind. Estate, J. R. Boricha Marg, Opp. Kasturba Hospital Lane, Lower Parel (E), Mumbai - 400 011; **Tel. No.:** +91 22 2301 2518 / 2301 6761; **Fax No.:** NA **E-mail:** support@purvashare.com; **Website:** www.purvashare.com; **SEBI Registration Number:** INR000001112 **Validity:** Permanent; **Contact Person:** Deepali Dhuri

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER
ACQUIRER
Mr. Jose Charles Martin
Address: 135/1, Thiruvalluvar Street, Vellakinar Pirivu, G.N. Mills Post, Coimbatore - 641029, Tamilnadu, India. **Email:** md@mandc.in
Sd/-
(Signed by Mr. Ashok R Bhat, for and on behalf of the Acquirer, holding Specific Power of Attorney dated November 19, 2019)
Place: Coimbatore
Date: December 10, 2019

CONCEPT

www.readwhere.com

आशंका और सवाल

नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पास भले हो गया हो, लेकिन इसे लेकर देश के विभिन्न इलाकों में जिस तरह का भय और संदेह पैदा हो रहा है, उसे अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। इस विधेयक के विरोध में मंगलवार को असम, मेघालय, त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर के कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतरे, बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए, हिंसा-आगजनी की खबरें आईं। इतना ही नहीं, लोकसभा में सोमवार को देर रात तक चली तीखी बहस में दशकों पुराने मामले उखाड़े गए, एक पूरे इतिहास की गलतियों के ठीकरे फोड़े गए और बताया गया कि पहले भी शरणार्थियों को नागरिकता दी गई है। गृह मंत्री ने देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया तो कांग्रेस ने बताया कि द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव तो 1935 में पहली बार हिंदू महासभा के नेता वीर सावरकर ने रखा था। इन सबसे लगता है कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर जिस तरह की आशंकाएं और डर विपक्ष, देश के बुद्धिजीवियों और दूसरे वर्गों की ओर से व्यक्त किया जा रहा है, वह निराधार तो नहीं है। हालांकि अभी इस विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा होनी है और सरकार वहां भी इसे पारित कराने में कामयाब हो जा सकती है। अगले चरण में यह कानून भी बन जा सकता है। लेकिन इसे लेकर विपक्ष के जो बुनियादी सवाल हैं, उनका जवाब शायद नहीं मिल पाए।

विपक्ष की आपत्ति शरणार्थियों को नागरिकता देने को लेकर नहीं है। उसकी आपत्ति धर्म के आधार पर नागरिकता देने को लेकर है। विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुसलमानों को नागरिकता देने की बात है। इन गैर-मुसलमानों में इन तीनों देशों में अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोग हैं। मुसलमानों को बाहर इसलिए रखा गया है कि इन देशों में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो ऐसे में मुसलमानों को इससे बाहर रखा जाना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जो भारत राष्ट्र-राज्य की संकल्पना पर चोट पहुंचाता है। इसीलिए विपक्ष इस विधेयक को अनैतिक और असंवैधानिक करार दिया है। भले ही सरकार कितनी सफाई दे और दावा करे कि यह विधेयक मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इससे पूरे देश में जाहिर तौर पर यह संदेश गया है कि मुसलमानों के लिए भारत के दरवाजे बंद हैं। सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती है कि वह विपक्ष और देश के नागरिकों खासतौर से मुस्लिम समुदाय के इस डर का समाधान कैसे करती है।

शरणार्थी और घुसपैठिए दोनों पुराने मुद्दे हैं। शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज की जरूरत भी खत्म कर दी गई है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक इस वक्त भारत में करीब चौरासी हजार बांग्लादेशी शरणार्थी और एक लाख से ज्यादा तमिल शरणार्थी रह रहे हैं। यह वह आंकड़ा है जो सरकार के पास दर्ज है। लेकिन हकीकत में शरणार्थियों की संख्या इससे कहीं ज्यादा बताई जाती है। नागरिकता संशोधन विधेयक में तमिल शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में ये कहां जाएंगे? इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि एनआरसी से जो लोग बाहर हो गए हैं, उनका क्या होगा? इनकी तादाद तो लाखों में है। फिर घुसपैठियों और शरणार्थियों की पहचान कोई आसान काम तो है नहीं। पहचान के नाम पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस लोगों का उत्पीड़न करेगी और मानवाधिकार के सवाल उठेंगे। पूर्वोत्तर के ज्यादातर इलाकों में इनर लाइन परमिट व्यवस्था है, फिर भी सबसे ज्यादा चिंता और खौफ वहीं है। अगर सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक को कानूनी जामा पहनाने की दिशा में बढ़ रही है तो इन सवालों पर भी गौर तो करना होगा।

विचार के बजाय

बीते तीन हफ्तों के भीतर दूसरी बार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर विरोध जुलूस निकाला और एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने उनसे निपटने के लिए धक्का-मुक्की और लाठीचार्ज को ही उपाय माना। क्या सचमुच ऐसे हालात पैदा हो गए थे, जिनमें में पुलिस को छात्रों और छात्राओं खिलाफ यह रवैया अपनाना जरूरी लगा? गौरतलब है कि सोमवार को जेएनयू के विद्यार्थियों का जुलूस अपनी मांगों के साथ राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ना शुरू हुआ तो रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और फिर धक्का-मुक्की के बाद लाठीचार्ज भी किया। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज के आरोपों से इनकार किया, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वे अपने आप में काफी कुछ बताती हैं। खबरों के मुताबिक छात्राओं ने यहां तक आरोप लगाए कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की। सवाल है कि शीर्ष स्तर के जो अधिकारी पुलिस को निर्देश दे रहे थे, क्या वे इस सबसे पूरी तरह अनभिज्ञ थे? विद्यार्थियों की मांगों पर विचार करने और सहमति पर आधारित किसी फैसले पर पहुंचने के बजाय दमन को ही आखिरी रास्ता क्यों मान लिया जाता है?

पिछली बार जब विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन ने जोर पकड़ लिया था, तब जेएनयू प्रशासन ने बढ़ाए गए शुल्कों में मामूली कमी करने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन विद्यार्थियों की नजर में वह नाकाफी था और वे पूरी बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग कर रहे थे। दरअसल, जेएनयू में उठे इस आंदोलन को मुख्य रूप से छात्रावास के शुल्क में बढ़ोतरी के तौर पर प्रचारित किया गया। लेकिन नई नियमावली में मेस सिक्युरिटी, बिजली-पानी समेत कुछ अन्य मदों में भी जो बढ़ोतरी की गई थी, उसमें वहां पढ़ाई और शोध कर रहे बहुत सारे विद्यार्थियों की पहुंच से बाहर होने की आशंका जताई गई। इसके अलावा, शुरू में पहनावे और छात्रावास में लौटने के समय के साथ पुस्तकालय की अवधि सीमित करने का भी प्रस्ताव था। इस समूची कवायद को जेएनयू में उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई-लिखाई और उस तक समाज के कमजोर तबकों की पहुंच की परिकल्पना के विरुद्ध माना गया। जेएनयू प्रशासन के इन्हीं कदमों के खिलाफ विद्यार्थी आंदोलन पर उतरे और 'सस्ती शिक्षा, सबका अधिकार' को मुख्य नारा बनाया। उनके इस आंदोलन को दूसरे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का भी समर्थन मिला।

गौरतलब है कि पिछले प्रदर्शन के बाद जेएनयू के कई विद्यार्थियों पर मुकदमा कर दिया गया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने अपनी ओर से मुद्दे के हल के लिए दखल देते हुए वे सभी मुकदमे वापस लेने, मौजूदा जेएनयूएसयू को अधिसूचित करने और एक समझौते तक पहुंचने की सलाह दी थी। विद्यार्थियों की ओर से उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट भी जारी करने की मांग की जा रही है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि जेएनयू प्रशासन की ओर से ऐसी पहल क्यों नहीं हो रही है कि शुल्क बढ़ोतरी के सिरे से जेएनयू में उठे विवाद का सर्वमान्य हाल निकाला जा सके? जेएनयू के विद्यार्थी अगर छात्रावास के शुल्क सहित कई मदों में बढ़ाए गए खर्च पर सवाल उठा रहे हैं और उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं तो क्या यह पूरी तरह अनुचित है और क्या इसके लिए उनसे सख्त तरीके से निपटना ही एकमात्र उपाय है? आखिर ऐसे सवाल क्यों उठने लगे हैं कि अगर देश भर में नेताओं, सांसदों-विधायकों के वेतन-भत्तों से लेकर निजी कंपनियों के टैक्स और कर्ज में अगर भारी रियायत दी जा सकती है तो शिक्षा के मद में खर्च को क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है!

कल्पमेधा

जिस समय हम समझते हैं कि हम नेतृत्व कर रहे हैं, उस समय अक्सर हम दूसरे के नेतृत्व में होते हैं।

- बायरन

स्वदेशी मिसाइलें और चुनौतियां

योगेश कुमार गोयल

भारत के पास फिलहाल ब्रह्मोस जैसी 2.8 मैक गति वाली सुपरसोनिक मिसाइलें तो हैं, जो तीन सौ किलोग्राम हथियार के साथ करीब दो सौ नब्बे किलोमीटर तक हवा से हवा में मार कर सकती हैं। अमेरिका, रूस और चीन की बढ़ती मिसाइल ताकत की वजह से ही भारत को हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास करना जरूरी हो गया था।

दुनियाभर में हथियारों की होड़ तेजी से बढ़ रही है। चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के पड़ोसी देश भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। इसी कारण भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करना समय की बड़ी मांग है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब के बाद भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियार आयातक देश के रूप में उभरा है। पिछले कुछ समय में अमेरिका के अलावा रूस, इजरायल, फ्रांस आदि के साथ भारत ने अत्याधुनिक हथियारों और अन्य साजो-सामान की खरीद के लिए कई बड़े सौदे किए हैं। भविष्य की रणनीतियों और युद्ध के खतरों को ध्यान में रखते हुए सेना के सभी अंगों को अत्याधुनिक हथियारों से परिपूर्ण बनाना बेहद जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ ही इस बात की भी जरूरत महसूस की जाती रही है कि अत्याधुनिक हथियारों की खरीद के लिए हम पूरी तरह से विदेशी हथियारों पर आश्रित न रह कर उन्नत स्वदेशी तकनीक वाले हथियारों से भी सेना को सुसज्जित किया जाए।

पिछले दिनों रक्षा मंत्री ने कहा था कि केवल हथियारों का आयातक बने रह कर कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता। पिछले कुछ सालों में भारत ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित हाइपरसोनिक हथियारों और मिसाइलों से सेना की ताकत बढ़ाई है, जिनकी मारक क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। भारत और रूस ने 2015 में पांच अरब डॉलर का हथियारों का करार किया था। इसके तहत अक्तूबर, 2020 तक सेना के बेड़े में दुनिया की सबसे आधुनिक और लंबी दूरी की एस-400 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली शामिल होने वाली है। यह मिसाइल प्रणाली लड़ाकू विमानों और हर प्रकार के ड्रोन को निशाना बनाने और दुश्मन की तरफ से होने वाले किसी भी हवाई हमले को चार सौ किलोमीटर की दूरी पर ही खत्म करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत में ही तैयार हो रही विभिन्न मिसाइलें भारत को मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। सीमित क्षमताओं के बावजूद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए कई रक्षा प्रणालियां, उत्पाद और प्रौद्योगिकियां विकसित करने में बड़ी कामयाबी हासिल की हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि-2 बैलिस्टिक मिसाइल का पिछले दिनों पहली बार रात के समय सफल परीक्षण करते हुए भारत ने अपनी स्वदेशी मिसाइल ताकत का स्पष्ट अहसास कराया था। अब भारत रात में भी मिसाइल दागने और लक्ष्य भेदने की क्षमता हासिल कर लेने वाला देश बन गया है। अग्नि-2 मिसाइल 21 मीटर लंबी, 1.3 मीटर चौड़ी और सोलह टन वजनी है जो तीन हजार किलोमीटर तक के दायरे में लक्ष्य को भेद सकती है और यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। सतह से सतह पर प्रहार करने की क्षमता से लैस इस मिसाइल को वर्ष 2004 में ही सेना में शामिल कर लिया गया था, लेकिन रात के समय इसका सफल परीक्षण अब किया गया। अग्नि-2 के अलावा इसी शृंखला की सात सौ किलोमीटर तक मार कर सकने वाली अग्नि-1, तीन हजार किलोमीटर तक जाने वाली अग्नि-3, लंबी दूरी तक मार करने वाली अग्नि-4 और पांच हजार किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली अंतरमहाद्वीपीय मिसाइल अग्नि-5 भी भारत की मिसाइल परियोजनाओं की बड़ी देन रही हैं। अब अग्नि-6 पर भी तेजी से काम चल रहा है।

अमेरिका, रूस और चीन के पास इस समय विभिन्न प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। अमेरिका के पास एक साथ तीन परमाणु हथियार ले जाने और तीन अलग-अलग लक्ष्यों को भेदने में सक्षम तेरह हजार किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एलजीएम-30 माइन्यूटमैन है तो रूस के पास एक साथ दस ठिकानों पर निशाना साधने में सक्षम सोलह हजार किलोमीटर की मारक क्षमता वाली आर-36 है। इसी तरह चीन के पास एक साथ दस से भी ज्यादा ठिकानों पर निशाना साधने में सक्षम डोंगफेंग-41 मिसाइल है। पांचवीं पीढ़ी का हथियार मानी जा रही हाइपरसोनिक मिसाइल की गति कम से कम पांच मैक होती है और एक मैक गति ध्वनि की गति के बराबर मानी जाती है, यानी ध्वनि से पांच गुना तेज गति वाली मिसाइलें ही हाइपरसोनिक मिसाइलें कहलाती हैं, जो एक सेकेंड में एक मील से भी ज्यादा दूरी तय करती हैं। ध्वनि की गति से दो से तीन गुना अधिक गति वाली मिसाइलें सुपरसोनिक मिसाइल कहलाती हैं। भारत के पास फिलहाल ब्रह्मोस जैसी 2.8 मैक गति वाली सुपरसोनिक मिसाइलें तो हैं, जो तीन सौ किलोग्राम हथियार के साथ करीब दो सौ नब्बे किलोमीटर तक हवा से हवा में मार कर सकती हैं। अमेरिका, रूस और चीन की बढ़ती मिसाइल ताकत की वजह से ही भारत को हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास करना जरूरी हो गया था।

अगर बात की जाए भारत और रूस के साझा प्रयासों से बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की तो नौसेना, थलसेना और वायुसेना की जरूरतों के आधार पर समुद्र, जमीन और आकाश से दागे जाने वाले इस मिसाइल के कई संस्करण पहले ही तैयार हो चुके हैं, लेकिन सितंबर 2019 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के जिस विशेष संस्करण का सफल परीक्षण किया गया, उस टू-इन-वन मिसाइल को जमीन के अलावा समुद्री पोतों और पनडुब्बियों से भी दागा जा सकता है। यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है और वर्ष 2020 तक सुखोई-30 लड़ाकू विमानों में भी ब्रह्मोस तैनात कर दिए जाने की योजना है। पिछले महीने डीआरडीओ द्वारा ही तैयार साढ़े तीन हजार किलोमीटर की मारक क्षमता वाली के-4 परमाणु मिसाइल का भी परीक्षण किया गया था। वैसे वर्ष 2010 से अभी तक इसके कई परीक्षण किए जा चुके हैं और अब परीक्षण के दौरान यह शून्य त्रुटि के साथ लक्ष्य को भेदते हुए सभी मानकों पर खरी उतरी है। इन सफल परीक्षणों के बाद भारत अब अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के बाद पानी के भीतर मिसाइल दागने की अभूतपूर्व ताकत और तकनीक रखने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया है।

इस साल सितंबर में भारत पूर्णरूप से स्वदेशी 'अस्त्र' मिसाइल का भी सफल परीक्षण कर चुका है। 'अस्त्र' मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली पहली पूर्ण स्वदेशी मिसाइल है, जिसमें अलग-अलग ऊंचाई पर उड़ान भर रहे कम व लंबी दूरी के हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता है। ठोस ईंधन से चलने वाली यह मिसाइल दुश्मन देशों के रडार की आंखों में धूल झोंकने की क्षमता से भी लैस है और पंद्रह किलोग्राम विस्फोटकों से लैस होकर यह साढ़े पांच हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार कर सकती है। चूंकि यह प्रक्षेपण के तुरंत बाद बड़ी तेजी से अपने लक्ष्य को भेदती है, इसीलिए इसे 'बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल' भी कहा गया है। इस मिसाइल को विशेष रूप से मिराज, सुखोई एसयू-30, एलसीए तेजस, मिग-29 और मिग-21 बायसन जैसे लड़ाकू विमानों में लगाने के लिए विकसित किया गया है और अब इसका नया विकसित संस्करण बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है।

अगर भारत द्वारा विकसित की गई अन्य स्वदेशी मिसाइलों पर नजर दौड़ाएं तो सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली और हवा से सतह पर मार करने वाली अनेक मिसाइलें भारतीय सेना की ताकत बनी हुई हैं। बहरहाल, भारत केवल विदेशी हथियारों और मिसाइलों पर निर्भर न रह कर अब जिस प्रकार अत्याधुनिक तकनीकों से लैस सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्वदेशी हथियारों के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे भारतीय सेना की ताकत दिनोंदिन बढ़ रही है और इसे देखते हुए अब पाकिस्तान तो क्या, चीन जैसे देशों के भी पसीने छूटने लगे हैं।

छोटा उ से उम्मीद

प्रतिभा कटियार

दुनिया मेरे आगे

इसमें आश्चर्य की भला क्या बात है कि 'सारा देश' जश्न मनाता दिखा कि 'मुठभेड़' से न्याय हुआ! क्यों होना चाहिए आश्चर्य कि बाबाओं को बचाने के लिए हिंसक होने तक टूट पड़ने वाली भीड़ उसी पुलिस पर फूल बरसाती है, जिसके पास जाकर रिपोर्ट लिखवाने जाने से डरती हैं स्त्रियां! ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं कि पुलिस हिरासत में हत्या हुई या बलात्कार हुआ। लेकिन हिरासत में हुए बलात्कारों की संख्या के बारे में जनता नहीं सोचती तो भी अब कोई आश्चर्य नहीं होता। अब तो इस बात पर भी कोई हैरानी नहीं होती कि इस जनता में ज्यादातर पढ़े-लिखे लोग भी शामिल दिखने लगे हैं। सांसद से लेकर लेखक, साहित्यकार, फिल्मकार भी! क्यों होना चाहिए आश्चर्य आखिर? हम अतार्किक लोग हैं। हम भीड़ हैं... हमें भीड़ बनना सिखाया गया है... तालियां बजाना सिखाया गया है। बात मानना और झुंड बन कर किसी के पीछे चलना सिखाया गया है। और यही असल सुख है, यही मानना हमारे भीतर बो दिया गया है। किस बात पर कितना हंसना है, किस बात को किस हद तक सहन करते जाना है सदियों तक, और किसे पीट-पीट कर मार डालना है, यह सब हमारे लिए कोई और तय करता है। हमने कब खुद के लिए खुद की मर्जी से सोचना सीखा? जो बता दिया गया, उसी को अंतिम मानते रहे! हम तो बताई गई मर्जियों पर अपनी मर्जी की मुहर लगा कर ही जीते जा रहे समाज रहे हैं हमेशा से।

क्यों आश्चर्य हो जब आपके तार्किक होने और यह पूछने को गुनाह मान लिया जाए कि 'क्या यह कोई न्यायिक प्रक्रिया है'? शिक्षकों के आंदोलन को दरकिनार किया जाए और विद्यार्थियों की फीसवृद्धि को रद्द करने और शिक्षा को मुफ्त करने की मांग को देशद्रोह ही कह दिया जाए! सवाल पूछना आपका काम नहीं था। सौंप दिया गया काम था ताली बजाना, जयकारा लगाना। सवाल पूछेंगे तो मारे जाएंगे तो इसमें हैरत क्यों हो भला! क्यों हैरानी हो कि हम यह भी न सोचें कि यही पुलिस अपनी ही महिला अधिकारी की रक्षा में अक्सर नाकाम पाई जाती है। पुलिस क्या कोई व्यक्ति है? भीड़ क्या कोई व्यक्ति है? नहीं, दोनों ही सत्ता के खिलौने हैं, जिससे सत्ता अपनी-अपनी तरह से खेलती रहती है।

ऐसा लगता है कि पुलिस और सुरक्षा बलों का महकमा अपने भीतर भी तमाम लड़ाइयां लड़ रहा है। एक सिपाही को छुट्टी नहीं मिलती है और वह किन स्थितियों में पहुंच कर पांच साथियों को मार कर खुद को भी मार लेता है, यह बात क्यों चर्चा का विषय नहीं बनती? महीनों उन्हें घर जाने का मौका नहीं मिलता, हफ्तों छुट्टी नहीं मिलती, सोलह-सोलह घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। यह पूरे महकमे की कुंठा से भरी बातें हैं। ऐसी कुंठा भरी खबरें उनके भीतर भी बेलगाम प्रतिक्रिया की राह प्रशस्त करती हैं। पुलिस अपने नकारेपन को इस तरह ढंकती है और सुर्खियों में हिट हो जाती है। जनता नाचने लगती है कि न्याय हुआ। पर क्या सचमुच न्याय हुआ?

बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता कि यही जनता सवाल नहीं करती कि बलात्कार, हत्या और अन्य अपराधों में शामिल लोग संसद में क्यों हैं! हां, याद आया... आखिर जनता ने ही तो उन्हें चुन कर भेजा है! क्यों भेजा होगा जनता ने उन लोगों को संसद में, यह सोचना मना है। हम तमाशबीन समाज हैं, क्योंकि ऐसे ही हम बनाए गए हैं। इसमें आश्चर्य कैसा भला? और जो इस भेड़चाल में शामिल नहीं हुए हैं, जिन्होंने सवाल करने बंद नहीं किए है, जिन्होंने बेहतर समाज का सपना देखना नहीं छोड़ा, जो भीड़ की तेज बहाव के खिलाफ भी अपना हस्तक्षेप दर्ज कर देते हैं, जो इंसाफ और हकों के लिए अब भी लड़ना और आवाज उठाना जानते हैं, उनका अगर मजाक उड़ाया जाए, उन पर मुकदमे दर्ज हों, उन्हें नजरबंद किया जाए, देशद्रोही कहा जाए तो भला क्यों आश्चर्य होना चाहिए! एक जागे हुए दिमाग से ज्यादा खतरनाक भला और क्या होता है? तो उसे घेरने में तो सत्ताएं जुट ही जाएंगी न?

नहीं आश्चर्य होता कि हम सबको, इस पूरे समाज को धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद और कहीं-कहीं सत्ता की चापलूसी से मिलने वाले फायदों, पुरस्कारों आदि की अफीम चटा-चटा कर कठपुतली बना दिया गया है। ये कठपुतलियां भीड़ हैं, साइबर सेल हैं। ये कठपुतलियां विलक्षण लेखक हैं, पत्रकार हैं, फिल्मकार हैं। इनके पास वे 'तर्क' हैं जो इंसानियत की पैरवी नहीं करते, धर्म की करते हैं, जाति की करते हैं। 'तर्क' जो अपराधियों में भी धर्म देखते हैं और पीड़ित में भी!

आश्चर्य तो यह है कि कोई उम्मीद है जो अब तक बुझी नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि एक सुंदर समाज का सपना है जो तमाम किरचों में टूट जाने के बावजूद बचा हुआ है। दूर किसी गांव में कोई शिक्षक बच्चों को सुना रहा है प्यार भरी कोई कविता और कोई बच्ची लिख रही है 'छोटा उ से उम्मीद'!

बेरोजगारी का दंश

बेरोजगारी भारत के लिए सिर दर्द बन गया है और इसके कारण करोड़ों युवाओं को घर बैठने पर मजबूर होना पड़ा है। देश में बेरोजगारी की समस्या कोई नई नहीं है। 'गरीबी हटाओ' का अभियान आज से लगभग पैंतालीस वर्ष पहले इंदिरा गांधी ने प्रारंभ किया था। लेकिन आज इक्कीसवीं सदी के पूर्वार्ध में बेरोजगारी अपनी जड़ बहुत मजबूत कर चुकी है। जिस तरह उसके उन्मूलन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि राहें बेहद मुश्किल हैं। एक युवक के बेरोजगार रहने से न सिर्फ उसके अपने रहन सहन पर असर पड़ता है, बल्कि उस पर आश्रित पूरे परिवार को निम्न स्तर की जिंदगी भी नसीब नहीं हो पाती है।

इसी अक्तूबर में बेरोजगारी की दर 8.5 फीसद हो गई, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी की यह दर अगस्त 2016 के बाद सबसे ज्यादा है। ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में बेरोजगारों की फौज इकट्ठा हो रही है। भारत जैसे देश में शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी, कौशल की कमी, प्रदर्शन संबंधी मुद्दे और बढ़ती आबादी सहित कई कारक इस समस्या को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। इस कारण से भारत के जीडीपी पर भी असर साफ दिख रहा है।

बेरोजगारी की वजह से गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्याएं खड़ी होती हैं। इससे न केवल एक व्यक्ति, बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है। यह बेवजह नहीं है कि आज बेरोजगारी एक सामाजिक समस्या भी बन गया है। सरकारें जो कदम उठाती हैं, वे प्रभावी नहीं हैं। बल्कि आमतौर पर यह दिखावे के लिए होता है। इसके किए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। नीति निमार्ताओं और नागरिकों को अधिक नौकरियों के निर्माण के साथ ही रोजगार के लिए सही कौशल प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए।

● *अनु मिश्रा, बिठुना, सिवान*

देश की साख

सदन में नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया। इस पर सदन में काफी तीखी बहस हुई और हंगामा भी हुआ। पर भारत के एक पंजीकृत नागरिक होने के नाते कुछ बातों पर गौर करना चाहिए। इस विधेयक को लाना जितना आसान था, उससे कहीं अधिक मुश्किल इसे पारित कराना और लागू करना है। जो हो, विधेयक कहीं न कहीं हमारे धर्मनिरपेक्षता और संविधान के मूल ढांचों पर एक प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। अगर विवेक के साथ सोचा जाए तो कहीं न कहीं ये देश के दो धर्म विशेष समुदाय के बीच दूरियां बढ़ाने का काम करेगा।

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

विधेयक के प्रावधानों पर गौर किया जाए तो लगता है कि यह किसी खास धर्म वाले समुदाय को इसके दायरे से बाहर निकालने का प्रयास है। अगर इसे सदन से पास करा कर देश भर में लागू कर दिया जाए तो कहीं न कहीं यह हमारे राष्ट्रनिमार्ताओं की सोच, उद्देश्य, और उनकी कल्पना के भारत का गला घोंटना होगा। हम 1947 में काफी संघर्ष और बलिदानों के बाद एक स्वतंत्र देश बने और तुरंत हमारा विभाजन भी हो गया। हम धर्म की तलवार से दो भागों में बंट गए। अलग देश के सवाल के साथ पाकिस्तान बन गया और शेष भारत में हर धर्म के लोगों को रहने, अपना गुजर-बसर करने की आजादी मिली। ये बातें संविधान के मौलिक अधिकारों में भी कही गई है।

अब सवाल उठता है कि इस विधेयक में ऐसा क्या है जो हमारे मूल ढांचे पर असर डालता है? अगर हम अपने पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को आसरा देकर भारत के नागरिक बना सकते हैं तो फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ही क्यों? श्रीलंका के तमिल क्यों नहीं? उनके साथ भी तो वहां भेदभाव होता है! इस बात की क्या गारंटी है कि आज जो प्रयास मुसलमानों के साथ हो रहा है, वह भविष्य में किसी और समुदाय के साथ नहीं होगा? अगर इसके दूरगामी परिणामों पर गौर करें तो लगता है कि जब-जब हिंदुओं के समकक्ष कोई समुदाय आकर खड़ा होगा, तब-तब हम नागरिकता संशोधन करके उस समुदाय को बाहर निकाल देंगे।

अगर देश को किसी खास धर्म का देश बनाना है तो फिर संविधान में 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम शायद भूल रहे हैं कि अगर आज हम दुनिया से आंख में आंख डाल कर बात कर रहे हैं, वह शक्ति और जज्बा हमें हमारी धर्मनिरपेक्षता से मिली है। यह जिस दिन समाप्त होगी, भारत को दुनिया भर में एक कमजोर देश माना जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि कभी कि एक पंख से उड़ान नहीं भरी जा सकती है।

● *धीरज कुमार, दरभंगा, बिहार*

गरीबी की जड़ें

गरीबी और भुखमरी एक दूसरे से संबंधित है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा के निर्धारण के तरीकों को लेकर हमेशा विवाद रहा है। नतीजतन, योजनाओं को लक्षित वर्ग तक पहुंचने में हमेशा कठिनाई आती रही है। कुपोषण की निरंतरता गरीबी और भुखमरी को और जटिल बना देता है। इसके चलते एक बहुत बड़ी जनसंख्या भुखमरी और गरीबी की जाल में फंसती चली जाती है।

उदारीकरण की नीतियों ने भी गरीबी और भुखमरी को बढ़ाया है। इसके परिणामस्वरूप असमानता के स्तर में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है, जिसने गरीबी और भुखमरी को जन्म दिया है। समस्या यह है कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए और आर्थिक विकास को किस तरह से गति प्रदान कर संसाधनों का वितरण सही तरीके से किया जाए । योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन न हो पाना भी इसकी एक प्रमुख समस्या है। सरकार, प्रशासन और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकर्मव्यता गरीबी और को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका है।

● *विश्वजीत शुक्ला, पलामू, झारखंड*

हवा की कीमत

हमारे देश में हर दिन एक नई सामाजिक समस्या जुड़ती जा रही है। लेकिन अब प्रकृति भी हमारा साथ छोड़ती नजर आ रही है। वायु प्राणी की प्राथमिकता है। लेकिन हालत यह है कि वायु की स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसका हल किसी के पास नहीं है।

इस बात की परेशानी हर किसी को खाए जा रही है कि इसमें सुधार कैसे लाया जाए। सरकार ने भी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की हैं। काफी हद तक बेहतर परिणाम के आसार भी दिख रहे थे, मगर यह पूर्ण रूप से तभी खत्म होगा जब हर व्यक्ति अपना योगदान प्रदूषित वायु को कम करने में दे। लोगों के मन में खौफ तो उस दिन का है, जब शुद्ध हवा भी खरीदनी पड़ जाएगी। उस पल न जाने क्या होगा देश के उन लोगों का जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह एक ऐसी समस्या है, जिसने सबको परेशान कर दिया है।

● *निशा कश्यप, हरी नगर आश्रम, नई दिल्ली*

www.readwhere.com

अंगदान में दिल्ली सबसे आगे

देश में मुख्यत: सबसे ज्यादा गुर्दे की मांग है। इसके अलावा फेफड़े, कार्निया, हृदय, त्वचा और अन्य अंगों की भी भारी जरूरत है। नोटो के आंकड़ों के मुताबिक अंगदान के मामलों में दिल्ली नंबर वन पर है जबकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र दूसरे और तीसरे पायदान पर है। तमिलनाडु में 2018 में 1936 लोगों ने अंगदान किया जबकि 2016 में यह संख्या 1611 थी और 2017 में बढ़कर 1855 हो गई थी। महाराष्ट्र में लगभग 1000 लोग सालाना अंगदान कर रहे हैं।

बांग्लादेश से हिल्सा मछली आई, बाजारों में रौनक छाई

शंकर जालान
कोलकाता।

बंगाल

बंगाल वाले बगैर मछली के भोजन कर केवल पेट भरते हैं मन नहीं। भोजन में मछली हो तभी बंगाल के लोगों का पेट तृप्त और मन संतुष्ट होता है। मछली में भी अगर हिल्सा आ जाए तो कहने ही क्या? बीते कुछ महीनों से हिल्सा की आवक कम और कीमत ज्यादा होने के कारण यह खास किस्म की मछली आम बांग्लाभाषियों की थाली से नदारद थी, लेकिन अब पड़ोसी देश बांग्लादेश से आई हिल्सा ने मछली बाजारों में न केवल रौनक व चहल-पहल बढ़ा दी है, बल्कि लोगों के चेहरों पर खुशियां भी ला दी है।

बांग्लादेशी हिल्सा के महानगर के बाजारों में आने से मछली खाने वाले काफी खुश हैं। मछली विक्रेताओं के मुताबिक इस बार आषाढ़ व सावन महीने में कम वर्षा होने और हिल्सा के अत्याधिक महंगी होने के कारण सूबे के लोग अपनी मन पसंदीदा मछली खाने से वंचित रह गए थे। लेकिन नए साल से ठीक पहले बांग्लादेशी हिल्सा आने से हावड़ा, हाथी बागान, श्याम बाजार, नूतन बाजार, शोभा बाजार, मानिकतला, भवानीपुर, टॉलीगंज समेत दूसरे मछली बाजारों में रौनक छा गई है। मछली के आयातकर्ता बताते हैं कि आगामी एक-डेढ़ महीने तक बांग्लादेश से पांच सौ टन हिल्सा मछली के भारत आने की संभावना है, बांग्लादेश की सरकार ने इसकी मंजूरी दी है।

महानगर के मछली बाजारों की बात करें तो नवंबर के मध्य तक 12 से 14 सौ रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकने वाली हिल्सा दिसंबर के शुरुआती दिनों में 8 से 9 सौ रुपए किलो बिक रही है। जानकार बताते हैं कि वर्ष 2002-03 में हुगली में 62,600 टन हिल्सा पकड़ी गई थी, जबकि 2017-18 में यह मात्रा घटकर 27,539 टन रह गई। वहीं, इसी समयावधि में बांग्लादेश में हिल्सा की पैदावार बढ़कर 1,99,032 से 5,17,000 टन हो गई।

जानकार यह भी कहते हैं कि हिल्सा 30 से 40 फीट से कम गहरे पानी में प्रवेश नहीं करती हैं, लेकिन हुगली में फरक्का बैराज के आसपास ड्रेजिंग की कमी के कारण कम होती गहराई की वजह से छोटी मछलियां बांग्लादेश की तरह निकल जा रही है, जिस वजह से हुगली में हिल्सा की पैदावार कम हो गई है।

केंद्रीय अंतरदेशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान के मुताबिक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एकत्रित हिल्सा स्पॉनिंग सीजन में धारा के प्रतिकूल दिशा में अपनी यात्रा के लिए तीन मार्ग अपनाती हैं। पहला हुगली नदी, दूसरा बांग्लादेश में मेघना नदी और तीसरा म्यांमार में इरावती नदी। हालांकि हुगली में अत्यधिक कचरा और फिशिंग पर प्रतिबंध नहीं होने के कारण हिल्सा ने अपना माइग्रेशन रूट बदल लिया है और मेघना नदी में विस्थापन शुरू कर दिया है, जिस कारण बांग्लादेश में हिल्सा बढ़ गई है।

इस बीच, मछुआरों ने बताया कि यहां ओवरफिशिंग की अधिक समस्या है। कुछ साल पहले तक यहां तीन हजार नाव होती थीं। लेकिन अब छह हजार फिशिंग नावों का संचालन हो रहा है। स्मॉल स्केल फिश वर्कर्स के मुताबिक दो किलोमीटर लंबे सैकड़ों जाल नदी में बिछे हुए हैं। ऐसे में मछलियां यहां कैसे प्रवेश कर पाएंगी। खुद को जीवित रखने के लिए हिल्सा मेघना नदी की ओर विस्थापित हो रही हैं, जहां नदी की गहराई 50 से 60 फीट है।

वहीं, जादवपुर विश्वविद्यालय के समुद्र विज्ञान अध्ययन संस्थान का कहना है कि पहले हिल्सा प्रयागराज तक यात्रा करती थीं, लेकिन अब ये फरक्का बैराज भी पार नहीं कर पाती हैं। कम होती नदियों की गहराई पर गंभीरता से सोचने और कारगर उपाय करने की जरूरत है।

देश में हिल्सा मछली कम होने से कीमतों में इजाफा हुआ था, जिस वजह से मध्यम वर्ग के लोग हिल्सा के स्वाद से वंचित थे। लेकिन बांग्लादेश से हिल्सा आने से इसकी कीमतों में कमी आई है जिसके कारण अब हर बंगाल वाले की थाली में हिल्सा है।
-प्रदीप सेनापति, मछली विक्रेता

पुलिस सिखाएगी बेटियों को आत्मरक्षा का गुर

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून।

उत्तराखंड

देश में बेटियों पर बढ़ते हिंसा, अत्याचार और बलात्कार की घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने का व्यापक अभियान चलाया है। इसके तहत प्रदेश के हर स्कूल- कॉलेज में पुलिस बेटियों को आत्मरक्षा के गुरु सिखाने जा रही है। इसके लिए पुलिस महकमे ने प्रदेश के हर जिले में महिला आत्मरक्षा सेल बनाने का फैसला किया है।

हैदराबाद और उन्नाव में लड़कियों के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म और जिंदा जलाने की घटनाओं के बाद जहां देश में महिला सुरक्षा को लेकर तमाम बातें उठ रही है, वहीं उत्तराखंड पुलिस ने सूबे में लड़कियों की रक्षा के लिए एक सकारात्मक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत उत्तराखंड के विभिन्न थानों में महिला सुरक्षा के लिए सेल बनाए गए हैं। इस सेल में एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर और चार महिला कॉस्टेबल की तैनात रहेंगी।

हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रदेश की पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस महिला पुलिसकर्मियों को समय-समय पर महिला सुरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण भी देती रहती है। अब इस प्रशिक्षण को और अधिक व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्यभर में पुलिस की गस्त बढ़ा दी गई है। यही नहीं थानों में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निपटारा करने के लिए भी पुलिस को विशेष दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं।

इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस ने एक और नई पहल की है। इसके तहत रात में कार्यालय की ड्यूटी से लौट रही महिलाओं को पुलिस अपने वाहन से सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने का भी काम करेगी। यही नहीं देर शाम को खरीदारी को निकली महिलाएं भी यदि अपने घर पुलिस की सहायता से सुरक्षित लौटना चाहेंगी तो पुलिस उनकी भी मदद करेगी। इसके लिए महिला को 100 नंबर पर डायल करना पड़ेगा और पुलिस उन्हें सुरक्षित घर छोड़कर आ जाएगी। वहीं, उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेश के हर जिले में महिला सुरक्षा सेमिनार कराने का फैसला किया है। उत्तराखंड पुलिस में महिलाओं की तादात भी बढ़ाई जाएगी।

उत्तराखंड पुलिस अपने स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर संभव कदम उठा रही है। साथ ही बेटियों को खुद भी आत्मरक्षा के लिए पारंगत करने के लिए पुलिस निर्भया फंड से प्रशिक्षकों की सहायता से आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी देगी। स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सेंटरों में अध्ययनरत छात्राओं तथा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और संस्थानों में कार्यरत महिलाकर्मियों को भी आत्म सुरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे।

जहां उत्तराखंड पुलिस ने छात्राओं और महिलाकर्मियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने की पहल की है वहीं जूडो, कराते और वुशु मार्शल आर्ट से जुड़ी कई प्रशिक्षण अकादमियां उत्तराखंड में अपने-अपने स्तर पर स्कूल-कॉलेज की छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण कई सालों से दे रही है। राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्थित स्कूल-कॉलेजों में ये अकादमियां छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए अब और अधिक प्रशिक्षण शिविर लगा रही हैं।

मेरी संस्था 2009 से राज्य के विभिन्न स्कूल-कॉलजों में छात्राओं को वुशु मार्शल आर्ट खेल का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ आत्मरक्षा के गुर भी सिखाती है। इसके अलावा हम छात्राओं को पुलिस की सहायता से यातायात के नियमों के पालन करने का भी प्रशिक्षण दते हैं। गांवों और शहरों में स्थित स्कूल-कॉलजों में समान रुप से यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
-आरती सैनी, उत्तराखंड वुशु एसोसिएशन की प्रदेश सचिव राष्ट्रीय कोच

उत्तराखंड के उच्च शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी महाविद्यालय के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वह स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से छात्राओं के लिए उनकी आत्मरक्षा संबंधित गुर सिखाने के लिए कार्यशाला का आयोजन करें। इस संबंध में पूरे राज्य में हर महाविद्यालय में कार्यशालाएं आयोजित करने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके अच्छे परिणाम जल्दी ही देखने को मिलेंगे।
-डॉ सुनील कुमार बत्रा, एसएमजेएन पीजी कॉलेज हरिद्वार के प्राचार्य

उत्तराखंड पुलिस महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हर थाने में महिला सुरक्षा सेल बनाए गए हैं। लड़कियों को आत्मरक्षा का विशेष प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में महिला सुरक्षा संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अन्य प्रभावी कदम भी उठाए जा रहे हैं।
-अशोक कुमार, उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था)

जरूरतमंदों के लिए अनोखा मिशन

अशोक बंसल
मथुरा।

उत्तर प्रदेश

गांधीवादी लेखिका सुजाता चौधरी ने वृंदावन में बंगाली विधवाओं की सेवा का व्रत लिया है। 'नेताजी', 'राष्ट्रपिता और भगत सिंह', 'महात्मा का आध्यात्म', 'बापू और स्त्री', 'चम्पारण का सत्याग्रह', 'सत्य के दस्तावेज' जैसी तमाम पुस्तकों की लेखिका सुजाता ने कई उपन्यास और कहानियां भी लिखी हैं। गांधी के रास्ते पर चल पड़ी सुजाता ने वृंदावन में 'बा-बापू पाठशाला' भी खोलने का मन बनाया है। सुजाता भागलपुर की हैं। उन्होंने गांधी को अपने अध्ययन और लेखन से जाना ही नहीं है बल्कि गांधी को अपने जीवन में उतारने की शपथ भी ली है।

सुजाता की पुस्तक 'सौ साल पहले ..चम्पारण का गांधी' चम्पारण के राजकुमार के जीवन और संघर्ष की अद्भुत कहानी है। 100 साल पहले यही व्यक्ति गांधीजी को चम्पारण ले कर आया था। 238 पन्ने की पुस्तक ने सुजाता को एक अलग पहचान दिलाई है। वे 20 साल में 20 पुस्तकों का लेखन कर चुकी है।

सुजाता वृंदावन में विधवाओं के दु:ख को साझा करने के लिए वह 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वृंदावन में टटिया आश्रम के पास सुजाता का दो मंजिला मकान है। भागलपुर में पिता द्वारा दी गई जमीन को बेचकर वृंदावन में मकान बनाने का मकसद स्वयं का शांति और कृष्ण भक्ति में लीन होना नहीं था बल्कि कृष्ण भक्ति में लीन बेसहारा विधवाओं को सुख सुविधा देना था। सुजाता पूरे देश में घूम-घूम कर गांधी बाबा के संदेश को सेमिनार और गोष्ठियों में अपनी तकरीर से दे रही है।

समय मिलता है तो वृंदावन आती हैं और कुछ दिन अपने मकान में रह रहीं 12 महिलाओं के साथ पूजा पाठ बातचीत और खाने-पीने में बिताती हैं ताकि निराश्रित विधवाओं को एक परिवार जैसे माहौल का अहसास हो।

सुजाता चौधरी

'आपको इस सेवा पर खूब खर्च करना पड़ता होगा', सुजाता ने मेरे मन में चल रहे मंथन को भांप लिया और मुस्कुराते हुए बोली 'गांधी जी ने कहा था हम सम्पन्न लोगों को अपनी आमंदनी का 80 फीसद सामाजिक कार्यों पर खर्च करना चाहिए। मैं तो 30 फीसद ही कर पाती हूं।'

सुजाता के नाना और पिता ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था, वे संपन्न लोग थे। सो सुजाता को विरासत में देशप्रेम भी मिला और संपन्नता भी। सुजाता भागलपुर में प्रोफेसर रहीं, वकालत भी की। लेकिन धनोपार्जन के इन ठिकानों से अलग हो देश और समाज के लिए काम करने का बीड़ा उठाया। वह भागलपुर के एक गांव में एक चेरिटेबिल शिक्षा केंद्र का संचालन करती हैं।

सुजाता की कई योजनाओं में एक और महत्त्वपूर्ण योजना है। इस बारे में वे कहती हैं कि आजादी की जंग में ऐसा कोई शहर नहीं था जहां फिरंगियों के खिलाफ गांधी और क्रांतिकारियों की लड़ाई के स्वर न गूंजे हो। लड़ाई के इन अनेक अलिखित सच्चे किस्सों और कहानियों को लेखकों की तलाश है। सुजाता का कहना है कि यह काम वृंदावन से शुरू होगा।

कई रूमानी कहानियां समेटे शिमला का स्कैंडल पाइंट

ओमप्रकाश ठाकुर
शिमला

हिमाचल

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ऐतिहासिक रिज पर स्थित गिरजाघर और ठंडी सड़क के नाम से मशहूर मालरोड का मिलन स्थल स्कैंडल पाइंट ब्रिटिश राज से ही दिलों के संगम के लिए जाना जाता है। आज भी यहां पर हर मौसम में रोजाना मिलने वालों का मेला लगा रहता है। लेकिन दुनिया भर में स्कैंडल पाइंट के नाम के पीछे जो कहानी बनी, उसने स्कैंडल पाइंट को अनचाहे ही दुनिया भर से आने वाले सैलानियों की जुबान पर ला दिया। वे शिमला के बेशक दूसरे महत्त्वपूर्ण स्थलों के नाम भूल जाते हों, लेकिन स्कैंडल प्वाइंट का नाम ताउम्र उनके जेहन में बस जाता है। हालांकि यह कहानी सच्ची लगती नहीं है।

स्कैंडल पाइंट नाम कैसे पड़ा यह असल में आज तक सही-सही किसी को नहीं पता है। लेकिन जो कहानी गढ़ी गई बेशक वह इतिहास की तारीखों से मेल नहीं खाती हैं लेकिन यहां के बाशिंदों और यहां आने वाले सैलानियों की जुबान पर जरूर चढ़ गई है।

कहा जाता है कि ब्रिटिश भारत के लार्ड किचनर वायसराय बनने के बाद अपने परिवार के साथ शिमला आए। यहां पर उनकी बेटी को महाराजा पटियाला भूपेंद्र सिंह से इश्क हो गया। फिर क्या था एक दिन महाराजा पटियाला ने अपनी माशूका को स्कैंडल पाइंट से साथ लिया और वहां से कॉफी हाउस चले गए। कॉफी

हाउस से नीचे लोआर बाजार जाने के लिए अंदर से सीढ़ियां हैं। महाराजा ने इन्हीं का सहारा लेना चाहा, लेकिन पीछे से ब्रिटिश राज के सिपाही लगे थे सो वे किचनर की बेटी को खिड़की से निकालकर लोअर बाजार में पहले से खड़े किए गए अपने घोड़े से ब्रिटिश राज की सीमा से बाहर पटियाला रियासत की सीमा में चले गए। इस घटना से फिरंगी सरकार गुस्से में आ गई और उसने महाराजा पटियाला के शिमला आने पर पाबंदी लगा दी। इस पर महाराजा पटियाला भी गुस्से में आ गए और उन्होंने 1891 में चायल में अपनी राजधानी बसा दी।

दुनिया भर से यहां सैरसपाटे के लिए आने वाले सभी सैलानियों को बरसों से इसी कहानी को बेचा जा रहा है। लेकिन इतिहास की तारीखें इस कहानी से मेल नहीं खाती है। कारण कि जब की यह कहानी बताई जाती है उस समय महाराजा पटियाला की उम्र बहुत कम होगी।

कहानी अंगदान से नई जिंदगी पाने वालों की

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली।

दिल्ली

चन्द्रप्रकाश के छोटे भाई सूर्य प्रकाश (उम्र 24) का कम उम्र में ही अस्पतालों का चक्कर लगाते-लगाते दम फूलने लगा था, बीमारी थी की पकड़ में आ ही नहीं रही थी। फिर मालूम चला कि सूर्य प्रकाश को दिल की बीमारी है जिससे हृदय महज 20 फीसद ही काम कर रहा है। हृदय का मिलना व इलाज का खर्च (90 लाख) दोनों की बूते के बाहर की बात थी। लगा भाई अब नहीं बचेगा। ऐसे में एक दिन अचानक किसी का हृदय मिलना व मुफ्त में इलाज किसी ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं था।

यह अकेला परिवार नहीं जो किसी अनजाने व्यक्ति के सर्वोच्च दान (अंगदान) का ऋणी हो गया। इसी तरह का एक अन्य परिवार राहुल के इलाज के लिए भटक रहा था। एम्स के आर्गन रिट्रिवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में पंजीकृत कराके हार्ट के लिए इंतजार करने के सिवा कोई चारा न था। राहुल ने बताया कि मुझे भी किसी अंजान शख्स के हृदय की धड़कनें जिंदा रखे हैं। मैं खुशनसीब हूं कि मुझे अंगदान से नई जिदंगी मिली है।

अंगदान दाताओं के अनुभव

ब्रेन डेड अनमोल के पिता ने बताया कि वह जिंदगी में मॉडल बनना चाहता था लेकिन उनका अंगदान देकर वे रोल मॉडल बन गए। सुरभी जिंदल की मां ने बताया कि 16 साल की उम्र में बेटी का ब्रेन डेड हो गया लेकिन हमारी लाख कोशिशें भी उसे बचा न सकीं। पर हमने उसके अंगों को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। सुकून मिलता है कि यह सोचकर कि हमारी बेटी किसी और के शरीर में अभी भी जिंदा है। इसी तरह मीना देवी ने अपने पति दीपक के अंगों को दान किया। बबलू के भाई ने उसका अंग दान किया। रवि प्रकाश चड्ढा की पत्नी ने अपने पति के अंगों का दान किया।

सड़क हादसों में सिर में चोट के मामलों में एक स्थिति आती है जब हमें तय करना होता है कि अब उक्त घायल को बचाने के सारे प्रयास किए जा चुके और कुछ नहीं हो सकता ऐसे पल में मरीज की समीक्षा करके मेडिकल बोर्ड उसे ब्रेन डेड घोषित करता है। परिजन चाहें तो ऐसे मरीजों के अंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है और उनके अंगों से दूसरों के शरीर में अपने परिजनों को नया जीवन दे सकते हैं।
-डॉ. गिरिजा, एम्स

अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार वचनबद्ध है। देश में सड़क हादसों में जितने ब्रेन डेड मौतें होती है अगर उनका 10 फीसद भी परिजन सहयोग करें तो काफी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। जागरूकता के जरिए हम यह फीसद बढ़ाने की कोशिश में हैं।
-डॉ. हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

हम नियमित रूप से देश के अन्य अस्पताल के डॉक्टरों को भी यह प्रशिक्षण देते हैं कि वहां होने वाली ऐसी मौतों में परिजनों की काउंसलिंग करके उनको अंगदान के लिए प्रेरित करें।
-डॉ. एमवी पद्मा, एम्स न्यूरोलोजी विभाग

देश में अंगदान की काफी जरूरत

तीन साल में देश में अंगदान के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अभी भी देश के 28 राज्यों और 9 केंद्रशासित प्रदेश में से 22 में ही अंगदान शुरू हो पाया है। अंगदान के मामलों में देश की राजधानी दिल्ली बेहतर स्थिति में है वहीं जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश और बिहार अभी भी पीछे हैं। तीन साल में बिहार में 44 और उत्तर प्रदेश में महज 26 लोगों के ही अंगदान किए गए।

स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में देश में 9046 अंगदान हुए थे जो 2018 में बढ़कर 10387 हो गए हैं। दिल्ली अंगदान के मामले में सबसे आगे है। दिल्ली में 2018 में सबसे ज्यादा 2066 अंग दान किए गए।

यह संख्या 2016 में 1947 और 2017 में 1989 थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन चलने वाले अंग व उत्तक प्रत्यारोपण संगठन (नोटो) राष्ट्रीय स्तर पर अंगदान को बढ़ावा देने और इससे जुड़ी कानूनी और गैर कानूनी गतिविधियों पर निगाह रखता है।

www.readwhere.com

वैज्ञानिकों, विद्वानों और कलाकारों ने नागरिकता विधेयक का किया विरोध

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा)।

- वैज्ञानिकों और विद्वानों ने विधेयक के खिलाफ एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं।
- याचिका में कहा गया है कि चिंताशील नागरिकों के नाते हम अपने स्तर पर वक्तव्य जारी कर रहे हैं ताकि नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 को सदन पटल पर रखे जाने की खबरों के प्रति अपनी निराशा जाहिर कर सकें।
- याचिका पर हस्ताक्षर सोमवार को विधेयक लोकसभा में रखे जाने से पहले किए गए थे।

लोकसभा में पारित नागरिकता संशोधन विधेयक के वर्तमान स्वरूप को वापस लेने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों और विद्वानों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। याचिका में कहा गया है, 'चिंताशील नागरिकों के नाते हम अपने स्तर पर वक्तव्य जारी कर रहे हैं ताकि नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 को सदन पटल पर रखे जाने की खबरों के प्रति अपनी निराशा जाहिर कर सकें।' कई कलाकारों, लेखकों, शिक्षाविदों, पूर्व न्यायाधीशों और पूर्व नौकरशाहों ने भी सरकार से विधेयक वापस लेने की अपील करते हुए इसे भेदभावपूर्ण, विभाजनकारी और संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। इनमें इतिहासकार रोमिला थापर, लेखक अमिताव घोष, अभिनेत्री नंदिता दास, फिल्मकार अपर्णा सेन और आनंद पटवर्धन, सामाजिक कार्यकर्ताओं योगेंद्र यादव, तीस्ता सीतलवाड, हर्ष मंदर, अरुणा राय और बेजवाड विल्सन, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एपी शाह और देश के पहले सीआईसी वजाहत हबीबुल्ला आदि शामिल हैं।

वैज्ञानिकों और विद्वानों की याचिका में कहा गया, 'विधेयक के वर्तमान स्वरूप में वास्तव में क्या है यह तो हमें पता नहीं है। इसलिए हमारा वक्तव्य मीडिया में आई खबरों और लोकसभा में जनवरी 2019 में पारित विधेयक के पूर्व स्वरूप पर आधारित है।' याचिका पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों में हार्वर्ड विश्वविद्यालय, मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान समेत कई प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े विद्वान शामिल हैं। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने कहा कि अगर ये विधेयक पारित हुआ तो वे सविनय अवज्ञा करेंगे। मंदर ने ट्वीट किया, 'मैं आधिकारिक रूप से एक मस्लिम के रूप में पंजीकरण करूंगा। इसके बाद मैं एनआरसी को कोई भी दस्तावेज देने से इनकार कर दूंगा। फिर मैं बिना दस्तावेज वाले मुस्लिम की तरह ही सजा की मांग करूंगा... हिरासत केंद्र और नागरिकता वापस ले लेना। इस सविनय अवज्ञा में शामिल होइए।'

शिक्षाविद प्रताप भानु मेहता ने कहा कि नागरिकता विधेयक भारत को एक नस्लवादी तंत्र में बदल देगा। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की और उन पर आरोप लगाया कि उन्हें मोहम्मद अली जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत से कोई ऐतराज नहीं।

नागरिकता विधेयक के खिलाफ राहुल-प्रियंका ने खोला मोर्चा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

- यह विधेयक संविधान पर हमला है : राहुल
- संविधान को नष्ट करने के एजंडे के खिलाफ लड़ेंगे : प्रियंका

लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को इसे लेकर सरकार की तीखी आलोचना की।

राहुल गांधी ने नागरिकता संशोधन विधेयक को संविधान पर हमला करार देते हुए कहा कि इसका समर्थन करना भारत की बुनियाद को नष्ट करने का प्रयास होगा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा-नागरिकता संशोधन विधेयक संविधान पर हमला है। जो कोई भी इसका समर्थन करता है वो हमारे देश की बुनियाद पर हमला और इसे नष्ट करने का प्रयास कर रहा है।

दूसरी ओर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस विधेयक पर कट्टरता का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार के संविधान को नष्ट करने के इस सुनियोजित एजंडे के खिलाफ लड़ेगी। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि बीती रात लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के साथ देश में कट्टरता एवं संकुचित विचारों वाले अलगाव के प्रयासों की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा-हमारे पूर्वजों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दिये। उस स्वतत्रंता में समता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है।

कांग्रेस महासचिव ने कहा-हम सरकार के उस एजंडे के खिलाफ लड़ेंगे, जो हमारे संविधान को सुनियोजित ढंग से खत्म कर रहा है तथा उस बुनियाद को खोखला कर रहा है जिस पर हमारे देश की नींव पड़ी। लोकसभा ने सोमवार रात नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है।

सुरक्षा मामलों में सहमति के बिना जानकारी पाने की होगी छूट

पेज 1 का बाकी

रोकना, विलय व अधिग्रहण, नेटवर्क व सूचना की सुरक्षा, क्रेडिट स्कोर, कर्ज की वसूली, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत आंकड़ों के प्रसंस्करण और सर्च इंजन का संचालन शामिल है।

इस कानून में बच्चों के व्यक्तिगत व संवेदनशील आंकड़ों के प्रसंस्करण को लेकर नियमों को कड़ा किया गया है जबकि महत्त्वपूर्ण निजी डेटा या आंकड़ों को भारत में रखे जाने को अनिवार्य बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते इस विधेयक को मंजूरी दी है। दिलचस्प है कि यह मसौदा सरकार को इस बात का अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी एजंसी को प्रस्तावित कानून के प्रावधानों के दायरे से छूट दे सकता है।

मसौदे में कहा गया है कि केंद्र सरकार गैर व्यक्तिगत डेटा के मामले में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए नीति भी तैयार कर सकती है। इसमें निजी आंकड़ों की सुरक्षा के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करने और प्रावधानों का उल्लंघन होने पर कठोर दंड निर्धारित करने की भी बात कही गई है।

कुलदीप सेंगर के खिलाफ मामले में 16 को फैसला

पेज 1 का बाकी

तीस हजारी में चल रहा है। फैसला अगले हफ्ते 16 दिसंबर को आएगा। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि वे मामले में अपना फैसला 16 दिसंबर को सुनाएंगे।

सीबीआइ ने मामले में अपनी दलीलें सोमवार को पूरी कर लीं थीं। बचाव पक्ष के गवाहों का बयान बंद कमरे में रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया दो दिसंबर को पूरी कर ली गई थी। सेंगर पर आरोप है कि उसने 2017 में महिला का अपहरण कर लिया और उससे बलात्कार किया। उस समय वह नाबालिग थी। अदालत ने मामले में सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय कर दिए हैं। सेंगर पर आरोप लगाने वाली महिला की कार को जुलाई में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। दुर्घटना में महिला की दो रिश्तेदार मारी गईं और उसके परिवार ने इसमें षड्यंत्र होने के आरोप लगाए थे।

कानूनविदों की माने तो इस मामले में अगर कुलदीप सिंह सेंगर पर दोष सिद्ध होता है तो उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। शशि सिंह पर आरोप है कि वे पीड़िता को विधायक कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थीं, जहां कथित तौर पर कुलदीप सेंगर ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया। इस समय कुलदीप सिंह सेंगर तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर पर आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव बनाना, बलात्कार और पॉक्सो कानून के तहत आरोप तय किए गए थे।

'कैब' से अमेरिका को तकलीफ, पाक को मिर्ची

पेज 1 का बाकी

आरोपों को खारिज किया।

नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) पर अमेरिकी संघीय आयोग की आलोचनात्मक टिप्पणी को सही नहीं बताते हुए भारत ने मंगलवार को कहा कि यह अफसोसजनक है कि अमेरिकी संस्था ने उस विषय पर अपने पूर्वाग्रह से निर्देशित होने का रास्ता चुना जिस पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यूएससीआइआरएफ के बयान को खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि आयोग द्वारा अपनाया गया रुख उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए चौंकाने वाला नहीं है।

उन्होंने कहा, 'हालांकि, यह खेदपूर्ण है कि उस मामले में संस्था ने अपने पूर्वाग्रह और पक्षपातपूर्ण रवैए से निर्देशित होना चुना जिस पर उसका ज्ञान बेहद सीमित है और जिस पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।' करीब एक दशक पहले यूएससीआइआरएफ ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वीजा नहीं दिए जाने का समर्थन किया था। यूएससीआइआरएफ ने बयान में कहा, 'कैब गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम है। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष बहुलवाद के समृद्ध इतिहास और भारतीय संविधान के विरोधाभासी है जो धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर विधि के समक्ष समानता की गारंटी देता है।' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका सहित हर देश को अपने नागरिकों को वैध मान्यता देने और विभिन्न नीतियों के जरिए इसे लागू करने का अधिकार है।

कुमार ने कहा कि विधेयक पर यूएससीआइआरएफ का बयान न तो सही है, न ही वांछित। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून से उनकी मौजूदा दिक्कतें और उनके बुनियादी मानवाधिकार का समाधान होगा और इस पहल की उन लोगों द्वारा आलोचना नहीं की जानी चाहिए जो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं।

यूएससीआइआरएफ ने सोमवार को एक बयान में कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) खासकर मुसलमानों को छोड़कर प्रवासियों के लिए नागरिकता का रास्ता तैयार करता है। इस तरह धर्म के आधार पर नागरिकता का कानूनी मापदंड बनाया गया है।

यूएससीआइआरएफ अमेरिकी सरकार का एक स्वतंत्र, द्विदलीय आयोग है जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। यह दुनिया भर में धार्मिक आजादी के उल्लंघनों की समीक्षा करता है और (अमेरिकी) राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस (अमेरिकी संसद) को नीतियां बनाने की सिफारिश करता है। इसके बयान में कहा गया, 'अगर कैब दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो अमेरिकी सरकार को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य नेतृत्व के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए।'

उधर पाकिस्तान ने भारत के नागरिकता संशोधन विधेयक को 'प्रतिगामी व पक्षपातपूर्ण' बताया और इसे नई दिल्ली का पड़ोसी देशों के मामलों में 'दखल' का 'दुर्भावनापूर्ण इरादा' बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विधेयक की कड़ी निंदा की है।

खान ने ट्वीट किया कि नागरिकता विधेयक 'अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के सभी नियमों और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन करता है।' उन्होंने कहा कि यह आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की विस्तारवादी योजना का हिस्सा है। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मध्य रात्रि के बाद बयान जारी किया। उसमें कहा कि 'हम इस विधेयक की निंदा करते हैं। यह प्रतिगामी और भेदभावपूर्ण है और सभी संबद्ध अंतरराष्ट्रीय संधियों और मानदंडों का उल्लंघन करता है। यह पड़ोसी देशों में दखल का भारत का दुर्भावनापूर्ण प्रयास है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक में भारत में पहले से ही रह रहे कुछ विशिष्ट देशों के धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शीघ्र नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

जद (एकी) में दरार

पेज 1 का बाकी

राष्ट्रीय महासचिव पवन के वर्मा ने खुले तौर पर लोकसभा में विधेयक के पक्ष में जद (एकी) के मतदान पर निराशा व्यक्त करते हुए नीतीश से इसपर दोबारा विचार करने को कहा है। इस बीच भाजपा ने कैब पर समर्थन के लिए अपने गठबंधन साथी जद (एकी) का आभार व्यक्त किया है। अतीत में जद (एकी) ने तीन तालक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जैसे प्रमुख विधानों का विरोध किया था।

वर्मा ने ट्वीट किया है, 'मैं नीतीश कुमार से राज्यसभा में कैब के समर्थन पर पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूं। विधेयक जद (एकी) के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ होने के अलावा असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण और देश की एकता और सद्भाव के खिलाफ है। कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया है।' इससे पहले, सोमवार की रात में जब विधेयक को लोकसभा में मतदान के लिए रखा जा रहा था, किशोर ने ट्वीट किया था, 'जद (एकी) को ऐसे विधेयक का समर्थन करते देख निराशा हुई, धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। यह जद (एकी) के संविधान से मेल नहीं खाता, जिसके पहले पन्ने पर ही तीन बार धर्मनिरपेक्ष लिखा है। हम गांधी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं।'

बिहार भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट किया, 'कुछ व्यक्ति खुद को या तो एक संस्था के रूप में या संगठनात्मक ढांचे से परे स्थापित करना चाहते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि उनका नेता उनका अनुसरण करें और उनके हुक्म के अनुसार चले जो देश के लिए भी किसी मतभेद को नहीं भुला सकता, वह बेकार है।' एक अन्य ट्वीट में उन्होंने सभी दलों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन किया है।

जद (एकी) के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने अपने पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर अलग अलग राय होने पर पर्दा डालते हुए कहा, 'हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है इसलिए कोई आदेश नहीं है। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं। पार्टी ने इस तथ्य के बाद अपना आधिकारिक रुख अपनाया कि आस-पास के देशों से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारत से मदद मिलनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि इसके अलावा, यह धारणा कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है, निराधार है। यहां तक कि अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश जैसे देशों में एक मुसलमान को मदद की जरूरत है, तो राजनीतिक शरण देने के लिए एक प्रणाली है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली बिल के साथ समाप्त नहीं हो जाएगी।

निर्भया मामले में आखिरी दोषी की सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका

पेज 1 का बाकी

मुजरिमों को मौत की सजा सुनाने के निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की थी। इस वारदात में शामिल छह आरोपियों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी जबकि एक अन्य आरोपी नाबालिग था और उसे तीन साल की सजा पूरी करने के बाद सुधार गृह से रिहा कर दिया गया था। दक्षिण दिल्ली में चलती बस में 16-17 दिसंबर, 2012 की रात में 23 वर्षीय निर्भया से छह लोगों ने बर्बरता पूर्वक सामूहिक बलात्कार किया था और उसे बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया था। निर्भया की 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर में माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।

इस बीच दिल्ली की मंडोली जेल में रखे गए इस मामले के एक अन्य दोषी को तिहाड़ जेल में स्थानांतरित किया गया। महानिदेशक (जेल) संदीप गोयल ने बताया कि मंडोली जेल में रखे गये पवन कुमार गुप्ता को हाल ही में तिहाड़ जेल स्थानांतरित किया गया। एक अन्य जेल अधिकारी ने बताया कि गुप्ता तिहाड़ की जेल नंबर 2 में है जहां इस कांड के अन्य दोषियों मुकेश सिंह और अक्षय को भी रखा गया है।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने नागरिकता विधेयक का किया समर्थन

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 10 दिसंबर।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और उससे जुड़े साधु-संतों ने समान नागरिक संहिता को लोकसभा में पारित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। साधु-संतों और अखाड़ा परिषद ने कहा कि यह बिल राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए सबसे उपयुक्त है। यह विधेयक हिंदुओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है जो हिंदू पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत में आए हैं।

हरिद्वार के पंचायती निरंजनी अखाड़ा में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से समान नागरिक संहिता बिल का समर्थन किया गया।

'जवाब मिलने तक राज्यसभा में समर्थन नहीं'

पेज 1 का बाकी

दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुसलिम शरणार्थी – हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है। शिवसेना ने निचले सदन में विधेयक का समर्थन किया। ठाकरे ने यहां संवाददाताओं से कहा विधेयक पर विस्तृत चर्चा जरूरी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को इस विधेयक को लागू करने से अधिक अर्थव्यवस्था, नौकरी संकट और बढ़ती महंगाई पर चिंतित होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हमें इस धारणा को बदलना होगा कि इस विधेयक और भाजपा का समर्थन करने वाले देशभक्त हैं और जो इसका विरोध कर रहे हैं वे राष्ट्रद्रोही। विधेयक को लेकर उठाए गए सभी मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए।'

ठाकरे ने उम्मीद जताई कि भारत में शरण मांगने वालों और इस विधेयक के दायरे में आने वालों को अब अधिक प्याज मिलेगा। ठाकरे ने कहा, 'भाजपा को लगता है कि जो कोई (इससे) असहमत है, वह देशद्रोही है।' उन्होंने कहा कि शिवसेना ने जिन संशोधनों का सुझाव दिया है, उन्हें राज्यसभा में पेश किए जाने वाले विधेयक में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा, 'ये शरणार्थी कहां रुकेंगे... किस राज्य में। यह सबकुछ स्पष्ट होना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'हमने कुछ सवाल उठाए हैं लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिए हैं। यह एक भ्रांति है कि सिर्फ भाजपा को देश का खयाल है।'

उधर राकांपा के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक ने हालांकि कहा कि पार्टियां यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि महाराष्ट्र में किसी के साथ भी धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न हो। महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव सचिन सावंत ने भी कहा कि भले ही शिवसेना ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन किया हो, लेकिन उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे नीत पार्टी राज्य में शासन चलाते समय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी) का पालन करेगी। राकांपा ने इससे पहले विधेयक को संविधान-विरोधी करार देते हुए कहा था कि भाजपा नीत केंद्र सरकार इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है।

प्रधानमंत्री के उपहारों से 15.13 करोड़ की आय

पेज 1 का बाकी

सरकार से पूछा था कि क्या सरकार के पास 2014 से पूर्व आयोजित की गई नीलामी के संबंध में कोई विवरण है तो इसकी भी जानकारी दी जाए। इस मामले में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 2014 से पहले आयोजित नीलामी का कोई विवरण केंद्र सरकार के पास नहीं है। ज्ञात हो कि अक्तूबर 2019 में केंद्र सरकार ने यह नीलामी की थी। इस नीलामी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वाले चित्र की सबसे ऊंची बोली लगी थी और यह 25 लाख रुपए में नीलाम हुआ था। यह नीलामी ऑनलाइन की गई थी और इस वर्ष नीलामी के लिए 2772 उपहारों को रखा गया था। इसकी प्रदर्शनी भी राष्ट्रीय आधुनिक संग्राहलय में लगाई गई थी। नीलाम की गई वस्तुओं में चित्र मूर्तियां, शॉल, जैकेट और पारंपरिक वाद्य यंत्र समेत अन्य कई कीमती वस्तुएं थीं।

पटना में बने ग्रंथालय व संग्रहालय : मंगलवार को राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा ने बिहार राज्य में ग्रंथालय व संग्रहालय बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पटना के समीप राजगीर, वैशाली और कुम्हरार में बौद्ध काल के दौरानधम्म सभाओं का आयोजन किया गया था।

बीएचयू के प्रोफेसर खान ने धर्म संकाय से दिया इस्तीफा

पेज 1 का बाकी

संकाय में पढ़ाने को लेकर उठे विवाद के बीच कला संकाय के संस्कृत विभाग और आयुर्वेद विभाग दोनों में साक्षात्कार दिया था, जिसके बाद दोनों विभागों में उनका चयन हो गया। प्रोफेसर खान ने संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान से इस्तीफा देकर कला संकाय के संस्कृत विभाग में ज्वाइन कर लिया।

इस बात को लेकर संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान के संकाय प्रमुख प्रोफेसर कौशलेंद्र पांडे ने धरनारत छात्रों को प्रोफेसर खान का इस्तीफा दिखाते हुए धरना समाप्त करने का अनुरोध किया जिसके बाद छात्रों ने धरना समाप्त कर दिया।

पूर्वोत्तर राज्यों में आक्रोश

पेज 1 का बाकी

असम स्टूडेंट्स यूनियन, कृषक मुक्ति संग्राम समिति, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, खासी स्टूडेंट्स यूनियन और नगा स्टूडेंट्स फेडरेशन जैसे संगठन बंद का समर्थन करने के लिए एनईएसओ के साथ हैं। असम में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबर है। वहीं आंदोलनकारियों ने त्रिपुरा में बाजार में आग लगा दी। इस बंद के आह्वान के मद्देनजर असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर राज्यसभा में यह विधेयक बुधवार को पेश होगा। विधेयक को पास कराने के लिए किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आए इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने विप जारी किया है।

नगालैंड में चल रहे हॉर्नबिल महोत्सव की वजह से राज्य को बंद के दायरे से बाहर रखा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के मूल निवासियों को डर है कि इन लोगों के प्रवेश से उनकी पहचान और आजीविका खतरे में पड़ सकती है। असम में दो छात्र संगठनों के राज्यव्यापी बंद के आह्वान के बाद ब्रह्मपुत्र घाटी में जनजीवन ठप है। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बुलाए गए 11 घंटे के बंद का असर बंगाली बहुल बराक घाटी में कुछ खास नहीं रहा। असम में ऑल स्टूडेंट्स यूनियन, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, वामपंथी संगठनों-एसएफआइ, डीवाईएफआइ, एडवा, एआइएसएफ और आइसा ने बंद आहूत किया है। शहर के मालीगांव क्षेत्र में एक सरकारी बस पर पत्थरबाजी हुई और एक स्कूटर को आग के हवाले कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दुकान, बाजार और कारोबारी प्रतिष्ठान इस दौरान बंद रहे।

डिब्रूगढ़ जिले में बंद समर्थकों की झड़प सीआइएसएफ कर्मियों के साथ हुई। इनमें से तीन घायल हो गए क्योंकि ये ऑल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को कार्यालय में जाने से रोक रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी और टायर जलाए। इसके अलावा शैक्षणिक और वित्तीय संस्थान भी पूरे दिन के लिए बंद रहे। गुवाहाटी के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े जुलुस निकाले गए। प्रदर्शनकारी नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सचिवालय और विधानसभा की इमारतों के बाहर गुवाहाटी में प्रदर्शनकारियों से सुरक्षा बलों की झड़प भी हुई क्योंकि पुलिस प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक रही थी।

रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि पूरे असम में ट्रेन सेवा प्रभावित है क्योंकि रेलवे की पटरियों पर अवरोधक लगाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में विधेयक के विरोध में एनईएसओ की ओर से पूर्वोत्तर में बुलाए गए 11 घंटे की बंद से जनजीवन प्रभावित है। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यूनियन के सदस्य ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन (आप्सू) द्वारा बंद बुलाए जाने के बाद शैक्षणिक संस्थान, बैंक, कारोबारी प्रतिष्ठान, बाजार बंद रहे। इसके अलावा निजी और सरकारी वाहन सड़कों से नदारद रहे। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में बंद के दौरान उपस्थिति शून्य रही।

मणिपुर में अखिल मणिपुर छात्र संघ (एएमएसयू) ने राज्य में सुबह तीन बजे से शाम छह बजे तक पूर्ण हड़ताल का आह्वान किया है। पूर्वोत्तर छात्र संगठन (नेसो) के घटक एएमएसयू ने कहा कि अगर विधेयक को तुरंत वापस नहीं लिया जाता है तो वह आंदोलन को तेज करेगा। पूर्वोत्तर में छात्र संगठनों के शीर्ष निकाय नेसो ने विधेयक के विरोध में बंद का आह्वान किया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि मणिपुर के कई हिस्सों में मंगलवार को सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा, दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और शैक्षणिक व व्यावसायिक संस्थान भी दिन भर बंद रहे। वाहन सड़कों पर नजर नहीं आए। अखिल मणिपुर छात्र संघ (एएमएसयू) के अध्यक्ष लाइशराम अथाउबा मैतेई ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मांग माने जाने तक प्रदर्शन जारी रहेगा।

एनईएसओ द्वारा आहूत बंद में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को त्रिपुरा के धलाई जिले के एक बाजार में आग लगा दी। इस बाजार में ज्यादातर दुकानों के मालिक गैर-आदिवासी हैं।

नार्थ ईस्ट स्टूडेंट्स यूनियन (एनईएसओ) में शामिल खासी स्टूडेंट्स यूनियन (केएसयू) द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) के विरोध में किए गए बंद के आह्वान के चलते मेघालय में सामान्य जीवन प्रभावित रहा। अधिकारियों ने बताया कि दुकानों, बाजार और कारोबारी प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे, जबकि शैक्षणिक और वित्तीय संस्थान पूरे दिन बंद रहे।

गुवाहाटी विश्वविद्यालय और डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय ने बुधवार को होने वाली अपनी सभी परीक्षाएं टाल दी हैं। यह विधेयक अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम में लागू नहीं होगा जहां आइएलपी व्यवस्था है इसके साथ ही संविधान की छठी अनुसूची के तहत शासित होने वाले असम, मेघालय और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र भी इसके दायरे से बाहर होंगे।

विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पेश होगा। इस विधेयक को पास कराने के लिए किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आए इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने विप जारी किया है।

'सिफारिश के छह महीने में हो न्यायाधीशों की नियुक्ति'

पेज 1 का बाकी

पीठ ने कहा, 'पूरे भारत के आंकड़ों से पता चलता है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 1079 मंजूर संख्या के मुकाबले कार्यरत संख्या केवल 669 है। 410 रिक्तियां हैं। 213 सिफारिशों के सरकार या उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के पास प्रक्रिया में होने की बात कही गई है जबकि 197 रिक्तियों के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम से सिफारिशें अभी प्राप्त होनी बाकी हैं।' शीर्ष अदालत की सहायता कर रहे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि इन रिक्तियों को भरकर 'एक छोटी सी शुरुआत की जानी वांछित है।' पीठ ओड़ीशा से स्थानांतरित होकर आई एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जहां वकील राज्य के अन्य हिस्सों में उच्च न्यायालय की सर्किट पीठों की मांग को लेकर कई जिलों में हड़ताल पर हैं।

नानावती आयोग की अंतिम रिपोर्ट आज विधानसभा में

पेज 1 का बाकी

में रिपोर्ट पेश करेगी। राज्य सरकार ने पूर्व आईपीएस अधिकारी आर बी श्रीकुमार की जनहित याचिका के जवाब में यह आश्वासन दिया था। श्रीकुमार ने हाई कोर्ट से राज्य सरकार को यह रिपोर्ट सार्वजनिक करने का निर्देश देने की दरख्वास्त की थी। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्रीकुमार ने आयोग के समक्ष हलफनामा देकर गोधरा के बाद फैले दंगे के दौरान सरकार द्वारा कथित निष्क्रियता बरते जाने पर सवाल उठाया था।

www.readwhere.com

केनरा बैंक Canara Bank

गांधी नगर शाखा, फोन : 011-22079968, ई-मेल : cb1974@canarabank.com

कब्जा सूचना [धारा 13(4)] (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में केनरा बैंक के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार 1. श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा 2. श्रीमती सुनीता वर्मा, 3. श्री नितिन वर्मा (जमानती), 4. मैसर्स एन.के. निटवियर से कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सूचना में लिखित राशि रु. 16834384.62/- (रुपये एक करोड़ अड़सठ लाख चौंतीस हजार तीन सौ चौरासी एवं बासठ पैसे मात्र) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 28.08.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की।

कर्जदार द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदार तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 09 दिसम्बर, 2019 को कब्जा कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार रु. 16834384.62/- (रुपये एक करोड़ अड़सठ लाख चौंतीस हजार तीन सौ चौरासी एवं बासठ पैसे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिए केनरा बैंक के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

उस फ्रीहोल्ड सम्पत्ति से निर्मित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी संख्या 335 (पुरानी) 19ए (नयी) भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल, खसरा नं. 4/37 से, राम नगर एक्सटेंशन II, ग्राम खुरेजी खास, निकट लक्ष्मी नारायण मन्दिर, मच्छी वाली गली, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051 है, मापित क्षेत्र 70 वर्ग गज प्रत्येक के दो समान भाग से निर्मित, (कुल क्षेत्र 140 वर्ग गज है), नई दिल्ली, विक्रय विलेख सं. 25624 दिनांक 10.12.2012 तथा विक्रय विलेख सं. 23954 दिनांक 22.11.2012, जो नितिन वर्मा के नाम पर है।

70 वर्ग गज का पहला भाग (विक्रय विलेख 25624)	70 वर्ग गज का दूसरा भाग (विक्रय विलेख सं. 23954)
उत्तर : गली	उत्तर : गली
दक्षिण : शेष भाग	दक्षिण : शेष भाग
पूर्व : अन्य की सम्पत्ति	पूर्व : शेष भाग
पश्चिम : शेष भाग	पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति

दिनांक : 09.12.2019 स्थान : दिल्ली

अधिकृत प्राधिकारी, केनरा बैंक

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)

कलस्टर समाधान वसूली और विधि, गुरुग्राम, भूतल प्लॉट नं. 5, सैक्टर-32, गुड़गाँव-122002 (हरियाणा)

नियम 8(1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।**

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स**, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसम्पत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	खाते का नाम (कर्जदार)	माँग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	बकाया राशि (रू. में)
1	मैसर्स एम्बिको इन्डस्ट्रीज इसके पार्टनर श्रीमती रितु गौतम पत्नी श्री चेतन गौतम के माध्यम से और श्रीमती मोनिका चौधरी पत्नी श्री जीत सिंह और गारंटर: श्री चेतन गौतम पुत्र स्व. श्री रमेश चंद गौतम, श्रीमती बिमला रानी पत्नी श्री हीरा लाल	01-10-2019 / 10-12-2019	रिहायशी सम्पत्ति जिसका मकान नं. 33/23, (पुराना मकान नं. 311/15/16) पोलिस चौकी एण्ड के एन किड्स पब्लिक स्कूल के पास, लक्ष्मी गार्डन, गुरुग्राम-122001 में स्थित, कुल 150.00 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती बिमला रानी के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – मकान नं. 32/23 (अजीत सिंह), पश्चिम में – मकान नं. 34/23 (हितेन्द्र चौहान), उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में – रोड	₹ 1,00,37,831.76 दिनांक 30-11-2019 तक और बैंक द्वारा दिनांक 01.12.2019 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार
2	मैसर्स बाबा विश्वकर्मा एंटरप्राइजेज इसके प्रोप श्री तरनजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह द्वारा और गारंटर: श्री गुरदयाल सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह	03-10-2019 / 10-12-2019	रिहायशी सम्पत्ति जिसका मकान नं. 249 (नया मकान नं. 505/27), गली नं. 7, राम मन्दिर के पास, मदनपुरी, गुड़गाँव, हरियाणा में स्थित, कुल 100.00 वर्ग गज, यह सम्पत्ति गुरुदयाल सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह के नाम पर है। चौहदी : पूरब में – श्री अर्जुन देव पहुजा का मकान, पश्चिम में – श्री राज कुमार वलेचा का मकान, उत्तर में – रोड/गली नं. 7, दक्षिण में – श्री राज कुमार का मकान	₹ 20,98,270.00 दिनांक 30-11-2019 तक और बैंक द्वारा दिनांक 01.12.2019 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार
3	श्री संजीव यादव पुत्र जगदीश चंदर, श्रीमती सुरूचि यादव पत्नी श्री शेर सिंह और श्रीमती सुमौती यादव पत्नी श्री संजीव कुमार यादव	03-10-2019 / 10-12-2019	प्राथमिक – साम्पिक बंधक भूमि सम्पत्ति और रिहायशी सम्पत्ति जिसका मकान नं. 2970, सैक्टर-23-23ए, गुरुग्राम में स्थित, क्षैत्रफल 350.00 वर्ग गज, जिसमें शामिल भूतल, प्रथम तल और मुम्टी, सेल डीड नं. 20558, दिनांकित 21.10.2010, यह सम्पत्ति श्रीमती सुरुची यादव पत्नी श्री शेर सिंह और श्रीमती सुमौति यादव पत्नी श्री संजीव कुमार यादव के नाम पर है। चौहदी : पूरब में – सम्पत्ति नं. 2959, पश्चिम में – रोड, उत्तर में – सम्पत्ति नं. 2971, दक्षिण में – सम्पत्ति नं. 2969	₹ 79,88,496.00 दिनांक 30-11-2019 तक और बैंक द्वारा दिनांक 01.12.2019 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार
4	मैसर्स विश्वकर्मा एंटरप्राइजेज इसके प्रोप श्री सतबीर सिंह पुत्र श्री बनवारी लाल द्वारा गारंटर्स: श्री कंवर सिंह और श्री अजीत सिंह पुत्र श्री कृपा राम	02-09-2019 / 05-12-2019	रिहायशी सम्पत्ति जिसका खेवत / खाता नं. 1489, मुस्तिल नं. 230, किला नं. 23, यूको बैंक के पीछे, वार्ड नं. 5, फ्रेन्ड्स कॉलोनी, सोहना – 122103, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित, क्षैत्रफल 120.00 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री अजीत सिंह और श्री सतबीर सिंह के नाम पर है। चौहदी : पूरब में – पायल कांसल और कल्पना जैन की सम्पत्ति, पश्चिम में – भगत सिंह का प्लॉट, उत्तर में – सम्पत्ति आवेदक, दक्षिण में – आम रास्ता	₹ 25,50,195.08 दिनांक 30-11-2019 तक और बैंक द्वारा दिनांक 01.12.2019 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार

दिनांक : 10.12.2019, स्थान : गुरुग्राम

प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

इण्डियन ओवरसीज बैंक

पंजाबी बाग शाखा (0687), 1/52, नार्थ एवैन्यू रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत ऋणधारक/मॉटगेजर/गारंटरों के लिए मांग सूचना

स्थान: पंजाबी बाग, नई दिल्ली

तिथि: 5.11.2019

क्रम सं.	ऋणधारक	क्रम सं.	गारन्टरों
1.	अनीश अहमद आर जेड-12ए/249, गली नं.-8, जगदम्बा विहार, वेस्ट सागरपुर, दिल्ली-110046	2.	एन ए

प्रिय महोदय/महोदया

संदर्भ: इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाबी बाग शाखा में आपकी साख सुविधाएं

1. आप, हमारे बैंक के ऊपर नामित ऋणधारक ने हमारी पंजाबी बाग शाखा से निम्न साख सुविधाएं प्राप्त की हैं। विशिष्ट बकाए के साथ साख सुविधाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	साख का प्रकार	सीमा	ब्याज दर (अधिशेष ब्याज सहित) एवं रेस्ट्स	9.12.2019 को कुल बकाया
1.	सावधि ऋण (फोर व्हीलर) ऋण सं. 068703452000068	रु. 19,50,000/- (रुपए उन्नीस लाख पचास हजार मात्र)	9.15%	रु. 19,82,584/- (रुपये उन्नीस लाख बयासी हजार पाँच सौ चौड़ासी मात्र) + अन्डेविटिक ब्याज+दंड ब्याज (यदि कोई हो)
			कुल	रु. 19,82,584/- (रुपये उन्नीस लाख बयासी हजार पाँच सौ चौड़ासी मात्र) + अन्डेविटिक ब्याज+दंड ब्याज (यदि कोई हो)

क्रम सं. 1 अंतर्गत वर्णित ऊपर नामित ऋणधारक ने डीड ऑफ हाइपोथेकेशन तिथि 22.5.2019 निष्पादित किया है तथा उसके द्वारा स्वीकृत ब्याज, चार्जेज आदि के साथ सीमाओं के लिये ऋणधारकों द्वारा जब और जैसे या जिस समक्ष वह देख हो, इंडियन ओवरसीज बैंक के सभी देयताओं का भुगतान करने तथा दायित्वों एवं देयताओं को निष्पादित करने का निष्पादित करने का गारंटी दिया है। यह साख सुविधाऐं ऋणधारक सं. 1 के नाम की सम्पत्ति के हाइपोथेकेशन द्वारा ऊपर नीचे वर्णित सम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत हैं।

समय- समय पर आपने आपके द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से यहां ऊपर वर्णित देयताओं को स्वीकार किया है।

2. उपरोक्त साख सुविधाओं के लिए बैंक के पक्ष में प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार है:

प्रतिभूति का प्रकार	प्रतिभूतियों का विवरण
अधोलिखित विवरणों के अनुसार फोर व्हीलर का हाइपोथेकेशन	
पंजीकरण सं.	DL8CAY1425
चैसिस सं.	MA1YU2WUVK6D18358
इंजिन नं.	WUK4D19494

3. स्वीकृत शर्तों के अनुसार मूलधन ऋण/ ब्याज के भुगतान में ऊपर नामित ऋणधारकों द्वारा की गई चूक के ऊपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों तथा निर्देशों के अनुसार 31.10.2019 (एनपीए के रूप में वर्गीकरण की तिथि) को ऊपर वर्णित ऋण खाता को गैर- प्रचालन संपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आपकी खाता को नियमित करने के लिए हमारे द्वारा आपको बार-बार स्मरण दिलाए जाने के बावजूद आपने उस पर ब्याज सहित अधिशेष ऋणों को पुनर्भुगतान नहीं किया है।
4. क्यूं कि क्रम सं. 1 के अंतर्गत वर्णित आप ऊपर नामित ऋणधारक ऊपर वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों के द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में देयताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं तथा आपकी खाता का गैर-प्रचालन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकरण के उपरांत हम एतद् द्वारा आप क्रम सं. 1 को दी गई अपनी अग्रिमों को वापस लेते हैं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आपको सूचित करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित तिथि से आगे के ब्याज के साथ ऊपर पैरा 1 में वर्णित रु. 19,93,111/- (रुपये उन्नीस लाख तिड़ानवे हजार एक सौ ग्यारह मात्र)+अन्डेविटिक ब्याज+दंड ब्याज (यदि कोई हो) की कुल राशि का बैंक को भुगतान कर अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करें।
5. क्रम सं. 1 के अंतर्गत वर्णित ऊपर नामित ऋणधारक ने ऋणधारकों द्वारा प्राप्त की गई साख सुविधाओं के पुनर्भुगतान/ गारंटी का वचन दिया है तथा साथ ही उपरोक्त साख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए यहां वर्णित संपत्तियों को मॉर्टगेज किया है। चूंकि, ऋणधारक ने पुनर्भुगतान में चूक की है, गारंटी की शर्तों के अनुसार मार्टगेजर/ गारंटर नं. हमें गारन्टी की शर्तों के अनुसार रु. 19,93,111/- (रुपये उन्नीस लाख तिड़ानवे हजार एक सौ ग्यारह मात्र)+अन्डेविटिक ब्याज+दंड ब्याज (यदि कोई हो) की ऋण/ साख सुविधाओं के अनुसार बैंक की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं तथा हम श्री अनीश अहमद के लिए गारंटी को रद्द करते हैं तथा आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करें। कृपया अवगत हो लें कि गारंटर का दायित्व ऋणधारक के दायित्व जैसा ही व्यापक होता है।
6. हम, पुनः श्री अनीश अहमद को सूचित करते हैं कि भुगतान की तिथि तक ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ उक्त संपूर्ण राशि के भुगतान में विफल होने पर हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत हम कानून में निहित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे।
7. कृपया ध्यान रहे कि ऋणधारक तथा गारंटर आगे के ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ बकाए का भुगतान करने के लिए पृथक अथवा संयुक्त रूप से कानूनी तौर पर उत्तरदायी हैं।
8. कृप्या ध्यान रहे कि संपूर्ण भुगतान तक प्रत्येक साख सुविधाओं के लिए स्वीकृत दरों तथा रेस्ट्स पर ब्याज बढ़ती रहेगी।
9. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण/ स्वत्व-त्याग/ स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली में शामिल प्रावधानों का गैर-अनुपालन/ उल्लंघन एक अपराध है जिसके लिए अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत कैद एवं/ अथवा जुर्माने का प्रावधान है।
10. क्रम सं. 1 के अंतर्गत वर्णित ऋणधारक ने उक्त ऋणधारकों की ऋण को प्रतिभूत करने के लिए डीड ऑफ हापोथेकेशन निष्पादित किया है और इस प्रकार हम आपको सलाह देते हैं कि हमारी मांग के अनुसार बकाए का भुगतान करने के लिए ऋणधारकों पर दबाव डालें क्योंकि आपकी व्यक्तिगत गारंटी पर आधारित हमारे बकाए की वसूली के लिए हमें कानून के अनुसार साथ-साथ आपके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार प्राप्त है।
11. साथ ही, हम आप सभी को यह भी सूचित करते हैं कि यदि निर्धारित समय में खाता को नियमित नहीं किया गया/ बकाए का भुगतान नहीं किया गया तथा यदि भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा आपको जान-बूझकर चूककर्ता घोषित कर दिया गया तो बैंक को आपके नाम, पते, चूक के विवरणों, बकायों आदि के साथ वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध सभी उपायों को शुरू करने के अतिरिक्त भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार समाचार पत्र(त्रों) में आपके फोटोग्राफ को प्रकाशित कराने का अधिकार प्राप्त है।
12. हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह-रहित है तथा इसे उक्त बकाए की वसूली के साथ ही साथ आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय राशि के संदर्भ में आगे पुनः मांग करने के किसी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों के छूट के रूप में नहीं माना जाए।
13. पुनः आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन, ओवरसीज बैंक

इण्डियन ओवरसीज बैंक Indian Overseas Bank

गांधी धाम शाखा- 0298
प्लॉट नं. 91 एवं 100, श्री गांधीधाम को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, सेक्टर-4, गांधीधाम, गुजरात-370201
फोन: 02836-231642, 231753, ई-मेल: iob0298@iob.in,
आईएफएससी कोड: IOBA0000298

(परिशिष्ट IV) कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये) [नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 21.8.2019 जारी कर ऋणधारकों/ मार्टगैजरों/ गारन्टरों श्रीमती आभा गोयल, पत्नी श्री विनीत गोयल, श्रीमती अनिता गोयल, पत्नी श्री जय प्रकाश गोयल तथा श्री प्रकाश गोयल, पुत्र श्री कृष्ण चंद गोयल, प्लॉट 211, सेक्टर 9 ए, गुड़गांव, पिन-122001 (हरियाणा) (यहां के बाद "ऋणधारकों" के रूप में वर्णित) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 21.8.2019 को रु. 20,62,038.00 (रुपये बीस लाख बासठ हजार अड़तीस मात्र) के साथ वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

1) ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 6 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
2) विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना जारी करने के बाद की गई वसूली, यदि कोई हो, को घटाकर रु. 20,62,038.00 (रुपये बीस लाख बासठ हजार अड़तीस मात्र) के साथ वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा लेने की तिथि को बकाया राशि भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि के साथ रु. 21,20,923 (रुपये इक्कीस लाख बीस हजार नौ सौ तैईस मात्र) है।
3) ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्ति विवरण

अधोलिखित में स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः

सुविधा का प्रकार	प्रतिभूतियों का विवरण
1. मार्टगैज	प्लॉट नं. 211, सेक्टर 9 ए, गुड़गांव, पिन-122001 में भू तल पर स्थित आवासीय सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज विस्तारः कवर्ड एरिया 137 वर्ग मी., स्वामी का नामः 1. श्रीमती आभा गोयल, 2. श्रीमती अनिता गोयल **सम्पत्ति की चौहद्दीः** उत्तर-पूर्वः रोड, दक्षिण-पश्चिमः सम्पत्ति सं. 190, उत्तर-पश्चिमः सम्पत्ति सं. 210, दक्षिण-पूर्वः सम्पत्ति सं. 212

तिथि: 11.12.2019
स्थान: गांधीधाम

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन ओवरसीज बैंक

इण्डियन ओवरसीज बैंक INDIAN OVERSEAS BANK

शाखा : सेक्टर-8, फरीदाबाद (3376)
फरीदाबाद-121006
दूरभाष : 0129-2303340, ई-मेल: iob3376@iob.in

माँग सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने इण्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा : सेक्टर-8, फरीदाबाद (3376), हरियाणा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते सरफाएशी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत यहाँ नीचे उल्लिखित कर्जदारों एवं जमानतियों से प्रत्येक के पास डाक द्वारा कर्जदारों तथा जमानतियों के पते पर सूचना भेजने के उपरान्त एक माँग सूचना निर्गत की। इस प्रकाशन द्वारा एतद्वारा उनसे कथित सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि अदा करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल होने पर बैंक अचल एवं चल सम्पत्ति पर कब्जा कर लेगा और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में प्रक्रियागत ढंग से इसकी बिक्री करेगा। विशेष रूप से कर्जदारों एवं जमानतियों तथा जनसामान्य को अचल एवं चल सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और निम्नलिखित अचल तथा चल सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार बकाया राशियों तथा उस पर ब्याज एवं प्रभारों के लिए इण्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा : सेक्टर-8, फरीदाबाद (3376), हरियाणा के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार/जमानती का नाम एवं पता	प्रतिभूत आस्तियों का संक्षिप्त विवरण	माँग सूचना के अनुसार राशि	माँग सूचना की तिथि
कर्जदार : करमबीर सिंह **जमानती :** 1. श्री प्रशान्त तेवतिया पुत्र करमबीर सिंह 2. श्री मंदीप सिंह तेवतिया पुत्र करमबीर सिंह सबके साझा पते : (1) मकान नं. 1364, ग्राम सीही, फरीदाबाद, हरियाणा-121006 (2) मकान नं. 319, (निकट ग्राम चौपाल), ग्राम सीही, फरीदाबाद, हरियाणा-121006	श्री मंदीप सिंह तेवतिया तथा श्री प्रशान्त तेवतिया के नाम पर म.नं. 102/90, माप 140 वर्ग गज, मौजा सीही (अन्दर आबादी लाल डोरा), तहसील बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121006 पर स्थित सम्पत्ति का साम्यिक बन्धक। सम्पत्ति की सीमा : उत्तर : रामवती एवं देवी सिंह का मकान, दक्षिण : राजबीर सिंह का मकान, पूर्व : 6 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : 12 फीट चौड़ी मेन रोड।	रु. 7,96,467.84 (रुपये सात लाख छियानबे हजार चार सौ सड़सठ एवं चौरासी पैसे मात्र) तथा उस पर भावी लागत, ब्याज एवं व्यय आदि।	06.09.2019
कर्जदार : (1) श्री सुमन्त कुमार अदलखा पुत्र शशि अदलखा (2) श्रीमती कनिका अदलखा पत्नी सुमन्त कुमार अदलखा पता : मकान नं. बी2, टीसीसी कॉलोनी, सेक्टर-10 (निकट अश्विनी अस्पताल) फरीदाबाद-121006. **जमानती :** (1) सुमन्त कुमार अदलखा पुत्र शशि अदलखा पता : मकान नं. बी2, टीसीसी कॉलोनी, सेक्टर-10 (निकट अश्विनी अस्पताल) फरीदाबाद-121006. (2) सुश्री अर्पिता अदलखा पुत्री शशि अदलखा पता : मकान नं. बी2, टीसीसी कॉलोनी, सेक्टर-10 (निकट अश्विनी अस्पताल) फरीदाबाद-121006.	श्री सुमन्त कुमार अदलखा तथा सुश्री अर्पिता अदलखा के नाम पर मकान नं. बी 2, भूतल, टीसीसी कॉलोनी, माप 600 वर्ग फीट, सेक्टर-10 (निकट अश्विनी अस्पताल), फरीदाबाद-121006 पर स्थित सम्पत्ति का साम्यिक बन्धक। सम्पत्ति की सीमाएं : पूर्व : फ्लैट सं. 3बी, पश्चिम : फ्लैट सं. 1बी, उत्तर : पार्किंग, दक्षिण : दुकानें।	रु. 14,69,526.34 (रुपये चौदह लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ छब्बीस एवं चौंतीस पैसे मात्र) तथा उस पर भावी लागत, ब्याज एवं व्यय आदि।	माँग सूचना की तिथि 06.09.2019
कर्जदार : **मैसर्स श्री लक्ष्मी पैकेजिंग कम्पनी** पता : प्लॉट 471, आदर्श नगर, (बालाजी कॉलेज के पीछे), मलेमा रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004, प्रोपराइटर : श्री अनिल जादोन पुत्र बाबू लाल, मकान नं. 2985ए, सेक्टर-3, फरीदाबाद-121006 **जमानती :** श्रीमती कमलेश जादोन पत्नी अनिल जादोन पता : मकान नं. 2985ए, सेक्टर-3, फरीदाबाद-121006	श्री अनिल जादोन पुत्र बाबू लाल के नाम पर प्लॉट सं. 471, खसरा एम. सं. 57, किला सं. 6, एम नं. 58, किला सं. 8/2,9,10 माप 100 वर्ग गज उत्तरी भाग, आदर्श नगर, मलेमा रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004 पर स्थित सम्पत्ति का साम्यिक बन्धक। सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : सड़क, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, उत्तर : भवन सिंह, दक्षिण : अग्रवाल जनरल स्टोर।	रु. 13,73,228.16 (रुपये तेरह लाख तिहत्तर हजार दो सौ अट्ठाईस एवं सोलह पैसे मात्र) तथा उस पर भावी लागत, ब्याज एवं व्यय आदि।	माँग सूचना की तिथि 06.09.2019

तिथि : 11.12.2019 स्थान : फरीदाबाद

ह./- अधिकृत प्राधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

इण्डियन ओवरसीज बैंक

पंजाबी बाग शाखा (0687), 1/52, नार्थ एवैन्यू रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत ऋणधारक/मॉटगेजर/गारंटरों के लिए मांग सूचना

स्थान: पंजाबी बाग, नई दिल्ली

तिथि: 5.10.2019

क्रम सं.	ऋणधारक	क्रम सं.	गारन्टरों
1.	पुलकित कुन्द्रा एच.नं. 3337, महिन्द्रा पार्क, रानीबाग, दिल्ली	2.	एन ए

प्रिय महोदय/महोदया

संदर्भ: इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाबी बाग शाखा में आपकी साख सुविधाएं

1. आप, हमारे बैंक के ऊपर नामित ऋणधारक ने हमारी पंजाबी बाग शाखा से निम्न साख सुविधाएं प्राप्त की हैं। विशिष्ट बकाए के साथ साख सुविधाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	साख का प्रकार	सीमा	ब्याज दर (अधिशेष ब्याज सहित) एवं रेस्ट्स	5.10.2019 को कुल बकाया
1.	सावधि ऋण (फोर व्हीलर) ऋण सं. 068703452000042	रु. 76,00,000/- (रुपए छियत्तर लाख मात्र)	9.25%	रु. 73,03,884/- (रुपये तिहत्तर लाख तीन हजार आठ सौ चौड़ासी मात्र) + अन्डेविटिक ब्याज+दंड ब्याज (यदि कोई हो)
			कुल	रु. 73,03,884/- (रुपये तिहत्तर लाख तीन हजार आठ सौ चौड़ासी मात्र) + अन्डेविटिक ब्याज+दंड ब्याज (यदि कोई हो)

क्रम सं. 1 अंतर्गत वर्णित ऊपर नामित ऋणधारक ने डीड ऑफ हाइपोथेकेशन तिथि 10.1.2019 निष्पादित किया है तथा उसके द्वारा स्वीकृत ब्याज, चार्जेज आदि के साथ सीमाओं के लिये ऋणधारकों द्वारा जब और जैसे या जिस समक्ष वह देख हो, इंडियन ओवरसीज बैंक के सभी देयताओं का भुगतान करने तथा दायित्वों एवं देयताओं को निष्पादित करने का निष्पादित करने का गारंटी दिया है। यह साख सुविधाऐं ऋणधारक सं. 1 के नाम की सम्पत्ति के हाइपोथेकेशन द्वारा ऊपर नीचे वर्णित सम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत हैं।

समय- समय पर आपने आपके द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से यहां ऊपर वर्णित देयताओं को स्वीकार किया है।

2. उपरोक्त साख सुविधाओं के लिए बैंक के पक्ष में प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार है:

प्रतिभूति का प्रकार	प्रतिभूतियों का विवरण
अधोलिखित विवरणों के अनुसार फोर व्हीलर का हाइपोथेकेशन	
पंजीकरण सं.	DL3CCR1989
चैसिस सं.	WAUZGJ4M3JY00743
इंजिन नं.	CVMM****2

3. स्वीकृत शर्तों के अनुसार मूलधन ऋण/ ब्याज के भुगतान में ऊपर नामित ऋणधारकों द्वारा की गई चूक के ऊपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों तथा निर्देशों के अनुसार 30.9.2019 (एनपीए के रूप में वर्गीकरण की तिथि) को ऊपर वर्णित ऋण खाता को गैर- प्रचालन संपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आपकी खाता को नियमित करने के लिए हमारे द्वारा आपको बार-बार स्मरण दिलाए जाने के बावजूद आपने उस पर ब्याज सहित अधिशेष ऋणों को पुनर्भुगतान नहीं किया है।
4. क्यूं कि क्रम सं. 1 के अंतर्गत वर्णित आप ऊपर नामित ऋणधारक ऊपर वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों के द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में देयताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं तथा आपकी खाता का गैर-प्रचालन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकरण के उपरांत हम एतद् द्वारा आप क्रम सं. 1 को दी गई अपनी अग्रिमों को वापस लेते हैं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आपको सूचित करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित तिथि से आगे के ब्याज के साथ ऊपर पैरा 1 में वर्णित रु. 73,03,884/- (रुपये तिहत्तर लाख तीन हजार आठ सौ चौड़ासी मात्र) की कुल राशि का बैंक को भुगतान कर अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करें।
5. क्रम सं. 1 के अंतर्गत वर्णित ऊपर नामित ऋणधारक ने ऋणधारकों द्वारा प्राप्त की गई साख सुविधाओं के पुनर्भुगतान/ गारंटी का वचन दिया है तथा साथ ही उपरोक्त साख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए यहां वर्णित संपत्तियों को मॉर्टगेज किया है। चूंकि, ऋणधारक ने पुनर्भुगतान में चूक की है, गारंटी की शर्तों के अनुसार मार्टगेजर/ गारंटर नं. हमें गारन्टी की शर्तों के अनुसार रु. 73,03,884/-(रुपये तिहत्तर लाख तीन हजार आठ सौ चौड़ासी मात्र) की ऋण/ साख सुविधाओं के अनुसार बैंक की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं तथा हम श्री पुलकित कुन्द्रा के लिए गारंटी को रद्द करते हैं तथा आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करें। कृपया अवगत हो लें कि गारंटर का दायित्व ऋणधारक के दायित्व जैसा ही व्यापक होता है।
6. हम, पुनः श्री पुलकित कुन्द्रा को सूचित करते हैं कि भुगतान की तिथि तक ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ उक्त संपूर्ण राशि के भुगतान में विफल होने पर हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत हम कानून में निहित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे।
7. कृपया ध्यान रहे कि ऋणधारक तथा गारंटर आगे के ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ बकाए का भुगतान करने के लिए पृथक अथवा संयुक्त रूप से कानूनी तौर पर उत्तरदायी हैं।
8. कृप्या ध्यान रहे कि संपूर्ण भुगतान तक प्रत्येक साख सुविधाओं के लिए स्वीकृत दरों तथा रेस्ट्स पर ब्याज बढ़ती रहेगी।
9. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण/ स्वत्व-त्याग/ स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली में शामिल प्रावधानों का गैर-अनुपालन/ उल्लंघन एक अपराध है जिसके लिए अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत कैद एवं/ अथवा जुर्माने का प्रावधान है।
10. क्रम सं. 1 के अंतर्गत वर्णित ऋणधारक ने उक्त ऋणधारकों की ऋण को प्रतिभूत करने के लिए डीड ऑफ हापोथेकेशन निष्पादित किया है और इस प्रकार हम आपको सलाह देते हैं कि हमारी मांग के अनुसार बकाए का भुगतान करने के लिए ऋणधारकों पर दबाव डालें क्योंकि आपकी व्यक्तिगत गारंटी पर आधारित हमारे बकाए की वसूली के लिए हमें कानून के अनुसार साथ-साथ आपके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार प्राप्त है।
11. साथ ही, हम आप सभी को यह भी सूचित करते हैं कि यदि निर्धारित समय में खाता को नियमित नहीं किया गया/ बकाए का भुगतान नहीं किया गया तथा यदि भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा आपको जान-बूझकर चूककर्ता घोषित कर दिया गया तो बैंक को आपके नाम, पते, चूक के विवरणों, बकायों आदि के साथ वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध सभी उपायों को शुरू करने के अतिरिक्त भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार समाचार पत्र(त्रों) में आपके फोटोग्राफ को प्रकाशित कराने का अधिकार प्राप्त है।
12. हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह-रहित है तथा इसे उक्त बकाए की वसूली के साथ ही साथ आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय राशि के संदर्भ में आगे पुनः मांग करने के किसी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों के छूट के रूप में नहीं माना जाए।
13. पुनः आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन, ओवरसीज बैंक

COURT NOTICE

In the court of sh. Ramesh Kumar JMIC ludhiana

Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in

CNR NO : PBLD03-017535-2019
NEXT DATE : 28-01-2020
KOTAK MAHINDRA BANK
V/S
DIPUNA PRADHAN

PUBLICATION ISSUSED TO : Dipuna Pradhan Address - R/o Ballpada Chakada Athagad, Cuttack Orissa

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused person can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 28-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana

dated this day of 05/10/2019

JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

In The Court Of Sh. Ramesh Kumar JMIC Ludhiana

Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in

CNR NO : PBLD03-017300-2018
NEXT DATE: 28-01-2020
KOTAK MAHINDRA BANK
V/S
SANJUKTA AGARWAL

Publication Issued To : Sanjukta Agarwal Address - R/o Satagachhia Atabir, Bargarh Orissa

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 28-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana

Dated this day of 05/12/2019

JMIC LUDHIANA

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, कोर्ट-III के निर्देशन में उपस्थिति के लिये सार्वजनिक सूचना

सेवा में,
श्री योगेश माहेश्वरी
निवासी जे-001, भू तल, पर्ल गेट वे टावर,
सेक्टर- 44, नोएडा- 201301

संदर्भ में: सी.पी. (IB) नं. 543/ 2017 शीर्षक एस.के. माथुर बनाम योगेश माहेश्वरी एवं अन्य में सी.ए.नं. 135/2019 (सुनवाई की अगली तिथि 24.1.2020)

विषय: उपस्थिति के लिये सूचना

कृपया ध्यान रहे कि मै. बिमला मारु फैशन्स प्रा.लि. के प्रस्तावकर्मी/ परिसमापक के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त आवेदन दाखिल की गई है जिसमें आपको प्रतिवादी सं. 1 बनाया गया है तथा आपके विरुद्ध प्रार्थना की गई है।

माननीय एनसीएलटी ने आदेश तिथि 4.4.2019, 16.5.2019 के माध्यम से तथा आगे आदेश तिथि 7.11.2019 के माध्यम से आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया है।

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, कोर्ट-III, नई दिल्ली में 24.7.2020 को 10.30 पूर्वा. में उपरोक्त आवेदन की माननीय एनसीएलटी द्वारा सुनवाई की जायेगी।

यह सूचना आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिये आदेश तिथि 7.11.2019 के माध्यम से माननीय एनसीएलटी के निर्देशों के अनुपालन में जारी की गई है।

आपका विश्वासभाजन
एस.के. माथुर
परिसमापक
मै. बिमला मारु फैशन्स प्रा.लि
ए 12, सेक्टर 65, नोएडा-201301

Form A
PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF ANS APARTMENTS PRIVATE LIMITED

	RELEVANT PARTICULARS	
1.	Name of corporate debtor	ANS APARTMENTS PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	21.09.2004
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies- Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U45201DL2004PTC129290
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	A) Shop No 108, First Floor, Vardhman Mayur Market, Mayur Vihar, Phase-III, Delhi- 110096 B)Alstonia Apartment, Plot No-10, Stil Floor, K Block, Sector-33, Pl 1&2, Gautam Budh Nagar, Greater Noida-201308
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	06.12.2019 (Order received on 09.12.2019)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	02.06.2020
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Ram Phal Bhardwaj Regd No: IBBI/ IPA-001/IP-P01308/2018-19/12053
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	310/25, Onkar Nagar- B, Tri-Nagar, Delhi- 110035 Email: bhardwajca@hotmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	310/25, Onkar Nagar- B, Tri-Nagar, Delhi- 110035 Email: bhardwajca@hotmail.com
11.	Last date for submission of claims	23.12.2019
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Home Buyers
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1. Ravi Bansal 2. Pradeep Upadhyay 3. Kamlesh Kumar Gupta
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Web link: https://ibbi.gov.in/home/downloads Physical Address: 310/25, Onkar Nagar - B, Tri-Nagar, Delhi- 110035

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **ANS Apartments Private Limited** on 06.12.2019.

The creditors of **ANS Apartments Private Limited** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **23.12.2019** to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class, Home Buyers, in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name and Signature of Interim Resolution Professional : RAM PHAL BHARDWAJ
Date and Place : 11/12/2019 and New Delhi

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

TATA

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर-ए 1101 पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013
शाखा पता : 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली

अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के तहत)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ऋण खाता सं. 5518392, 6130455, 6130466 मीठी इंटीरियर्स प्रा.लि.

निम्नलिखित ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता को व्यक्तिगत रूप से तथा जनसामान्य को सार्वजनिक रूप से एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (प्रतिभूत लेनदार) के पास गिरवीकृत नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, 1. मीठी इंटीरियर्स प्रा.लि. इसके निदेशक श्री मिथिलेश झा के माध्यम से, टी-2, तीसरी मंजिल, पंकज आर्केड, प्लॉट सं. 16, सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली-110075. 2. मिथिलेश कुमार झा पुत्र राजेन्द्र झा, टी-2, तीसरी मंजिल, पंकज आर्केड, प्लॉट सं. 16, सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली-110075. साथ ही : फ्लैट सं. 70, छठी मंजिल मंजिल अपार्टमेंट, प्लॉट सं. 7, सेक्टर-9, द्वारका, नई दिल्ली-110075. साथ ही : ए-903, प्लॉट सं. 3 डी अप्पू एन्कलेव, सीजीएचएस, सेक्टर-11, फेज द्वारका, नई दिल्ली-110075. स्व. श्री राजेन्द्र झा के विधिक उत्तराधिकारी, टी-2, तीसरी मंजिल, पंकज आर्केड, प्लॉट सं. 16, सेक्टर-5, दिल्ली। 3. अन्नपूर्णा झा पत्नी स्व. राजेन्द्र झा, टी-2, तीसरी मंजिल, पंकज आर्केड, प्लॉट सं. 16, सेक्टर-5, दिल्ली। साथ ही : ए-903, प्लॉट सं. 3 डी अप्पू एन्कलेव, सीजीएचएस, सेक्टर-11, फेज द्वारका, नई दिल्ली-110075. साथ ही : फ्लैट सं. 70, छठी मंजिल मंजिल अपार्टमेंट, प्लॉट सं. 7, सेक्टर-9, द्वारका, नई दिल्ली-110075. साथ ही : इकाई सं. टी-2 से टी-9, तीसरी मंजिल, पंकज आर्केड, एमएलयू पॉकेट सेक्टर-5, प्लॉट सं. 16, द्वारका, नई दिल्ली-110075 से 16 मई, 2019 तक ऋण खाता सं. 6130466 में कुल राशि रु. 2,65,95,607/- (रुपये दो करोड़ पैंसठ लाख पिचानबे हजार छः सौ सात मात्र) रु. 46,87,081.49/-, ऋण खाता सं. 6130455 रु. 3,74,065/-, ऋण खाता सं. 5518392 रु. 2,15,35,641/- की वसूली हेतु "जैसे है जहाँ है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर 26 दिसम्बर, 2019 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे वर्णित है।

जबकि प्रतिभूत आस्ति का विक्रय प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए किया जाना है और जबकि 16 मई, 2019 तक ऋण खाता सं. 6130466 में कुल राशि रु. 2,65,95,607/- (रुपये दो करोड़ पैंसठ लाख पिचानबे हजार छः सौ सात मात्र) रु. 46,87,081.49/-, ऋण खाता सं. 6130455 रु. 3,74,065/-, ऋण खाता सं. 5518392 रु. 2,15,35,641/- की राशि समस्त लागतों, ब्याज आदि सहित बकाया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विक्रय के किसी विलम्बन/अनिरन्तरता के उपस्थित होने पर कथित सम्पत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से कथित 26 दिसम्बर, 2019 को 2 बजे अपराह्न 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक-ई, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 किया जायेगा। ज.ध.रा. के डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित सम्पत्ति के क्रय हेतु मुहरबन्द ई-नीलामी कथित 24 दिसम्बर, 2019 को 5 बजे अपराह्न तक टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ग्रहण किया जायेगा। सम्पत्ति का विक्रय "जहाँ है जैसे है" की स्थिति में किया जायेगा और जहाँ तक सुनिश्चित किया गया है कथित सम्पत्ति से सम्बद्ध दायित्व तथा दावे अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य (रु.)	धरोहर राशि (रु.)
पंकज आर्केड, प्लॉट सं. 16, एमएलयू पॉकेट, सेक्टर 5, द्वारका, नई दिल्ली-110075 पर स्थित तीसरी मंजिल पर वाणिज्यिक दुकान/कार्यालय/इकाई सं. टी2, 3, टी4, टी5, टी6, टी7, टी8, टी9 जो विक्रय विलेख में पूर्ण रूप से वर्णित है।	भौतिक कब्जा	रु. 2,40,22,700/-	रु. 24,02,270/-

सम्पत्ति का विवरण जिसे अनुसूची में विक्रय हेतु रखा जायेगा। यदि उपर्युक्त बकाये की राशि, ब्याज तथा लागतें (विक्रय की लागत सहित) 'अधिकृत प्राधिकारी' को अदा कर दी जाती है अथवा उसकी सन्तुष्टि के लिए प्रमाण दिया जाता है कि ऐसे प्रतिभूत ऋण, ब्याज तथा लागतों की राशि को अदा कर दिया गया है तो विक्रय रोका भी जायेगा। विक्रय में जनसामान्य को अपनी निविदा व्यक्तिगत रूप से जमा करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। इस विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का कर्तव्य निर्वहन करने वाला कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति विक्रीत सम्पत्ति के अधिग्रहण या किसी हित के अधिग्रहण के प्रयास हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविदा नहीं कर सकेगा।

यदि ऋणकर्ता विक्रय की तिथि से पूर्व टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. को बकाये की पूर्ण राशि का भुगतान करता है तो विक्रय रोका जा सकता है। यह विक्रय प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप किया जायेगा :

ई-नीलामी प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित 26 दिसम्बर, 2019 को 2.00 बजे अपराह्न से 3.00 बजे अपराह्न के बीच पोर्टल https://disposalhub.com के माध्यम से की जायेगी।

1. यहाँ नीचे अनुसूची में निर्दिष्ट विवरणों को अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण संज्ञान में उल्लिखित किया गया है किन्तु अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी या विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। संविदा राशि अथवा संविदाकार के कारण उत्पन्न होने वाले किसी विवाद की स्थिति में इस लॉट को पुनः नीलामी के लिए रखा जायेगा।
2. सम्पत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जायेगा।
3. संविदा की बढ़ोत्तरी राशि रु. 100,000/- होगी।
4. सम्पत्ति के विक्रय हेतु जमा की गयी समस्त संविदाओं के साथ ऊपर लिखे के अनुसार जमा धरोहर राशि दिल्ली में देय "टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि." के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। असफल संविदाकारों को डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
5. उच्चतम संविदाकार को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते कि वह संविदा के लिए वैधानिक रूप से पात्र हो और बशर्ते कि उसके द्वारा संविदा की राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से इतना अपर्याप्त हो कि यह ऐसा करने के लिए अपरामर्शनीय हो तो 'अधिकृत प्राधिकारी' का विशेषाधिकार होगा कि वह उच्चतम संविदा की स्वीकृति को मना कर दे।
6. कारणों को अभिलिखित करने हेतु, 'अधिकृत प्राधिकारी' विक्रय को स्थगित/अनिरन्तर करने का विशेषाधिकार रखेगा।
7. सम्पत्ति का निरीक्षण 23 दिसम्बर, 2019 को 11 बजे प्रातः से 5.00 बजे सायं के बीच किया जा सकता है।
8. क्रेता घोषित किये गये व्यक्ति को ऐसी उद्घोषणा के तुरन्त बाद क्रय राशि का पच्चीस प्रतिशत 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास जमा करना होगा और इस राशि के जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति को पुनः बिक्री के लिए रखा जायेगा।
9. यदि उपर्युक्त के अनुसार प्रारम्भिक राशि कर दी जाती है तो क्रय राशि की शेष देय राशि क्रेता द्वारा सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि की तिथि के 15वें दिन को या इससे पूर्व 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास जमा करनी होगी, यदि उस 15वें दिन रविवार या कोई अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद पहला कार्यालयी दिवस राशि जमा करने का दिन होगा। उपर्युक्त अवधि के भीतर भुगतान न कर पाने की स्थिति में विक्रय की नवीन घोषणा के निर्गमन के पश्चात सम्पत्ति का पुनः विक्रय किया जायेगा और तब तक जमा की गयी सभी राशि को टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. द्वारा जब्त कर लिया जायेगा और दोषी क्रेता सम्पत्ति या उस राशि के किसी भाग के प्रति कोई दावा नहीं कर सकेगा जिसे बाद में बेचा जा सकता है। सम्पत्ति का पुनः विक्रय अधिकृत प्राधिकारी के विशेष अधिकार क्षेत्र में होगा।
10. टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के संज्ञान में सम्पत्ति के दायित्व सम्बन्धी कोई ऋणभार : शून्य। सम्पत्ति से सम्बन्धित दावे, यदि कोई हो तथा इसकी प्रकृति एवं मूल्य से सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज: शून्य। उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं।
11. ई-नीलामी के विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए सम्भावित संविदाकार सेवा प्रदाता मैसर्स नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, नाम : हमारे विक्रय साझेदार के क्लाइंट सर्विस डेलिवरी (सीएसडी) ई-मेल आईडी : csd@disposalhub.com, दूरभाष : +91 124 4233 933, मोबाइल : +91 98100 29926 से सम्पर्क कर सकते हैं। नोट : इच्छुक संविदाकार अधिकृत प्राधिकारी श्री अयान भट्टाचार्य, ई-मेल आईडी : Ayan.Bhattacharya@tatacapital.com तथा मोबाइल नं. 7290010751 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
12. विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात https://www.tatacapital.com/tcfsl.html में प्रावधानित लिंक देखें।

ह./-

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 11.12.2019

अयान भट्टाचार्य (अधिकृत प्राधिकारी)
टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मोबाइल नं. 7290010751

www.readwhere.com

CORRIGENDUM

Reference to advertisement of vacancies in this newspaper dated 08.12.2019 the same is amended and may be read as mentioned below :-

Applications are invited from eligible candidates for a leading Bank based in Delhi for the following posts and vacancy as shown against each category :

1. **Banking Assistant** - Male/Female (4)
   Age : Maximum 30 years as on 30/11/2019 and age relaxation shall be consider for experience subject to maximum of five years.
   Qualifications : Graduate or its equivalents
   Desirable Qualifications : Computer skill
2. **Driver cum Office Attendant** - Male (4)
   Age: Maximum 30 years as on 30/11/2019
   Qualifications: 10th pass
   Desirable Qualifications: Driving license

Pay & allowance as per Bank rule. Interested candidates may apply through ordinary post, within ten days to:
Post Box No.: 7018
New Delhi-110002

सूचकांक 248 अंक टूटा, निफ्टी 11,900 अंक से नीचे

मुंबई, 10 दिसंबर (भाषा)।

बिजली, तेल व गैस, आइटी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली और सुस्त वृहद व वैश्विक संकेतों के बीच निवेशकों की उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली से मंगलवार को बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 248 अंक टूटकर 40,239 अंक पर आ गया।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 247.55 अंक के नुकसान से 40,239.88 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 80.70 अंक के नुकसान से 11,856.80 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक की कंपनियों में येस बैंक में 10.05 फीसद की गिरावट आई। पावरग्रिड, इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, आइटीसी, टीसीएस, एक्सिस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचसीएल टेक में 2.66 फीसद तक का नुकसान रहा।

पणजी में प्याज के दाम 165 रुपए किलो तक पहुंचे

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा)।

प्याज का भाव लगातार दूसरे सप्ताह ऊंचा बना हुआ है। मंगलवार को पणजी में प्याज का भाव सर्वाधिक 165 रुपए किलो रहा। वहीं देश के 114 बड़े शहरों में औसत कीमत सौ रुपए किलो से ऊपर रही। लगता है सरकार कीमत को काबू में लाने के लिए जो प्रयास कर रही है, उसके नतीजे आने में अपेक्षा के मुकाबले अधिक समय लग सकता है।

प्याज के दाम में सितंबर से तेजी आनी शुरू हुई और 25 नवंबर से औसतन सौ रुपए किलो से ऊपर बनी हुई है। आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में प्याज का भाव 96 रुपए किलो, मुंबई में 102 रुपए किलो, चेन्नई में सौ रुपए और कोलकाता में 140 रुपए किलो पर पहुंच गया। तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड में प्याज की कीमत 160 रुपए किलो जबकि तिरुपति, एर्नाकुलम और पल्लकड़ जैसे शहरों में 150 रुपए किलो पहुंच गई। बंगलुरु, वायनाड, रामनाथपुरम और पोर्ट ब्लेयर में प्याज का भाव 140 रुपए किलो है।

वहीं गुरुग्राम, जगदलपुर, बहरामपुर, पुरुलिया, मालदा, इटानगर, अगरतला और पुडुचेरी में प्याज का भाव 120 रुपए किलो पर पहुंच गया है। अमृतसर, सूरत, जबलपुर, दरभंगा, संभलपुर, बालेश्वर और गंगटोक में इस सब्जी की कीमत 110 रुपए किलो पर पहुंच गई है।

पिछले महीने केंद्रीय खाद व उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने कीमत में वृद्धि के लिए खरीफ और देर से बोई जाने वाली खरीफ फसल के उत्पादन में 26 फीसद की गिरावट को जिम्मेदार ठहराया था। इसकी वजह महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े उत्पादक राज्यों में अत्यधिक बारिश थी। मंत्री ने बार-बार कहा है कि कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। इसमें 1.2 लाख टन के आयात की अनुमति और निर्यात पर पाबंदी शामिल हैं। सरकार ने खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए भंडार सीमा भी तय की है।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नए नियम 16 से लागू

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया के लिए मंगलवार को सार्वजनिक नोटिस जारी किया। इससे 16 दिसंबर से पोर्टिंग की प्रक्रिया तेज और सुगम हो जाएगी। इसके तहत कोई उपभोक्ता अपने आपरेटर को बदल सकता है और उसका मोबाइल नंबर कायम रहता है।

नई प्रक्रिया विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) का सृजन करने की शर्त के साथ लाई गई है। इसमें सेवा क्षेत्र के अंदर पोर्ट करने के आग्रह को तीन कार्यदिवसों में पूरा करना होगा। वहीं एक सर्कल से दूसरे सर्कल में पोर्ट के आग्रह को पांच कार्यदिवसों में पूरा करना होगा। कॉरपोरेट मोबाइल कनेक्शनों की पोर्टिंग की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

संशोधित एमएनपी प्रक्रिया 16 दिसंबर से लागू होगी। मोबाइल उपभोक्ता यूपीसी का सृजन कर सकेंगे और मोबाइल नंबर पोर्टिंग प्रक्रिया का लाभ उठा सकेंगे। नई प्रक्रिया के नियम तय करते हुए ट्राई ने कहा कि विभिन्न शर्तों के सकारात्मक अनुमोदन से ही यूपीसी का सृजन तय होगा। उदाहरण के लिए पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शनों के मामले में ग्राहक को अपने बकाया के बारे में संबंधित आपरेटर से प्रमाणन लेना होगा। इसके अलावा मौजूदा आपरेटर के नेटवर्क पर उसे कम से कम 90 दिन तक सक्रिय रहना होगा। लाइसेंस वाले सेवा क्षेत्रों में यूपीसी चार दिन के लिए वैध होगा। वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर सर्कलों में यह 30 दिन तक वैध रहेगा।

एसबीआइ, बीओबी और यूको बैंक ने ब्याज दरें घटाईं

मुंबई, 10 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) में 0.10 फीसद की कटौती की है। यह कटौती मंगलवार से लागू हो गई।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी मंगलवार को एक साल की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) 0.05 फीसद कम कर 8.25 फीसद कर दी है। नई दरें 12 दिसंबर से प्रभावी होंगी। आवास और वाहन जैसे ज्यादातर व्यक्तिगत कर्ज एक साल की एमसीएलआर पर ही आधारित होते हैं।

यूको बैंक ने भी अपनी विभिन्न अवधि के कर्ज पर कोष की सीमांत लागत आधारित दर (एमसीएलआर) में 0.10 फीसद कटौती की है। नई दरें मंगलवार से प्रभावी हो गईं। बैंक की एमसीएलआर दर अब 0.10 फीसद घटकर 8.30 फीसद रह गई। इससे पहले यह 8.40 फीसद पर थी। बैंक के यहां जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है।

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
कम्पनी अधिनियम 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

सीटीएम इंडिया लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 2रा तल, एफ-7, ब्लॉक बी-1, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 में है, के मामले में
.... **आवेदक कम्पनी**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''महाराष्ट्र राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 25 नवम्बर, 2019 को आयोजित कम्पनी की असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक में निहित शक्ति के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

2रा तल, एफ-7, ब्लॉक बी-1, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044

कृते एवं के लिये
सीटीएम इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
अमित भाकरी
(निदेशक)
स्थानः दिल्ली
तिथिः 10.12.2019 DIN: 08230325

इंडियन बैंक Indian Bank
अंचल कार्यालयः 2-बी, हबीबुल्लाह इस्टेट, 11, महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ

कब्जा नोटिस {नियम 8(1) के तहत अचल सम्पत्ति हेतु}

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इंडियन बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8 और 9 के साथ संलग्न 13 (12) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक द्वारा ऋणीयों को मांग सूचना (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) जारी किया गया, जिसमें उन्हें यह कहा गया था कि उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर बकायें चुकता कर दें।

ऋणीयों एवं जमानतकर्ताओं द्वारा राशि के चुकता न कर सकने पर एतद द्वारा ऋणीयों एवं जमानतकर्ताओं व आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) नियम 8 और 9 के साथ पठित उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसमें नीचे लिखी सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। ऋणीयों व जमानतकर्ताओं को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य तौर पर सचेत किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा करने में सचेत रहें और इन सम्पत्तियों के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखी राशि ब्याज और अन्य खर्च के लिए इंडियन बैंक के प्रभारी के अधीन होगा। हम आपका ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) और नियमों के प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हैं जो कि आपके प्रतिभूतियों से सम्बन्धित "Right of redemption" को दर्शाता है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता / बंधककर्ता का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि
शाखा- जौनपुर शाखा			
1.	**ऋणकर्ता**:- श्री जावेद पुत्र स्वर्गीय सुहेल अहमद	मकान के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर आराजी सं. 878(एमआई) एवं 879 का भाग, क्षेत्रफल 3400 वर्ग फीट स्थित मौजा- माडवीर उर्फ पचहटिया, परगना- हवेली, तहसील - सदर, जिला- जौनपुर 222001, **चौहद्दी:- पूर्वः** सद्दाम का मकान एवं भूमि, **पश्चिमः** जावेद (क्रेता) का मकान एवं लिंक मार्ग, **उत्तरः** वसीम की भूमि, **दक्षिणः** जावेद (क्रेता) एवं शमीम के मकान की भूमि	बकाया धनराशि-रू. 10,10,089/- दि. 30.01.2018 से प्रभावी एवं उसपर ब्याज; मांग तिथि 02.05.2018; कब्जा तिथि 09.12.2019

दिनांकः 11.12.2019 स्थानः लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले
और
मिशैल ड्रिलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U11202DL2003PTC263219)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **एल -303, अग्रसेन अपार्टमैंट 66, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली -110092** में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्त्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से" "पश्चिम बंगाल राज्य"** में बदलने हेतु **सोमवार, 11 नवंबर 2019** को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विरोध के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को उसके पंजीकृत कार्यालय **एल -303, अग्रसेन अपार्टमैंट 66, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली -110092** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **मिशैल ड्रिलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**
राजेश बंसल
(निदेशक)
दिनांक: 10 दिसम्बर 2019
स्थान: नई दिल्ली डीआईएनः 00552040

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
TATA
7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055, भारत

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (''नियमावली'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13 (2) के अंतर्गत

सेवा में, 1. योगेश कुमार गर्ग, पुत्र श्री प्रभु सरण गर्ग, मकान सं. 5, न्यू गांधी नगर, गाजियाबाद, उ.प्र., 2. श्रीमती रेखा गर्ग, पत्नी श्री योगेश कुमार गर्ग, मकान सं. 5, न्यू गांधी नगर, गाजियाबाद, उ.प्र. 3. विशाल गर्ग, मकान सं. 5, न्यू गांधी नगर, गाजियाबाद, उ.प्र. 4. शुभि गर्ग, मकान सं. 5, न्यू गांधी नगर, गाजियाबाद, उ.प्र. 5. मै. रॉयल एसोसिएट्स द्वारा पार्टनर योगेश कुमार गर्ग, बी-86, सेक्टर-16, नोएडा, उ.प्र., साथ हीः मकान सं. 5, न्यू गांधी नगर, गाजियाबाद, उ.प्र., 6. मै. योगेश गर्ग एंड संस (एचयूफ) द्वारा उसके कर्ता योगेश कुमार गर्ग, मकान सं. 5, न्यू गांधी नगर, गाजियाबाद, उ.प्र.

प्रिय महोदय/महोदया,

ऋण खाता सं. 6123211 में 31.5.2016 को टीसीएफएसएल की दिल्ली शाखा द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 21 नवम्बर, 2019 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये ऋण खाता 6123211 के अंतर्गत रु. 27536932.46 (रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख छत्तीस हजार नौ सौ बत्तीस एवं छियालिस पैसे मात्र) की राशि बकाया हो गया है। हमारी बार-बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार 7 नवम्बर, 2019 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना तिथि 21 नवम्बर, 2019 जारी कर आपको सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ ऋण खाता सं. 6123211 में रु. 27536932.46 (रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख छत्तीस हजार नौ सौ बत्तीस एवं छियालिस पैसे मात्र) की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

संपत्तियों की अनुसूचीः अनुसूची क, योगेश गर्ग एवं रेखा गर्ग के पक्ष में बिक्री प्रलेख तिथि 8 अक्टूबर, 2014 में विशेष रूप से वर्णित रूप में मॉडल टाउन (वेस्ट), जी.टी. रोड, गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित सम्पत्ति सं. 54, पुराना नं. ए-2, एरिया माप 4000 वर्ग यार्ड्स के भाग में प्लॉट नं. 54 सी, माप 315.87 वर्ग मी. (उक्त भाग) चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 54/बी, पश्चिमः 40 फीट रोड, उत्तरः 53ए, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति।

चूंकि सूचना तिथि 21 मार्च, 2019 आपके उस पते जिसमें आप मूल रूप से निवास/ व्यवसाय/ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, पर भेजी गई जो सर्व नहीं हो सकी अतः हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

हस्ता./- (आयन भट्टाचार्य)
प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 11.12.2019 टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
निविदा आमंत्रण सूचना
ई-निविदा आई.डी.: 2019_AAI_37435_1
चौ0 चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ पर निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैः-
सुविधा का नामः एप्लीकेशन बेस्ड कैब एग्रीगेटर सर्विस। आरक्षित राशि ₹5,96,000/- एम.आर.एल.एफ. ₹14,02,500/- एवं अन्य देय।
जमा करने की अंतिम तिथिः 14.12.2019
अधिक जानकारी एवं शुद्धिपत्र हेतु भाविप्रा की वेबसाइट **www.aai.aero** अथवा **www.etenders.gov.in** देख सकते हैं।

सुरवी ट्रैड एण्ड एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः आर-720, धरातल, न्यू राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060
CIN No. U51109DL1991PTC313851
टेलीफोन नं. 011-45093380
ई-मेलः survi.trade@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

दिनांक 09 जुलाई, 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र सं. DNBR.(PD)CC.No. 065/03.10.001/2015-16 के पैरा 4, यथा समय-समय पर संशोधित की अनुपालना में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आरबीआई पत्र सं. DOS.(ND) No. 2098/CMS-VIII/05.19.666/2019-20 दिनांक 29 नवंबर, 2019 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र के निबंधनों तथा भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य समर्थ प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित, यदि हो, ऐसी शर्तों को पूरा करने एवं ऐसी वांछित औपचारिकताओं की अनुपालना के अधीन, श्री हरीश कालरा, निवासी एल-1/188ए, डीडीए फ्लैट्स, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 (यहां इसके बाद ''प्रस्तावित निदेशक'' के तौर पर ज्ञात) ने ''सुरवी ट्रैड एण्ड एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड'' वर्तमान में गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (यहां इसके बाद ''कंपनी'' के तौर पर ज्ञात) जिसका पंजीकृत कार्यालय आर-720, धरातल, न्यू राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060 के निदेशक के तौर पर कार्य करने की सहमति दी है और वर्तमान निदेशक, श्री हरीश अरोड़ा, निवासी बी-16, इन्द्र अपार्टमेंट रतन लाल नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208027 (यहां इसके बाद ''निवर्तमान निदेशक'' के तौर पर ज्ञात) ने बोर्ड से इस्तीफा देने का इरादा व्यक्त किया है। बदलाव का मुख्य उद्देश्य कंपनी की वर्तमान गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना है।

कोई व्यक्ति जो प्रबंधन में प्रस्तावित बदलाव द्वारा प्रभावित हो सकता है वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर कार्यालय निगरानी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 6, संसद मार्ग नई दिल्ली-110001 या कंपनी के निम्नवर्णित पते या प्रस्तावित निदेशक, निवर्तमान निदेशक को आपत्तियों के कारण तथा हित की प्रकृति को वर्णित करने वाली सूचना भेज सकता है।

कृते सुरवी ट्रैड एण्ड एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड
हरीश अरोड़ा **हरीश कालरा**
(निवर्तमान निदेशक) **(प्रस्तावित निदेशक)**
दिनांकः 05.12.2019
स्थानः नई दिल्ली

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0
(ISO 9001-2008 Certified Company)
विश्वेश्वरैया भवन, गोमती नगर, लखनऊ

अल्पकालीन ई-निविदा नोटिस

प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0रा0नि0लि0, लखनऊ की ओर से परियोजना प्रबन्धक (वि0), एन0के0आर0एस0एस0 विद्युत इकाई, लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्यों की तकनीकी एवं वित्तीय अल्पकालीन ई-निविदा हेतु निर्माण निगम में पंजीकृत पात्र निविदादाताओं से ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जाती है, कार्यों का विवरण निम्नवत है- **कार्य का नामः** "प0 दीनदयाल उपाध्याय सूचना भवन" लखनऊ में कराये जाने वाले वी.आर.वी. / वी.आर.एफ. सिस्टम से "वातानुकूलन एवं मैकेनिकल वेंटीलेशन सिस्टम के आपूर्ति, स्थापन, परीक्षण तथा परिचालन के कार्य। **NIT नं. व दिनांक** : NIT No. 06/PM(E)/MKRSSEU/RNN/TENDER/19, Dated-30-11-2019 **कार्य की अनुमानित लागत (रु. लाख में)** : 4,35,43,736.00 **धरोहर धनराशि (रु. लाख में)** : 8,71,000.00 **कार्य पूर्ण करने की अवधि** : 03 माह **ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य समस्त कर सहित (रु.)** : 11,800.00 **ई-निविदा की तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय** दिनांक-21/12/2019 समय-03:30 अपराह्न।

ई-निविदा से सम्बधित सूचनायें, नियम / शर्तें, निविदा प्रपत्र तथा विवरण निगम की वेबसाइट **http://www.uprnn.co.in** व **http://etender.up.nic.in** पर उपलब्ध है।

COURT NOTICE
In the court of Sh. Ramesh Kumar JMIC ludhiana
Next date, purpose of case,orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO : PBLD03-017312-2018
NEXT DATE : 28-01-2020
KOTAK MAHINDRA BANK
V/S
JAYA CHANDRA SINHA LAL
Publication Issued To: Jaya Chandr Sinha Lal Address - R/o Babupali Mahada Barapali Bargarh, Bargarh Orissa
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 28-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana
Dated this day of 05/12/2019 JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
In The Court Of Sh. Ramesh Kumar JMIC Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO : PBLD03-017533-2018
NEXT DATE: 28-01-2020
KOTAK MAHINDRA BANK
V/S
SAGAR DAS
Publication Issued To: Sagar Das Address R/o At-kolar Tirtol, Dist Jagatsinghpur Orissa
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 28-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana
Dated this day of 05/12/2019 JMIC LUDHIANA

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
निविदा सूचना
अध्यक्ष, एएआई की ओर से एजीएम (ई-सी), एएआई, इम्फाल अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन द्वारा **"इम्फाल अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन में नई डीवीओआर का निर्माण (सिविल एवं वैद्युतिक कार्य)"** कार्य के लिए पात्र ठेकेदारों से ई-टेंडरिंग सीपीपी पोर्टल के जरिए मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती है। **आईडी सं. 2019_ एएआई_36441_1**: अनुमानित लागत **₹ 1,84,15,370.00 (सभी कर सहित परंतु जीएसटी रहित)**। कार्य पूरा करने की अवधि 10 (दस) महीने। बोली दस्तावेज डाउनलोड/बिक्री शुरू होने की तारीख 11.12.2019 को सुबह 09.30 बजे से तथा बोली जमा करने की अंतिम तारीख 26.12.2019 को शाम 6.00 बजे तक क्रमशः। और अधिक विवरण के लिए **https://etender.gov.in/eprocure/app** अथवा **www.aai.aero** देखें। इस संबंध में और अधिक स्पष्टीकरण/संशोधनी, यदि कोई हो, सिर्फ एएआई की वेबसाइट/सीपीपी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

एमटेक ऑटो लिमिटेड
(कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया के अंतर्गत एक कम्पनी)
CIN No: L27230HR1988PLC030333
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. 16, इंडस्ट्रियल इस्टेट, रोजका मेओ, सोहना, जिला मेवात- 122103 (हरियाणा)
कॉर्पोरेट कार्यालयः 3, एल.एस.सी., पम्पोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश 1, नई दिल्ली-110048
टेली.: +91-11-42344444, फैक्स नं.: +91-11-42344400
ई-मेलः rajeev.raj@amtek.com; वेबसाईटः www.amtek.com
ई-वोटिंग जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20(3)(V) के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों की 33वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') शुक्रवार, 27 दिसम्बर, 2019 को 10.30 पूर्वा. में प्लॉट नं. 16, इंडस्ट्रियल इस्टेट, रोजका मेओ, सोहना, मेवात-नूह, हरियाणा-122103 में आयोजित की जायेगी।
2. वार्षिक साधारण सभा की सूचना स्वीकृत पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर सभी सदस्यों को भेज दी गई है। एजीएम की सूचना का प्रेषण 4 दिसम्बर, 2019 को पूरा कर लिया गया है तथा वह कम्पनी की वेबसाईट www.amtek.com पर भी उपलब्ध है।
3. कट-ऑफ तिथि अर्थात् 20 दिसम्बर, 2019 को भौतिक पद्धति या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य एजीएम के किसी अन्यत्र स्थान से सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड (''सीडीएसएल'') की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (''रिमोट ई-वोटिंग'') द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

i. एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जा सकता है;
ii. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 24 दिसम्बर, 2019 (9.00 बजे पूर्वा. आईएसटी) में शुरू होगी।
iii. रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, 26 दिसम्बर, 2019 (5.00 बजे अप. आईएसटी) में बंद होगी।
iv. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने की कट-ऑफ तिथि 20 दिसम्बर, 2019 है;
v. 26 दिसम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप-आईएसटी के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जोयगी।
vi. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 20 दिसम्बर, 2019 को शेयरधारित करते हैं वे beetalrta@gmail.com helpdesk.evoting@cdsl.india.com पर अनुरोध भेजकर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, वे यदि ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो अपना मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
vii. सदस्यगण ध्यान रखें किः क) 26 दिसम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी; ख) एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी; ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन, फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे, तथा घ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज होंगे, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ मत पत्र द्वारा एजीएम में मतदान करने के लिये अधिकृत होंगे।
viii) एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.amtek.com तथा साथ ही सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।
ix) ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्नों अथवा मुद्दों के लिये सदस्य Frequently Asked Questions ("FAQ") तथा www.evotingindia.com पर सदस्यों के लिये ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें। ई-वोटिंग से संबंधित सभी पत्राचार, यदि कोई हो अधोलिखित को संबोधित करेंः

एमटेक ऑटो लिमिटेड, 3, लोकल शॉपिंग सेन्टर, पम्पोश एन्कक्लेव, जी.के.-1, नई दिल्ली-110048 ईमेलः investors.relation@amtek.com श्री राजीव राज कु मार (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)	मै. बीटल फाइनांसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेस (पी) लिमिटेड 'बीटल हाउस', 3रा तल, 99, मदनगीर, एल.एस.सी. के पीछे, दादा हरसुख दास मंदिर के निकट, नई दिल्ली-110062 श्री पुनीत मित्तल फोन नं. 011-29961281-83 फैक्स नं. 011-29961284 ई-मेलः beetalrta@gmail.com, वेबसाईटः www.beetalfinancial.com	सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया लिमिटेड, ए-विंग 25वां तल, मैराथन फ्युचुरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई), मुम्बई-400013 श्री राकेश डाल्वी फोन नं. 1800225533 ईमेलः helpdesk.evoting@cdslindia.com

पुस्तक बंद होने की सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा लागू होने वाले नियमों के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें मंगलवार, 24 दिसम्बर, 2019 से शुक्रवार, 27 दिसम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक उक्त वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

एमटेक ऑटो लिमिटेड के लिये
(कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया के अंतर्गत कम्पनी)
राजीव राज कुमार
जीएम (लीगल एवं कम्पनी सचिव)
दिनकट टी. वेंकटसुब्रमनियन (रिजॉल्यूशन कर्मी) की अनुमति से जारी
आईपी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00003/2016-17/10011

(एमटेक ऑटो लिमिटेड अभी दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के अधीन है। उसके क्रियाकलापों, व्यवसाय तथा परिसम्पत्तियों का प्रबंध प्रस्तावकर्मी, श्री दिनकर टी. वेंकटसुब्रमनियन जिन्हें 27 जुलाई, 2017 के आदेश द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि प्राधिकरण द्वारा अंतरिम प्रस्ताव कर्मी नियुक्त किया गया है तथा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत 22 अगस्त, 2017 को आयोजित उनकी बैठक में क्रेडीटरों की समिति द्वारा प्रस्ताव कर्मी के रूप में कायम रखा गया है, के द्वारा निष्पादित किया जाता है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक
पंजाबी बाग शाखा (0687), 1/52, नार्थ एवैन्यू रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत ऋणधारक/मॉर्टगेजर/गारंटरों के लिए मांग सूचना
स्थानः पंजाबी बाग, नई दिल्ली तिथिः 24.9.2019

क्रम सं.	ऋणधारक	क्रम सं.	गारन्टरों
1.	सरबजीत सिंह, मकान सं. 18, ब्लॉक ई, सेक्टर 13, रोहिणी, नई दिल्ली/85	2.	एन ए

प्रिय महोदय/महोदया
संदर्भः इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाबी बाग शाखा में आपकी साख सुविधाएं
1. आप, हमारे बैंक के ऊपर नामित ऋणधारक ने हमारी पंजाबी बाग शाखा से निम्न साख सुविधाएं प्राप्त की हैं। विशिष्ट बकाए के साथ साख सुविधाओं का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	साख का प्रकार	सीमा	ब्याज दर (अधिशेष ब्याज सहित) एवं रेस्ट्स	24.9.2019 को कुल बकाया
1.	सावधि ऋण (फोर व्हीलर) ऋण सं. 068703452000035	रु. 24,50,000/- (रुपए चौबीस लाख पचास हजार मात्र)	9.3%	रु. 24,13,156/- (रुपये चौबीस लाख तेरह हजार एक सौ छप्पन मात्र) + अन्डेविटेक ब्याज+दंड ब्याज (यदि कोई हो)
			कुल	रु. 24,13,156/- (रुपये चौबीस लाख तेरह हजार एक सौ छप्पन मात्र) + अन्डेविटेक ब्याज+दंड ब्याज (यदि कोई हो)

क्रम सं. 1 अंतर्गत वर्णित ऊपर नामित ऋणधारक ने डीड ऑफ हाइपोथेकेशन तिथि 21.10.2018 निष्पादित किया है तथा उसके द्वारा स्वीकृत ब्याज, चार्जेज आदि के साथ सीमाओं के लिये ऋणधारकों द्वारा जब और जैसे या जिस समय वह देख हो, इंडियन ओवरसीज बैंक के सभी देयताओं का भुगतान करने तथा दायित्वों एवं देयताओं को निष्पादित करने का निष्पादित करने का गारंटी दिया है। यह साख सुविधाऐं ऋणधारक सं. 1 के नाम की सम्पत्ति के हाइपोथेकेशन द्वारा ऊपर नीचे वर्णित सम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत हैं।

समय- समय पर आपने आपके द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से यहां ऊपर वर्णित देयताओं को स्वीकार किया है।

2. उपरोक्त साख सुविधाओं के लिए बैंक के पक्ष में प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार हैः

प्रतिभूति का प्रकार	प्रतिभूतियों का विवरण
1. हाइपोथेकेशन	व्हीकल जीप कम्पास हाइपोथेकेशन पंजीकरण सं. DL2CAZ3598 चैसिस सं. MCANJPCY9KFA41187*9J इंजिन नं. 4025551

3. स्वीकृत शर्तों के अनुसार मूलधन ऋण/ ब्याज के भुगतान में ऊपर नामित ऋणधारकों द्वारा की गई चूक के ऊपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों तथा निर्देशों के अनुसार 31.8.2019 (एनपीए के रूप में वर्गीकरण की तिथि) को ऊपर वर्णित ऋण खाता को गैर- प्रचालन संपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आपकी खाता को नियमित करने के लिए हमारे द्वारा आपको बार-बार स्मरण दिलाए जाने के बावजूद आपने उस पर ब्याज सहित अधिशेष ऋणों को पुनर्भुगतान नहीं किया है।
4. क्यूं कि क्रम सं. 1 के अंतर्गत वर्णित आप ऊपर नामित ऋणधारक ऊपर वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों के द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में देयताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं तथा आपकी खाता का गैर-प्रचालन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकरण के उपरांत हम एतद् द्वारा आप क्रम सं. 1 को दी गई अपनी अग्रिमों को वापस लेते हैं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आपको सूचित करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित तिथि से आगे के ब्याज के साथ ऊपर पैरा 1 में वर्णित रु. 24,13,156/- (रुपये चौबीस लाख तेरह हजार एक सौ छप्पन मात्र)+अन्डेविटेक ब्याज+दंड ब्याज (यदि कोई हो) की कुल राशि का बैंक को भुगतान कर अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करें।
5. क्रम सं. 1 के अंतर्गत वर्णित ऊपर नामित ऋणधारक ने ऋणधारकों द्वारा प्राप्त की गई साख सुविधाओं के पुनर्भुगतान/ गारंटी का वचन दिया है तथा साथ ही उपरोक्त साख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए यहां वर्णित संपत्तियों को मॉर्टगेज किया है। चूंकि, ऋणधारक ने पुनर्भुगतान में चूक की है, गारंटी की शर्तों के अनुसार मार्टगेजर/ गारंटर नं. हमें गारन्टी की शर्तों के अनुसार रु. 24,13,156/- (रुपये चौबीस लाख तेरह हजार एक सौ छप्पन मात्र)+अन्डेविटेक ब्याज+दंड ब्याज (यदि कोई हो) की ऋण/ साख सुविधाओं के अनुसार बैंक की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं तथा हम श्री सरबजीत सिंह के लिए गारंटी को रद्द करते हैं तथा आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करें। कृपया अवगत हो लें कि गारंटर का दायित्व ऋणधारक के दायित्व जैसा ही व्यापक होता है।
6. हम, पुनः श्री सरबजीत सिंह को सूचित करते हैं कि भुगतान की तिथि तक ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ उक्त संपूर्ण राशि के भुगतान में विफल होने पर हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत हम कानून में निहित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे।
7. कृपया ध्यान रहे कि ऋणधारक तथा गारंटर आगे के ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ बकाए का भुगतान करने के लिए पृथक अथवा संयुक्त रूप से कानूनी तौर पर उत्तरदायी हैं।
8. कृप्या ध्यान रहे कि संपूर्ण भुगतान तक प्रत्येक साख सुविधाओं के लिए स्वीकृत दरों तथा रेस्ट्स पर ब्याज बढ़ती रहेगी।
9. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण/ स्वत्व-त्याग/ स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली में शामिल प्रावधानों का गैर-अनुपालन/ उल्लंघन एक अपराध है जिसके लिए अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत कैद एवं/ अथवा जुर्माने का प्रावधान है।
10. क्रम सं. 1 के अंतर्गत वर्णित ऋणधारक ने उक्त ऋणधारकों की ऋण को प्रतिभूत करने के लिए डीड ऑफ हापोथेकेशन निष्पादित किया है और इस प्रकार हम आपको सलाह देते हैं कि हमारी मांग के अनुसार बकाए का भुगतान करने के लिए ऋणधारकों पर दबाव डालें क्योंकि आपकी व्यक्तिगत गारंटी पर आधारित हमारे बकाए की वसूली के लिए हमें कानून के अनुसार साथ-साथ आपके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार प्राप्त है।
11. साथ ही, हम आप सभी को यह भी सूचित करते हैं कि यदि निर्धारित समय में खाता को नियमित नहीं किया गया/ बकाए का भुगतान नहीं किया गया तथा यदि भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा आपको जान-बूझकर चूककर्ता घोषित कर दिया गया तो बैंक को आपके नाम, पते, चूक के विवरणों, बकायों आदि के साथ वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध सभी उपायों को शुरू करने के अतिरिक्त भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार समाचार पत्र(त्रों) में आपके फोटोग्राफ को प्रकाशित कराने का अधिकार प्राप्त है।
12. हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह-रहित है तथा इसे उक्त बकाए की वसूली के साथ ही साथ आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय राशि के संदर्भ में आगे पुनः मांग करने के किसी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों के छूट के रूप में नहीं माना जाए।
13. पुनः आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन, ओवरसीज बैंक

इण्डियन ओवरसीज बैंक
पंजाबी बाग शाखा (0687), 1/52, नार्थ एवैन्यू रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत ऋणधारक/मॉर्टगेजर/गारंटरों के लिए मांग सूचना
स्थानः पंजाबी बाग, नई दिल्ली तिथिः 5.10.2019

क्रम सं.	ऋणधारक	क्रम सं.	गारन्टरों
1.	धीरज बोहरा, 694, डा. मुखर्जी नगर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली- 110009	2.	एन ए

प्रिय महोदय/महोदया
संदर्भः इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाबी बाग शाखा में आपकी साख सुविधाएं
1. आप, हमारे बैंक के ऊपर नामित ऋणधारक ने हमारी पंजाबी बाग शाखा से निम्न साख सुविधाएं प्राप्त की हैं। विशिष्ट बकाए के साथ साख सुविधाओं का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	साख का प्रकार	सीमा	ब्याज दर (अधिशेष ब्याज सहित) एवं रेस्ट्स	5.10.2019 को कुल बकाया
1.	सावधि ऋण (फोर व्हीलर) ऋण सं. 068703452000065	रु. 35,00,000/- (रुपए पैंतीस लाख मात्र)	9.15%	रु. 36,07,932/- (रुपये छत्तीस लाख सात हजार नौ सौ बत्तीस मात्र) + अन्डेविटेक ब्याज+दंड ब्याज (यदि कोई हो)
			कुल	रु. 36,07,932/- (रुपये छत्तीस लाख सात हजार नौ सौ बत्तीस मात्र) + अन्डेविटेक ब्याज+दंड ब्याज (यदि कोई हो)

क्रम सं. 1 अंतर्गत वर्णित ऊपर नामित ऋणधारक ने डीड ऑफ हाइपोथेकेशन तिथि 24.4.2019 निष्पादित किया है तथा उसके द्वारा स्वीकृत ब्याज, चार्जेज आदि के साथ सीमाओं के लिये ऋणधारकों द्वारा जब और जैसे या जिस समय वह देख हो, इंडियन ओवरसीज बैंक के सभी देयताओं का भुगतान करने तथा दायित्वों एवं देयताओं को निष्पादित करने का निष्पादित करने का गारंटी दिया है। यह साख सुविधाऐं ऋणधारक सं. 1 के नाम की सम्पत्ति के हाइपोथेकेशन द्वारा ऊपर नीचे वर्णित सम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत हैं।

समय- समय पर आपने आपके द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से यहां ऊपर वर्णित देयताओं को स्वीकार किया है।

2. उपरोक्त साख सुविधाओं के लिए बैंक के पक्ष में प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार हैः

प्रतिभूति का प्रकार	प्रतिभूतियों का विवरण
अधोलिखित विवरणों के अनुसार फोर व्हीलर का हाइपोथेकेशन	
पंजीकरण सं.	DL10CM5828
चैसिस नं.	MAJAXXMRWAKE73635
इंजिन नं.	KE73635

3. स्वीकृत शर्तों के अनुसार मूलधन ऋण/ ब्याज के भुगतान में ऊपर नामित ऋणधारकों द्वारा की गई चूक के ऊपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों तथा निर्देशों के अनुसार 30.9.2019 (एनपीए के रूप में वर्गीकरण की तिथि) को ऊपर वर्णित ऋण खाता को गैर- प्रचालन संपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आपकी खाता को नियमित करने के लिए हमारे द्वारा आपको बार-बार स्मरण दिलाए जाने के बावजूद आपने उस पर ब्याज सहित अधिशेष ऋणों को पुनर्भुगतान नहीं किया है।
4. क्यूं कि क्रम सं. 1 के अंतर्गत वर्णित आप ऊपर नामित ऋणधारक ऊपर वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों के द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में देयताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं तथा आपकी खाता का गैर-प्रचालन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकरण के उपरांत हम एतद् द्वारा आप क्रम सं. 1 को दी गई अपनी अग्रिमों को वापस लेते हैं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आपको सूचित करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित तिथि से आगे के ब्याज के साथ ऊपर पैरा 1 में वर्णित रु. 36,07,932/- (रुपये छत्तीस लाख सात हजार नौ सौ बत्तीस मात्र) की कुल राशि का बैंक को भुगतान कर अपनी संपूर्ण देयताओं तथा अन्डेविटेड ब्याज= + दंड ब्याज की देयताओं को निष्पादित करें।
5. क्रम सं. 1 के अंतर्गत वर्णित ऊपर नामित ऋणधारक ने ऋणधारकों द्वारा प्राप्त की गई साख सुविधाओं के पुनर्भुगतान/ गारंटी का वचन दिया है तथा साथ ही उपरोक्त साख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए यहां वर्णित संपत्तियों को मॉर्टगेज किया है। चूंकि, ऋणधारक ने पुनर्भुगतान में चूक की है, गारंटी की शर्तों के अनुसार मार्टगेजर/ गारंटर नं. हमें गारन्टी की शर्तों के अनुसार रु. 36,07,932/- (रुपये छत्तीस लाख सात हजार नौ सौ बत्तीस मात्र) अन्डेविटेड ब्याज= + दंड ब्याज की ऋण/ साख सुविधाओं के अनुसार बैंक की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं तथा हम श्री धीरज बोहरा के लिए गारंटी को रद्द करते हैं तथा आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करें। कृपया अवगत हो लें कि गारंटर का दायित्व ऋणधारक के दायित्व जैसा ही व्यापक होता है।
6. हम, पुनः श्री धीरज बोहरा को सूचित करते हैं कि भुगतान की तिथि तक ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ उक्त संपूर्ण राशि के भुगतान में विफल होने पर हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत हम कानून में निहित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे।
7. कृपया ध्यान रहे कि ऋणधारक तथा गारंटर आगे के ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ बकाए का भुगतान करने के लिए पृथक अथवा संयुक्त रूप से कानूनी तौर पर उत्तरदायी हैं।
8. कृप्या ध्यान रहे कि संपूर्ण भुगतान तक प्रत्येक साख सुविधाओं के लिए स्वीकृत दरों तथा रेस्ट्स पर ब्याज बढ़ती रहेगी।
9. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण/ स्वत्व-त्याग/ स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली में शामिल प्रावधानों का गैर-अनुपालन/ उल्लंघन एक अपराध है जिसके लिए अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत कैद एवं/ अथवा जुर्माने का प्रावधान है।
10. क्रम सं. 1 के अंतर्गत वर्णित ऋणधारक ने उक्त ऋणधारकों की ऋण को प्रतिभूत करने के लिए डीड ऑफ हापोथेकेशन निष्पादित किया है और इस प्रकार हम आपको सलाह देते हैं कि हमारी मांग के अनुसार बकाए का भुगतान करने के लिए ऋणधारकों पर दबाव डालें क्योंकि आपकी व्यक्तिगत गारंटी पर आधारित हमारे बकाए की वसूली के लिए हमें कानून के अनुसार साथ-साथ आपके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार प्राप्त है।
11. साथ ही, हम आप सभी को यह भी सूचित करते हैं कि यदि निर्धारित समय में खाता को नियमित नहीं किया गया/ बकाए का भुगतान नहीं किया गया तथा यदि भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा आपको जान-बूझकर चूककर्ता घोषित कर दिया गया तो बैंक को आपके नाम, पते, चूक के विवरणों, बकायों आदि के साथ वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध सभी उपायों को शुरू करने के अतिरिक्त भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार समाचार पत्र(त्रों) में आपके फोटोग्राफ को प्रकाशित कराने का अधिकार प्राप्त है।
12. हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह-रहित है तथा इसे उक्त बकाए की वसूली के साथ ही साथ आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय राशि के संदर्भ में आगे पुनः मांग करने के किसी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों के छूट के रूप में नहीं माना जाए।
13. पुनः आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन ओवरसीज बैंक

www.readwhere.com

एन एच पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

(सीआईएन: L40101HR1975GOI032564)
पंजीकृत कार्यालय: एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
वेबसाइट www.nhpcindia.com, टेलीफैक्स : 0129-2276018, ई-मेल: companysecretary@nhpc.nic.in

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित बॉण्ड-धारक(कों) को जारी किए गए बॉण्ड प्रमाणपत्र के खो जाने/गुम होने की रिपोर्ट की गई है और बॉण्ड धारक(कों) द्वारा कम्पनी को डुप्लिकेट बॉण्ड प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन किया गया है।

क्र. सं.	बॉण्ड धारक(कों) का नाम	फोलियो संख्या	बान्ड प्रमाणपत्र संख्या	बान्ड की संख्या	विशिष्ट संख्या
1.	श्रीमती सुरभि मिश्रा श्रीमती उर्मिला मिश्रा श्री विजय कुमार मिश्रा	NHA0400007	400007	200	2406-2605

यदि किसी भी व्यक्ति का उपरोक्त बॉण्ड प्रमाण पत्र पर कोई भी दावा हो, तो वह इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर अपना दावा कंपनी के उपरोक्त उल्लेखित पते पर भेज सकता है। यदि इस अवधि के दौरान ऐसा कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी अन्य कोई सूचना दिए बगैर डुप्लिकेट बॉण्ड प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। कथित सूचना अवधि की समाप्ति के बाद कंपनी किसी भी दावे/आपत्ति पर विचार नहीं करेगी और न ही किसी हानि या क्षति के लिए जिम्मेदार होगी।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए और उनकी ओर से
हस्ता./-
स्थान: फरीदाबाद (विजय गुप्ता)
दिनांक: 10.12.2019 कंपनी सचिव

फॉर्म-ए
सार्वजनिक घोषणा
भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड
(कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

स्वास्तिक एक्वा लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानाकर्षण हेतु

	प्रासंगिक विवरण	
1	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	स्वास्तिक एक्वा लिमिटेड
2	कॉर्पोरेट ऋणी के गठन की तिथि	11-06-2004
3	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणी गठित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4	कॉर्पोरेट ऋणी की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी संख्या/सीमित देयता पहचान संख्या	U15543DL2004PLC126891
5	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकरण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	प्लॉट नं. एफ-64/37, भूतल, उत्तरी गति, कटवारिया सराय, नई दिल्ली 110016 मुख्य कार्यालय : प्लॉट नं २४, २५, २६, २७ और ४५ टाटीसिलवे इंडस्ट्रियल एरिया फेज-II, गांव चतरा, तालुका-अंगारा, जिला रांची, झारखण्ड
6	कॉर्पोरेट ऋणी के सम्बन्ध में दिवाला आरम्भ तिथि	09 दिसम्बर, 2019
7	दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख	05 जून, 2020
8	अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम, पता, ई-मेल पता और पंजीकरण क्रमांक	नाम: पूजा बाहरी आईपी पंजीकरण नं. IBBI/IPA-003/IP-N00007/2016-2017/10063
9	अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ईमेल पता जो समिति के पास पंजीकृत हो	पता: 59/27, प्रभात रोड, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली – 110005 ई-मेल : pujabahry@yahoo.com
10	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई-मेल	पता: 59/27, प्रभात रोड, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली – 110005 ई-मेल : rp.swastikaqua@gmail.com
11	दावों के निवेदन की अंतिम तिथि	23 दिसम्बर, 2019
12	धारा 21 के उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों की कक्षाएं, यदि कोई हों, अंतरिम संकल्प पेशेवर द्वारा निर्धारित	आईआरपी के साथ उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं है
13	दिवालियापन पेशेवरों के नाम एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने जाते हैं (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	आईआरपी के साथ उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं है
14	(क) प्रासंगिक फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	(क) प्रासंगिक फार्म https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ख) भौतिक पता: लागू नहीं

इस प्रकार नोटिस दिया गया है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नई दिल्ली-V ने **दिसम्बर 09, 2019** को **स्वास्तिक एक्वा लिमिटेड** के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
स्वास्तिक एक्वा लिमिटेड के क्रेडिटर्स को **दिसम्बर 23, 2019** को या उससे पहले अपने दावों का सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जो एंट्री न. 10 में उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को देना है। वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों से दावों का सबूत जमा करेंगे। अन्य लेनदारों समेत परिचालन लेनदारों को पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा या व्यक्तिगत रूप से दावों का सबूत जमा कर सकते हैं।
दावे के झूठे या भ्रामक सबूत जमा करने से जुर्माना आकर्षित होगा।

हस्ता/-
पूजा बाहरी,
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल्स
तिथि: 11.12.2019 पंजीकरण नं. IBBI/IPA-003/IP-N00007/2016-2017/10063
स्थान: नई दिल्ली 59/27, प्रभात रोड, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005,
फोन : 9811071716

सर शादी लाल एण्टरप्राईजेज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय– 4अ, हन्सालय, 15, बाराखम्बा रोड नई दिल्ली– 110001 सीन न0 : L51909DL1933PLC009509
ई–मेल : udsm_shamli@sirshadilal.com, वेब साईट : www.sirshadilal.com
टेलीफोन न0 011–23316409, 23310414, फैक्स न0 011– 23322473

डाक मतपत्र के परिणाम की घोषणा के लिए सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत नियमों के अनुसार और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 44, के तहत कंपनी ने डाक मतपत्र / ई–वोटिंग माध्यम से सदस्यों की स्वीकृति के लिए आग्रह किया था। कंपनी ने 05 नवंबर, 2019 को डाक मतपत्र सूचना में प्रस्तावित विशेष विनियमों पर इलेक्ट्रॉनिक वोट या डाक मतपत्रों के माध्यम से उन्हें वोट डालने की सुविधा प्रदान की थी। निदेशक मंडल ने डाक मतपत्र और ई–वोटिंग के संचालन के लिए एक कार्यरत कंपनी सचिव श्री सुनील के जैन, प्रो० मैसर्स सुनील के जैन एंड एसोसिएट्स को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। पर्यवेक्षक ने सभी डाक मतपत्र की गणना की और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के परिणाम प्रप्ति की अंतिम तिथि यानी 08 दिसंबर, 2019 को शाम 5.00 बजे तक प्राप्त किए और 10 दिसंबर, 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। डाक मतपत्र और ई–वोटिंग का परिणाम निम्नानुसार है:

विषय संख्या	प्रस्ताव का विवरण	प्रस्ताव का प्रकार	समेकित (पोस्टल बैलेट फॉर्म के जरिए ई–वोटिंग और वोटिंग)					
			मतों की संखा	वोट का पक्ष मे मत	वोट का विरोध मे मत	% वोट का पक्षं में	% वोट का विरोध मे	चाहे प्रस्ताव पारित हो या खारिज
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश मे पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण	विशेष प्रस्ताव	1537768	1537239	529	99.97	0.03	पारित

बैध मतों के आधार पर पक्ष और विपक्ष के मतों की गणना की गई। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ डाक मतपत्र का परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.sirshadilal.com पर उपलब्ध किया गया हैं और बीएसई लिमिटेड को भी सूचित किया गया हैं।

सर शादी लाल एण्टरप्राईजेंज लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
स्थान : नई दिल्ली **(अजय कुमार जैन)**
दिनांक : 10.12.2019 कंपनी सचिव

इलाहाबाद बैंक
शाखा : हापुड़

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी, इलाहाबाद बैंक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54 के अधीन और धारा 13(12) तथा सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उधारकर्ता / जमानतकर्ता का विवरण नीचे दिये गये कॉलम में सूचना में उल्लिखित रकम का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए बुलाते हुए एक मांग देय सूचना दिनांक को जारी किया।

उधारकर्ता / जमानतकर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उधारकर्ता और आम लोगों को यह नोटिस दिया जा रहा है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति पर दिनांक से **कब्जा** कर लिया है।

ऋणी को विशेष रूप से और लोक को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति से संव्यवहार न करने के लिए सावधान किया जाता है और सम्पत्ति का कोई संव्यवहार इलाहाबाद बैंक के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता / गारंटीकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी / गारंटर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	कब्जा नोटिस की तारीख	बकाया राशि
ऋणकर्ता: 1 **श्रीमती बृजेश त्यागी पत्नी श्री विजेन्द्र कुमार त्यागी** निवासी ए 829 संजय विहार, आवास विकास कॉलोनी मेरठ रोड हापुड़, यूपी 245101 2. **श्री अशोक कुमार त्यागी पुत्र श्री विजेन्द्र कुमार त्यागी** निवासी ए 829 संजय विहार, आवास विकास कॉलोनी मेरठ रोड हापुड़, यूपी 245101 3. **श्री राहुल त्यागी पुत्र श्री विजेन्द्र कुमार त्यागी प्रोपराइटर मैसर्स भगवती सीमेंट ट्रेडर्स** निवासी ए 829 संजय विहार, आवास विकास कॉलोनी मेरठ रोड हापुड़, यूपी 245101 4. **मैसर्स भगवती सीमेंट ट्रेडर्स** सी 2 संजय विहार मिशन स्कूल के सामने हापुड़, यूपी	1. एक आवासीय प्लाट जो प्लॉट नं ए 808 का हिस्सा क्षेत्रफल पूर्व की ओर 17.20 मीटर, पश्चिम की ओर 7.40 मीटर उत्तर की ओर 18.10 मीटर और दक्षिण की ओर 15 मीटर कुल क्षेत्रफल 184.50 वर्ग मीटर स्थित संजय विहार, आवास विकास कॉलोनी मेरठ रोड तहसील और जिला हापुड़। सीमायें– पूर्व: प्लॉट नंबर ए 798 और ए 799 पश्चिम: सड़क 9 मीटर चौड़ी उत्तर: मकान नंबर ए 809 दक्षिण: मकान नंबर ए 807 **मालिक / बंधककर्ता / गारंटर: श्रीमती बृजेश त्यागी पत्नी श्री विजेन्द्र कुमार त्यागी** निवासी ए 829 संजय विहार, आवास विकास कॉलोनी मेरठ रोड हापुड़, यूपी 245101 2. एक वाणिज्यिक भूमि / प्लाट प्लॉट नं. सी 9 का हिस्सा क्षेत्रफल पूर्व की ओर 7.85 मीटर, पश्चिम की ओर 8.75 मीटर उत्तर की ओर 7.54 मीटर और दक्षिण की ओर 7.54 मीटर कुल क्षेत्रफल 82.58 वर्ग मीटर स्थित संजय विहार, आवास विकास कॉलोनी मेरठ रोड तहसील और जिला हापुड़। सीमायें– पूर्व: प्लॉट नंबर सी 9 का शेष भाग पश्चिम: भूमि / अन्य की सम्पत्ति उत्तर: अन्य की सम्पत्ति दक्षिण: मुख्य मेरठ **मालिक / बंधककर्ता / गारंटर: श्रीमती बृजेश त्यागी पत्नी श्री विजेन्द्र कुमार त्यागी निवासी** ए 829 संजय विहार, आवास विकास कॉलोनी मेरठ रोड हापुड़, यूपी 245101 3. एक निजी प्लॉट नंबर 4, 5 और 6 जो कि खसरा नंबर 426 एम आई का हिस्सा कुल क्षेत्रफल 283.49 वर्गगज स्थित मौहल्ला अर्जुन नगर ग्राम चमरी तहसील और जिला हापुड़ सीमायें–पूर्व: कपाल सिंह का मकान पश्चिम: रास्ता 17'–9' उत्तर: खेम सिंह का प्लॉट दक्षिण: श्रीमती दर्वेद्री पत्नी हरेंद्र का प्राइवेट प्लॉट नंबर / **मालिक / बंधककर्ता / गारंटर: श्री अशोक कुमार त्यागी पुत्र श्री विजेन्द्र कुमार त्यागी** निवासी ए 829 संजय विहार, आवास विकास कॉलोनी मेरठ रोड हापुड़, यूपी 245101	21.03.2019	06.12.2019	रू 99,21,259.00 + ब्याज व अन्य खर्चे
ऋणकर्ता: मैसर्स राधिका ट्रेडर्स 1. श्रीमती रिंकी गोयल विधवा स्वर्गीय श्री आशु गोयल (श्री आशु गोयल के कानूनी वारिस) 2. मिस राधिका गोयल पुत्री स्वर्गीय श्री आशु गोयल (श्री आशु गोयल की कानूनी वारिस) 3. मिस वैष्णवी गोयल पुत्री स्वर्गीय श्री आशु गोयल (श्री आशु गोयल की कानूनी वारिस) 4. मिस अनवी गोयल पुत्री स्वर्गीय श्री आशु गोयल (श्री आशु गोयल की कानूनी वारिस) 5. मास्टर अमय गोयल पुत्री स्वर्गीय श्री आशु गोयल (श्री आशु गोयल के कानूनी वारिस) उपरोक्त सभी नाबालिगों (क्रम संख्या 2 से 5) अपनी वास्तविक माँ और प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती रिंकी गोयल के माध्यम से सभी निवासी मकान नं. 25 माहेश्वरी मंदिर के पास, आर्य नगर, हापुड़, यूपी 245101 6. मैसर्स राधिका ट्रेडर्स, मकान नंबर 25, माहेश्वरी मंदिर के पास, आर्य नगर, हापुड़, यूपी 245101 **गारंटर: 1. श्री उत्तम चंद गोयल पुत्र स्वर्गीय श्री कैलाश चंद गोयल** निवासी मकान संख्या 25 महेश्वरी मंदिर के पास, आर्य नगर, हापुड़, यूपी 245101	आवासीय मकान नं. 229, प्लॉट नंबर 17 खसरा नंबर 64 स्थित मौहल्ला प्रेमपुरा (लाललिया मार्केट) पक्का बाग, तहसील और जिला हापुड़, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज सीमायें–पूर्व: आवासक पश्चिम: सड़क उत्तर: प्लॉट नं 16 दक्षिण: प्लॉट नंबर 18 **मालिक / बंधककर्ता / गारंटर: स्वर्गीय श्री आशु गोयल पुत्र श्री उत्तम चंद गोयल** निवासी म. नं. 25, माहेश्वरी मंदिर के पास, आर्य नगर, हापुड़, यूपी 245101	29.05.2019	06.12.2019	रू 53,45,084.00 + ब्याज व अन्य खर्चे
ऋणकर्ता:1. श्री सोहन पाल पुत्र श्री इंदर पाल निवासी 562 / 10 न्यू गणेशपुरा, पीरवाली गली, हापुड़ यूपी 245101 2. **श्री बीरपाल पुत्र श्री करण सिंह** निवासी गली नंबर 12 चमरी रोड लज्जापुरी हापुड़, 3. **श्री देवी सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह** निवासी ग्राम काठी खेड़ा, तेह. कपालंड हापुड़ 4. **श्री लाला कुमार पुत्र गंगा दास** निवासी 187, संजय कॉलोनी, आदर्श नगर, मोदी नगर रोड, हापुड़	एक आवासीय प्लाट / भवन, स्थित ग्राम चमरी परगना तहसील और जिला हापुड़ नगरपालिका हापुड़ की सीमा में कुल क्षेत्रफल 99.74 वर्ग गज खसरा नंबर 262 का भाग ग्राम चमरी (खरीदे गए और सुधार की दो भागों में दिखाया गया भाग क्षेत्रफल पूर्व की ओर 4', पश्चिम की ओर 4', उत्तर 30', दक्षिण 30' कुल क्षेत्रफल 13.33 वर्ग गज सहित हुए भूमि मानचित्र में भाग की क्षेत्रफल जिसमें पूर्व की ओर 61', पश्चिम की ओर 25'6", कुल क्षेत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल करके आधा पहली भुजा दूसरी भुजा =86.41 वर्ग गज और दोनों भागों का कुल क्षेत्रफल 99.74 वर्ग गज सीमायें– पूर्व: खाली प्लॉट, अनाया की भूमि पश्चिम: रास्ता उत्तर: लाल सिंह का मकान दक्षिण: नाला **मालिक / बंधककर्ता: श्री सोहन पाल पुत्र श्री इंदर पाल** निवासी 562 / 10 न्यू गणेशपुरा पीरवाली गली हापुड़ यूपी. 245101	14.12.2018	06.12.2019	रू 7,51,948.00 + ब्याज व अन्य खर्चे

दिनांक– 10.12.2019 **स्थान – हापुड़** **प्राधिकृत अधिकारी**

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India
पीलीभीत शाखा
कब्जा नोटिस

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **बैंक ऑफ इण्डिया, पीलीभीत शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **10.06.2019** को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता **श्री सामी उर रहमान पुत्र स्व. श्री हबिब उर रहमान प्रोप. मैसर्स अमर कॉन्स्ट्रेक्शन असम चौराहा बिसलपुर रोड़, पीलीभीत, जिला पीलीभीत-262001 (यू.पी.) और श्री शोएब उर रहमान पुत्र हबिब उर रहमान मकान नम्बर-143 मौहल्ला मौहम्मद वासिल, पीलीभीत-262001, श्री मुजिब उर रहमान पुत्र हबिब उर रहमान और श्री फारिद उर रहमान पुत्र हबिब उर रहमान** गारंटर को मांग नोटिस में वर्णित ऋण की राशि **रू. 8,24,536. 56(आठ लाख चौबीस हजार पांच सौ छत्तीस व छप्पन पैसे)**+ ब्याज और अन्य खर्चों डब्लूईएफ 31.12.2016 सहित को नोटिस दिए जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **06.12.2019** को निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **बैंक ऑफ इण्डिया** को देय धनराशि **रू. 8,24,536.56 (आठ लाख चौबीस हजार पांच सौ छत्तीस व छप्पन पैसे)**+ ब्याज और अन्य खर्चों सहित देना होगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप-भाग (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उपलब्ध संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आमंत्रित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

वह सम्पूर्ण आवसीय सम्पत्ति जो सर्वे नमबर-1244/2 गांव पकारिया चुंगी चौक मुस्तकिल पीलीभीत में नौघवन आउटसाइड (एम.बी.) चुंगी चौक मुस्तकील पीलीभीत श्री शोएब उर रहमान, श्री मुजिब उर रहमान, सामी उर रहमान और फारीद उर रहमान (क्षेत्रफल 769.18 वर्ग मीटर) के नाम है। जिसकी सीमाऐं: पूर्व की ओर: स्वयं की सम्पत्ति, पश्चिम की ओर: स्वयं की सम्पत्ति, उत्तर की ओर: स्वयं की सम्पत्ति और सड़क, दक्षिण की ओर: स्वयं का प्लाट और चुन्ना खान का प्लाट

दिनांक: 06.12.2019 स्थान: पीलीभीत **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया**

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India
पीलीभीत शाखा
कब्जा नोटिस

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **बैंक ऑफ इण्डिया, पीलीभीत शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **10.06.2019** को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता **श्रीमति नरगिस सामी उर्फ नरगिस जाफरी प्रोप. मैसर्स अमर इन्टर प्राइजेज असम चौराहा बिसलपुर रोड़, पीलीभीत, जिला पीलीभीत-262001 (यू.पी.) और श्रीमति नरगिस सामी उर्फ नरगिस जाफरी मकान नम्बर-143 मौहल्ला मौहम्मद वासिल, पीलीभीत-262001, श्री शोएब उर रहमान पुत्र हबिब उर रहमान, श्री मुजिब उर रहमान पुत्र हबिब उर रहमान, श्री सामी उर रहमान पुत्र हबिब उर रहमान और श्री फारिद उर रहमान पुत्र हबिब उर रहमान** गारंटर को मांग नोटिस में वर्णित ऋण की राशि **रू. 4,75,944, 17(चार लाख पिचत्तर हजार नौ सौ चौवालीस व सतरह पैसे)**+ ब्याज और अन्य खर्चों डब्लूईएफ 31.12.2016 सहित को नोटिस दिए जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **06.12.2019** को निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **बैंक ऑफ इण्डिया** को देय धनराशि **रू. 4,75,944.17(चार लाख पिचत्तर हजार नौ सौ चौवालीस व सतरह पैसे)**+ ब्याज और अन्य खर्चों सहित देना होगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप-भाग (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उपलब्ध संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आमंत्रित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

वह सम्पूर्ण आवसीय सम्पत्ति जो सर्वे नमबर-1244/2 गांव पकारिया चुंगी चौक मुस्तकिल पीलीभीत में नौघवन आउटसाइड (एम.बी.) चुंगी चौक मुस्तकील पीलीभीत श्री शोएब उर रहमान, श्री मुजिब उर रहमान, सामी उर रहमान और फारीद उर रहमान (क्षेत्रफल 769.18 वर्ग मीटर) के नाम है। जिसकी सीमाऐं: पूर्व की ओर: स्वयं की सम्पत्ति, पश्चिम की ओर: स्वयं की सम्पत्ति, उत्तर की ओर: स्वयं की सम्पत्ति और सड़क, दक्षिण की ओर: स्वयं का प्लाट और चुन्ना खान का प्लाट

दिनांक: 06.12.2019 स्थान: पीलीभीत **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया**

वसूली अधिकारी–II का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण–III, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

आर.सी. सं. 777/2018 **बिक्री उद्घोषणा** दिनांकित: 21.11.2019

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा

बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम भाई साहिब एंड संस

सीडी नं. 1. मैसर्स भाई साहिब एंड संस, 131–ए, जयपुरिया मिल, क्लॉक टॉवर, सब्जी मंडी, दिल्ली –110007
इसके अलावा: अपर ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 7, प्लॉट नंबर 3, रूप नगर, दिल्ली –110007
सीडी नं. 2. श्री राकेश ढींगरा, के –5/35, मॉडल टाउन– ।।, दिल्ली –110009
सीडी नं. 3. सुश्री शीला अरोड़ा, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 7, प्लॉट नंबर 3, रूप नगर, दिल्ली –110007

चूंकि पीठासीन अधिकारी, ऋणी वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्र **ओए नं. 458/2015/डीआरटी–।।।, दिल्ली, दिनांकित 12.09.2018** के अनुसार **रु. 6,44,05,894.37 (रुपए छह करोड़ चवालीस लाख पांच हजार आठ सौ चौरानवे तथा पैसे सैंतीस मात्र)** और वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार देय ब्याज और लागत की राशि आपके पास बकाया है, जिसका आप भुगतान करने में विफल रहे हैं।

और चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने कथित वसूली प्रमाणत्र के सापेक्ष में अनुसूचि में वर्णित सम्पत्ति की ब्रिकी के आदेश दिये है।

चूंकि **रु. 6,44,05,894.37 (रुपए छह करोड़ चवालीस लाख पांच हजार आठ सौ चौरानवे तथा पैसे सैंतीस मात्र)** की राशि के साथ में लागत, आकस्मिक व्यय और आगे के ब्याज पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ओए यानि 08.06.2015 को दाखिल करने की तारीख से, संयुक्त रूप से और अलग–अलग, जब तक पूर्ण रूप से इसकी प्राप्ति आपके/सभी सीडी के प्रतिकूल नहीं होती है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 18.01.2020 को अप. 03.00 बजे से अप. 04.00 बजे के बीच (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार प्रबंध के साथ) ई–नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली" वेबसाइट द्वारा मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., उद्योग विहार, फेज–2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 301, गुड़गांव, पहली मंजिल, हरियाणा – 122015, हेल्प लाइन नंबर +91–124–4302020/21/22/23/24, मोबः 09813887931, ई–मेल आईडीः support@bankeauctions.com के द्वारा की जाएगी।

संपत्ति के संदर्भ में किसी भी प्रश्न और निरीक्षण के मामले में, इच्छुक बोलीदाता डीआरटी–।।।, दिल्ली में संपर्क कर सकता है।

उपरोक्त नामित प्रतिवादी के नीचे अनुसूचि में वर्णित सम्पति की ब्रिकी की जाएगी और कथित सम्पति पर देनदारियां एवं दावें जिनके बारे में अब तक पता चला है उन्हें प्रत्येक लॉट के आगे अनुसूचि में विनिर्देशित किया गया हैं।

अनुसूचि में विनिर्देशित सम्पत्ति के लॉट ब्रिकी के लिए रखा जाएगा। यदि सम्पति के किसी एक भाग की ब्रिकी पर राशि की वसूली हो जाती है तो नीलामी को तुरंत रोक दिया जाएगा। लॉट को उस स्थिति में भी रोक दिया जाएगा यदि ब्रिकी आयोजित करने वाले अधिकारी को कथित प्रमाणपत्र में वर्णित बकाया राशि, ब्याज लागत (ब्रिकी की कीमत सहित) की वसूली हो जाती है या अधोहस्ताक्षरी के पास नीलामी से पहले प्रमाणपत्र में दर्ज बकाया राशि, ब्याज एवं लागत का भुगतान करने का प्रमाण सौंप दिया जाता है।

कोई भी अधिकारी या व्यक्ति जिसकी डयूटी ब्रिकी से जुड़ी है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की ब्रिकी में भाग लेने का कोई प्रयास नहीं करेगा। ब्रिकी आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तो और इसके अधीन बनाये गये नियमों और आगे की शर्तो का पालन करते हुए की जाएगी।

सलंग्न सूची में विनिर्देशित विवरण अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार वर्णित किये गये हैं लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, मिथ्या कथन या गलत विवरण होने पर जवाबदेय नहीं होगा।

1, आरक्षित मूल्य जिससे कम मूल्य पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी वह इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	संपत्ति विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	ग्राउंड फ्लोर पर दक्षिणी आधे हिस्से में प्लॉट नंबर 7/3 रूप नगर, दिल्ली –07	रु. 2,22,00,000/- ईएमडी रु.22,20,000/-
2.	संपति नं. 34, के –5, मॉडल टाउन, मलिकपुर, छावनी, दिल्ली –09	रु. 2,35,00,000/- ईएमडी रु. 23,50,000/-

2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी **रु. 1,00,000/– (रुपए एक लाख मात्र)** है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से सबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
3. उच्चतम बोली लगाने वाले को किसी भी लॉट का खरीदार घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।
4. ऊपर उल्लिखित ईएमडी का भुगतान **16.01.2020 तक रिकवरी अधिकारी–II, ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–III, दिल्ली** के पास जमा करना होगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई–नीलागी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई–मेल आईडी, मोबाईल न. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हो तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/काउंटरफाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई–मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुँच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–III, दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
6. उनकी ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की निर्धारित तिथि पर या उससे पहले असफल बोलीदाता/ओं को डीआरटी–।।। की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है, जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की निर्धारित/बाद की तारीख को वापस कर दी जाएगी।
7 सफल बोलीदाता को अगले कार्य दिवस के **3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 4 में वर्णित विवरणों के अनुसार** उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी **अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान** करना होगा।
8. सफल उच्चतम बोलीदाता को संपति की बिक्री की तिथि से **15वें दिन या उससे पूर्व** तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार है तो **15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस** में ऊपर पैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में **अतिम बोली राशि के शेष 75%** का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को **रु.1000/– तक 2% की दर से तथा रु.1000/– की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क** का भी भुगतान करना होगा।
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को चुकाने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे। बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। पुनः क्रेता अपनी अतिम बोली राशि तथा उस राशि जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के बीच के अंतर की भरपाई करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
10. संपति की बिक्री **"जैसा है जहाँ है तथा जो भी वहां है आधार पर"** की जा रही हैं।
11. अधोहस्ताक्षरी के पास अनुपयुक्त पाए जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

लॉट की सं.	सह–स्वामियों के नामों के साथ बेचे जाने वाली संपत्ति का विवरण जहां संपत्ति डिफॉल्टर की है और किसी अन्य व्यक्ति को सह–स्वामी के रूप में।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	सम्पत्ति के संबंध में देय किसी ऋणभार का विवरण	दावें, यदि कोई हो, जो संपत्ति के लिए आगे रखा गया है, और कोई भी अन्य ज्ञात विशेष इसकी प्रकृति और मूल्य पर असर डालते हैं
1.	2.	3.	4.	5.
1.	(I) ग्राउंड फ्लोर पर दक्षिणी आधे हिस्से में प्लॉट नंबर 7/3 रूप नगर, दिल्ली –07	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
2.	संपत्ति नं. 34, के –5, मॉडल टाउन, मलिकपुर, छावनी, दिल्ली –09	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है

मेरे हस्ताक्षर और मोहर के साथ दिनांक 21.11.2019 को जारी किया गया।
(अनिल कुमार यादव)
वसूली अधिकारी–I, अतिरिक्त प्रभार

प्ररुप संख्या आईएनसी-25 क
पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में सपरिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
और

भिवाड़ी एस्टेट लिमिटेड
(U45200DL2007PLC158861)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **एस्टेट 5 बी, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली एयरो सिटी आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली -110037** में स्थित है, के मामले में,
......**आवेदक**

आम जनता को सूचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए दिनांक **07 नवंबर 2019** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अधीन आवेदन किया है।
कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति के कारण, यदि किसी व्यक्ति के हित प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए शपथ हलफनामा में उल्लेख करते हुए, जिसमें उनके हित / विरोध के आधार हों, इस सूचना के छपने के चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय **एस्टेट 5 बी, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली एयरो सिटी आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037** में भी भेजें।

कृते **भिवाड़ी एस्टेट लिमिटेड**
हस्ता/-
तिथि : 11.12.2019 शिव बख्शी (निदेशक)
स्थान : नई दिल्ली DIN:05163014

"फॉर्म नंबर INC–26
(30 कंपनियों (निगमन) नियम, 2014 पर शासन करने का उद्देश्य)
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है
केंद्र सरकार से पहले
उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली
कंपनियों के सेक्शन 13 की उप–धारा (4) के मामले में अधिनियम, 2013 और कंपनियों (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए)
तथा
डोवन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अपना पंजीकृत कार्यालय है 120, प्रथम तल, अंसल भवन 16, के.जी. मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001,
याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी गई है कि कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जो वार्षिक रूप से पारित किए गए विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करती है। 15 नवम्बर, 2019 को आम बैठक/अतिरिक्त साधारण बैठक, कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली के राज्य" से "हरियाणा के राज्य" में बदलने में सक्षम बनाने के लिए।
कोई भी व्यक्ति जिसकी रुचि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह एमसीए –21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर या वितरित करने या भेजने का कारण बन सकता है। एक एफिडेविट द्वारा समर्थित उसकी आपत्तियों के पंजीकृत पोस्ट द्वारा / उसके हित की प्रकृति बताते हुए और क्षेत्रीय निदेशक के विरोध के आधार पर पते बी –2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली – 110003 के भीतर आवेदक कंपनी को कॉपी के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तारीख के चौदह दिन नीचे दिए गए पते पर अपने पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी की एक प्रति के साथ: पंजीकृत कार्यालय: 120, प्रथम तल, अंसल भवन 16, के.जी. मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001,
आवेदक की ओर से और उसके लिए
केइमि इजुका, डायरेक्टर

Bank of Baroda बैंक ऑफ़ बड़ौदा
(A Govt. Of India Undertaking) **(भारत सरकार का उपक्रम)**

चल/अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन
चल/अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल / अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का भौतिक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **22.01.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

क्र. सं.	शाखा	कर्जदार और गारंटर्स का नाम	स्वामित्व और सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी तिथि एवं समय	खाता नं. और IFSC कोड	प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क व्यक्ति एवं सम्पर्क नं.
1	कमलानगर, शाखा दिल्ली	1. श्री अशोक बरनवाल पुत्र श्री नंदकिशोर मोदी 2 श्री अरविंद कुमार बरनवाल, पुत्र श्री नंद किशोर मोदी गारंटरः 1 श्री नंद किशोर मोदी, पुत्र लक्ष्मण मोदी 2 श्रीमती दीपशिखा बरनवाल पत्नी श्री अशोक बरनवाल 3 श्रीमती आभा कुमारी पत्नी श्री अरविंद कुमार बरनवाल	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति प्रथम तल, रिहायशी फ्लैट सम्पत्ति प्लॉट नं. 55, पॉकेट – 10, सैक्टर–20, (जी+3) मंजिला बिल्डिंग, रोहिणी दिल्ली–110085 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री अशोक बरनवाल पुत्र श्री नंद किशोर मोदी और श्री अरविन्द कुमार बरनवाल पुत्र श्री नंद किशोर मोदी के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – प्लॉट नं. 56, दक्षिण में –प्लॉट नं. 54, पूरब में – सर्विस लेन, पश्चिम में – प्रवेश / रोड	01-11-2018 रु. 17,39,182.27 प्लस भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार और खर्चे और दिनांक 01–10–2017 से सरफासी अधिनियम की धारा 13(2) जारी की गई सूचना के अनुसार कम वसूली, यदि कोई हो	₹ 24,00,000/- ₹ 2,40,000/- ₹ 25,000/-	22-01-2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक	A/c No. 600700036516001 IFSC Code: VIJB0006007	श्री राजीव रंजन मो. 8700627638 फोन 011-23859417
2	शालीमार बाग, (पूर्व में विजया बैंक) नई दिल्ली	श्री राकेश कुमार पुत्र राम इकबाल	कार जिसका व्यवसायिक पंजीकरण नं. DL1 ZA 9238 (Car/ Taxi), पंजी. दिनांकित 24.01.2017, Hypothecation : Bank of Baroda (EVB), वाहन और मॉडल ; TOYOTA ETIOS G (M) (CNG), कलर- White, इंजन नं. 2NRD116685, चेसिस नं. : MBJB29BT400107088, बॉडी- SALOON, Manufacturing Date: 12/2016, Vehicle Class- LMV, Fuel Used- PETROL , Seating Capacity: 5 वाहन पर मालिकाना हक : श्री राकेश कुमार पुत्र राम इकबाल	20.07.2019 रु 4,86,662.52 + अनापेक्षित ब्याज और अन्य प्रभार	₹ 3,30,000/- ₹ 33,000/- ₹ 5,000/-	22-01-2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक	A/c no. 607900036516001 IFSC Code: VIJB0006079	श्री विकास कुमार मो. 7760235309 फोन 011-27513466

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofbaroda.com पर दिए गए लिंक को देखें।
धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 21-01-2020 नोटः आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।
सम्पत्ति का निरीक्षण करने की तिथि व समय 15-01-2020 से 21-01-2020 को पूर्वा 10.00 बजे अपराह्न 06.00 बजे तक (रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)

बिक्री नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन होगी
1. ई–नीलामी का प्रस्ताव भौतिक कब्जा के आधार पर "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" प्रस्तावित किया जा रहा है। यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसंपत्तियों और विशिष्टताओं के बारे में स्वंय निरीक्षण करे और स्वंय को संतुष्ट करे। यह ई–नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं करता है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता नहीं माना जाए।
2. नीलामी – सह बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई–नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
3. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई–नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम बोली राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान की अंतिम तारीख (दिनांक 21.01.2020) को अपरा. 05.00 बजे तक विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधोलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी / आरटीजीएस / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा (दिल्ली में देय होगा) उपर वर्णित तालिका के अनुसार, where 5th character of IFSC Code is '0' (Zero).
7. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम / फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों दिनांक 21.01.2020 को या उससे पहले अपलोड करें:
क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्व: प्रमाणित प्रति। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
8. इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई–प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि., बी–704–5, वाल स्ट्रीट–2, ओरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, श्री राम शर्मा – 06351896834 ईमेल : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, श्री निलेश झा 7982880393, हेल्प लाईन : 079-61200595/520/548, हेल्प लाईन ईमेल: support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप उपर वर्णित सम्पत्ति के प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी / आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
11. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
12. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई–नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
14. यहां ऊपर क्रम सं. 12 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
15. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
16. सभी सांविधिक देयताओं / एटेन्डेन्ट चार्जेज / पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
17. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
18. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई–नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
19. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई–नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण / आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
20. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता के लिए 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना
कर्जदार / गारंटरों को एतद्द्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपरिवर्णित राशि अद्यतन किए गए ब्याज और आनुषंगी व्ययों सहित अदा करने हेतु अधिसूचित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी / बिक्री की जाएगी और शेष देयताएं, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएंगी।

दिनांक : 11.12.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

www.readwhere.com

खबर कोना

ट्रंप महाभियोग : डेमोक्रेट्स व रिपब्लिकन आमने-सामने

वाशिंगटन, 10 दिसंबर (एएफपी)।

डेमोक्रेट्स ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के मामले में अपना पक्ष रखते हुए उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ स्पष्ट खतरा करार दिया। वहीं रेपब्लिकन ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। ट्रंप पर आरोप हैं कि उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में संभावित प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन समेत अपने प्रतिद्वंद्वियों की छवि खराब करने के लिए यूक्रेन से गैरकानूनी रूप से मदद मांगी। डेमोक्रेट्स के वकील डेनियल गोल्डमैन ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप का एक विदेशी देश पर जबरदस्ती चुनाव जीतने और धोखा देने में मदद के लिए दबाव बनाना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्पष्ट मौजूदा खतरा है।' रिपब्लिकन डॉग कॉलिन्स ने कहा कि डेमोक्रेट्स का राष्ट्रपति चुनाव से पहले यह कदम महज प्रचार पाने का तरीका है।

प्रतिबंधित दवाओं के आयात पर भारतीय कारोबारी दोषी

वाशिंगटन, 10 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिका में 37 वर्षीय भारतीय कारोबारी को प्रतिबंधित दवाओं के आयात और धन शोधन की साजिश से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया है। एक अमेरिकी वकील ने यह जानकारी दी। नागपुर से ताल्लुक रखने वाले जितेंद्र हरीश बेलानी को तीन जून को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। अमेरिका के न्याय विभाग की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया है कि मादक पदार्थ आयात षडयंत्र के आरोपों के लिए बेलानी अधिकतम 20 साल की सजा और दस लाख अमेरिकी डॉलर के जुर्माने का सामना कर रहे हैं। हालांकि वास्तविक सजा अपराधों की गंभीरता और पुराने आपराधिक इतिहास (अगर कोई इतिहास है तो) पर आधारित होगी। बेलानी ने अपने अपराध कबूलनामे वाली याचिका में मादक पदार्थ वितरण कंपनी एलईईएचपीएल चलाने का अपराध स्वीकार किया है।

ज्वालामुखी फटने से मरने वालों की संख्या हुई छह

सिडनी, 10 दिसंबर (एएफपी)।

न्यूजीलैंड के ऑकलैंड अस्पताल में मंगलवार शाम को एक घायल व्यक्ति की मौत होने के बाद वाइट आइलैंड पर ज्वालामुखी फटने से मरने वालों की संख्या छह हो गई। पुलिस ने बताया कि एक और व्यक्ति की मौत की पुष्टि होने के बाद ज्वालामुखी विस्फोट से हुई मौतों की संख्या छह तक पहुंच गई है। सोमवार को हुए ज्वालामुखी विस्फोट में लापता आठ लोगों को भी मृत माना जा रहा है।

दुबई के अस्पताल से बयान दर्ज कराने को तैयार : मुशर्रफ

लाहौर, 10 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ ने यहां की एक अदालत को सूचित किया है कि वह उनके खिलाफ चल रहे देशद्रोह के मामले में दुबई के अस्पताल से अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हैं। मंगलवार को मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है। मार्च 2016 से दुबई में रह रहे मुशर्रफ लंबे समय से बीमार चल रहे हैं ।

पाक में महिला पोलियो कार्यकर्ता की हत्या

पेशावर, 10 दिसंबर (भाषा)।

उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में तीन पहिया वाहन में जा रही महिला पोलियो कार्यकर्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई। हमले में वाहन चालक घायल हो गया। हमला सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में हुआ, जिसमें बिस्ताज बीबी नाम की महिला की मौत हो गई और चालक अब्दुल रउफ घायल हो गया। हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

डेमोक्रेट सांसद के प्रस्ताव से भारतीय समुदाय नाराज

न्यूयार्क, 10 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने कहा कि वे भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेट सांसद प्रमिला जयपाल से 'ठगा हुआ और छला गया' महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने संसद में कश्मीर पर प्रस्ताव पेश किया है। जयपाल के इस कदम को राजनीतिक फायदा पाने की कोशिश बताया गया है। उन्होंने शुक्रवार को संसद में प्रस्ताव पेशकर भारत से जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द संचार पाबंदियों को खत्म करने और सभी निवासियों की धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

बांग्लादेश में रोहिंग्या शिविरों के चारों ओर बाड़ लगनी शुरू

बालुखाली, 10 दिसंबर (एपी)।

- सैनिकों को दक्षिणपूर्वी सीमांत जिले कॉक्सबाजार स्थित बालुखाली में एक बड़े शिविर के चारों ओर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए खंभे लगाते हुए देखा गया है
- शिविरों में 10 लाख लोग हैं जिसमें से ज्यादातर मुसलिम रोहिंग्या समुदाय से हैं। इनमें से 7.5 लाख लोग 2017 में पड़ोसी म्यांमा में सैन्य अभियान के बाद भागकर आए थे

बांग्लादेश की सेना ने उन शिविरों के चारों ओर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है जहां हजारों रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। बांग्लादेशी सेना ने बाड़ लगाने का यह काम समुदाय के नेताओं और मानवाधिकार समूहों की शिकायतों के बावजूद शुरू किया है। समाचार एजंसी के संवाददाता ने मंगलवार को सेना की वर्दी पहने सैनिकों को दक्षिणपूर्वी सीमांत जिले कॉक्सबाजार स्थित बालुखाली में एक बड़े शिविर के चारों ओर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए खंभे लगाते हुए देखा है। बांग्लादेश के शरणार्थी आयुक्त महबूब आलम तालुकदार ने इसका काम शुरू होने की पुष्टि की लेकिन इस बारे में कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल अजीज अहमद ने पिछले महीने के अंत में कहा था कि सेना के इंजीनियरों ने खंभे लगाने शुरू कर दिए हैं और सेना ने कंटीले तार के लिए आर्डर दे दिए हैं। शिविरों में करीब 10 लाख सदस्य रहते हैं जिसमें से ज्यादातर मुसलिम रोहिंग्या समुदाय से हैं। इनमें से 750,000 अगस्त 2017 में पड़ोसी म्यांमा में सैन्य अभियान के बाद भागकर आए थे।

शरणार्थियों को रखने को लेकर बांग्लादेश में निराशा बढ़ रही है, विशेष तौर पर उन्हें गत अगस्त में म्यांमा वापस भेजने का प्रयास असफल होने के बाद से। शरणार्थियों के शिविर छोड़ने पर पहले से ही रोक है। हालांकि उनकी विशाल संख्या होने का मतलब है कि प्राधिकारी उनकी सभी गतिविधियों पर नजर रखने में असफल हैं। शिविरों के चारों ओर बाड़ लगाने के कदम की रोहिंग्या नेताओं ने निंदा की है और कहा है कि इससे रोहिंग्याओं के बीच 'घबराहट' उत्पन्न होगी। मोहम्मद हाशिम ने कहा, 'यह हमारे आवागमन को सीमित करेगा। हमें प्राधिकारियों से राशन लेने के लिए लंबी दूरी तक जाना पड़ता है। हमारे बच्चे अब नहीं खेल पाएंगे।' इससे पहले मानवाधिकार समूहों ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा था कि बाड़ लगाने से शिविर 'एक बड़े कारागाह' में तब्दील हो जाएगा।

कॉप 25 मैड्रिड में मंगलवार को 'कॉप 25' जलवायु सम्मेलन संबोधित करते केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर।

संयुक्त राष्ट्र की अदालत में सू की से 'जनसंहार रोकने' को कहा गया

हेग, 10 दिसंबर (एएफपी)।

रोहिंग्या मुसलमानों पर दमन के खिलाफ म्यांमा का पक्ष रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष न्यायालय पहुंची नोबेल शांति विजेता आंग सान सू की को जनसंहार रोकने की अपील का सामना करना पड़ा।

रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ चलाए गए अभियान पर चुप्पी से उनकी अंतरराष्ट्रीय साख को धक्का लगा। सू की हेग स्थित न्यायालय में सुनवाई के लिए पहुंची हैं। मानवाधिकार समूहों ने अंतरराष्ट्रीय अदालत में म्यांमा की नुमाइंदगी करने के उनके फैसले की आलोचना की है।

पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया ने यह मामला उठाया है। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ 2017 में सैन्य अभियान को लेकर म्यांमा को न्याय के कठघरे में लाने की यह पहली कोशिश है । मुसलिम बहुल गाम्बिया 57 देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से कदम उठा रहा है। आरोप है कि म्यांमां ने नरसंहार रोकने में 1948 के समझौते का उल्लंघन किया। 2017 में म्यांमा के राखिने प्रांत में चलाए गए सैन्य अभियान के बाद करीब सात लाख 40 हजार रोहिंग्या लोगों ने पड़ोस के बांग्लादेश में शरण ली।

गाम्बिया के न्याय मंत्री अबूबकर तमबादोउ ने अदालत के जजों से कहा, गाम्बिया और म्यांमा के बीच बहुत विवाद है। गाम्बिया आपसे म्यामां से बर्बर कृत्यों को रोकने के लिए कहने का अनुरोध करता है। बर्बरता ने हमारी साझा अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उसे अपने ही लोगों के खिलाफ नरसंहार रोकना चाहिए ।

रवांडा के 1994 के नरसंहार में अभियोजक रहे तमबादोउ ने कहा कि म्यांमा की सेना ने सामूहिक हत्या, सामूहिक बलात्कार, सामूहिक उत्पीड़न किया। बच्चों को उनके घरों और धार्मिक स्थानों पर जिंदा जला दिया गया।

रोहिंग्या लोगों को आगे कोई नुकसान नहीं हो इसके लिए गाम्बिया आपात प्रावधान लागू करने की मांग कर रहा है। बर्मा का परंपरागत परिधान पहने हुए नागरिक नेता ने पहुंचने के बाद मौजूद मीडिया से कोई बात नहीं की।

सीसीपीआइ के शीर्ष दस देशों में शामिल भारत : रिपोर्ट

मैड्रिड, 10 दिसंबर (भाषा)।

भारत पहली बार इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआइ) में शीर्ष दस देशों में शामिल हुआ है। वहीं अमेरिका सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में पहली बार शामिल हुआ है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 'कॉप 25' जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में मंगलवार को सीसीपीआइ रिपोर्ट जारी की गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऊर्जा इस्तेमाल का मौजूदा स्तर 'उच्च श्रेणी' में नौवें स्थान पर है। हालांकि यह अभी तुलनात्मक रूप से कम है। हालांकि, अपनी जलवायु नीति के प्रदर्शन के लिए उच्च रेटिंग के बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि भारत सरकार को अभी जीवाश्म ईंधन पर दी जा रही सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए रूपरेखा बनानी होगी जिसक परिणामस्वरूप कोयले पर देश की निर्भरता कम हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि 57 उच्च उत्सर्जन वाले देशों में से 31 में उत्सर्जन का स्तर कम होने के रुझान दर्ज किए गए हैं। ये देश 90 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।

जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से पेश सूचकांक के लेखकों में से एक उर्सुला हेगन ने कहा, 'नए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक से कोयले की खपत में कमी समेत उत्सर्जन में वैश्विक बदलाव के संकेत दिखाई देते हैं।' इस सूचकांक में स्वीडन चौथे और डेनमार्क पांचवें स्थान पर है। सबसे बड़े वैश्विक उत्सर्जक चीन ने सूचकांक में अपनी रैंकिग में मामूली सुधार करते हुए 30वां स्थान हासिल किया है। केवल दो जी20 देशों ब्रिटेन (7वें) और भारत (नौंवे) को 'उच्च' श्रेणी में स्थान दिया गया है जबकि जी20 के आठ देश सूचकांक की सबसे खराब श्रेणी (बहुत निम्न) में बने हुए हैं। आस्ट्रेलिया (61 में से 56वां), सऊदी अरब और खासकर अमेरिका खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में है। अमेरिका पहली बार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश में शामिल हुआ है।

अमेरिका में भारतवंशी सिख टैक्सी चालक पर हमला

ह्यूस्टन, 10 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिका के वाशिंगटन प्रांत में भारतीय मूल के सिख टैक्सी चालक पर हमले और नस्ली दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। मीडिया में आईं खबरों में यह जानकारी दी गई है।

'बेलिंघम हेराल्ड' ने पुलिस के हवाले से कहा कि ग्रिफिन लेवी सेयर्स (22) ने पांच दिसंबर को बेलिंघम शहर में सिख ऊबर चालक के साथ मौखिक और शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया। पुलिस अधिकारी क्लॉउडिया मर्फी ने समाचार पत्र को बताया कि सेयर्स ने सिख व्यक्ति का गला दबाते हुए उसके रंग को लेकर नस्ली टिप्पणियां कीं। 'कोमो न्यूज' समाचार पत्र ने कहा कि संघर्ष करने के बाद चालक अपनी कार से भाग निकलने में कामयाब रहा और मदद मांगी। पीड़ित की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने पोर्श में सेयर्स के अपार्टमेंट पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में छह दिसंबर को उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।

चिली में सैन्य विमान 38 यात्रियों के साथ लापता

सैंटियागो, 10 दिसंबर (एएफपी)।

चिली की वायुसेना ने कहा कि 38 लोगों के साथ उड़ान भरने वाले सैन्य विमान से सोमवार को 'रेडियो संपर्क टूट गया' जिसके बाद विमान का कुछ पता नहीं है। वायु सेना ने 'आपात स्थिति' की घोषणा की है।

इस विमान ने देश के दक्षिण से अंटार्कटिका के एक अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। चार इंजन वाले इस विमान में चालक दल के 17 सदस्यों के साथ 21 अन्य यात्री सवार थे। वायुसेना ने कहा, 'एक सी-130 हरक्यूलिस विमान ने पुंटा एरिनास शहर से शाम चार बजकर 55 मिनट पर 'प्रेसिडेंट एडुआर्डो फ्रेई अंटार्कटिका बेस' के लिए उड़ान भरी थी। इसमें 38 यात्री सफर कर रहे हैं।' वायु सेना ने कहा कि उसने शाम छह बजकर 13 मिनट पर संचार संपर्क टूटने के बाद आपात स्थिति की घोषणा कर दी थी। विमानों और चिली की नौसेना के पोतों से बचाव अभियान शुरू किया गया है। राष्ट्रपति सेबस्टियन पिन्येरा ने ट्वीट किया कि गृह मंत्री गोंजालो ब्लूमेल के साथ वह पुंटा एरिनास जाएंगे। राष्ट्रपति वहां रक्षा मंत्री अल्बर्टो एस्पिना से मुलाकात करेंगे और तलाश व बचाव अभियान पर नजर रखेंगे।

चेक गणराज्य के अस्पताल में गोलीबारी से छह मरे

प्राग, 10 दिसंबर (एएफपी)।

चेक गणराज्य के पूर्व में स्थित ओस्त्रोवा शहर में एक बंदूकधारी ने अस्पताल में गोलीबारी की। इसमें छह व्यक्तियों की मौत हो गई। गोलीबारी के बाद भाग रहे हमलावर ने पुलिस से घिरा देख खुद को भी गोली मार ली। यह घटना ओस्त्रोवा शहर के यूनिवर्सिटी अस्पताल में मंगलवार सुबह सात बजे के करीब हुई। यह शहर प्राग के पूर्व में 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

पुलिस ने बताया कि हादसे में चार व्यक्तियों और दो महिलाओं की मौत हो गई। दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गया। पुलिस ने कहा कि उसे पता नहीं चल पाया कि किस कारण से 42 वर्षीय हमलावर ने घटना को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री आंद्रेज बेबिस ने चेक पब्लिक टेलीविजन को बताया कि प्रतीक्षा कक्ष में गोलीबारी की घटना हुई। हमलावर ने करीब से लोगों पर गोलियां चलायीं।

कश्मीर में स्थिति को लेकर चिंतित हैं, सामान्य हालात बहाल करना जरूरी : यूरोपीय संघ

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा)।

यूरोपीय संघ ने मंगलवार को कहा कि वह कश्मीर में लोगों की 'मौलिक स्वतंत्रता' पर लगे प्रतिबंधों को लेकर चिंतित है और उसने घाटी में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए संचार माध्यमों और जरूरी सेवाओं को बहाल करने जैसे कदम उठाने की अपील की।

भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत उगो अस्तुतो ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कदम जरूर उठाने चाहिए और साथ ही कहा कि देश में आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवाद रोधी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) द्वारा सुझाए गए कदमों का उसे अनुपालन करना चाहिए।

अस्तुतो ने मीडिया से कहा कि यूरोपीय संघ भारत और पाकिस्तान के बीच के मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाए जाने का पक्षधर है। कश्मीर पर उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझता है लेकिन साथ ही जोर दिया कि घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले में संघ के दृष्टिकोण में अगस्त से कोई बदलाव नहीं आया है।

गौरतलब है कि अगस्त में, भारत ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की घोषणा की थी। पाकिस्तान ने इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और भारत के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को घटा लिया था।

अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई शुरू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई शुरू हो गई। न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष नौकरशाह से राजनीति में आए शाह फैसल और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने बहस शुरू की। रामचंद्रन ने इस मामले में अपनी बहस के दायरे के बारे में पीठ को अवगत कराया।

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत शामिल हैं। रामचंद्रन ने कहा कि वे इस सवाल पर बहस करेंगे कि क्या अस्थायी राष्ट्रपति शासन की आड़ में राज्य और केंद्र के बीच संघीय रिश्तों में 'अपरिवर्तनीय बदलाव' लाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे इस सवाल पर भी बहस करेंगे कि क्या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जम्मू-कश्मीर की जनता की भागीदारी के बगैर ही ऐसा किया जा सकता है क्योंकि अब इस राज्य को दो केंद्रशासित राज्यों में बांट दिया गया है।

रामचंद्रन ने कहा कि दूसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा विशेषकर जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में है कि जब अनुच्छेद 370 में ही संबंधों में बदलाव की व्यवस्था है तो क्या अपरिवर्तनीय बदलाव करते समय उस व्यवस्था को नजरअंदाज किया जा सकता है। इस मामले में दायर याचिकाओं में वकील, कार्यकर्ता, निजी लोग और नेशनल कान्फ्रेंस, सज्जाद लोन के नेतृत्व वाली पीपुल्स कान्फ्रेंस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की याचिकाएं भी हैं।

भारत की शीर्ष रक्षा कंपनियों की हथियारों की बिक्री गिरी

स्टॉकहोम, 10 दिसंबर (भाषा)।

- देश की तीन शीर्ष रक्षा कंपनियों की सामूहिक बिक्री 2018 में 6.9 फीसद घटकर 5.9 अरब अमेरिकी डॉलर रह गई।
- इस दौरान वैश्विक स्तर पर हथियारों की बिक्री में इजाफा।
- देश की रक्षा क्षेत्र की तीनों कंपनियां दुनिया की शीर्ष 100 हथियार आपूर्तिकर्ताओं में हैं।

भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की तीन शीर्ष रक्षा कंपनियों की सामूहिक बिक्री 2018 में 6.9 फीसद घटकर 5.9 अरब अमेरिकी डॉलर रह गई। हालांकि, इस दौरान वैश्विक स्तर पर हथियारों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। भारत की रक्षा क्षेत्र की तीनों कंपनियां दुनिया की शीर्ष 100 हथियार आपूर्तिकर्ताओं में आती हैं।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआइपीआरआई) ने सोमवार को कहा कि क्षेत्र की 100 सबसे बड़ी कंपनियों (चीन की कंपनियों को छोड़कर) की कुल हथियार और सैन्य सेवाओं की बिक्री 2018 में 4.6 फीसद बढ़कर 420 अरब डॉलर रही। एसआइपीआरआइ के हथियार उद्योग के डाटाबेस के नए आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 100 में शामिल कंपनियों की हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री 2002 से 47 प्रतिशत बढ़ी है। इस डाटाबेस में चीन की कंपनियों के आंकड़ों को विश्वसनीय अनुमान के अभाव में शामिल नहीं किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में दुनिया की शीर्ष 100 हथियार विनिर्माताओं में से 80 अमेरिका, यूरोप और रूस की कंपनियां थीं। शेष 20 में छह जापान की, तीन-तीन इस्राइल, भारत और दक्षिण कोरिया की, दो तुर्की की और एक-एक आस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर की कंपनियां थीं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि शीर्ष 100 में शामिल भारत की तीन कंपनियों की बिक्री 2018 में घटकर 5.9 अरब डॉलर रह गई। यह 2017 की तुलना में 6.9 फीसद की गिरावट है। इस गिरावट की प्रमुख वजह भारतीय आयुध कारखाने की हथियार बिक्री में 27 फीसद की उल्लेखनीय गिरावट है। एसआइपीआरआइ की सूची में शामिल तीन भारतीय कंपनियों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) 38वें, भारतीय आयुध कारखाना 56वें और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल) 62वें स्थान पर है। शीर्ष 100 कंपनियों की बिक्री में भारत की तीन कंपनियों का हिस्सा 1.4 फीसद है।

सोनिया ने पार्टी सांसदों को दिया रात्रिभोज

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पार्टी सांसदों को रात्रिभोज दिया। सूत्रों का कहना है कि इस भोज में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व कुछ अन्य सांसद मौजूद नहीं थे।सोनिया ने संसद शीतकालीन सत्र के बीच में पार्टी सांसदों को ऐसे समय में रात्रिभोज दिया है जब नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है।

साथ आ सकते हैं शिवसेना, भाजपा : मनोहर जोशी

मुंबई, 10 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी और भाजपा निकट भविष्य में फिर साथ आ सकते हैं। जोशी ने पत्रकारों से कहा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर उचित समय पर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा, 'छोटे मुद्दों पर लड़ने की जगह बेहतर है कि कुछ बातों को बर्दाश्त किया जाए। जिन मुद्दों को आप दृढ़ता के साथ महसूस करते हैं, उसे साझा करना अच्छा है। अगर दोनों दल साथ में काम करते हैं तो यह दोनों के लिए बेहतर होगा।'

जोशी ने कहा, 'ऐसा नहीं है कि शिवसेना अब कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। उद्धव ठाकरे सही समय पर सही निर्णय लेंगे।' वरिष्ठ शिवसेना नेता का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब दोनों दलों के बीच हाल में मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति नहीं बन पाने के कारण अलगाव हो गया था।

www.readwhere.com

जम्मू-कश्मीर में मोबाइल पर एसएमएस की सुविधा शुरू

श्रीनगर, 10 दिसंबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को सेवा प्रदाताओं को घाटी में एसएमएस सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी ताकि लोग और खासकर व्यापारी वर्ग विभिन्न बैंकों से संदेश हासिल कर सके। अधिकारियों ने बताया कि घाटी में मोबाइल उपभोक्ता अब मशीन से जनरेट संदेश हासिल कर सकेंगे। घाटी में 14 अक्तूबर को पोस्टपेड मोबाइल फोन कनेक्शन बहाल किए जाने के कुछ ही घंटे बाद एहतियाती तौर पर एसएमएस सेवाएं बंद कर दी गई थीं। केंद्र द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त किए जाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद 5 अगस्त को मोबाइल कनेक्शन निलंबित कर दिए गए थे।

घाटी में **14 अक्तूबर को पोस्टपेड मोबाइल फोन कनेक्शन बहाल किए जाने के कुछ ही घंटे बाद एहतियाती तौर पर एसएमएस सेवाएं बंद कर दी गई थीं।**

अनुच्छेद 370 **खत्म होने के बाद 5 अगस्त को मोबाइल कनेक्शन निलंबित कर दिए गए थे**

कश्मीर बंद : जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर अलगाववादियों के बंद के चलते श्रीनगर में ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। अधिकारियों ने बताया कि शहर के विभिन्न इलाकों में दुकानें, ईंधन स्टेशन और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहे। पुराने शहर के इलाकों में बंद का असर ज्यादा देखने को मिला।

सार्वजनिक वाहन कम दिखे, लेकिन निजी कार और ऑटो-रिक्शा निर्बाध रूप से चल रहे थे। घाटी के अन्य जिलों के विभिन्न इलाकों में बंद की जानकारी मिली है। सरकार ने मंगलवार को कश्मीर में 22 फरवरी, 2020 तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा की जिसके बाद स्कूल बंद कर दिए गए। सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व में कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को कथित तौर पर बंद का आह्वान करते हुए लोगों से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर 'काला दिवस' मनाने को कहा था।

श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता देने पर भी विचार हो : श्री श्री रविशंकर

चेन्नई, 10 दिसंबर (भाषा)।

आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने मंगलवार को केंद्र से अनुरोध किया कि वह पिछले तीन दशक से भी ज्यादा वक्त से देश में शरणार्थियों की तरह रह रहे एक लाख से ज्यादा श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता देने पर विचार करे।

उन्होंने ट्वीट किया है, 'मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देश में पिछले 35 वर्ष से शरणार्थियों की तरह रह रहे एक लाख से भी ज्यादा श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता देने पर विचार करे।' रविशंकर ने यह अपील ऐसे वक्त में की है, जब एक दिन पहले ही लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुआ है।

इस प्रस्तावित कानून के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के वे लोग जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और अपने देश में धर्म के आधार पर प्रताड़ना झेल चुके हैं, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। तमिलनाडु में बड़ी संख्या में श्रीलंकाई तमिल रहते हैं।

अभिवादन

भारत के अंतिम गर्वनर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान संसद में मंगलवार को वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी का अभिवादन करतीं भाजपा नेता रूपा गांगुली।

प्रेम प्रसंग के बाद शादी से इनकार, युवती ने खुद को आग लगाई

बेतिया, 10 दिसंबर (भाषा)।

बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के शिकारपुर थाना अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में यौन शोषण के बाद शादी से इनकार करने पर 19 वर्षीय एक युवती ने अपने शरीर पर मिट्टी तेल छिड़ककर स्वयं को जिंदा जलाने का प्रयास किया। युवती करीब 70 फीसदी झुलस गयी है। पुलिस अधीक्षक नताशा गुडिया ने बताया कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है।

युवती का अपने ही गांव के अरमान नामक युवक से ताल्लुकात रहे हैं और वह एक महीने के गर्भ से है। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने अरमान पर शादी का झांसा देकर उसका बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता द्वारा अरमान पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था पर वह उससे इनकार कर रहा था, जिसको लेकर युवती ने यह कदम उठाया। नताशा ने बताया कि अरमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ शिवकुमार ने बताया कि पीड़िता करीब 70 प्रतिशत झुलस गई है, जिसका इलाज जारी है।

शराबबंदी अध्ययन के लिए राजस्थान सरकार की समिति का आज बिहार दौरा

जयपुर, 10 दिसंबर (भाषा)।

राजस्थान सरकार ने बिहार में लागू शराबबंदी नीति का अध्ययन करवाने का फैसला किया और इसके लिए अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है जो बुधवार को वहां जा रही है।

राजस्थान के आबकारी आयुक्त विष्णु चरण मलिक ने बताया कि इस बारे में गठित पांच सदस्यीय समिति बुधवार से बिहार के अध्ययन दौरे पर रहेगी। समिति बिहार में लागू की गई शराबबंदी नीति और इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी और उसके सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं के बारे में विस्तृत रपट उन्हें सौंपेगी।

बिहार में **शराबबंदी नीति के अध्ययन के लिए राजस्थान सरकार ने समिति गठित की**

मलिक ने बताया कि अध्ययन के लिए गठित समिति में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त सीआर देवासी, उदयपुर के आबकारी अधिकारी राजेंद्र पारीक, बाड़मेर के जिला आबकारी अधिकारी संजय सिंह, जोधपुर के सहायक आबकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह राजपुरोहित व आबू रोड के आबकारी निरीक्षक ईश्वर सिंह चौहान सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि समिति पांच सात दिन बिहार में रहेगी और वहां की शराबबंदी नीति व इससे जुड़े लोगों अधिकारियों से चर्चा करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आबकारी नीति के प्रावधानों के तहत शराबबंदी की मांग से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं को लेकर अक्तूबर महीने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ विभागीय समीक्षा हुई थी। उसके बाद इस तरह की समिति गठित करने का फैसला किया गया है। राज्य के राजस्व में आबकारी से मिलने वाली आय का बड़ा हिस्सा है। वित्त वर्ष 2019-20 में इस मद से 10,500 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है और मलिक के अनुसार नवंबर माह तक 5500 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व इस मद में मिल चुका है। राज्य में शराबबंदी की मांग को लेकर जन आंदोलन चला रही पूनम छाबड़ा ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। छाबड़ा के ससुर व पूर्व विधायक गुरशरण छाबड़ा ने राजस्थान में शराबबंदी को लेकर लंबा आंदोलन चलाया था और इसी मांग को लेकर आमरण अनशन के दौरान ही उनका निधन हो गया था।

लोकसभा में एससी-एसटी आरक्षण दस साल बढ़ाने वाला विधेयक मंजूर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

लोकसभा ने मंगलवार को 'संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक-2019 को मंजूरी दे दी जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदायों को दिए गए आरक्षण को दस वर्ष बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ जुर्म के मामलों की जांच दो महीने में और सुनवाई छह महीने में पूरी करने के लिए वह राज्यों को पत्र लिखने जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को लिखेंगे कि राज्यों को त्वरित निपटान अदालतों में सुनवाई छह महीने में पूरी करनी है क्योंकि यह 2018 में पारित कानून का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 1023 त्वरित निपटान (फास्ट ट्रैक) अदालतों को मंजूरी दी गई है और इससें 400 से अधिक का काम आगे बढ़ गया है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक-2019 को मंजूरी दे दी। निचले सदन में मत विभाजन में इस विधेयक के पक्ष में 352 मत पड़े और विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। संविधान संशोधन विधेयक होने के मद्देनजर इसे सदन के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत एवं उपस्थिति सदस्यों की संख्या के दो तिहाई सदस्यों का समर्थन जरूरी था। विधि एवं न्याय मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का पूरा समाज ही पिछड़ा है, ऐसे में इसे दो भाग में बांटने की जरूरत नहीं है और क्रीमीलेयर की एससी/एसटी समाज में जरूरत नहीं है। एंग्लो इंडियन समुदाय को विधेयक के दायरे से बाहर रखने के बारे में कांग्रेस सहित कुछ सदस्यों की चिंताओं पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के समय ही सीमा शुल्क, रेलवे, टेलीग्राफ विभागों में इस समुदाय के लिए पदों को खत्म कर दिया गया था, इनके शैक्षणिक समुदायों का अनुदान भी समाप्त कर दिया गया था। प्रसाद ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों की आबादी 296 है और इस बारे में रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना पर शंका करना ठीक नहीं है।

मत विभाजन में **विधेयक के पक्ष में 352 मत जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा**

नात पढ़ने को लेकर दो पक्षों के बीच संघर्ष में 12 लोग घायल

भदोही (उप्र) 10 दिसंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में आयोजित जलसे के दौरान नात पढ़ने को लेकर दो बच्चों के बीच हुई मारपीट दो परिवारों के बीच के संघर्ष में तब्दील हो गई। घटना में 12 लोग घायल हो गए जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने मंगलवार को बताया कि सोमवार रात शहर कोतवाली इलाके के दुलमदासपुर में ग्यारहवीं शरीफ के त्यौहार पर आयोजित एक जलसे में फखरुद्दीन नामक व्यक्ति के बेटे ने मंच पर नात (मजहबी तराना) पढ़ने की बात कही। इस पर गांव के ही रहने वाले अशफाक के बेटे ने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों बच्चों के बीच इसे लेकर मारपीट हो गई। उन्होंने बताया कि आधी रात को अशफाक के पक्ष के करीब 12 लोग फखरुद्दीन के घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए और पूरे परिवार पर लाठी, डंडा, सरिया, कैंची और तेज़ाब से हमला कर दिया। इस दौरान फखरुद्दीन की 17 वर्षीय बेटी रेशमा पर तेज़ाब फेंक दिया, जिससे उसकी कमर से नीचे का आधा हिस्सा झुलस गया।

हैदराबाद बलात्कार-हत्या मामला

चारों आरोपियों के शव सरकारी गांधी अस्पताल पहुंचे

हैदराबाद, 10 दिसंबर (भाषा)।

महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या के चारों आरोपियों के शव मंगलवार को महबूबनगर जिले से सरकारी गांधी अस्पताल में भेज दिए गए। छह दिसंबर को पुलिस के साथ कथित तौर पर हुए मुठभेड़ में चारों आरोपी मारे गए थे।

अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'चारों लोगों के शव यहां लाए गए और मंगलवार को उन्हें गांधी अस्पताल के मुर्दाघर में सुरक्षित रख दिया गया।'
तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया था कि आरोपियों के शव 13 दिसंबर तक सुरक्षित रखे जाएं और आदेश दिया कि अगर उस समय तक महबूबनगर में शवों को सुरक्षित रखने की सुविधा नहीं है, तो उन्हें गांधी अस्पताल भेजा जाए। कथित मुठभेड़ के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें महबूबनगर के सरकारी अस्पताल में रखा गया था। मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को प्राप्त प्रतिवेदन को हाई कोर्ट ने याचिका मानकर यह आदेश सुनाया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि 'मुठभेड़' न्यायेतर हत्या है और इसमें अदालत से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया। चारों आरोपियों को महिला से बलात्कार और हत्या के मामले में 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
एक परिवार एक बैंक

दिल्ली अंचल कार्यालय
15 एनबीसीसी टावर, तीसरी मंजिल
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
प्रधान कार्यालय : लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे-411005
फोन (011)26164817 / 26197769 फैक्स : (011) 26171554,
ई-मेल : legal_del@mahabank.co.in

स्वच्छता अभियान की सफलता हेतु हम प्रतिबद्ध है।

साशय चूककर्ता

साशय चूककर्ताओं के फोटोग्राफ का प्रकाशन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने निम्नलिखित ऋण खातों और व्यक्तियों को आरबीआई द्वारा जारी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा इस संबंध में आरबीआई द्वारा अनुबद्ध और निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात साशय चूककर्ता घोषित किया है।

बैंक द्वारा साशय चूककर्ताओं के रूप में उपरोक्त व्यक्तियों की जानकारी देते हुए आरबीआई को तथा क्रेडिट सूचना कम्पनियों को सम्यक् सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

हम एतद्द्वारा साशय चूककर्ताओं के फोटोग्राफ सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित कर रहे हैं :

क्र. सं.	खाते का नाम	कर्जदार का नाम
1.	मैसर्स न्यूटेक प्रमोटर्स ऐंड डवलपर्स प्रा. लि.	मुकेश कुमार रॉय (निदेशक) (डीआईएन 2175661); संजीव कुमार (निदेशक) (डीआईएन 3136323)
2.	मैसर्स इरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड	हेम सिंह भड़ाना (निदेशक) (डीआईएन 0007018)
3.	मैसर्स मैक इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड	अशोक चौहान (निदेशक) (डीआईएन 1519425); मीनू चौहान; 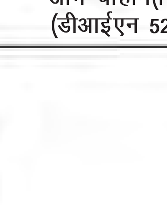 अभि चौहान(निदेशक) (डीआईएन 5283192); 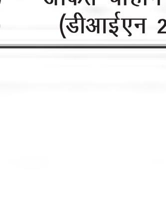 अंकित चौहान (निदेशक) (डीआईएन 2034394)
4.	मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	सुशील अंसल (निदेशक) (डीआईएन 0000207); 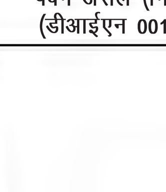 पवन अंसल (निदेशक) (डीआईएन 0017804)
5.	मैसर्स जय अम्बे बिल्डिंग मैटीरियल सप्लायर्स	रमा कान्त पांडे

तिथि : 10-12-2019
स्थान : दिल्ली

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
अंचल प्रबंधक, दिल्ली अंचल

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाइंट, मेसर्स मुथूट फाइनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथिः 17.12.2019

Delhi-Rohini: MAL-1712, MSL-30042, MUL-1583, 1614, 1615, 1625, 1641, 1670, 1712, 1746, 1786, 1812, 1833, 1834, 1835, 1860, 1873, 1903, 1945, 1947, 1977, 2044, 2064, 2116, 2117, 2119, 2134, 2142, 2143, 2180, 2216, 2222, 2318, 2320, 2359, 2377, 2408, 2411, 2420, 2423, 2426, 2446, 2462, 2490, 2491, 2504, 2507, 2509, 2510, 2511, 2527, 2532, 2698, 2711, 2716, 2737, 2738, 2768, 2772, 2774, 2827, 2834, 2868, 2889, 2905, 2912, 2914, 2931, 2947, 2962, 2974, 2983, 2985, 3006, MWS-2, 3, 27, 34, 106, 157, 160, 169, 205, 206, 318, 335, 336, **Rohini D C Chowk:** MHL-227, 232, MOS-145, MUL-758, 882, 961, 1039, 1101, 1105, 1217, 1219, 1241, 1248, 1250, 1252, 1262, 1265, 1317, 1429, 1561, 1562, 1567, 1695, 1733, 1834, **Pitampura:** MAL-698, MUL-583, 584, 658, 664, 687, 688, 717, 718, 719, 741, 779, 794, 796, 803, 815, 841, 843, 844, 849, 879, 892, 893, 912, 939, 963, 1002, 1042, 1043, 1078, 1100, 1105, 1178, 1267, PPL-4197, 4198, 4199, 4200, **Rohini Sector 11:** MAL-1106, MUL-1061, 1196, 1219, 1224, 1236, 1244, 1278, 1327, 1334, 1353, 1363, 1383, 1396, 1424, 1453, 1481, 1488, 1538, 1548, 1570, 1571, 1588, 1613, 1623, 1631, 1646, 1648, 1693, 1702, 1742, 1753, 1754, 1755, 1762, 1764, 1782, 1834, 1836, 1888, 1902, 1914, 1919, 1935, 1966, 1979, 1987, 2024, 2048, 2064, 2077, 2104, 2118, 2147, 2148, 2166, 2214, 2248, 2255, 2257, 2264, 2278, 2288, 2309, 2321, 2363, 2379, 2388, 2398, 2412, 2426, 2444, 2460, 2476, 2493, 2511, 2535, 2538, 2578, 2693, **Narela:** MUL-1472, 1523, 1559, 1571, 1582, 1587, 1611, 1692, 1715, 1824, 1835, 1889, 1963, 2048, 2049, 2118, 2121, 2139, 2149, 2150, 2152, 2154, 2169, 2179, 2220, 2233, 2240, 2330, 2341, 2345, 2366, 2367, 2369, 2376, 2377, 2407, 2410, 2413, 2415, 2424, 2431, 2445, 2458, 2461, 2467, 2468, 2502, 2520, 2523, 2567, 2626, 2631, 2651, 2663, 2728, 2729, 2758, 2776, 2782, 2802, 2806, 2816, 2859, 2897, 2915, 2918, 2921, 2952, 2957, 2967, 2993, 2994, 3010, 3027, 3037, 3043, 3061, 3089, 3155, 3282, MWS-18, 88, **Shalimar Bagh BT Block:** MAL-1128, MSL-6510, MUL-1116, 1140, 1168, 1251, 1272, 1395, 1403, 1437, 1474, 1475, 1502, 1512, 1546, 1549, 1550, 1573, 1574, 1575, 1576, 1579, 1609, 1640, 1644, 1645, 1654, 1656, 1658, 1660, 1669, 1671, 1704, 1714, 1717, MWS-15, 21, 90, 140, 180, 199, 215, 249, 253, 295, 307, 321, 336, 367, 393, 433, 443, 447, 494, 590, 597, 598, 618, 619, 627, 650, 663, 672, 678, 693, 695, 699, 729, 756, 765, 797, 850, 855, 890, 1159, **Kohat Enclave:** MUL-442, 467, 471, 474, 475, 476, 499, 512, 523, 525, 532, 538, 555, 577, 584, 585, 610, 620, 621, 622, 624, 666, 698, 706, 725, 735, 739, 766, 777, 779, 783, 786, 791, 799, 810, 819, 836, 842, 846, 888, 916, 985, 1126, **Rohini Sector 7:** MUL-702, 826, 838, 846, 896, 897, 902, 904, 906, 914, 920, 934, 947, 960, 961, 992, 993, 1037, 1040, 1059, 1064, 1092, 1093, 1118, 1137, 1159, 1167, 1170, 1175, 1197, 1221, 1238, 1247, 1264, 1266, MWS-59, 63, 114, 143, 194, 229, 240, 268, 301, 311, 322, 345, 369, 463, **Rohini Sector 16:** MUL-1345, 1430, 1448, 1452, 1454, 1456, 1582, 1759, 1784, 1799, 1893, 1956, 1975, 2005, 2018, 2024, 2078, 2102, 2155, 2203, 2237, 2246, 2247, 2270, 2273, 2274, 2298, 2342, 2373, 2382, 2383, 2403, 2418, 2447, 2453, 2476, 2525, 2646, 2709, 2740, 2767, 2802, 2817, 2822, 2840, 2851, 2874, 2902, 2919, 2929, 2958, 2966, 3063, 3124, MWS-233, **Mangolpur Kaln:** MSL-6729, 6749, MUL-882, 890, 950, 1078, 1173, 1179, 1196, 1200, 1207, 1209, 1211, 1226, 1237, 1240, 1245, 1265, 1288, 1307, 1318, 1322, 1325, 1353, 1355, 1356, 1441, 1471, 1548, 1560, 1575, 1632, 1641, 1689, 1691, 1707, 1721, 1732, 1749, 1758, 1796, 1908, 1927, 2101, **Budh Vihar:** MSL-19686, 19761, 19787, MUL-1175, 1827, 2337, 2406, 2429, 2446, 2457, 2497, 2498, 2649, 2655, 2669, 2676, 2711, 2713, 2735, 2840, 2861, 2872, 2874, 2902, 2907, 2914, 2970, 2990, 3007, 3049, 3057, 3061, 3068, 3129, 3303, 3304, 3351, 3384, 3390, 3400, 3401, 3403, 3407, 3510, 3512, 3522, 3558, 3580, 3691, 3715, 3729, 3737, 3758, 3765, 3807, 3839, 3865, 3872, 3886, 3889, 3894, 3938, 3940, 3954, 3972, 3977, 4001, 4015, 4031, 4046, 4076, 4077, 4082, 4111, 4116, 4121, 4150, 4181, 4217, 4224, 4234, 4253, 4257, 4269, 4302, 4313, 4322, 4327, 4356, 4358, 4365, 4389, 4414, 4417, 4421, 4422, 4427, 4445, 4459, 4470, 4473, 4491, 4540, 4589, 4607, 4611, 4630, 4635, 4638, 4639, 4662, 4663, 4674, 4678, 4700, 4714, 4722, 4732, 4754, 4786, 4788, 4818, 4851, 4856, 4864, 4882, 4897, 4986, 5007, 5015, 5023, 5054, 5218, 5235, 5361, 5633, MWS-10, 30, 70, 73, 94, 99, 152, 176, 200, 201, 204, 206, 207, 208, 252, 273, 278, 285, 294, 313, 327, 348, 379, **Rohini Sai Baba Chowk:** MSL-7897, MUL-618, 637, 659, 671, 737, 845, 891, 921, 927, 930, 936, 940, 964, 995, 996, 1014, 1016, 1023, 1039, 1041, 1048, 1064, 1080, 1095, 1117, 1118, 1120, MWS-30, 38, 120, **Raja Park (Rani Bagh):** MHL-74, MUL-1008, 1026, 1128, 1157, 1168, 1189, 1222, 1233, 1237, 1288, 1330, 1332, 1350, 1351, MWS-41, 54, 94, 111, 126, 164, 195, 220, 230, 241, 244, 347, 353, 384, 389, 410, 421, 425, 474, 552, 554, 598, 600, 612, 623, 670, 672, 685, 751, 795, 811, 813, 817, 822, 835, 896, 897, 907, 914, 931, 952, 958, 962, 963, 975, 978, 985, 999, 1013, 1032, 1058, 1062, 1063, 1078, 1082, 1101, 1110, 1153, 1176, 1223, 1236, 1239, 1249, 1281, 1288, 1289, 1295, 1344, 1352, 1353, 1395, 1496, 1510, 1520, 1565, 1607, 1609, 1737, 1773, 1828, 2043, **Prashant Vihar:** MUL-98, 335, 347, 364, 406, **Bawana:** MUL-1151, 1165, 1233, 1314, 1322, 1323, 1378, 1450, 1477, 1486, 1512, 1525, 1579, 1650, 1673, 1731, 1761, 1769, 1773, 1805, 1865, 1874, 1878, 1894, 1915, 1918, 1944, 1969, 1984, 1991, 2057, 2075, 2077, 2085, 2123, 2171, 2188, 2189, 2229, 2232, 2239, 2289, 2322, 2325, 2332, 2349, 2365, 2373, 2411, 2418, 2443, 2463, 2502, 2540, 2547, 2623, 2767, **Rohini Sector 3:** MUL-1026, 1273, 1280, 1289, 1354, 1361, 1362, 1369, 1391, 1417, 1457, 1482, 1543, 1544, 1567, 1637, 1655, 1660, 1712, 1763, 1786, 1832, 1978, 1979, 1992, 1997, 2063, 2114, 2117, 2156, 2217, 2238, 2260, 2264, 2281, 2282, 2304, 2307, 2318, 2322, 2331, 2374, 2390, 2393, 2400, 2412, 2413, 2443, 2448, 2473, 2474, 2486, 2501, 2517, 2534, 2548, 2553, 2563, 2564, 2620, 2654, 2670, 2680, 2685, 2686, 2693, 2727, 2733, 2752, 2764, 2765, 2791, 2792, 2817, 3168, **Rohini Sector 15:** MUL-1021, 1022, 1056, 1102, 1104, 1155, 1156, 1157, 1160, 1165, 1182, 1190, 1206, 1209, 1258, MWS-31, 77, 83, 99, 141, 145, 166, 176, 196, 211, 253, 254, 277, 292, 329, 333, 340, 358, 369, 376, 389, 393, 474, 480, 493, 502, 516, 526, 536, 574, 585, 596, 647, 648, 699, 720, 736, 742, 766, 785, 811, 846, 850, 875, 917, 941, 963, 999, 1029, 1070, 1110, 1236, **Delhi-Alipur:** MSL-6515, MUL-564, 575, 590, 593, 620, 721, 728, 752, 787, 802, 804, 853, 874, 879, 885, 960, 963, 970, 1011, 1015, 1067, 1075, 1109, 1115, 1130, 1135, 1136, 1162, 1220, 1289, 1357, 1442, **Sainik Vihar:** MUL-365, 367, 392, 417, 420, 437, 439, 444, 445, 447, 455, 459, 480, 483, 484, MWS-14, 15, 35, 42, 87, 112, 114, 133, **Rohini Pocket-C Sector-3:** MUL-885, 922, 935, 943, 1074, 1119, 1153, 1192, 1277, MWS-10, 32, 44, 108, 138, 173, 183, 264, 277, 294, 300, 304, 315, 374, 440, 441, 565, 591, 631, 655, 675, 693, 734, 740, 789, 798, 827, 852, 866, 984, 1005, 1031, 1043, 1074, 1099, 1127, 1170, 1365, 1485, **Delhi-Badli:** MSL-4835, MUL-404, 654, 655, 699, 706, 747, 756, 779, 790, 822, 878, 927, 928, 932, 933, 1017, 1018, 1022, 1077, 1078, 1129, 1153, 1171, 1173, 1190, 1195, 1224, 1235, 1245, 1281, 1285, 1330, 1340, 1429, **Pitampura MP-1:** MAL-540, MUL-657, 688, 705, 728, 738, 823, 852, 856, 884, 887, 931, 939, 943, 957, 973, 988, 1005, 1010, 1019, 1022, 1074, 1115, 1156, 1195, 1199, 1209, 1217, 1256, 1334, 1388, 1429, **Poothkalan:** MAL-1429, 1445, MUL-1113, 1777, 1783, 1797, 1969, 1972, 2008, 2057, 2098, 2104, 2124, 2160, 2173, 2189, 2196, 2224, 2248, 2259, 2353, 2380, 2406, 2449, 2459, 2461, 2508, 2522, 2525, 2605, 2614, 2635, 2638, 2659, 2680, 2688, 2726, 2729, 2811, 2830, 2837, 2860, 2867, 2880, 2943, 2946, 2958, 2959, 2962, 2965, 2967, 2972, 2994, 2995, 2999, 3042, 3054, 3081, 3091, 3106, 3107, 3136, 3139, 3140, 3174, 3185, 3186, 3192, 3202, 3219, 3237, 3244, 3245, 3256, 3267, 3269, 3270, 3280, 3296, 3333, 3334, 3352, 3356, 3359, 3364, 3377, 3386, 3399, 3414, 3415, 3423, 3447, 3462, 3481, 3487, 3492, 3493, 3494, 3500, 3524, 3532, 3543, 3549, 3561, 3563, 3591, 3597, 3614, 3626, 3642, 3644, 3649, 3689, 3700, 3710, 3714, 3733, 3735, 3739, 3740, 3741, 3760, 3764, 3774, 3787, 3793, 3795, 3802, 3805, 3807, 3813, 3827, 3831, 3857, 3860, 3879, 3911, 3939, 3973, 3985, 3990, 4021, 4056, 4112, 4127, 4143, 4149, 4190, 4194, 4210, 4218, 4228, 4256, 4267, 4276, 4279, 4295, 4297, 4305, 4310, 4321, 4337, 4343, 4347, 4387, 4391, 4393, 4452, 4456, 4469, 4492, 4495, 4508, 4540, 4650, 4885, 4902, 5015, 5136, 5156, **Shahbad Daulatpur:** MSL-8815, MUL-852, 1132, 1149, 1202, 1226, 1232, 1278, 1282, 1309, 1332, 1344, 1376, 1428, 1450, 1464, 1482, 1548, 1589, 1614, 1640, 1654, 1663, 1706, 1753, 1779, 1817, 1830, 1837, 1844, 1887, 1890, 1902, 1912, 1962, 1983, 2008, 2023, 2027, 2038, 2068, 2078, 2095, 2139, 2254, 2292, 2310, 2312, 2321, 2327, 2328, 2356, 2361, 2405, 2452, 2472, 2524, 2564, 2679, 2736, 2883, 2886, **Rohini Sect-5:** MHP-28, MSL-23128, 23129, 23459, 23588, MUL-1406, 1705, 1758, 1761, 1774, 1783, 1818, 1938, 1946, 1948, 1960, 2020, 2050, 2080, 2082, 2130, 2137, 2138, 2139, 2144, 2186, 2215, 2233, 2234, 2257, 2258, 2259, 2302, 2416, 2423, 2424, 2446, 2459, 2544, 2564, 2586, 2623, 2639, 2640, 2642, 2643, 2656, 2663, 2664, 2707, 2718, 2747, 2758, 2780, 2799, 2802, 2838, 2851, 2872, 2886, 2895, 2926, 2963, 2970, 3016, 3037, 3044, 3045, 3050, 3056, 3105, 3113, 3145, 3156, 3197, 3199, 3200, 3239, 3284, 3324, 3356, 3375, 3424, 3425, 3432, 3434, 3501, 3535, 3539, 3552, 3570, 3922, **Rohini-Sector-24:** MUL-1636, 1677, 1678, 1679, 1758, 1829, 1840, 1903, 1961, 1967, 1991, 2021, 2045, 2064, 2066, 2087, 2094, 2172, 2196, 2199, 2245, 2249, 2250, 2263, 2291, 2292, 2306, 2334, 2388, 2394, 2396, 2455, 2470, 2504, 2533, 2544, 2553, 2593, 2597, 2614, 2638, 2641, 2726, 2746, 2771, 2772, 2790, 2797, 2801, 2815, 2825, 2827, 2891, 2905, 2915, 2924, 2936, 2939, 2943, 2994, 2997, 3002, 3019, 3023, 3047, 3056, 3058, 3060, 3082, 3086, 3087, 3135, 3138, 3223, 3266, 3283, 3360, 3378, 3719, **Delhi-Haiderpur:** MAL-490, MUL-562, 586, 642, 746, 775, 778, 797, 818, 819, 820, 852, 853, 948, 1046, 1047, 1057, 1077, 1106, 1113, 1114, 1139, 1141, 1190, 1196, 1278, 1282, 1286, 1320, 1366, 1396, 1399, 1436, 1532, **Mubarakpur Dabas:** MUL-804, 885, 990, 1000, 1052, 1073, 1132, 1142, 1159, 1199, 1211, 1228, 1229, 1255, 1259, 1280, 1292, 1295, 1315, 1319, 1323, 1326, 1333, 1351, 1384, 1386, 1389, 1396, 1434, 1442, 1459, 1461, 1498, 1503, 1517, 1531, 1559, 1594, 1608, 1643, 1645, 1653, 1661, 1684, 1922, 1949, 2057, **Narela Bawana Road-Delhi:** MUL-329, 358, 367, 387, 402, 417, 444, 445, 448, 457, 463, 496, 511, 512, 514, 516, 532, 547, 550, 552, 556, 584, 589, 593, MWS-13, 22, 69, 70, 76, 93, 110, 111, 112, 134, 136, 164, 206, 211, 216, 223, 250, 260

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह सबंधित नीलामी वहाँ दिनाक **18.12.2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Muthoot Finance Ltd., Regional Office North West Delhi First Floor, 354/4205, Sant Nagar, Chowk Rani Bagh, Delhi – 110034** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएगी।

कोहली एण्ड सोबी, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली – 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

www.readwhere.com

नेताओं को हिरासत में रखने पर लोकसभा में बोले गृहमंत्री

रिहाई पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन लेगा फैसला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर में हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ने का निर्णय वहां का स्थानीय प्रशासन उचित समय पर लेगा। वहां के मामले में केंद्र सरकार कोई दखल नहीं देगी। शाह ने कांग्रेस को नसीहत भी दी कि उसे घाटी के राजनीतिक नेताओं से ज्यादा वहां के आम आदमी की चिंता करनी चाहिए।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रश्नकाल में अपने पूरक प्रश्न में सरकार से जानना चाहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला सहित अन्य नेताओं को कब तक रिहा किया जाएगा और वहां पर राजनीतिक गतिविधियां कब तक बहाल होंगी। उनके सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा- जम्मू-कश्मीर में हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ने का निर्णय स्थानीय प्रशासन की ओर से लिया जाएगा तथा वहां के मामले में केंद्र सरकार दखल नहीं देगी।

उन्होंने कहा कि जिन राजनीतिक नेताओं को प्रतिबंधित आदेश के तहत जेल में रखा गया है, सरकार की उनमें से किसी को एक दिन भी ज्यादा जेल में रखने की कोई इच्छा नहीं है। जब भी प्रशासन तय करेगा, उनकी रिहाई होगी।

शाह ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी के शासन काल में फारुक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला को 11 साल तक जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि हमारा उनके नक्शे कदम पर चलने का कोई इरादा नहीं है और जब भी स्थानीय प्रशासन तय करेगी, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।

एचपीसीएल में 35 महीने से वेतन नहीं, रास में उठा मुद्दा

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा)।

हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) में कर्मचारियों और कामगारों को पिछले 35 महीने से वेतन न मिलने का मुद्दा राज्यसभा में मंगलवार को उठाया गया और सरकार से इस संस्थान के कर्मियों को बकाया वेतन दिए जाने की तथा राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई।

तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने एचपीसीएल के कर्मचारियों और कामगारों को 2016 के बाद से वेतन न मिलने का मुद्दा उठाया। डोला ने कहा कि 35 माह से वेतन न मिल पाने की वजह से एचपीसीएल के कर्मचारी परेशान हैं। कुछ की मौत हो चुकी है और कुछ ने आत्महत्या भी की है। कई कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई अर्थ संकट की वजह से बाधित हो रही है।

राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा

नोटबंदी के बाद मुद्रा की मात्रा बढ़ी

देश में जाली मुद्रा पर लगी रोक

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा)।

सरकार ने नोटबंदी को देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी फैसला करार देते हुए मंगलवार को कहा कि इससे न सिर्फ मुद्रा की मात्रा बढ़ी है बल्कि जाली मुद्रा पर भी रोक लगी है। साथ ही डिजिटल भुगतान में इजाफे से नोटों के परिचालन को कम करने में सफलता मिली है।

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान नोटबंदी के फैसले के प्रभाव से जुड़े एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार ने आठ नवंबर 2016 को पांच कारणों से 1000 और 500 रुपए के नोट के वैध मुद्रास्वरूप को समाप्त करने का निर्णय लिया था। सपा के विशंभर प्रसाद निषाद द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ठाकुर ने कहा कि कालेधन को खत्म करने, जाली नोट की समस्या से निपटने, आतंकवाद के वित्तपोषण की जड़ पर प्रहार करने, गैर औपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने और भारत को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया था। इस फैसले से अर्थव्यवस्था में नोटों की कमी आने से जुड़े पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि चार नवंबर 2016 को 17741.87 अरब रुपए के नोट प्रचलन में थे, इसकी मात्रा दो दिसंबर 2019 को बढ़कर 22356.48 अरब रुपए हो गई। ठाकुर ने कहा कि नोटबंदी और इसके बाद डिजिटलीकरण तथा अनौपारिक अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रयोग की कमी से 3046.05 अरब रुपए के नोटों के परिचालन को कम करने में सफलता मिली है।

नोटबंदी के बाद जाली नोटों में कमी आने के बारे में उन्होंने बताया कि आरबीआइ ने सूचित किया है कि बैंकिंग प्रणाली में 2016-17 के दौरान 7.62 लाख नोट, 2017-18 में 5.22 लाख और 2018-19 में 3.17 लाख जाली नोटों की पहचान की गई थी।

आतंकवाद के खिलाफ नोटबंदी के सकारात्मक प्रभाव के बारे में ठाकुर ने बताया कि 1000 और 500 रुपई के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद आतंकवादियों के पास पड़ी अधिकतर नकदी बेकार हो गयी। ठाकुर ने कालेधन के खिलाफ अभियान में मिली कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा कि नवंबर 2016 से मार्च 2017 के दौरान आयकर विभाग की 900 टीमों ने तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर 636 करोड़ रुपए की नकदी और 7961 करोड़ रुपए की अघोषित आय की स्वीकृति सहित 900 करोड़ रुपए की जब्ती की।

भाजपा में महिलाओं के विरुद्ध अपराध से घिरे सर्वाधिक सांसद

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा)।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों का सामना कर रहे सांसदों के संदर्भ में भाजपा में सर्वाधिक 21 ऐसे सांसद हैं, उसके बाद कांग्रेस 16 ऐसे सांसदों के साथ दूसरे नंबर पर और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सात ऐसे सांसदों के साथ तीसरे नंबर पर है। एसोसएशिन फोर डेमोक्रेटिक रिफोर्म्स (एडीआर) ने यह बात कही है।

उसने यह भी कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित मामलों के सिलसिले में लोकसभा में जहां 2009 में दो ऐसे सांसद थे वहीं 2019 में ऐसे सांसदों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है।

एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है, 'तीने ऐसे सांसद और छह ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बलात्कार से जुड़े मामले घोषित किए हैं... पांच साल में मान्यता प्राप्त दलों ने 41 उम्मीदवारों को टिकट दिया था जिन्होंने बलात्कार से संबंधित मामले घोषित किए थे।'पांच साल में भाजपा ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों से जूझ रहे 66 उम्मीदवारों को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। कांग्रेस ने 46 ऐसे उम्मीदवार और बहुजन समाज पार्टी ने 40 ऐसे उम्मीदवार उतारे।

एडीआर और नेशनल इलेक्शन वाच ने कहा कि उसने वर्तमान 759 सांसदों और 4063 विधायकों के 4,896 चुनावी हलफनामों में से 4822 का विश्लेषण किया। रिपोर्ट कहती है कि इस अवधि के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले वाले लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों की संख्या 38 से बढ़कर 126 हो गई यानी ऐसे उम्मीदवार 231 फीसद बढ़ गए। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक ऐसे 16 सांसद/विधायक है जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले होने की घोषणा की। उसके बाद ओडिशा और महाराष्ट्र आते हैं जहां ऐसे 12-12 सांसद/विधायक हैं।

यौन प्रताड़ना मामला : नृत्यांगना ने की खुदकुशी की कोशिश

कुरुक्षेत्र,10 दिसंबर (भाषा)।

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक नृत्यांगना ने उससे कथित रूप से बलात्कार करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस पर निष्क्रियता बरतने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को खुदकुशी करने की कोशिश की। नृत्यांगना शादियों और अन्य कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति देती है। महिला को उसके परिवार के लोग अस्पताल ले गये। उसकी हालत स्थिर बतायी जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो फैल गया है जिसमें यह नृत्यांगना पुलिस पर निष्क्रियता बरतने का आरोप लगा रही है। उसने आरोप लगाया कि शुरू में पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया और अब उस पर कुछ अधिकारी आरोपी के साथ सुलह कर लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि - 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि:19.12.2019

Barmer-Nehru Nagar: MAL-653, 720, 726, MBL-646, MSL-3863, 3864, 4863, 5273, 5283, MGL-22, MUL-18, 738, 753, 754, 759, 779, 784, 869, 870, 876, 915, 918, 921, 936, 944, 948, 1024, 1052, 1072, 1073, 1080, 1091, 1099, 1104, 1115, 1121, 1166, 1180, 1182, 1208, 1216, 1259, 1262, 1290, 1292, 1295, 1306, 1308, 1317, 1326, 1334, 1353, 1354, 1362, 1373, 1389, 1391, 1410, 1419, 1428, 1430, 1444, 1455, 1477, 1496, 1497, 1499, 1508, 1541, 1547, 1592, 1593, 1609, 1652, 1655, 1661, 1672, 1673, 1675, 1694, 1712, 1719, 1723, 1726, 1737, 1738, 1749, 1767, 1768, 1771, 1799, 1809, 1812, 1867, 1917, 1999, **Barmer Station Road (RA):** MAL-631, 790, MSL-4811, 4831, 4833, MUL-398, 634, 700, 705, 710, 725, 726, 731, 739, 757, 769, 798, 809, 812, 833, 848, 857, 860, 881, 883, 903, 910, 926, 952, 954, 964, 965, 974, 985, 996, 1001, 1027, 1028, 1044, 1076, 1089, 1093, 1102, 1131, 1136, 1185, 1202, 1205, 1229, 1238, 1239, 1249, 1253, 1255, 1259, 1260, 1280, 1284, 1297, 1298, 1355, 1358, 1360, 1372, 1378, 1379, 1382, 1409, 1417, 1425, 1455, 1474, 1499, 1500, 1502, 1520, 1523, 1534, 1542, 1545, 1573, 1587, 1593, 1614, 1621, 1632, 1634, 1669, 1681, 1705, 1709, 1724, 1727, 1733, 1752, 1817, 1819, 1821, 1845, 1927

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालांकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक **20.12. 2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Muthoot Finance Ltd., First Floor, Lunia Complex, Station Road, Barmer - 344001** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहां इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएगी।

नीलामी की तिथि: 17.12.2019

Phalodi-(RA): CCL-60, MGL-13, 87, 474, 680, 702, 703, 869, 940, 1134, 1155, 1647, 1737, 1770, 1808, 2045, MSL-6079, MUL-6, 8, 110, 131, 148, 217, 254, 357, 368, 380, 442, 483, 563, 630, 643, 649, 676, 712, 717, 773, 777, 793, 877, 880, 883, 890, 1010, 1012, 1040, 1045, 1147, 1148, 1160, 1186, 1240, 1248, 1255, 1257, 1269, 1284, 1318, 1327, 1366, 1408, 1420, 1450, 1453, 1473, 1480, 1484, 1570, 1598, 1602, 1655, 1656, 1667, 1681, 1701, 1722, 1728, 1729, 1771, 1810, 1860, 1897, 1909, 1940, 1941, 1960, 1987, 2070, 2120, 2164

नीलामी की तिथि: 18.12.2019

Balotra-(RA): MAL-453, MUL-415, 423, 489, 604, 658, 730, 755, 757, 792, 794, 833, 844, 846, 873, 876, 968, 996, 998, 1013, 1033, 1064, 1067, 1104, 1114, 1131, 1167, 1190, 1208, 1231, 1242, 1243, 1284, 1288, 1308, 1323, 1327, 1354, 1439, 1465, 1466, 1479, 1483, 1485, 1498, 1510, 1519, 1529, 1547, 1548, 1562, 1575, 1589, 1623, 1678, 1893

नीलामी की तिथि: 19.12.2019

Jaisalmer: MAL-24, 63, 148, MGL-390, MSL-11, 56, MUL-8, 24, 31, 94, 163, 179, 194, 255, 294, 295, 323, 340, 378, 429, 454, 464, 468, 513, 532, 555, 558, 595, 596, 613, 624, 637, 677, 684, 694, 745, 746, 751, 757, 765, 798, 817, 824, 839, 851, 856, 862, 884, 896, 904, 911

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.04.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 18.12.2019

Balotra-(RA): MUL-1006

नीलामी की तिथि: 19.12.2019

Jaisalmer: MGL-433, MUL-328, 830

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट को बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि - 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 19.12.2019

Lucknow-Indira Nagar: MUL-1038, MWS-228, 470, 503, 507, 523, 534, 538, 560, 575, 588, 592, 671, 672, 716, **Lucknow-Gomti Nagar:** MUL-939, 1026, 1138, 1145, 1160, 1163, 1170, 1179, 1205, 1228, 1232, 1233, 1269, 1278, 1279, 1327, 1329, 1462, 1537, 1558, 1617, 1960, **Lucknow-Mahanagar:** MUL-889, 1021, 1051, 1052, 1073, 1078, 1103, 1108, 1110, 1166, 1230, **Lucknow-Alambagh:** MWS-194, 206, 231, 242, 255, 308, 313, 337, 353, 358, 365, 368, 398, 417, 426, 427, 429, 467, 474, 482, 490, 498, 502, 545, 568, 618, 713, **Lucknow-Aminabad:** MUL-661, 663, 750, 774, 795, 862, **Lucknow-Purania Chowk:** MUL-1291, 1299, 1302, 1314, 1320, 1344, 1345, 1351, 1395, 1462, 1470, 1663, 1678, 1703, 1736, 1778, 1818, **Lucknow-Rajaji Puram:** MUL-822, 851, 856, 923, 947, MWS-24, 43, 44, 67, 97, 109, 124, **Lucknow-Latus Road:** MSL-5260, MUL-654, 677, 682, 684, 689, 690, 694, 717, 724, 734, 735, 736, 771, 772, 836, 851, 894, **Lucknow-Bangla Bazar:** MSL-5028, MUL-692, 817, 827, 828, 859, 891, 901, 902, 910, 922, 924, 925, 949, 957, 961, 966, 987, 994, 1002, 1007, 1022, 1028, 1036, 1041, 1081, 1084, 1104, 1116, 1118, 1139, 1165, 1179, 1209, 1235, **Lucknow-Kanpur Road:** MHL-36, MUL-919, 926, 933, 1011, 1012, 1020, 1023, 1039, 1050, 1078, 1090, 1095, 1098, 1121, 1129, 1156, 1161, 1162, 1176, 1186, 1192, 1258, 1284, **Luchnow-Ashiana Chouraha:** MUL-937, 1074, 1100, 1107, 1112, 1119, 1161, 1174, 1191, 1243, 1254, 1258, 1259, 1275, 1277, 1281, 1295, 1310, 1317, 1337, 1342, 1478, 1563, **Lucknow-Jankipuram:** MUL-574, 745, 846, 858, 859, 961, 1089, 1107, **Lucknow-Thakurganj:** MUL-398, 511, 584, 612, 619, 632, 636, 665, 681, 682 **Lucknow-Chinhat:** MUL-453, 602, 682, 718, 759, 771, 802, 810, 860, 863, 891, 909, 923, 950, 957, 963, 992, 1072, 1098

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक **20.12. 2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **First Floor, Lekhraj-II, Lekhraj Market, Faizabad Road, Indira Nagar, Lucknow, U.P. - 226016** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहां इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

नीलामी की तिथि: 16.12.2019

Unnao-(UP): MAL-206, MGL-445, 555, 702, 815, 816, 971, MPL-31, MSL-5309, 5401, 5435, 5445, 5526, 5529, 5534, 5633, MUL-134, 142, 211, 212, 216, 230, 255, 315, 330, 334, 341, 389, 501, 556, 562, 587, 666, 667, 680, 688, 691, 700, 724, 810, 825, 868, 935, 941, 946, 1009, 1041, 1065, 1096, 1097, 1107, 1111, 1129, 1140, 1207, 1231, 1261, 1327, 1495

नीलामी की तिथि: 17.12.2019

Auraiya-(UP): MAL-513, MHL-40, MSL-2395, 2484, 2512, 2535, 2536, MUL-95, 123, 130, 145, 160, 230, 273, 344, 368, 407, 409, 491, 521, 529, 534, 553, 557, 576, 584, 600, 618, 623, 624, 651, 653, 681, 682, 687, 688, 717, 730, 764, 778, 783, 790

नीलामी की तिथि: 18.12.2019

Farrukhabad-(UP): MAL-65, MGL-41, 236, MUL-3, 4, 49, 83, 97, 134, 135, 149, 150, 179, 197, 198, 225, 226, 266, 294, 347, 349, 503, 522, 523, 524, 525, 534, 545, 546, 547, 549, 550, 582, 632, 651, 656, 662, 692, 715, 716, 717, 725, 758, 771

नीलामी की तिथि: 19.12.2019

Kannauj-(UP): MAL-666, 679, MUL-799, 800, 801, 1041, 1043, 1048, 1071, 1097, 1099, 1114, 1156, 1175, 1180, 1185, 1193, 1210, 1221, 1233, 1238, 1239, 1251, 1262, 1272, 1289, 1290, 1298, 1305, 1340, 1407, 1413, 1434, 1438, 1461, 1466, 1479, 1502, 1541, 1543, 1554, 1580, 1667, 1668, 1769, 1801

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.04.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि:: 18.12.2019

Farrukhabad-(UP): MSL-2229

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट को बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

रिसैट-2बीआर1 के प्रक्षेपण की उलटी गिनती शुरू

चेन्नई, 10 दिसंबर (भाषा)।

भारत के रडार इमेजिंग पृथ्वी निगरानी उपग्रह रिसैट-2बीआर1 को पीएसएलवी-48 यान के जरिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित करने के लिए करीब 24 घंटे पहले की उलटी गिनती मंगलवार को शुरू हो गई। इसरो ने यह जानकारी दी।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कहा कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट (पीएसएलवी) का 50वां मिशन, पीएसएलवी-सी 48 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्चपैड से बुधवार को अपराह्न तीन बज कर 25 मिनट पर उड़ान भरेगा। बुधवार को होने जा रहा यह प्रक्षेपण अंतरिक्ष एजंसी के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है क्योंकि यह पीएसएलवी की 50वीं उड़ान होगी और श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाने वाले 75वां रॉकेट होगा।

कृषि, वन एवं आपदा प्रबंधन में सहायता उपलब्ध कराने के मकसद से तैयार किया गया 628 किलो भार वाला यह उपग्रह अपने साथ नौ छोटे उपग्रहों को ले जाएगा। इनमें इजराइल, इटली, जापान का एक-एक और अमेरिका के छह उपग्रह शामिल होंगे। इसरो ने कहा कि मंगलवार को दोपहर चार बजकर 40 मिनट पर रिसैट-2 बीआर 1 के लिए उल्टी गिनती चालू हो गई। अंतरिक्ष एजंसी ने कहा कि इन उपग्रहों का प्रक्षेपण न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ हुए व्यावसायिक करार के तहत किया जा रहा है। इसरो ने बताया कि रिसैट-2बीआर1 मिशन की उम्र पांच वर्ष है। रिसैट-2बीआर1 से पहले 22 मई को रिसैट-2बी का सफल प्रक्षेपण किया गया था।

RattanIndia

रतनइंडिया पावर लिमिटेड

(CIN: L40102DL2007PLC169082)

पंजीकृत कार्यालय : ए-49, तल मंजिल, रोड नं. 4, महिपालपुर, नई दिल्ली- 110037

फोन : 011-46611666 फैक्स : 011-46611777

वेबसाईट: www.rattanindia.com/rpl, ई-मेल: ir@rattanindia.com

कोरीजेंडम

यह नोटिस शेयरधारकों को 7 दिसंबर, 2019 को भेजे गए नोटिस के संदर्भ में है, जिसमें कृपया ध्यान दें कि, उक्त सूचना के बिंदु संख्या सी में कुछ सुधार है जिसे निम्नानुसार पढ़े।

(सी) सेबी आईसीडीआर विनियम 2018 के अनुसार, अधिमान्य निर्गमन और प्रवर्तक अधिमान्य निर्गमन के संबंध में प्रासंगिक तारीख और न्यूनतम मूल्य, निम्नलिखित अनुसार पुनरीक्षित किए गए है।

1) प्रासंगित तिथि - 15 नवम्बर, 2019 (पहले 16 नवम्बर, 2019 उल्लेख किया गया था।)

2) न्यूनतम मूल्य - रूपये 1.69 प्रति इक्विटी शेयर (पहले रूपये 1.71 प्रति इक्विटी शेयर उल्लेख किया गया था।)

उपरोक्त संदर्भ में उल्लेखित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम मूल्य में संशोधन के बावजूद, पूर्वोक्त तरजी जारी करने के निर्गम मूल्य/रूपांतरण मूल्य रूपये 10 प्रति इक्विटी शेयर ही रहेगा।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते रतनइंडिया पावर लिमिटेड
सही/-
ललित नारायण मठपती
कंपनी सचिव
एफसीएस - 7943

दिनांक : 10.12.2019
स्थान : नई दिल्ली

फार्म नं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले और

डीआरडी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74899DL1993PTC056251)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **306, सम्राट भवन, ए 7, रंग कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली -110008** में है, के मामले में
....**आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता**

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, जो विशेष प्रस्ताव एवं असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से" "पश्चिम बंगाल राज्य"** में बदलने हेतु **बृहस्पतिवार, 28 नवंबर, 2019** को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित/विरोध के आधार हो, उसके साथ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **306, सम्राट भवन, ए 7, रंग कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली -110008** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दे।

कृते **डीआरडी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड**
शशी शेखर चक्रवती
(निदेशक)
डीआईएन: 06629924

दिनांक: 10 दिसम्बर 2019
स्थान: नई दिल्ली

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (एसडब्ल्यू) II
द्वारका, डब्ल्यूटीपी, द्वारका, नई दिल्ली-110043
नं. डीजेबी/ईई(एसडब्ल्यू) II/2019/6174 तिथिः 9.12.19
एनआईटी सं. 36 (19-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि	ईएमडी एवं निविदा शुल्क	पूर्णता अवधि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई (एसडब्ल्यू)-II एसी-34 के अंतर्गत मटियाला कंस्टीच्युएन्सी में कुतुब विहार फेज-1 तथा फेज-II, पंकज गार्डन में 450/400/350/200/150/100 एमएम डाया वाटर लाइन के पी/एल द्वारा वाटर लाइन का अंतर संयोजन करना (2019_DJB_185209_1)	रु.3657008/-	रु. 73500/- एवं रु. 500/-	120 दिन	9.12.2019, 5.00 बजे अप. से	20.12.2019, 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में सभी नियमों एवं शर्तों सहित एनआईटी के अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल द्वारा जारी)
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/634

हस्ता./-
कार्यपालक अभियंता (एसडब्ल्यू) II

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा दिनांक 09, दिसम्बर, 2019** को ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क0 सं0	शाखा का नाम	खाते का नाम	ऋणकर्ता का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(13/2)मांग नोटिस की तिथि,मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	खरखौदा (6800)	श्री आलोक कुमार त्यागी पुत्र आनंद स्वरूप त्यागी 68000093000 00244	श्री आलोक कुमार त्यागी पुत्र आनंद स्वरूप त्यागी पताः वार्ड नंबर-10, डाकघर के सामने, खरखौदा,मेन बाजार, मेरठ, यू.पी. 245206 मोब- 9410035041	प्राईमरी /कोलेटरल - आवासीय मकान, वर्तमान क्षेत्रफल 219.84 वर्गमीटर या 262.94 वर्गगज (खसरा न. 885 एमआई का हिस्सा), संपत्ति स्थित वार्ड नंबर -10 डाकघर के सामने, मुख्य बाजार, खरखौदा, मेरठ यूपी 245206 संपत्ति स्वामित्व श्री आलोक कुमार पुत्र श्री आनंद स्वरूप त्यागी निवासी वार्ड नंबर -10, डाकघर के सामने, मुख्य बाजार खरखौदा, मेरठ, यूपी 245206 **सीमायें:- पूर्वः** 89'00" शारज सिंह का मकान **पश्चिमः** 84'00" सुभाष का मकान **उत्तरः** 27'00" / अन्य की संपत्ति **दक्षिणः** 25'06" / सड़क अंव डाकघर	09.08.2019 रु. 9,06,602/06 दिनांक 01.07.2019 से ब्याज व अन्य खर्चे	09.12.2019	श्री संतोष कुमार

दिनांक:- 10.12.2019 स्थानः- खरखौदा प्राधिकृत अधिकारी

सरपंच पति ने एक ही मंडप में रचाई पत्नी और साली के साथ शादी

भिंड (मध्यप्रदेश), 10 दिसंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश के भिंड जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर एक गांव में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी सरपंच पत्नी और उसकी ममेरी बहन के साथ एक ही स्टेज पर शादी की। मेहगांव पुलिस स्टेशन क्षेत्रन्तर्गत ग्राम गुदावली में 26 नवंबर को हुई इस शादी में सरपंच पति दिलीप उर्फ दीपू परिहार (35) ने पहले साली रचना (22) के साथ फेरे लिए और फिर एक ही स्टेज पर नई पत्नी के साथ पहली पत्नी विनीता देवी (28) को भी वरमाला पहनाई।

दिलीप एवं विनीता की करीब नौ साल पहले शादी हुई थी और इन दोनों के तीन बच्चे भी हैं।

दो बहनों से एक ही स्टेज पर शादी करने और वरमाला पहनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। इसके अलावा, इस वीडियो में दिख रहा है कि ये दोनों बहनें दुलहन बनी हुई और वरमाला पहने हुए दिलीप के अगल-बगल में खड़ी हैं। दिलीप भी दूल्हे के वेश में है।

शादी का वीडियो सामने आने के बाद दिलीप ने बताया, 'करीब नौ साल पहले विनीता से मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद हमारे 3 बच्चे भी हैं, जिनमें दो बालिकाएं और एक बालक है।' उन्होंने कहा, 'मेरी पहली पत्नी विनीता बीमार रहती है। इसलिए उसने बच्चों की देखरेख के लिए ममेरी बहन रचना से शादी करने के लिए रजामंदी दी है। रचना सिकत्तरपुर की रहने वाली है और मैंने उससे 26 नवंबर को दूसरी शादी रचा ली है।' वैसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरी महिला से शादी करता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है।

हालांकि, भिंड जिले के पुलिस अधीक्षक रूडोल्फ अल्वारेस ने बताया कि इस मामले में अब तक पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं आई है।

राज्यसभा में उठी मैला ढोने की प्रथा पर पूरी तरह रोक की मांग

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा)।

हाथ से मैला ढोने पर रोक के बावजूद देश में इसके जारी रहने पर चिंता जाहिर करते हुए राज्यसभा में मंगलवार को एक मनोनीत सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने कहा कि इस कार्य से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय किए जाने के साथ साथ इस प्रथा पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की जानी चाहिए।

शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए तुलसी ने कहा कि हाथ से मैला ढोने पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद रोजगार के समुचित अवसरों के अभाव में करीब 54,000 लोग हाथ से मैला ढोने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की ओर से इन लोगों को न तो सुरक्षा के कोई उपकरण दिए जाते हैं और न ही इनके स्वास्थ्य को लेकर कोई सुरक्षा व्यवस्था की जाती है।

अभी भी 54000 लोग हाथ से मैला ढोने पर मजबूर

तुलसी ने कहा कि गंदगी के संपर्क में आ कर इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो होती ही हैं, कई बार मौत भी हो जाती है। बीते तीन साल में इन हालात में जान गंवाने वाले ऐसे लोगों की मौत का आंकड़ा 50 से अधिक है। मनोनीत सदस्य ने कहा कि हाथ से मैला ढोने पर रोक लगाने वाले कानून में सुरक्षात्मक व्यवस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और निजी ठेकेदार इसी अस्पष्टता का लाभ उठाते हैं। तुलसी ने सरकार से मांग की कि इस कार्य से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय किए जाने के साथ साथ इस प्रथा पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की जानी चाहिए।

कार हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

विदिशा, 10 दिसंबर (भाषा)।

विदिशा जिले के ग्यारसपुर थानांतर्गत अटारी खेजडा गांव में तेज रफ्तार से जा रही कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से मंगलवार तड़के टकरा गई। घटना में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

www.readwhere.com

नाराज सभापति ने कहा, सांसद नियमों का पालन करें

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन में आ रही बाधा पर मंगलवार को सभापति वेंकैया नायडू नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सांसदों को आदेश दिए कि बेहतर कार्य संचालन के लिए सांसद सदन के तय नियमों का पालन करें और नियम के तहत ही कोई भी मामला सदन में उठाए।

वेंकैया नायडू एक दिन पूर्व ही सदन की कार्यवाही के दौरान सभापति से सदस्यों की बहस किए जाने से नाराज थे। उन्होंने कहा कि सदस्यों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए। सदस्य सदन के नियमों का सख्ती से पालन करें। सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सभापति से पूर्व अनुमति लिए बिना कोई मुद्दा उठाने की मांग पर सदन में हंगामा किया था। सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने नारेबाजी की थी और सभापति के आसन तक आ गए थे। कुछ देर नारेबाजी करने बाद उन्होंने सदन का बहिष्कार कर दिया था।

मंगलवार को सदन की कार्यवही शुरू होने के बाद सभापति ने कहा कि सदस्यों को अपना विरोध करने के अधिकार का इस्तेमाल नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सोचना होगा कि हम संसद में हैं या बाजार में। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन की कार्यवाही के अबाध संचालन के लिए नियमों का पालन करें।

मंगलवार को राज्यसभा के शून्यकाल में संसद भवन के पास बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का मामला उठा। राज्यसभा सांसद विनोय बिस्वम ने कहा कि ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संसद मार्च कर रहे हैं। बैंकों को एक दूसरे में शामिल किया जा रहा है। जिससे देश को नुकसान हुआ है।

इंडियन बैंक Indian Bank Your own bank
GREATER NOIDA BRANCH

एस -7, गामा शॉपिंग मॉल, सेक्टर गामा 1, ग्रेटर नोएडा, यूपी।
ई-मेल: greaternoida@indianbank-co-in

परिशिष्ट-4 (नियम 8(1)) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि **25.05.2017** जारी कर उधाककर्ता/ों **श्री विमलेश कुमार पुत्र श्री देशराज (उधारकर्ता/बंधककर्ता)** द्वारा हमारी ग्रेटर नोएडा शाखा से ली गयी राशि के लिए मांग नोटिस में वर्णित धनराशि रूपये **18,14,978.87 (रूपये अट्ठारह लाख चौदह हजार नौ सौ अटहत्तर व सत्तासी पैसे मात्र)** को नोटिस दिये जाने के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता इस राशि को लौटाने में विफल रहे, अत: एतद्द्वारा उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **05 दिसम्बर 2019** को वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी तरह का व्यवसाय **रूपये 15,34,000.00 तथा 30.11.2019** से भुगतान तिथि तक उस पर ब्याज लागत, चार्जेज तथा उस पर अन्य खर्चों की राशि के लिए **इंडियन बैंक** के चार्ज के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

बंधक सम्पत्ति का विवरण

न.	सर्वे नम्बर	फ्री होल्ड/ लीज होल्ड	क्षेत्र (एकड़/ हेक्टेयर में)	स्थान	सीमा
1	प्लाट नम्बर-ई-08	फ्री होल्ड	53.20 वर्ग मीटर	वह फ्लैट जो पश्चिम की ओर तीसरी मंजिल पर प्लाट नम्बर-ई-08, ब्लॉक-ई, कृष्णा गार्डन, गांव हरिसन, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यूपी-201001	उत्तर- प्लाट नम्बर-ई-09, **दक्षिण**-खुला, **पूरब**- रास्ता व अन्य का फ्लैट, **पश्चिम**- प्लाट नम्बर-एफ-07

दिनांक: 05.12.2019 स्थान: ग्रेटर नोएडा प्राधिकृत अधिकारी (इंडियन बैंक)

कब्जा सूचना

जबकि **असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थी, जिनमें निम्नलिखित कर्जदारों से उक्त सूचनाओं में उनके संबंधित नाम के सामने वर्णित राशियां, उस पर लागू दरों पर ब्याज के साथ, उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर, आगे भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार ब्याज, उपगत किए गए आनुषंगी खर्चे, लागतें, प्रभार इत्यादि चुकाने की मांग की गई थी।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम/ सह-कर्जदार का नाम/ ऋण खाता संख्या	कुल बकाया राशि (रू. में)/ मांग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि एवं प्रकार
1	संजीव समरवाल / श्याम सुन्दर समरवाल / HL0031/HDLH00009986	रु. 97,05,615.51/- 19 जनवरी 2019	भौतिक 7 दिसम्बर 2019

प्रतिभूत सम्पत्ति पता: सम्पत्ति सं. /फ्लैट स. 42बी पॉकेट - A मयूर विहार फेज-II, नई दिल्ली-91, चौहद्दी: उत्तर फ्लैट, दक्षिण: फ्लैट, पूरब-पार्क, पश्चिम: फ्लैट

जबकि इसमें ऊपर वर्णित कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों को विशेष रूप से और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि आर्सिल के अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां ऊपर वर्णित संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों का भौतिक कब्जा 07 दिसंबर, 2019 को प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर वर्णित कर्जदारों तथा जनसाधारण को उपरोक्त संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और उपरोक्त संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा। कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थान: दिल्ली
तिथि: 11-12-2019

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

Arcil असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएन: U65999MH2002PLC134884, वेबसाइट: www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालय: दि रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028, फोन: +91 2266581300
शाखा पता: द्वितीय तल, मेरी चैम्बर्स, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेंटर, निकट पीवीआर प्रिया, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057, फोन: 011-46370406

पानी को समवर्ती सूची में लाने का प्रस्ताव नहीं : सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 दिसंबर।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जल को संविधान की समवर्ती सूची में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संबंध में लग रही अटकलों पर विराम लगाते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में कहा कि जल के संबंध में संविधान सभा में विस्तृत चर्चा हुई थी और संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर ने इसे राज्य की सूची में रखने की व्यवस्था दी थी।

उन्होंने कहा कि जल को समवर्ती सूची में लाने के संबंध में सरकारिया आयोग और पंछी आयोगों ने भी गौर किया था। दोनों आयोगों में से किसी ने भी जल को केंद्र या समवर्ती सूची में लाने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी। शेखावत कांग्रेस सदस्य केवीपी रामचंद्र राव के एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दे रहे थे। अपने प्रस्ताव में राव ने जल संकट की उभरती समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की खातिर जल को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

शेखावत ने कहा कि पानी का संकट पूरे विश्व में है और यह एक गंभीर चुनौती बन कर सामने आया है। भारत के सामने यह चुनौती ज्यादा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्रोतों से देश को करीब 3800 अरब घन मीटर (बीसीएम) पानी मिलता है। जबकि सतह पर इसके भंडारण की क्षमता 257 बीसीएम है और 457 बीसीमए भूमिगत जल रिचार्ज होता है। देश की अधिकतम जरूरत करीब 1100 बीसीएम है और मिलने वाले जल का उचित प्रबंधन किया जाए तो आने वाले कई वर्षों तक यह समस्या दूर हो सकती है। पोलावरम परियोजना का जिक्र करते हुए शेखावत ने कहा कि शुरू में यह करीब 16,000 करोड़ रुपए की परियोजना थी और बाद में राज्य के अनुसार यह विभिन्न वजहों से बढ़कर 55,000 करोड़ रुपए की हो गई।

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी आवेदन/याचिका सं. 2019 का-------
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में
तथा
आईडियल कार्पोट्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-4/118, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 में है, के मामले में।
.... आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 12.11.2019 को आयोजित वार्षिक आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, (उत्तरी क्षेत्र), बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
सी-4/118, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029

बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से
आइडियल कार्पेट्स लिमिटेड
हस्ता./-
लल्ला राम मौर्या
प्रबंध निदेशक
DIN:01017499

तिथि: 9.12.2019
स्थान: नई दिल्ली

bharti airtel

भारती एयरटेल लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1995PLC070609
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: भारती क्रिसेंट, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेज-II, नई दिल्ली-110 070
दूरभाष: 91-11-4666 6100, फैक्स: 91-11-4166 6137
ई-मेल आईडी: compliance.officer@bharti.in वेबसाइट: www.airtel.com

असाधारण आम बैठक एवं ई-वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि:

1. कम्पनी की असाधारण आम बैठक (ई.जी.एम.) शुक्रवार, 3 जनवरी, 2020 को अप. 3.30 बजे (भा.स.स.) ई.जी.एम. की सूचना में निर्धारित विशेष कारोबार को सम्पादित करने के लिए श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत में होगी।
2. ई.जी.एम. की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2019 को उन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिट्री प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं और ई.जी.एम. की सूचना की भौतिक प्रतियां भेजने का कार्य मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2019 को पूरा कर लिया गया है। ई.जी.एम. की उपरोक्त कथित सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके नाम शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2019 को सदस्यों/डिपॉजिट्री प्रतिभागियों के रजिस्टर में शामिल हैं।
3. वे सदस्य जिनके पास कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 27 दिसम्बर, 2019 को शेयर या तो भौतिक रूप में या अमूर्त (डिमैटिरियलाइज्ड) रूप में उपलब्ध होंगे, वे केफिन टैक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में ज्ञात) ("कार्वी") की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा ई.जी.एम. स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से भी ई.जी.एम. की सूचना में निर्धारित विशेष कारोबार(रों) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप ('रिमोट ई-वोटिंग') से अपना वोट डाल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति, जो ई.जी.एम. की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 27 दिसम्बर, 2019 को शेयर का स्वामित्व धारण करता है, वह evoting@Karvy.com पर आग्रह भेजकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया ई.जी.एम. की सूचना में भी प्रदान की गई है जो कि कम्पनी की वेबसाइट और कार्वी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
4. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (क) अन्य दस्तावेजों सहित ई.जी.एम. की सूचना का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन/भौतिक प्रेषण मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2019 को पूरा हो गया, (ख) रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 31 दिसम्बर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे (भा.स.अ.) शुरू होगी और बृहस्पतिवार, 2 जनवरी, 2020 को सायं 5.00 बजे (भा.स.अ.) बंद होगी। (ग) रिमोट ई-वोटिंग, बृहस्पतिवार, 2 जनवरी, 2020 को सायं 5.00 बजे (भा.स.अ.) के बाद अनुमत्य नहीं होगी। (घ) रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण कार्वी वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध हैल्प एवं एफएक्यू का अवलोकन कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग से जुड़ी किसी अन्य पूछताछ/शिकायत के लिए श्री रमेश जी. देसाई, प्रबंधक-कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कार्वीफिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में ज्ञात), कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गोचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032 से फोन नं. 040-67161528 या ई-मेल evoting@Karvy.com या कार्वी के टोल फ्री नं. 1-800-34-54-001 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
5. वे सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डालते हैं, उनके लिए ई.जी.एम. स्थल पर मतपत्र/मतदान पत्र/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद भी बैठक में भाग ले सकता है लेकिन उसे बैठक में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।
6. ई.जी.एम. की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.airtel.com; और कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।

कृते भारती एयरटेल लिमिटेड
हस्ता./-
पंकज तिवारी
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. 15106

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 दिसम्बर, 2019

फार्म ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत)
मैसर्स क्राउन रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संगत विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स क्राउन रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के गठन की तिथि	07 जून 1983
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार गठित है	कम्पनी अधिनियम, 1956, कम्पनी रजिस्ट्रार रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा, नई दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U27209DL1983PTC015878
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय यदि कोई हो, का पता	दूसरा तल, राजिन्दा हाउस, ई-1/बी1, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110044
6.	कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ तिथि	06 दिसम्बर, 2019 (09.12.2019 को प्राप्त आदेश)
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की अनुमानित तिथि	06 जून, 2020
8.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने के लिए इनसाल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण संख्या	अमित अग्रवाल पंजीकरण सं. IBBI/IPA-02/IP-N00185/2017-18/10456
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत अनुसार अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का पता एवं ई-मेल	एच-63, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 ई-मेल आईडी: amitagcs@gmail.com
10.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता एवं ई-मेल	एच-63, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 ई-मेल आईडी: crown.amitagcs@gmail.com
11.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	23 दिसम्बर, 2019
12.	अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार धारा 21 की उपधारा (6ए) के अनुच्छेद (ख) के अधीन लेनदारों का वर्ग, यदि कोई हो	हां दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5(8)(एफ) के अंतर्गत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अधीन आवंटी
13.	एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करने के लिए निर्धारित किये गये इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग में तीन नाम)	1. श्री अनुज माहेश्वरी 2. श्री सुधांशु गुप्ता 3. श्री अनिल तायल
14.	(क) संगत फार्म और (ख) अधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध रहने का विवरण	क) वेब लिंक: https://ibbi.gov.in/downloadform.html भौतिक पता: लागू नहीं 1. नाम: **अनुज माहेश्वरी** पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00577/2017-18/11018 पता: 201, हर्ष भवन, 65, 64, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019 ई-मेल आईडी: Crown.anujmaheshwari@gmail.com 2. **नाम**: श्री सुधांशु गुप्ता **पंजीकरण सं.**: IBBI/IPA-002/IP-N00216/2017-18/10668 **पता**: 311, अग्रवाल चैम्बर-2, प्लॉट नं. 30, 31, वीर सावरकर ब्लॉक, मेट्रो पिलर नं. 58 के सामने, शकरपुर, पूर्वी दिल्ली-110092 **ई-मेल पता**: sg_1973@rediffmail.com 3. **नाम**: श्री अनिल तायल **पंजीकरण सं.**: IBBI/IPA-002/IP-N00684/2018-19/12031 पता: 201, सगर प्लाजा, प्लॉट नं. 19, डिस्ट्रिक्ट सैन्टर लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092 **ई-मेल पता**: csaniltayal@gmail.com

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, दिल्ली ने 06 दिसम्बर, 2019 को मैसर्स क्राउन रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।
मैसर्स क्राउन रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को एतद्द्वारा नीचे मद 10 में वर्णित पते पर अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास 23 दिसम्बर, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।
वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा अपने दावों को जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावे व्यक्तिगत या डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा कर सकते हैं।
प्रविष्टि सं. 12 के अधीन सूचीबद्ध अनुसार वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदार को फार्म सीए में वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के अधीन तीन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल में से अपनी पसंद का एक अधिकृत प्रतिनिधि चुनना होगा।
दावों के झूठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

हस्ता/-
(अमित अग्रवाल)
(इन्सॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल)

दिनांक: 10 दिसम्बर, 2019
स्थान: दिल्ली

PUBLIC NOTICE
PRISM INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
CIN: U74899DL1994PTC061703
Regd. Office: 208, Southern Park, Saket District Centre, New Delhi – 110017

Prism International Private Limited alongwith Mr. Samvid Gupta and Mr. Ishaan Gupta, hereby announces that Mr. Samvid Gupta and Mr. Ishaan Gupta, residents of 94, Sainik Farms, Khanpur, New Delhi-110062, have been appointed as directors of the Company.

The change in the management of the Company has been done primarily with the objective of Succession Planning and to bring experts on the board of the Company. Further, there is no change in the ownership/control of the Company.

Prism International Private Limited is a RBI registered NBFC with Certificate of registration no. 14.03267 received on March 6, 2013. Public notice is hereby given for any objections in relation to the change in the management of the Company.

Any objections regarding the above change in the management may be addressed within 30 days of this notice to:
Mr. Prem Kishan Dass Gupta
Director
Contact No.: 9818133364
Office No.: 011-48887888
E-mail id: mail@ntsc.in

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

MID CORPORATE BRANCH / मिड कॉर्पोरेट शाखा
U-16/73 74, DLF Phase-III, DLF City, Gurgaon, Haryana 122010
Ph.: 0124-2354447 E-mail: br.8181@syndicatebank.co.in

POSSESSION NOTICE / कब्जा सूचना
[Appendix IV under the Act Securitization Act-Rule 8(1)]

Where as, the undersigned being the authorised officer of the Syndicate Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated **05.06.2018** calling upon the borrower/s **M/s. Munni Devi Shiksha Samitti** and also sureties **Mr. Raman Rathore, Mr. Aman Kumar Rathore, Mr. Ram Kumar and Mrs. Munni Devi** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 72,66,232.42/- (Rupees Seventy Two Lakhs Sixty Six Thousand Two Hundred Thirty Two Rupees and Forty Two Paise Only)** with in 60 days from the date of the said notice.

The borrower's attention is invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The owner of the property in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **Syndicate Bank, DLF Phase 3 Branch** for an amount of **Rs. 72,66,232.42/- (Rupees Seventy Two Lakhs Sixty Six Thousand Two Hundred Thirty Two Rupees and Forty Two Paise Only)** Outstanding in the books of account of the bank as on 22-05-2019 and interest thereon, costs, etc and subsequent costs thereon from 31/04/2019 to till the date of realization excluding of any amount has paid.

SCHEDULE OF PROPERTY / सम्पत्ति की अनुसूची

Land & Building situated at village Duda Bahua, Rasoolabad, Distt. Kanpur Dehat, Uttar Pradesh in the Name of Munni Devi Mahavidhalaya (Managed by Munni Devi Shiksha Samittee Rasoolabad) valued at Rs. 107 Lakhs.

Date: 07.12.2019
Place: Gurugram

Authorised Officer
Syndicate Bank

Borrower	Surety
1. M/s Munni Devi Shiksha Samitti	1. **Mr. Raman Rathore**: H. No. 610, Indargadh, Tehsil Tirva, Distt. Kannaoj, Uttar Pradesh, 209728 2. **Mr. Aman Kumar Rathore**: H. No. 610, Indargadh, Tehsil Tirva, Distt. Kannaoj, Uttar Pradesh, 209728 3. **Mr. Ram Kumar**: H. No. 610, Indargadh, Tehsil Tirva, Distt. Kannaoj, Uttar Pradesh, 209728 4. **Mrs. Munni Devi**: H. No. 610, Indargadh, Tehsil Tirva, Distt. Kannaoj, Uttar Pradesh, 209728

बिक्री सूचना
नवरन एडवान्स्ड नैनोप्रोडक्ट्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल प्रा. लि.

(परिसमापन में)
परिसमापक: श्री मोहित चावला
परिसमापक का पता: एससीओ 2935-36, सेक्टर 22-सी, चंडीगढ़-160022
ई-मेल आईडी: ipservices@embeegroup.in, ip.navran@gmail.com
सम्पर्क नं.: (0172) 5086552, मोबाइल: +91 9888003303 (श्री मोहित चावला)

इ-नीलामी
दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड, 2016 के अंतर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री
इ-नीलामी की तिथि व समय:
10 जनवरी, 2020 को अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक
(प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच आदेश दिनांक 04.04.2019 के द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा कथित परिसमापन एस्टेट के भाग के तौर पर **नवरन एडवान्स्ड नैनोप्रोडक्ट्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)** द्वारा स्वामित्व की परिसम्पत्तियों और सम्पत्तियों की बिक्री। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा इ-नीलामी मंच https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से की जाएगी।

परिसम्पत्ति	आरक्षित मूल्य	इएमडी राशि	वृद्धिशील राशि
लॉट-1: पंजीकृत बिक्री विलेख नं. 2762 दिनांक 26.11.2009, 1792 दिनांक 02.07.2009, 1871 व 1872 दिनांक 10.08.2009, 1886 व 1887 दिनांक 27.08.2009 द्वारा मै. नवरन एडवान्स्ड नैनोप्रोडक्ट्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर गांव थमानदरी, तहसील व जिला ऊना में स्थित प्लाट रकबा 57044 वर्ग मीटर की सम्पत्ति सामंजस्य के साथ उस पर भवन तथा निर्माण के सभी अनिवार्य अंग।	5.80 करोड़ रु.	0.58 करोड़ रु.	5.00 लाख रु.
लॉट-2: मै. नवरन एडवान्स्ड नैनोप्रोडक्ट्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर गांव थमानदरी, तहसील व जिला ऊना में पड़े हुए संयंत्र व मशीनरी और स्थाई परिसम्पत्तियां।	3.70 करोड़ रु.	0.37 करोड़ रु.	5.00 लाख रु.
लॉट-3: i) पंजीकृत बिक्री विलेख नं. 2762 दिनांक 26.11.2009, 1792 दिनांक 02.07.2009, 1871 व 1872 दिनांक 10.08.2009, 1886 व 1887 दिनांक 27.08.2009 द्वारा मै. नवरन एडवान्स्ड नैनोप्रोडक्ट्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर गांव थमानदरी, तहसील व जिला ऊना में स्थित प्लाट रकबा 57044 वर्ग मीटर की सम्पत्ति सामंजस्य के साथ उस पर भवन तथा निर्माण के सभी अनिवार्य अंग। ii) मै. नवरन एडवान्स्ड नैनोप्रोडक्ट्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर गांव थमानदरी, तहसील व जिला ऊना में पड़े हुए संयंत्र व मशीनरी और स्थाई परिसम्पत्तियां।	9.50 करोड़ रु.	0.95 करोड़ रु.	5.00 लाख रु.

"नैनोप्रोडक्ट्स के निर्माण हेतु संयंत्र अर्थात पोलीमराइज्ड टोनर (नवीनतम कलर लेजर प्रिंटर के लिए), डीजल फ्यूल एडीटिव तथा नैनो जिंक ऑक्साइड।
कृपया नोट करें:
1) बोली वृद्धि राशि 5,00,000/- रु. होगी, 2) जीएसटी यथा लागू अतिरिक्त होगा।
इ-नीलामी की निबंधन एवं शर्तें नीचे दिए अनुसार हैं:-

1. इ-नीलामी अनुमोदित सेवा प्रदाता इ-प्रोक्योरमेंट टैक्नोलॉजिज लि. (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से "जैसी है जहां है", "जैसी है जो कुछ है" और "वहां जो कुछ मौजूद है" के आधार पर आयोजित की जाएगी।
2. इस बिक्री सूचना को वेबसाइट: http://embeeip.com पर उपलब्ध परिसंपत्तियों का विवरण, ऑनलाइन इ-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा और वचन फॉर्म, इ-नीलामी बिक्री की सामान्य और तकनीकी निबंधन एवं शर्तों से युक्त पूर्ण इ-नीलामी प्रक्रिया जानकारी दस्तावेज के साथ पढ़ा जाएगा।
3. इच्छुक बोलीदाता को 06.01.2020 को या उससे पूर्व "नवरन एडवान्स्ड नैनोप्रोडक्ट्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड-परिसमापन में", खाता सं. 0004344243, सिटी बैंक, गुड़गांव शाखा, IFS Code: CITI0000014 के खाते में डीडी/एनइएफटी/आरटीजीएस या वह नवरन एडवान्स्ड नैनोप्रोडक्ट्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड-परिसमापन में के नाम पर किसी अधिसूचित बैंक में देय डीडी के माध्यम से धरोहर राशि जमा (इएमडी) करनी अपेक्षित है।
4. बोलीदाता की पंजीकरण प्रक्रिया 11.12.2019 से 06.01.2020 तक शुरू की जाएगी और 10.01.2020 की बोलीकरण के लिए पात्र बोलीदाता को 09.01.2020 को सूचित किया जाएगा।
5. इच्छुक बोलीदाता को इ-नीलामी प्रक्रिया जानकारी में वर्णित दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज i) एनइएफटी/आरटीजीएस चालान की प्रति, ii) पेन कार्ड, iii) पहचान का प्रमाण (केवाईसी), iv) पते का प्रमाण, v) जीएसटी प्रमाण पत्र, की प्रतियां 06.01.2020 को या उससे पूर्व परिसमापक के लिए पते पर प्रदान करना अपेक्षित है जिसके बिना बोली रद्द करने के लायक है।

हस्ता./- मोहित चावला,
परिसमापक,
नवरन एडवान्स्ड नैनोप्रोडक्ट्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
IBBI Regd. No. IBBI/IPA-001/IP-P00524/2017-2018/10949

तिथि: 11.12.2019
स्थान: चंडीगढ़

प्रपत्र – 'जी' (संशोधित)
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	कैपिटल ऑटो रबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	08.06.1984
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली (कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत)
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74899DL1984PTC018352
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय:** (एमसीए रिकॉर्ड के अनुसार) 6482 जैना बिल्डिंग, रोशनारा रोड, नई दिल्ली – 110007 **फैक्टरी:** 137 सेक्टर-IV-ए, आईएमटी मानेसर औद्योगिक क्षेत्र, सोहना – 122005
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	06.09.2019
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	16.11.2019
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की पात्रता	विवरण ip.capitalauto@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है। **पात्रता मानदंड:** रु. 1 करोड़ का न्यूनतम समेकित शुद्ध मूल्य निवेशक (जो) कंपनी / एलएलपी / साझेदारी फर्म / व्यक्तियों के लिए
9.	धारा 29ए के अधीन लागू अपात्रता के मानदंड	विवरण ip.capitalauto@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है।
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	20.12.2019
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	25.12.2019
12.	अनंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	30.12.2019
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	05.01.2020
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	25.12.2019
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	समाधान आवेदक क्रमांक 21 में दिए पते पर सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स, समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध और किसी भी अन्य जानकारी के लिए समाधान पेशेवर से संपर्क कर सकता है।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	25.01.2020
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	ईमेल आईडी ip.capitalauto@gmail.com पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में और सील्ड कवर / व्यक्तिगत रूप से डिलीवरी द्वारा
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	15.02.2020
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	उमेश गुप्ता पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00848/2017-18/11431
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	उमेश गुप्ता यूनिट नंबर 111, पहली मंजिल, टॉवर-ए, स्पेज़ आईटीसी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर -47, सोहना रोड, गुड़गांव – 122018 ईमेल: umesh@vamindia.in
21.	पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	यूनिट नंबर 111, पहली मंजिल, टॉवर-ए, स्पेज़ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर -47, सोहना रोड, गुड़गांव – 122018 ईमेल: ip.capitalauto@gmail.com
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	ip.capitalauto@gmail.com पर या 9910024854 पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
23.	प्रपत्र "जी" के प्रकाशन की तिथि	फॉर्म जी मूल रूप से 17 नवंबर 2019 को प्रकाशित हुआ था। अब **11 दिसंबर 2019** को फिर से प्रकाशित किया गया है।

हस्ता/–
उमेश गुप्ता
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00848/ 2017-18/ 11431
समाधान पेशेवर, कैपिटल ऑटो रबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

तिथि: 10/12/2019
स्थान: गुड़गांव

फॉर्म-जी
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
(दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 की विनियम 36ए (1) के अधीन)

संबंधित विवरण

1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	अमृत फीड्स लिमिटेड
2.	कारपोरेट ऋणी की संस्थापना की तिथि	22.07.1994
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कारपोरेट ऋणी दर्ज/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़- कोलकाता
4.	कारपोरेट ऋणी का निगमित पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U15339WB1994PLC064082
5.	कारपोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	158 लेनिन सरानी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700013 (भारत)
6.	कारपोरेट ऋणी के संबंध में इंसॉलवेंसी शुरुआती तिथि	आदेश दिनांकः 22.10.2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	11.12.2019
8.	कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन प्रस्ताव आवेदकों के लिए पात्रता उपलब्ध हैः	इच्छुक पार्टियां/प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदक आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 ("सीआइआरपी विनियमों") के विनियम 36ए के उप विनियम 7 के अनुसार अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। पात्रता मानदंड सीआइआरपी विनियमों के विनियम 36ए के उप विनियम (3)(ए) के अनुवर्ती वर्णित है जो http://insolvencyandbankruptcy.in पर उपलब्ध है। इसे amritfeeds@aaainsolvency.com पर इ-मेल के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है।
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू अपात्रता के नियम उपलब्ध है	धारा 29ए के अंतर्गत अपात्रता के नियम सीआइआरपी विनियमों के विनियम 36ए के उप विनियम (3)(ए) के अनुवर्ती वर्णित है जो http://insolvencyandbankruptcy.in पर उपलब्ध हैं। इसे amritfeeds@aaainsolvency.com पर इ-मेल के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	27.12.2019
11.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	01.01.2020
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियों के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि	06.01.2020
13.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	11.01.2020
14.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों के लिए प्रस्ताव योजना के लिए अनुरोध तथा सूचना ज्ञापना, मूल्यांकन सारणी जारी करने की तिथि	06.01.2020
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन सारणी, सूचना ज्ञापन तथा आगामी जानकारी हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	प्रस्ताव पेशेवर आईबीसी, 2016 की धारा 29ए के अंतर्गत केवाईसी, निवेश की क्षमता, प्रबंधन की योग्यता और पात्रता, सीओसी द्वारा अनुमोदित पूर्व योग्यता मानदंड यदि कोई है, के सत्यापन के बाद इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन सारणी, सूचना ज्ञापन हेतु अनुरोध को शेयर करेगा।
16.	प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	07.02.2020
17.	प्रस्ताव पेशेवर को प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने का तरीका	प्रस्ताव योजना के साथ सभी समर्थक जानकारी, दस्तावेज और विभिन्न फॉर्म/शपथ पत्र/प्राधिकरण निम्नलिखित पतेः एएए इंसॉलवेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी, मौसुमो कॉ-ऑप. हाउसिंग सोसाइटी, 15बी, बालीगंज सर्कुलर रोड़, कोलकाता-700019 पर प्रस्ताव पेशेवर को प्रस्तुत करेंगे। प्रस्ताव योजना के साथ सभी समर्थक जानकारी, दस्तावेज और विभिन्न फॉर्म/शपथ पत्र/प्राधिकरण को पासवर्ड प्रोटेक्टिड पेन ड्राइव संलग्न द्वारा इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप में भी प्रस्तुत करेंगे। विवरण प्रस्ताव योजना के लिए अनुरोध में प्रदान किया जाएगा।
18.	अनुमोदन के लिए निर्णायक प्राधिकरण को प्रस्ताव योजना के प्रस्तुतिकरण हेतु अनुमानित तिथि	प्रस्ताव योजना को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स द्वारा जल्द से जल्द अनुमोदित किया जाना है
19.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम तथा पंजीकरण सं.	श्री पंकज कुमार टिबरेवाल IBBI/IPA-001/IP/P-01577/2018-2019/12410
20.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम पेशेवर का नाम, पता व इ-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	श्री पंकज कुमार टिबरेवाल, चित्रा 3इ, ड्यूक रेजीडेंसी, 13 चंडीतला लेन, अशोक नगर पार्क, टोलीगंज, रीजेंट पार्क, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700040, इ-मेलः tibrewalpankaj@yahoo.com
21.	प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इमेल तथा पता	एएए इंसॉलवेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी, कोलकाता कार्यालयः मौसुमो कॉ-ऑप. हाउसिंग सोसाइटी, 15बी, बालीगंज सर्कुलर रोड़, कोलकाता-700019 इ-मेलः amritfeeds@aaainsolvency.com
22.	आगामी विवरण पर या के साथ उपलब्ध है	प्रस्ताव पेशेवर के साथ श्री पंकज कुमार टिबरेवाल, चित्रा 3इ, ड्यूक रेजीडेंसी, 13 चंडीतला लेन, अशोक नगर पार्क, टोलीगंज, रीजेंट पार्क, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700040 इ-मेलः tibrewalpankaj@yahoo.com
23.	फॉर्म जी के प्रकाशन की तिथि	11.12.2019

श्री पंकज कुमार टिबरेवाल
पंजीकृत संख्याः IBBI/IPA-001/IP/P-01577/2018-2019/12410
चित्रा 3इ, ड्यूक रेजीडेंसी, 13 चंडीतला लेन, अशोक नगर पार्क, टोलीगंज, रीजेंट पार्क, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700040
इ-मेलः tibrewalpankaj@yahoo.com
कृते अमृत फीड्स लिमिटेड

दिनांकः 11.12.2019
स्थानः कोलकाता

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
[Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the corporate debtor	M/s TECHCON LABS PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	05/09/2016
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana Under Companies Act, 2013
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U72900HR2016PTC065645
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Q1-287, South City-II Gurgaon HR 122001
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	27/09/2019 Vide NCLT Order CP (IB) NO.- 278/CHD/HRY/2018 dated 27/09/2019)
7.	Date of invitation of expression of interest	11/12/2019
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	The eligibility criteria for prospective resolution applicants can be accessed from https://ibbi.gov.in/ legal-framework/ act or can be obtained by email to irptechcon2019@gmail.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	The ineligibility criteria for prospective resolution applicants can be accessed from https://ibbi.gov.in/ legal-framework/act or can be obtained by email to irptechcon2019@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	26/12/2019
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	05/01/2020
12.	Last date for submission of objections to provisional list	10/01/2020
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	20/01/2020
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	10/01/2020
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	The Interim Resolution professional will share the document through **Email:** irptechcon2019@gmail.com In accordance with the provisions of the code and regulations made there under.
16.	Last date for submission of resolution plans	09/02/2020
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	The Resolution plans will be send on **Email:** irptechcon2019@gmail.com
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	10/03/2020
19.	Name and registration number of the resolution professional	Sunil Kumar Agrawal Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00081/2017-18/10222
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	Sunil Kumar Agrawal E-29, South Extention- II, New Delhi- 110049 **Email:** aggarwalsk21@yahoo.com
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	904, GF, Sector- 7C, Faridabad- 121006 **Email:** irptechcon2019@gmail.com
22.	Further Details are available at or with	Further details can be sought by the **Email:** irptechcon2019@gmail.com
23.	Date of publication of Form G	11/12/2019

Sunil Kumar Agrawal
Interim Resolution Professional
IBBI/IPA-002/IP-N00081/2017-18/10222
E-29, South Extention- II, New Delhi- 110049

Date: 10.12.2019
Place: New Delhi

खबर कोना

मनीला में मंगलवार को दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों में इंडोनेशिया के खिलाफ गोल दागने की खुशी मनाते वियतनाम के फुटबाल खिलाड़ी।

पाकिस्तान अब तटस्थ स्थानों पर मैचों का आयोजन नहीं करेगा : अहसान मनि

रावलपिंडी, 10 दिसंबर (एपी)।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष अहसान मनि ने कहा है कि पाकिस्तान अब घरेलू अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन तटस्थ स्थान पर कराने पर विचार नहीं करेगा। मनि ने कहा, 'अब अन्य टीमों को हमें बताना होगा कि वे पाकिस्तान में क्यों नहीं खेलना चाहते।' उन्होंने कहा, 'हमारी स्थिति यह है कि पाकिस्तान सुरक्षित है। हम पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर आपको पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है तो आपको पाकिस्तान आना होगा।' श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टैस्ट कराची में 19 से 23 दिसंबर से होगा।

क्रिकेट आस्ट्रेलिया को 2022 में टैस्ट शृंखला के लिए आमंत्रण

कराची, 10 दिसंबर (भाषा)।

पीसीबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम खान के अनुसार पीसीबी क्रिकेट आस्ट्रेलिया को 2022 में टैस्ट श्रृंखला के लिए राष्ट्रीय टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए मनाने का प्रयास कर रहा है। खान ने संवाददाताओं से कहा, 'आस्ट्रेलिया सैद्धांतिक रूप से पाकिस्तान की घरेलू शृंखला में तीन टैस्ट खेलने को राजी हो गया है। बेशक हम यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं कि आस्ट्रेलिया 2022 में पाकिस्तान में खेलने पर सहमत हो ।

अपनी कमियों को दुरुस्त करके उतरेगी टीम इंडिया

मुंबई, 10 दिसंबर (भाषा)।

भारत आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ निर्णायक तीसरे टी20 मैच में बेहतर प्रदर्शन करने उतरेगा। तिरूवनंतपुरम में दूसरा मैच वेस्ट इंडीज के जीत जाने से शृंखला 1-1 से बराबरी पर है। विराट कोहली की शानदार पारी के दम पर भारत ने हैदराबाद में पहला मैच जीता था।

भारतीय खेमे की नजरें युवा आफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर और खराब फार्म से जूझ रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर होगी। देखना यह है कि टीम प्रबंधन सुंदर को उतारता है या कुलदीप यादव को मौका मिलता है। सुंदर ने पिछले पांच टी20 मैचों में सिर्फ तीन विकेट लिए हैं। उसने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो और बांग्लादेश के खिलाफ तीन टी20 मैचों में 23 ओवरों में 144 रन दे डाले। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टी20 मैचों में उन्हें विकेट नहीं मिला। कप्तान कोहली उनकी फील्डिंग को लेकर भी चिंतित होंगे। पिछले मैच में उन्होंने लैंडल सिमंस का आसान कैच टपकाया जिन्होंने वेस्ट इंडीज के जीत की नींव रखी। कुलदीप ने आखिरी टी20 मैच हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ फरवरी में खेला था। पहले दो मैचों में उन्हें टीम में जगह नहीं मिल सकी। वहीं पंत के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं।

खराब क्षेत्ररक्षण और लचर गेंदबाजी का खामियाजा भुगत रही है भारतीय क्रिकेट टीम

इस मैदान पर वेस्टइंडीज ने 2016 टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में भारत को हराया था और बाद में खिताब भी अपने नाम किया ।

मैच भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से शुरू होगा।

टीमें :

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी।

वेस्ट इंडीज : कीरोन पोलार्ड (कप्तान), फेबियन एलेन, ब्रैंडन किंग, दिनेश रामदीन, शेल्डन कॉटरेल, एविन लुईस, शेरफाने रदरफोर्ड, शिमरोन हेटमेयर, खारी पियरे, लेंडिल सिमंस, जेसन होल्डर, हेडन वॉल्श जूनियर, कीमो पॉल और केसरिक विलियम्स।

कुलदीप यादव

नेहरू कप फाइनल में हिंसा, 11 हॉकी खिलाड़ी निलंबित

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा)।

हॉकी इंडिया की अनुशासन समिति ने की कार्रवाई

हॉकी इंडिया की अनुशासन समिति ने मंगलवार को कड़ा फैसला करते हुए पंजाब सशस्त्र पुलिस और पंजाब नेशनल बैंक के बीच हाल में 56वें नेहरू कप फाइनल के दौरान हिंसा में भूमिका के लिए 11 खिलाड़ियों और दो टीम अधिकारियों को निलंबित किया। पिछले महीने नेहरू कप फाइनल के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हाथापाई हुई थी और टर्फ पर ही एक दूसरे पर इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हॉकी भी चलाई थी जिसके बाद हॉकी इंडिया ने टूर्नामेंट के आयोजकों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।

रिपोर्ट की समीक्षा करने और वीडियो साक्ष्य देखने के बाद हॉकी इंडिया के उपाध्यक्ष भोला नाथ सिंह की अध्यक्षता में समिति ने सर्वसम्मति से पंजाब सशस्त्र पुलिस और पंजाब नेशनल बैंक के खिलाड़ियों को क्रमशः 12-18 महीने और 6-12 महीने के लिए निलंबित करने का फैसला किया। हॉकी इंडिया ने विज्ञप्ति में कहा, 'समिति ने पंजाब सशस्त्र पुलिस के खिलाड़ियों हरदीप सिंह और जसकरन सिंह पर 18 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जबकि दुपिंदरदीप सिंह, जगमीत सिंह, सुखप्रीत सिंह, सरवनजीत सिंह और बलविंदर सिंह को हॉकी इंडिया / हॉकी इंडिया लीग की आचार संहिता के तहत स्तर तीन के अपराध के लिए 11 दिसंबर से 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया।' इसमें कहा गया, 'स्तर तीन के अपराध के लिए टीम मैनेजर अमित संधू को भी 18 महीने के लिए निलंबित किया गया है। यह भी सिफारिश की गई कि पंजाब पुलिस की टीम को तीन महीने के निलंबित किया जाए और टीम 10 मार्च 2020 से नौ जून 2020 (अनधिकृत टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के कारण लगा निलंबन खत्म होने के बाद) तक अखिल भारतीय टूर्नामेंटों में खेलने की पात्र नहीं होगी।' पंजाब नेशनल बैंक के खिलाड़ी सुखजीत सिंह, गुरसिमरन सिंह और सुमित टोप्पो को 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है जबकि टीम के कप्तान जसबीर सिंह को छह महीने के लिए निलंबित किया गया है। टीम के मैनेजर सुशील कुमार दुबे को भी आचार संहिता और प्रतिबंधों का पालन करने में उनकी टीम की अक्षमता के कारण छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह भी सिफारिश की गई कि पंजाब नेशनल बैंक की टीम को तीन महीने के निलंबन के तहत रखा जाए और वह 11 दिसंबर से 10 मार्च तक किसी भी अखिल भारतीय टूर्नामेंट में खेलने की पात्र नहीं होगी। समिति ने सर्वसम्मति से यह भी सहमति व्यक्त की कि उपरोक्त सभी खिलाड़ी अपने प्रतिबंधों की समाप्ति के बाद 24 महीने की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए तत्काल स्तर तीन का अपराध माना जाएगा और वह व्यक्ति स्वतः दो साल के लिए निलंबित हो जाएगा।

सैग खेलों में रेकार्ड पदकों के साथ भारत ने समाप्त किया अभियान

काठमांडू, 10 दिसंबर (भाषा)।

भारत ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों (सैग) में मंगलवार को यहां अपने अभियान का अंत रेकार्ड 312 पदकों के साथ किया जिसमें 174 स्वर्ण के अलावा 93 रजत और 45 कांस्य पदक शामिल हैं।

भारत ने गुवाहाटी और शिलांग में आयोजित हुए इन खेलों के पिछले सत्र (2016) में कुल 309 पदक हासिल किए थे जिसमें 189 स्वर्ण थे। इस बार हालांकि स्वर्ण पदकों की संख्या पिछली बार से 15 कम है। मेजबान नेपाल 206 पदक (51 स्वर्ण, 60 रजत और 95 कांस्य) के साथ दूसरे जबकि श्रीलंका 251 पदकों (40 स्वर्ण, 83 रजत और 128 कांस्य) के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत 1984 में शुरू हुए दक्षिण एशियाई खेलों के सभी आयोजन में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। मंगलवार को इन खेलों के आखिरी दिन भारत ने 15 स्वर्ण सहित दो रजत और एक कांस्य पदक के साथ कुल 18 पदक हासिल किया।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 24, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com